लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 51 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य । चार रुपये

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 51, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 24, शनिवार, 25 अगस्त, 1984/3 भाद्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-2
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	3-7
राज्य सभा से संदेश	8
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन	8-9
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	9
विधेयकों पर अनुमति	9-10
लोक लेखा समिति	
221वां तथा 226वां प्रतिवेदन	10-11
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) राजस्थान में बिजली की कमी तथा पलाना ताप बिजलीघर को चालू करने आवश्यकता	
श्री मनफूल सिंह चौधरी	11-13
(दो) राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना की आवश्यकता	
श्री भीखाभाई	13

(तीन) हरियाणा में सहाबी नदी पर एक बांध और एक बराज का निर्माण

श्री राम सिंह यादव ... 13-14

(चार) हैदराबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित करना

श्री के. एस. नारायण 14

(पांच) एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों के और अधिक स्थानों पर रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री पी. जे· कुरियन ... 14-15

(छः) बिहार में 1951-52 में बसाये गये शरणार्थी परिवारों को कृषि भूमि हस्तांतरित करना

श्री आनन्द पाठक ... 15-16

(सात) उत्तर बिहार के मिथला क्षेत्र का विकास

श्री भोगेन्द्र झा ... 16

(आठ) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों और पंचेयार जलाशय योजना के जल का उपयोग

श्री के. टी. कोसलराम ... 17

(नौ) लास एंजिलिस में भारतीय टीम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की आवश्यकता

श्री जे.वियर अराकल ... 17-18

रेल अभिसमय समिति

12वां प्रतिवेदन 18

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव

श्री एस. एम. कृष्ण ... 18-25

खंड 2 से 84 तथा/

पारित किये जाने के लिये प्रस्ताव

श्री एस. एम. कृष्ण ... 25-35

श्री राजेश कुमार सिंह ... 34

श्री रामावतार शास्त्री ... 34-36

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती मोहसिना किदवई ... 3 -46

श्री निर्मल सिन्हा ... 42-45

श्री केयूर भूषण ... 45-49

श्री दिगम्बर सिंह ... 49-75

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 56-59

श्री चतुर्भुज ... 59-61

प्रो. एन. जी. रंगा ... 61-65

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी ... 65-66

डा. ए. कलानिधि .. 66-68

श्री जयराम वर्मा ... 68-71

श्री भीम सिंह ... 71-76

श्री सज्जन कुमार ... 116-120

श्री चन्द्रजीत यादव ... 120-122

श्री राम प्यारे पनिका ... 122-124

श्री मनीराम बागड़ी ... 125-126

श्री मूल चन्द डागा ... 126-127

श्री नाथू राम मिर्धा ... 127-128

श्री उत्तम राठौर ... 128-129

श्री पीताम्बर सिंह ... 130-131

श्री आर. एस. स्पैरो ... 131-132

श्री जी. एम. बनातवाला ... 132-134

श्री सुन्दर सिंह ... 134-135

श्री जयपाल सिंह कश्यप ... 135-136

श्री पी. नामग्याल ... 136-137

श्री गिरधारी लाल व्यास ... 137-138

श्री शांतुभाई पटेल ... 138-139

श्री विष्णु प्रसाद ... 139-

प्रो. सत्यदेव सिंह ... 140

श्री बीरबल ... 141

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी ... 141

श्री दिलीप सिंह भूरिया ... 141

श्री दिगम्बर सिंह ... 142

श्रीमती मोहसिना किदवई ... 142-147

खंड 2 से 31 तथा।

पारित किये जाने का प्रस्ताव

श्रीमती मोहसिना किदवई ... 147-157

24 अगस्त, 1984 को इंडियन एयर लाइन्स की उड़ान संख्या आई. सी.-421 के विमान के अपहरण के बारे में

श्री खुर्शीद आलम खां ... 114

श्रीलंका की स्थिति के बारे के दिए गए वक्तव्य पर चर्चा ... 75

प्रो. मधु दंडवते ... 76-91

श्री एडुआर्डो फैलीरो ... 81-85

श्री एम. एम. लारेंस ... 85-89

श्री ईरा अनबारासु ... 89-95

श्री सी. टी. दण्डपाणि ... 95-98

श्री के. टी. कोसलराम 98-100

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ... 100-102

श्री जगपाल सिंह ... 102-104

के. ए. राजन ... 104-106

श्री हरीश कुमार गंगवार ... 106-107

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा ... 107-108

श्रीमती इन्दिरा गांधी ... 108-115

जीवन बीमा निगम विधेयक

विचार किए जाने के प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी ... 157-162

राज्य सभा से संदेश ... 167

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित ... 167-168

लोक सभा

शनिवार, 25 अगस्त, 1984/3 भाद्र, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : मुझे... (व्यवधान)

11.01 म. पू.

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सर्व श्री बशेश्वर नाथ भार्गव और माधव प्रसाद त्रिपाठी के दुखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री बशेश्वर नाथ भार्गव राजस्थान के अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवी लोक सभा के सदस्य रहे।

वह व्यवसाय से वकील थे वे सन् 1957 से अजमेर जिला परिषद के प्रमुख तथा सन् 1962-63 में राजस्थान राजस्व विधि आयोग के सदस्य के अलावा विभिन्न सहकारी और शैक्षणिक संगठनों से संबद्ध रहे।

वह एक कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक थे और उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए महान कार्य किया।

श्री बशेश्वर नाथ भार्गव का दिल्ली में 54 वर्ष की आयु में 12 अगस्त, 1984 को निधन हो गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के डोमरिया गंज निर्वाचन क्षेत्र से 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा केसदस्य रहे । मृत्यु के समय वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्त्तमान सदस्य थे । लोकसभा के लिए निर्वाचित होने से पूर्व वह 1958 से 1965 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद और 1965 से 1966 तथा 1969-77 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे ।

1970-71 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमडल के मंत्री होने के अलावा, वह राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे थे ।

वह एक सुप्रसिद्ध राजनैतिज्ञ तथा समाज सेवी थे । वह उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अध्यक्ष तथा परिसीमन आयोग के सदस्य थे ।

श्री त्रिपाठी एक योग्य सांसद थे और उन्होंने सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि ली । वह सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति तथा विशेषाधिकार समिति के भी सदस्य रहे ।

श्री माधव राव त्रिपाठी का 67 वर्ष की आयु में 19 अगस्त, 1984 को अचानक स्वर्गवास हो गया ।

हमें इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख है और मुझे विश्वास है कि सभा शोक सतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी । अपना दुख व्यक्त करने के लिए सदन क्षण के लिए मौन खड़ा हों ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए । मेरे पास...**...कार्यवाही में सम्मिलित मत करिये । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी है । (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : संवैधानिक प्राधिकारी (विशेषज्ञ) इसे निश्चित करेगा । मुझे इसमें कुछ नहीं करना है । (**व्यवधान**)**

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है...

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा । मैं इसे देखूंगा । (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : बैठिये । तशरीफ रखिए । (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है । (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए । बैठिए । (**व्यवधान**)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। तशरीफ रखिए।(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : यह आपका विचार हो सकता है। मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूँ। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अपना कानून तो आप तोड़ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, रोज कहते हैं। 15, 20 मिनट हो गए हैं कोई अर्थ इस बात का नहीं निकलता है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी है मैं कुछ नहीं कर सकता। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूँ कोई सुन नहीं रहा है। साढ़े चार साल हो गये हैं कभी तो शांत रहिए।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों ही गलत हैं।...(**व्यवधान**)

———

11.20 म.पू.

सभापटल पर रखे गये पत्र

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अधीन अधिसूचना

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 की धारा 30 ख के अन्तर्गत, अनुसूचना संख्या 1-सी. ए. (124)/81 जो 19 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियम, 1964 के कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 8676/84**]

नवीन मंगलौर पत्तन (पेट्रोलियम) संशोधन, नियम 1984 तथा महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन अधिसूचना

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)। मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, नवीन मंगलौर पत्तन (पेट्रोलियम) (संशोधन, नियम, 1984 जो 6 अगस्त,

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 8677/84]**

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 595 (अ), जो 7 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (आचरण) तीसरा संशोधन विनियम, 1984 अनुमोदित किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 8678/84]**

संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत अधिसूचना

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल): मैं संयुक्त परामर्शदात्री मन्त्र (जे. सी. एम.) एवं अनिवार्य मध्यस्थता योजना के खंड 21 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र एवं अनिवार्य मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत स्थापित मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए पंचाट में रूप भेद करने से संबंधित एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 8679/84]**

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : प्रधान मन्त्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कृपया आप याद रखिए... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभी कुछ याद है। मेरा ध्यान उधर ही है। मुझे मालूम है उन्होंने क्या कहा है। उसके अनुसार कार्य कर सकता हूँ। जो कुछ भी कहा गया है वह कार्यवाही वृतान्त में है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप को शर्म नहीं आती ? आपको वह अच्छा लगता है ? मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो रिकार्ड सामने रख सकता हूँ। मेरे पास रिकार्ड है। आप आएंगे तो दिखला दूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए। आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं। पहली बात तो यह है कि पता नहीं कानून बाहर टूटता है या नहीं लेकिन यहां...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यहां की बात करता हूँ। आप मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। मुझे क्यों बिठाया है आप लोगों ने यहां पर ? क्यों आपने ये नियम बनाये हैं ?

एक माननीय सदस्य : नियम को निलम्बित कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें निलम्बित नहीं कर सकता। उन्हें निलम्बित करने का प्रश्न ही नहीं है। बिना किसी कारण अथवा तुक के मैं कैसे नियमों को निलम्बित कर सकता हूँ ? क्यों बनाया है आपने मुझे स्पीकर ? क्यों यह सदन बनाया और क्यों रूल्स बनाए हैं ? बिना नियमों के मैं कैसे सदन की कार्यवाही चला सकता हूं यह बहुत ही गलत बात है। मेरा क्या है,आप नहीं चलाना चाहते तो न चलाएं। मैं तो चलाना चाहता हूँ लेकिन आप नहीं चलाते हैं। आपने कहा डिस्कशन करवाओ, मैंने पूरा दस घंटे तक डिस्कशन करवाया। और क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

11.23 म. पू.

अध्यक्ष महोदय : मैं आधे घंटे के लिए सदन स्थगित करता हूं।

तत्पश्चात लोक सभा ग्यारह बजकर तिरेपन मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा बारह बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत हुई

12.02 म. प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। पहले मेरी बात सुनिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी से मैं पहले ही बात कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ बातें हैं जिन्हें नियमोंनुसार अनुमति दी जा सकती है। और मैं कभी भी अपने अधिकारों से आगे नहीं बढ़ा हूं और न ही कभी नियमों का उल्लघन करने की कोशिश की है। **(व्यवधान)**

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : आंध्र प्रदेश की असेम्बली का सेसन बुलाने के बारे में जो आश्वासन हुआ था...

अध्यक्ष महोदय : आप सुनें तो मैं अभी बता देता हूं। आप सुनते नहीं हैं। कभी आप सुन भी लिया करो। मैं एक ही आदमी हूँ, पचास आदमी तो हूँ नहीं। मेरे पास यह सारी चीज आई थी। मैं आपको सुनाता हूं-**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री जी ने कहा है : "मुझे पता चला है कि मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल को विधान सभा का सत्र जल्दी बुलाने के अपने निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह समाचार-पत्रों में छपाई है। उन्होंने यही कहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ भी नहीं कहा है। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी सभी विपक्षी दल के नेताओं के साथ एक सामूहिक बैठक हुई थी। मैंने संसदीय मामलों के मंत्री की बात भी सुनी थी। और इस सम्बन्ध में मैं आप सब के विचारों को बता सकता हूँ। राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है परन्तु त्याग-पत्र लम्बित पड़ा है। इसलिये अग्रिम तारीख के बारे में आप अशांत लग रहे हैं। वह मैं बता दूंगा। और मैं उनको आपके विचार भी बता दूंगा। यही सब बात है। (**व्यवधान**)**

(इस समय श्री सतीश अग्रवाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : मेरे पास एक जानकारी है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे कोई भी जानकारी नहीं चाहिये। मैं किसी भी जानकारी में दिलचस्पी नहीं रखता हूं। (**व्यवधान**)**

प्रो. के. तिवारी (बक्सर) : मुझे एक निवेदन करना है। हम सभी चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया···

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मैं नहीं सुनूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : जो कुछ न कह रहे हैं क्या वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं। मैंने एक शब्द भी कार्यवाही में शामिल करने के लिये अनुमति नहीं दी है न इस तरफ से और न ही उस तरफ से।

12.10 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र जारी

वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम 1984 तथा एयर इन्डिया कर्मचारी सेवा (संशोधन) विनियम 1984।

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : श्री खुर्शीद आलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत, वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1984, जो 14 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सा. का. नि. 610(अ) में प्रकाशित हुये थे तब तक व्याख्यात्मक टिप्पणी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8680/84]

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 45 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, एयर इन्डिया कर्मचारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1984, जो 14 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच०क्यू०/100-53 (सी) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 8681/84]

31 जुलाई, 1984 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1308 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : मैं (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बम्बई के पूर्वी उप-नगरों में एल. पी. जी. (रसोई गैस) के नये व्यापारियों की नियुक्ति के बारे में डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, संसद सदस्य के अतरांकित प्रश्न संख्या 1308, 31 जुलाई, 1984 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता है। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल. टी. 8682/89]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन अधिसूचना

ऊर्जा मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या का० आ० 592 (अ), जो 10 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स इन्दौर टेक्साटाइल्स लिमिटेड, उज्जैन (मध्य प्रदेश) के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा-पटल पर रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 8683/84]

सिक्का निर्माण (75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले 50 पैसे के गोलाकार सिक्कों का मानक भार तथा शुद्धता अन्तर) नियम, 1984

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): मैं सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, सिक्का निर्माण (75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले 50 पैसे के गोलाकार सिक्कों का मानक भार तथा शुद्धता-अन्तर) नियम, 1984 जो 4 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2505 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा-पटल रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या 8684/84]

———

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 23 अगस्त 1984 को अपनी बैठक में पारित प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 23 अगस्त 1984 को अपनी बैठक में पारित प्रशासनिक अधिकरण विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 23 अगस्त 1984 को अपनी बैठक में पारित कुटुम्ब न्यायालय विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 23 अगस्त 1984 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 अगस्त, 1984 को पारित किए गए दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

———

12-11-1/2 म०पू०

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में राज्य-सभा के सदस्यों का निर्वाचन

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश को सूचना सभा को देनी है :—

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार, 22 अगस्त, 1984 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में राज्य सभा के तीन सदस्य निर्वाचित करे और यह प्रस्ताव करती है कि एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसरण में, राज्य सभा की सदस्यता से श्री रॉबिन ककाती, श्री दिनेश गोस्वामी और श्री लाखन सिंह के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुये स्थानों को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में सभा के सदस्यों में से तीन सदस्य निर्वाचित करे।"

2. मैं लोक सभा को यह और सूचना देता हूं कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा ने उक्त समिति में निम्नलिखित तीन सदस्य निर्वाचित किए :—

(1) श्री सोहन लाल भूसिया

(2) श्री सुशील चन्द्र महन्त

(3) श्री अश्विनी कुमार।

———

12.12-1/2 म.प.

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक, 1984

(2) प्रशासनिक अधिकरण विधेयक, 1984

(3) कुटुम्ब न्यायालय विधेयक, 1984

———

12.13 म.प.

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 10 अगस्त, 1984 को सभा को दी गई सूचना के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) पंजाब विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 1984

(2) पांडिचरी विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 1984

(3) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1984

(4) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद विधेयक, 1984

12.13 1/2 मध्य.

लोक लेखा समिति

221 वां तथा 226 वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) एक निजी फर्म से प्रयुक्त परिवहन वायुयान के क्रम के सम्बन्ध में समिति के 147वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में 221 वां प्रतिवेदन।

(2) फेतारोहज मुख्यालयों के कार्यचालन के बारे में 226 वां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं ? मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। जगपाल जी, राजेश जी आपको क्या हो रहा है। ऐसा करना आपको अच्छा लगता है क्या। मैंने कहा है कि सब बैठ कर डिसकस करेंगे। जिस हिसाब से आप कहेंगे वैसे डिसकस कर लेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) आज के टेलिप्रिंटर के अनुसार हवाई जहाज किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। इससे हम सब चिंतित हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हो गया है। कुछ तो मर्यादा में रहिए। मैंने आपको कभी बात करने से रोका नहीं है। आपकी सारी बात सुन ली है। जो लोग देख रहे हैं वे क्या सोचेंगे। लोग इससे निपट लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपसे सलाह करने के बाद ही तय किया जाएगा। आप जिस हिसाब से चाहेंगे वैसा ही होगा। और तब तक भी कुछ हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बात चल रही है। यह प्रक्रिया जारी है। आप दबाव नहीं डाल सकते। हम बहुत चिंतित हैं। मन्त्री महोदय अपना काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे उनके बच्चों में कोई फर्क नहीं है। वे हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो गया है। हिन्दुस्तान के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ तो मर्यादा में रहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें इसकी चिंता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनका भला चाहते हैं, तो स्थिति शांत होने दीजिए। उन्हें स्थिति को सम्भालने दीजिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी इतनी तहजीब नहीं है कि क्या बोलना चाहिये और क्या नहीं बोलना चाहिए।

नियम 377 के अधीन मामले

12.15 म.प.

(एक) राजस्थान में बिजली की कमी तथा पलाना ताप बिजलीघर को चालू करने की आवश्यकता

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : राजस्थान प्रांत में बिजली की बहुत अधिक कमी है और अधिकतम बिजली प्रान्त से बाहर के साधनों से प्राप्त होती है। इस कमी को देखते हुए पलाना में बहुत अधिक मात्रा में लिगनाईट का भण्डार भरा पड़ा है। इसका सर्वे भी हो चुका है कि बहुत वर्षों तक यह लिगनाईट पलाना थरमल प्लांट को चला सकता है और इस पलाना थरमल प्लांट में पहले फेज में 500 मेगावाट बिजली प्राप्त हो सकेगी। इतना कुछ होने के बाद पलाना थरमल प्लांट की प्रगति रुकी हुई है। राजस्थान आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो ऐसे लोक हित के प्लान की प्रगति नहीं रुकनी चाहिए। प्लान्ट के कार्य को पूरी तरह से भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। तभी यह प्लांट पूरा हो सकता है। राजस्थान में बिजली के अभाव में किसानों के ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं। उद्योगों का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इस प्लांट के अलावा राजस्थान में कपूरड़ी में भी भारी मात्रा में अच्छे किस्म का लिगनाईट बहुत अधिक तादाद में भरा पड़ा है। आशा है भारत सरकार ऐसे लोक हित कार्यों को अविलंब अपने हाथ में लेकर शीघ्र प्रारम्भ करेगी। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उनके काम में बाधा क्यों डालना चाहते हैं? उन्हें स्थिति से निपटने दीजिए। इसकी अनुमति नहीं है। (व्यपधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं? यदि आप इसी तरह बोलते रहे तो आपको दिल का दौरा पड़ जायेगा। (व्यवधान)**

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मैं सदन से और आपसे भी अर्ज करूंगा कि इस वक्त सारे राष्ट्र में इस मामले में गर्मी है और गुस्सा है। लेकिन इस सवाल के अन्दर

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सबसे पहले जरूरी तौर पर हमको यह सोचना है कि उन लोगों की जिन्दगी सही तरीके से बच जाए ।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल सही बात है ।

श्री मनी राम बागड़ी : सारे राष्ट्र के बच्चे गए हैं । यह मामूली बात नहीं है कि रोज के रोज ही हवाई जहाज का अपहरण हो जाए । इस बात को मैं इस मामले में इस तरीके से नहीं ले जाना चाहता जिससे कि राष्ट्र के कोई भी प्राणी का जीवन बचाने में हमारे माध्यम से रूकावट पड़े । प्रधान मंत्री जी का यह फर्ज था कि तुरन्त तमाम नेताओं को बुलाकर सलाह-मश्विरा करती । ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष जी महोदय : करेंगे ।

श्री मनी राम बागड़ी : एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए । यह बात ठीक है कि तकलीफ है । इसको इस तरीके से उठाने की बजाय, पहले विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग की जाए क्योंकि पहले जिन्दगी बचानी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है कि मीटिंग करके जो आप कहोगे, वही करेंगे
(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आज का लेटेस्ट डवलपमेंट क्या है ?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो मैंने माननीय विरोधी दलों के नेताओं के पास स्वयं जाकर, जो बागड़ी जी ने सुझाव रखा है, इस मसले की गंभीरता के बारे में बात की है । क्योंकि, हमारे देशवासियों की जनता का प्रश्न है । जैसा मैंने अर्ज किया था कि सभी अपोजिशन के नेताओं को बुलाकर बात करेंगे । उसमें हम हर तरह से शामिल हैं । हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनकी जान की हिफाजत हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : वे अपना काम कर रहे हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप जैसे मित्र हों, तो हमारी रक्षा केवल भगवान ही कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : एक दफा उनको बचा लेने दो, फिर फेल्योर की बात करेंगे ।
(**व्यवधान**)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : इस वक्त प्लेन कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम नही है, वे उसी काम में लगे हुए हैं । (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : विदेश में इस तरह की घटना हो जाती तो एक मिनट में सरकार को·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी लोगों के कल्याण में दिलचस्पी है या नहीं ?

(दो) राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना की आवश्यकता

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष जी, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी अंचलों में है। यहां के लोग रेडियो प्रसारण से वंचित रहते हैं। कभी-कभी कोई रेडियो पकड़ सकता है तो केवल इन्दौर पकड़ा जा सकता है, कहने के मायने यह हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिलों की जनता आज के राष्ट्रीय प्रसारण से वंचित हैं।

अभी तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का ध्यान आल इण्डिया रेडियो एवं टेलिविजन से जोड़ने का कोई इरादा नहीं है। पिछड़े एवं दूरदराज के इलाकों की बाहुल्य जनता को वंचित रख कर केवल उन्नत एवं बड़े शहरों में टेलीविजन एवं रेडियों स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उपेक्षित आर्थिक दृष्टि से गिरे हुए पिछड़े आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में टेलीविजन ट्रांसमीटरों की स्थापना किया जाना अत्यावश्यक है। **(व्यवधान)**

(तीन) हरियाणा में सहाबी नदी पर एक बांध और एक बराज का निर्माण

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : महोदय, केन्द्र में जनता पार्टी के शासन के दौरान हरियाणा राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को सहाबी नदी पर बराज सहित मसानी बांध के निर्माण के लिए परियोजना की जांच करने और उसे अनुमोदित करने सम्बन्धी रिपोर्ट दी। योजना आयोग में परियोजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दे दी है। हरियाणा सरकार ने राजस्थान सरकार की अनुमति के बिना 1979 में मसानी बांध का निर्माण कार्य आरम्भ किया। केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली और योजना आयोग, नई दिल्ली ने राजस्थान राज्य के उन ग्रामीण लोगो के, जिनकी रिहायशी सम्पति और कृषि भूमि 'मसानी' बांध में डूब जायेगी हितों को ध्यान में नहीं रखा।

'मसानी बांध' और बराज के बनने से आबाद क्षेत्रों और कई गांवों; जैसे अकोली, लैलपुर, घनी अकोली, विजोली, करीरीवास, झोकावास, रबादका, भाट्टू धानी, महेसारा, जमालपुर, वजनका, नरवास, जाटूवास, खुशकडा, और अन्य की कृषि भूमि डूब जायेगी। 'मसानी बांध' बन चुका है और बराज का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है जो कि एक महीने में पूरा हो जायेगा। वहां के निवासी और कृषकों को जो कि प्रभावित क्षेत्रों के रिहायशी सम्पति और कृषि भूमि के मालिक हैं, इस नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और अंततः उनकी सम्पति से उन्हें वंचित किया जा रहा है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा तथा राजस्थान की राज्य

सरकारों को निदेश दें कि हरियाणा राज्य के जिला महेन्द्रगढ़ में बने मसानी बराज को 12 महीने खुला रखा जायेगा और मसानी बांध के तल में पानी जमा नहीं रखा जायेगा। मैं इस बात पर भी बल दूंगा कि इस परियोजना के कारण राजस्थान राज्य के किसी गांव को विस्थापित नहीं किया जायेगा।

(चार) हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित करना

श्री के. एस. नारायणा (हैदराबाद) : श्रीमन्, दक्षिण प्रायद्वीप में स्थित हैदराबाद न केवल सामरिक महत्व का शहर है, अपितु यह वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से भी महत्व-पूर्ण शहर बन गया है। ऐसे राज्य की राजधानी होने की वजह से यहां से निर्यात की काफी संभावनाएं है जिसके पास खाद्यान्न फालतू है और जिसके आस-पास पिछले 15 वर्षों के दौरान कई एक मध्यम और बड़े के उद्योग विकसित हुए हैं। खाड़ी के देशों में यहां के औद्योगिक और कृषि-उत्पादों की काफी मांग है।

इसके अलावा, हैदराबाद से खाड़ी के विभिन्न देशों में प्रशिक्षित, अर्ध-प्रशिक्षित और गैर-प्रशिक्षित लोग जाते रहे हैं। हैदराबाद में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थाओं और पोलि-टैक्नीकों में बड़ी संख्या में लोगों को तकनीकी प्रतशक्षण दिया जाता है जिनकी सेवाओं की मध्यपूर्व देशों में काफी मांग है।

इस समय खाड़ी देशों में जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले उन्हें घरेलू उड़ानों से बम्बई जाना पड़ता है और वहां से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने पकड़नी पड़ती हैं। पिछले चार वर्षों में यह पाया गया है कि एयर-इंडिया द्वारा खाड़ी देशों और हैदराबाद के बीच यात्री और माल दोनों प्रकार के यातायात में काफी वृद्धि हुई; और अभी भी यह वृद्धि जारी है। हैदराबाद से भारी मात्रा में माल और काफी संख्या में यात्रियों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए, हैदराबाद हवाई अड्डे को अत-र्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का ठोस मामला बनता है।

हैदराबाद में यह सुविधा प्रदान करने से, इसका प्रयोग आस पास के राज्यों, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के यात्री भी कर सकते हैं। जिन्हें आजकल बम्बई जाना पड़ता है। जो दूर होने के साथ-साथ पहले ही भीड़-भाड़ वाला हवाई अड्डा है। ये लोग हैदराबाद का 'प्रारंभ स्थल' के रूप में चयन कर सकते है।

(पांच) एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों के और अधिक स्थानों पर रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : श्रीमन्, हाल ही में रेलवे ने केरल में दो नई गाड़ियां आरम्भ की हैं, एक एरणकुलम से त्रिवेन्द्रम तक और दूसरी एरणाकुलम से कन्नानूर तक। इन दो रेलगाड़ियों के चलने से केरल के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और मैं माननीय मन्त्री का इस कार्य के लिए हार्दिक धन्यबाद करता हूं।

12.22 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

तथापि एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली गाड़ी कम लाभकारी साबित होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके केवल कोटायम और क्विलांन में ही हाल्ट हैं। पटनमथिट्टा और एल्लप्पी जिलों में पड़ने वाले किसी भी रेलवे स्टेशन पर ये रेल-गाड़ियां नहीं रुकती। इन जिलों से केरल में सबसे अधिक संख्या में लोग यात्रा करते हैं।

त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम के बीच के प्रसिद्ध रेलगाड़ी, वेनाड एक्सप्रैस चलती है। इसकी सफलता का राज यही है कि यह केरल के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकती है। एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली रेल विपरीत दिशा में चलती हैं। इसलिए इसे भी उतनी ही लाभकारी होना चाहिए। लेकिन अभी यह यात्रा करने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूरा नहीं कर पा रही है। इसके अलावा इस रेलगाड़ी का और वेनाड एक्सप्रैस का चलने का समय भी एक ही है, जबकि इसके केवल दो ही 'हाल्ट' हैं।

केरल एक घनी आबादी वाला राज्य है और इसकी आबादी सभी क्षेत्रों में प्राय: एक सी है। इसलिए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि ये रेलगाड़ियां सभी जिलों के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकें।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे अनुदेश जारी किये जाएं कि जिन स्टेशनों पर वेनाड ऐक्सप्रैस रुकती है, उन्हीं स्टेशनों पर यह रेलगाड़ी भी रुके। अगर यह सम्भव न हो तो कम से कम चंगनाचेरी, तिरुवेला, चेगांनूर, मवालीकारा, कयान-कुलम और वरकाला स्टेशनों पर इस गाडी को अवश्य रोका जाए।

मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बारे में शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाए।

(छ) **बिहार में 1951-52 में बसाये गए शरणार्थी परिवारों को कृषि भूमि हस्तांतरित करना**

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में 1951-52 में भारत सरकार द्वारा 300 से अधिक शरणार्थी परिवारों को बसाया गया था; वे सभी खिन्न हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि कई एक अभ्यावेदन दिये जाने के पश्चात भी उनको जमीन से अवैध कब्जा करने वाले लोगों को नहीं हटाया गया है और उनकी जमीन उनको नहीं दिलाई गई है। उनके पुनर्वास के लिए 864.44 एकड़ कृषि और वास भूमि आबंटित की गई। 1956 में बिहार से पश्चिम बंगाल को कुछ क्षेत्र के हस्तांतरण के दौरान इन शरणार्थियों को अलाट की गई कृषि भूमि बिहार में रह गई और उनके घर पश्चिम बंगाल के प० दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर डिवीजन में हस्तांतरित कर दिये गये। उनके घर पं० बंगाल में होने और कृषि भूमि बिहार में होने के कारण उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए, अगस्त 1978 से बिहार के आदिवासी सान्यालों ने

अवैध रूप से उनकी कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है। कई दफा इस मामले को बिहार सरकार के ध्यान में लाया गया लेकिन अभी तक इनको हटाने व कृषि भूमि के शरणार्थियों को लौटाये जाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे निराश होते हुए भारत सरकार को इस विशेष भूमि को प० बंगाल को हस्तांतरित किए जाने के लिए कई एक अभ्यावेदन किये गए ताकि संबंधित शरणार्थी अपनी भूमि के लिए प० बंगाल से पट्टा ले सके और प० बंगाल में अपने घरों से शान्तिपूर्वक खेती कर सकें।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गरीब शरणार्थियों की शिकायतों पर ध्यान दे और उनको अलाट की गई कृषि भूमि को बिहार से प० बंगाल में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे ताकि उनकी चिरकाल से चली आ रही इस शिकायत को दूर किया जा सके और उन्हें शान्तिपूर्वक बसाया जा सके।

(सात) उत्तर बिहार के मिथला क्षेत्र का विकास

श्री श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : 22 अगस्त से अखिल भारतीय मिथला संघ के नेता और स्वयं मेरक बड़ी संख्या में बोट क्लब पर उत्तरी बिहार के प्रति भेदभाव और उसकी घोर उपेक्षा की ओर इस सम्मानित सभा का ध्यान दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं। 24 अगस्त, 1984 को एक बड़ा प्रदर्शन किया गया।

पहले की अपेक्षा मिथिला क्षेत्र में रेल सुविधाओं में कमी आई है। समस्तीपुर से हावड़ा के लिए तीन एक्सप्रेस गाड़ियां और नई दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी चलती थी। लेकिन अब वहां से कोई गाड़ी नहीं चलती है। निर्मयी और भवतियाई, और नगहा-हितैनी के बीच जो रेल-लाइनें टूट गई थी, उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। एक दशक पूर्व समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मंजूरी दी गई थी और जिसका 1981 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था और जिसको जयनगर से उदयपुर तक बढ़ाने की योजना थी उसे बिल्कुल भुला दिया गया है। एक दशक पूर्व औपचारिक रूप से आरम्भ की गई सकरी-हसनपुर नई रेल लाइन का भी यही हाल हो रहा है। यहां तक कि हाल ही में आई अभूतपूर्व बाढ़ के पश्चात जो सहायता कार्य किए गए और जो आवश्यक उपाय किए गए वे नगण्य हैं। मैथिली देश की एक महत्वपूर्ण भाषा है, जिसकी समृद्ध साहित्यक परम्परा है और करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है। लेकिन इसे न तो अभी तक संविधान की आंठवी अनुसूची में शामिल किया गया है और न ही अनुच्छेद 345 के अंतर्गत दी गई सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

अशोक पेपर मिल्स में उत्पादन पुनः आरम्भ करने और बरौनी पैट्रो-रसायन कम्पलैक्स को खोलने की मांगों अदि की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इन परिस्थितियों में, मैं इस संसद के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस सभा में बार-बार उठाई गई मिथिला क्षेत्र की अन्य समस्याओं और उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं।

(आठ) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों और पंचैपार जलाशय योजना के जल का उपयोग

श्री के. टी. कोसलराम (तिरुचेंडूर) : श्रीमन्, सिंचाई आयोग ने तमिलनाडु के समूचे रामानाथापुरम जिले और तिरुनेलवेली जिले के अधिकांश भाग को गम्भीर रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था। सिंचाई आयोग ने इन क्षेत्रों को बजर क्षेत्र बनने से रोकने के लिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी का उपयोग करने की सिफारिश भी की थी। तमिलनाडु से आरम्भ होने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जो कि केरल से होती हुई अरब सागर में गिरती हैं। का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय योजना आयोग ने एक तकनीकी दल का गठन किया था। केरल राज्य को पश्चिम की ओर बहने वाली इन नदियों के पानी की आवश्यकता नहीं है। सिंचाई मंत्रालय ने एक अन्य समिति का गठन किया है जिसमें केरल और तमिलनाडु सरकारों के सदस्य थे। इन दोनों दलों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें पेश कर दी हैं। अभी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी को तमिलनाडु में लाने के बारे में दी गई सिफारिशों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे करीब 10 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार इस क्षेत्र के लोगों को विनाश से बचाया जा सकता है।

इसी प्रकार, करीब सात वर्ष पहले, तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने पेचैयार जलाशय योजना के निर्माण का शुभारम्भ किया था। अगर इसे लागू किया गया होता तो अब तक तिरुनेलवेली जिले के नांगुनेरी ताल्लुका की भूमि उपजाऊ हो गई होती। इस योजना को इस आधार पर अमल में नहीं लाया जा रहा है, कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले दुलर्भ किस्म के बन्दर शेर की पूंछ के समान बन्दरों को इस योजना से खतरा है। अब यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि यह बन्दर जलाशय स्थल से 4,000 फुट की ऊंचाई पर रहते हैं और अगर योजना लागू की जाती है तो उन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्यावरण विभाग से छूट देने की अनुमति मांगी है।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी के उपयोग की योजना और पंचैयार जलाशय योजना को कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाये जाने चाहिए।

(नौ) लांस एंजिविलस में भारतीय टीम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की आवश्यकता

श्री जोवियर अराकल (एर्णाकुलम) : महोदय, हमें लॉस ऐंजिलिस ओलिम्पिक खेलों में भारतीय टीम के असंतोषजनक प्रदर्शन पर बहुत दुःख होता है। 70 करोड़ की आबादी में से भारत का एक भी खिलाड़ी 1984 के ओलिम्पिक खेलों में मेडल नहीं प्राप्त कर सका। इसके लिये पूर्ण जिम्मेदारी खेल मंत्रालय, भारतीय ओलिम्पक संघ खेल परिषद तथा केन्द्रीय और राज्यों के संघों तथा संगठनों पर आती है। भारत इस क्षेत्र में काफी पैसा खर्च करता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस

भारी विफलता के लिये कोई भी जिम्मेदार नहीं हैं। भारतीय खेल के इतिहास का यह बहुत दुखद अध्याय है।

फिर भी हमें केरल की जानीमानी लड़कियों अर्थात पी. टी. ऊषा, एम, डी. वलसम्मा और शिनी अब्राहम तथा उनके मेहनती शिक्षकों अर्थात श्री नाम्बियार और श्री कुट्टी का धन्यवाद करना चाहिये। यह बड़े दुख: की बात है कि उनके प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, उनके उत्कृष्ट खेल के लिए उनका सही तरह से स्वागत नहीं किया गया और न ही उनका धन्यवाद किया गया। यह भी ध्यान देने की बात है कि इन तीन लड़कियों के अलावा कोई अन्य एथलीट अथवा खिलाड़ी अपना राष्ट्रीय कीर्तिमान पार नहीं कर सका। इसलिए केन्द्र द्वारा हमारी टीम के चयन, उसके खेल तथा उसकी कठिनाइयों की जांच की जानी चाहिए क्यों कि केन्द्र और राज्य सरकारें विशेष रूप से 1983 के एशियाई खेलों के पश्चात इस क्षेत्र में काफी पैसा खर्च कर रही हैं।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह भारतीय ओलिम्पिक संघ के इस लज्जाजनक रिकार्ड की जांच करवाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे और केरल की उत्कृष्ट लड़कियों तथा उनके शिक्षकों को राष्ट्रीय मान्यता तथा सहायता प्रदान करे और अन्त में खेल क्षेत्र में से अकुशल अधिकारियों को निकाल बाहर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करे।

———

रेल अभिसमय समिति

12 वां प्रतिवेदन

12.35 म. प्र.

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : मैं, 'रेल मार्ग विस्तार कार्यक्रम' के सम्बन्ध में रेल अभिसमय समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

——

12.35 म.प.

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी-कार्य लेते हैं और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करते हैं। श्री एस. एम. कृष्णा भाषण दे रहे थे। श्री एस. एम. कृष्णा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. कृष्ण) : महोदय, मैंने विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत करते समय यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि इस विधेयक के अन्तर्गत कर-ढांचे

में कोई बहुत बड़े परिवर्तन करने का विचार नहीं हैं और विधेयक द्वारा सीमित उद्देश्यों को ही पूरा किया जाना है। वे उद्देश्य हैं कर-दाताओं की असुविधाओं को दूर करना मुकदमेबाजी को कम करना, यदि कोई असंगतियां हैं तो उनका लगाकर पता उन्हें दूर करना और कुछ उपबन्धों की वक्ति संगत व्याख्या करना ! मैंने इसी संदर्भ में कहा था कि कार्यप्रणाली में कुछ सुधार लाना होगा। कर ढांचे में पूर्ण सुधार लाने की कोशिश करना इस विधान का उद्देश्य नहीं था।

दुर्भाग्य से मेरे सम्मानित मित्र, श्री अमल दत्त इस वाद-विवार को आरंभ करते समय इसी बात को भूल गए मुझे आशा थी कि वे कुछ निष्पक्ष रूप से बोलेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि इस विधेयक के कुछ उपबन्धों को पूर्व तिथि से क्यों लागू किया जा रहा है। जैसा कि मैंने अपने भाषण के शुरू में ही कहा कि इन्हें पूर्व तिथि से लागू करना ही पड़ा क्यों कि विधान का उद्देश्य उचित रूप से प्रतिबिम्बित नहीं किया गया था। विधान के उद्देश्य को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने हेतु इस विधान में कुछ उपबन्धों को पूर्व तिथि से लागू करना ही होगा जिससे इस विधान का उद्देश्य सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हो सके। उन्होंने यह भी शक किया कि हम पूर्व तिथि से लागू करने को इसलिए उत्सुक हैं कि चुनाव पास आ रहे हैं और हम कुछ कम्पनियों और कुछ व्यक्तियों को कर सम्बन्धी कुछ रियायते देने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य ने वास्तविक रूप से यह जाने बिना कि पूर्व तिथि से लागू करने का क्या कारण है, कि क्या किसी कर-भार को बढ़ाया जा रहा है अथवा उससे मुक्त किया जा रहा है, इस प्रकार का निष्कर्ष कैसे निकाल लिया। इन उपबन्धों में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

मेरे सम्मानित मित्र और भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सतीश अग्रवाल ने कई प्रश्न उठाये। मुझे बहुत खुशी हुई कि विधेयक के कुछ उपबन्धों का उन्होंने स्वागत किया। निश्चय ही हम उनकी आशा अनुसार कुछ मुख्य सुधार नहीं कर सके। 1977 में तत्तकालीन सरकार द्वारा चोकसी समिति की नियुक्ति की गई थी और उस समिति ने प्रत्यक्ष कर कानूनों में सुधार किए जाने के बारे में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, प्रस्तुत की थी। बाद में 1980 में जब हम सत्ता में आये तो हमने भी एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति अर्थात आर्थिक सुधार आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष श्री एल. के. झा थे। आयोग ने कई सिफारिशें की थीं। अतः जब हम कार्यविधि के पहलू को युक्ति संगत बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हमने चौकसी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को और तीसरी लोक सभा की लोक लेखा समिति के 51 वें प्रतिवेदन का तथा अधीनस्थ विधान समिति के 25 वें प्रतिवेदन का लाभ उठाया। अतः हमने विभिन्न सिफारिशों का काफी लाभ उठाया है और मैं आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग के उद्धत करना चाहूंगा :

"यह उल्लेखनीय है कि आरंभ में आयोग ने आय कर अधिनियम में स्पष्टता और सरलता लाने की दृष्टि से उसका पुनः व्यापक प्रारूपण तैयार करके उसमें पूर्ण परिवर्तन की संभावनाओं पर भी गंभीर रूप से विचार किया था जिसमें कार्यविधियों, परिभाषाओं तथा सभी प्रत्यक्ष करों के सामान्य प्रबन्ध सम्बन्धी विचार किया गया हो जिनमें विभिन्न अधिनियमों

के सभी प्रशासनिक तथा कार्यविधि संबंधी उपबन्धों को शामिल किया गया हो और तब प्रत्येक प्रत्यक्ष कर कानून संबंधित विशेष कराधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा। तथापि, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इतना बडा काम केवल आंशिक रूप से करने का निर्णय किया गया, जिसे इसी समय सीमा के अन्तर्गत पूरा किया जाना था और अधिक इस बात को ध्यान में रखा गया कि संविधि का इस प्रकार बहुत बड़ा प्रारूप तैयार करने से स्पष्टता एव सरलता का कितना लाभ होगा क्यों कि इस तथ्य को ध्यान में रखना है कि बहुत बड़ी संख्या में अस्पष्टताओं, शंकाओं व्याख्या संबधी प्रश्नों और संविधि की वर्तमान शब्दावली से उत्पन्न होने वाले मूल मुद्दों पर न्यायालयों में वाद विवाद हो चुका है और उनमें से कई एक न्यायिक निर्णयों द्वारा निपटाए जा चुके हैं। संविधि के पूर्णरूपेण नये प्रारूपण से हो सकता है, अब तक जो निर्णयोत्पन्न विधि तैयार हुई है वह, निष्प्रभावी हो जाएगी और न्यायालयों द्वारा विचार करने के लिए कई नए मुद्दे खड़े हो जाएगे।"

अतः महोदय, कराधान के बारे में निर्णयोत्पन्न विधि को तैयार करने में काफी समय लगा है और यदि आप को सरलीकरण के बारे में भी, उसे तर्क संगत बनाने के बारे में भी और कार्यविधियों के बारे में भी एक व्यापक पुनरीक्षण करते हैं, तो हम बिना वजह नए मुकदमें चालू कर देंगे और सरकार की यह इच्छा थी कि इस मुकदमेबाजी की ओर ध्यान दिया जाए और मुकदमों को कम से कम किया जाए और हमने कर-कानूनों का सरलीकरण करने हेतु वर्तमान विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय केवल इस बात को ध्यान में रखा है।

विभिन्न कर उपबन्धों के बारे में लगातार वित्तीय अनुसंधान की आवश्यकता महसूस की जाती है और ऐसा अनुसंधान लगातार होना चाहिए। तह कभी-कभी अथवा यदा-कदा नहीं किया जा सकता। यही लोकनीति है जिसके अनुसार सरकार कर कानूनों का सरली करण कर रही है।

अन कुछ सुझाव दिये गये हैं कि कर प्रणाली के अंतर्गत न्याय संगति होनी चाहिए और उस न्याय संगति को स्पष्ट करना होगा। मैं इस बात को एक-दम मानने को तैयार हूं कि न्याय संगति होनी चाहिए और कर प्रस्तावों के पीछड़े एक मूल विचार होना चाहिए। उस मूल विचार को, जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं और जब सभा बजट प्रस्तावों पर चर्चा करती है, ससद के समक्ष रखा जाता रहा है। एक विशेष करप्रणाली के बारे में सरकार के विचारों की बारीकी से जांच की जाती है और उन पर वाद-विवाद किया जाता है और फिर उसके बाद ही उन्हें कानून की पुस्तक में शामिल किया जाता है। अतः मैं सम्मानपूर्वक यह निवेदन करूगा कि यहां पर भी हम उस मूल विचार पर वाद-विवाद कर रहे हैं। श्री सतीश अग्रवाल ने बताया है कि हमारे जैसे देश में पचवर्षीय कर ढ़ांचा प्रणाली का अनुसरण किया जा सकता है। यद्यपि प्रस्ताव आकर्षक है लेकिन मुझे भय है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में जहां अनेक मांगे हैं, हम पंचवर्षीय परियोजना बनाने की बात नहीं सोच सकते चाहे वह कराधान हो या कुछ रियायतें देने की बात हो। अतः हमें प्रतिवर्ष सभा के समक्ष आ करके अपनी आर्थिक नीति बनाने की वर्तमान परम्परा जारी रखनी है।

श्री सतीश अग्रवाल ने एक अन्य बात प्रत्यक्ष करों की घटती भूमिका और बढ़ रहे अप्रत्यक्ष करों के बारे में कही मुझे यह जानकारी भी दी गई है कि सभी विकासशील देशों में और भारत में भी ऐसा हो रहा है। भारत में औद्योगिक आधार में विकास हो रहा है। मैं चाहता हूं कि पचास के दशक में भारत जो औद्योगिक स्थिति की उसकी तुलना अस्सी के दशक की औद्योगिक स्थिति से की जाए तो पता चलेगा कि हमारी आर्थिक गतिविधियों में महान अंतर आ गया है। पचास के दशक में औद्योगिक आधार सीमित था परन्तु 1980 से 1984 के बीच उसमें बहुत विस्तार हुआ। अतः अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि स्वभाविक है। इस बारे में सभा को स्मरण कराना चाहता कि बजट पर वाद विवाद के समय वित्त मंत्री ने यह कहा था ;

> "अप्रत्यक्ष कर आधार अत्यधिक विस्तृत हो गया है और कुल राजस्व का लगभग 50% राजस्व केवल उत्पाद शुल्क से ही प्राप्त होता है। विकासशील देशों में कुल करों में प्रत्यक्ष करों का भाग लगभग 21 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 20 प्रतिशत ही है।"

अतः इससे हमें कुछ संकेत मिल जाना चाहिए कि क्या हम औद्योगिक रूप से विकसित देशों के साथ-चल रहे हैं। या पीछे रह गए हैं। निश्चय ही अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि इस बात का संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था सक्रिय है, औद्योगिक आधार सुदृढ़ है और आने वाले वर्षों में अप्रत्यक्ष करों में और वृद्धि होगी।"

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : औद्योगिक आधार का विस्तार होने से निगम कर और आयकर में भी वृद्धि होनी चाहिए लेकिन यह उस अनुपात हे नहीं हो रही है। मैं यह बात कहना चाहता हूं।

श्री एस. एम. कृष्ण : आपकी बात उचित है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि केवल अप्रत्यक्ष कर बढ़ रहे हैं। हम निश्चय ही यह चाहते हैं कि निगम कर भी बढ़े। इन्हें बढ़ाया जाएगा। यदि यह औद्योगिक आधार के अनुपात से नहीं बढ़ते तो निश्चय ही इस बारे में विचार किया जाएगा। श्री अग्रवाल की बात की ओर हमने ध्यान दिया है। श्री अग्रवाल ने इस बारे में एक-दो बातें और कही थी। एक मूल्यांकन की समानता के बारे में थी। जून, 1982 में हमने सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन किया था। हमें पता है कि हमने पिछली बार धन कर के बारे में मूल्यांकन किया था उसे सम्पदा शुल्क पर लागू किया जाएगा। मूल्यांकन में एकरूपता लाने की दिशा में यह एक कदम है। सरकार इस समय पता लगा रही है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन आस्तियों का समान मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा ढंग क्या हो सकता है।

प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस समय यह जांच कर रहा है कि विधि में संशोधन होने तक या बिना संशोधन किए क्या प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है और कहां तक। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है लेकिन सम्पदा शुल्क और धनकर के मामले में यथा

सम्भव एकरूपता लाए हैं। और मुझे विश्वास है कि सभा इस बात को ध्यान में रखेगी ।

काले धन के बारे में काफी कुछ कहा गया है । इस सन्दर्भ में कालडर और वांचू समिति के प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया गया।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : इसका प्रयोग आन्ध्र के विधायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : आन्ध्र प्रदेश में अल्प सख्यक सरकार के लिए क्यों नहीं ? (**व्यवधान**)

श्री एस. एम. कृष्ण : काले धन की बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमें इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए और यह बात स्वयमेव होनी चाहिए और आपके पास कुछ मूल तथ्य होने चाहिए। सरकार का ध्यान इस प्रश्न की ओर दिलाया गया था। यह निश्चय किया गया कि देश में बिना हिसाब-किताब के कितनी आय हो रही है, इसका पता लगाने का काम राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को सौंपा जाये और जुलाई, 1982 में कुछ विचारणीय विषय भी रखे गये और उन्हें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया । हमें आशा है कि अक्तूबर, 1984 तक यह संस्थान प्रतिवेदन दे सकेगा। इस दस्तावेज पर आगे वाद-विवाद किया जा सकता है और काले धन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। यह बहुत ही नाजुक और पेचीदा विषय है और इस प्रतिवेदन में राष्ट्र भर में वाद-विवाद किया जा सकता और तब तक किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : शायद यह प्रतिवेदन दे दिया गया है ।

श्री एस. एम. कृष्ण : नहीं अभी नहीं दिया गया है और हमें आशा है कि इस वर्ष अक्तूबर-नवम्बर तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आशा है तब तक हम धैर्य रखेंगे और तभी हम इस पर वाद-विवाद करेंगे।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : यह तब हो सकता है जब आप उसे सभा पटल पर रखने का आश्वासन---

श्री एस. एम. कृष्ण : श्री डागा, श्री यादव और कई अन्य मित्र फिल्म क्षेत्र फिल्मों अधिवक्ताओं वास्तुविदों इंजीनियरों तथा कई अन्य बातों के बारे में बोले है। हम सभा में प्रश्नों के उत्तर में बताते रहे हैं कि मद्रास, बम्बई, दिल्ली आदि में फिल्म क्षेत्र के लेखों को देखा गया है और मैंने बड़े-बड़े फिल्मी सितारों, निर्माताओं और निदेशकों विरूद्ध बकाया राशि की सूची सभा पटल पर रखी है और मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि देश में कर विधियों के अनुसार करों की राशि एकत्र की जाये। सामान्य आयकर की बकाया राशि 31 मार्च 1984 तक 1700 करोड़ रूपये थी। धनकर की राशि 200 करोड़ रू. और सम्पदा शुल्क की

बकाया राशि 18 करोड़ रुपये थी। अब इस समय मार्च में इस राशि में वृद्धि होती है। लेकिन जून-जुलाई -अगस्त में इस राशि में गिरावट की प्रवृति होती है।

हम सभी उपाय कर रहे हैं, एक निदेशक भी है जो विशेष जांच कार्य का प्रभारी है और जो औद्योगिक एकाधिकार गृहों के 12 मुख्य समूहों के सम्बन्ध में मूल्यांकन का काम देखता है मद्रास कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर और हैदराबाद आदि सभी बड़े नगरों में फिल्म के मामलों से निपटने के लिए विशेष सर्किल बनाये गये हैं।

श्री अमल दत्त ने कुछ कम्पनियों का उल्लेख किया है यदि कोई कम्पनी वह आयकर या निगम कर नहीं देती जो ऐसे देश के कानून के अनुसार देना चाहिये तो यह गलत है। यदि उन्हें शक है कि कोई कम्पनी निगम कर नही दे रही तो वह इसे मेरे ध्यान में लायें हम निश्चय ही जरूरी कार्यवाही करेंगे।

श्री अमल दत्त : लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है। वे कर अपवंचन नहीं कर रहे, वे तो कर विधियों तथा करों से बचने के तरीकों का लाभ उठा रहे हैं, जो आपने उन्हें दिये है।

श्री एस एम. कृष्ण : यदि कोई विधि मुझे क, ख या ग कम्पनी से कोई विशेष कर लेने से रोकती है तो आप आकर मुझे यह नहीं पूछ सकते कि मैंने कर क्यों नहीं लिया है। न्यायालय भी है और उनकी व्याख्या को हम मानने के लिए बाध्य हैं। यदि वे न्यायालय में जाते हैं और यदि किसी अदीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण हम कोई कर नहीं ले पाते तो हम समझते है कि उस कम्पनी द्वारा देय है तो हम किसी बड़ी न्यायालय में अपील करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। तथापि हम लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर सक्रिय रूप में विचार कर रहे हैं और जब हम की गई कार्यवाही के बारे में सभा के बताने के लिए आयेंगे तो शायद हम कह सकेंगे कि सरकार आगे क्या कार्यवाही करना चाहती है।

श्री सतीश अग्रवाल : आपने अभी बताया है कि 31 मार्च तक आय कर, धनकर और सम्पदा शुल्क के रूप में 2000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि बकाया थी। इतनी भारी कर की राशि देनी बाकी है और फिर भी ये लोग वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले रहे हैं। आप ऐसा तंत्र क्यों नहीं बनाते कि यदि ये लोग वित्तीय संस्थाओं से ऋण लें तो उसमें से कर की राशि काट ली जाये ? तब कोई मुकदमेबाजी या न्यायालय का रोका देश नहीं होगा जैसा कि इस समय कई मामलों में हो रहा है। लोक लेखा समिति ने अलग-अलग आकड़े दिये हैं कि न्यायालयों में कितनी-कितनी राशि के मामले निपटाये जाने हेतु बकाया है। लेकिन जिन मामलों में कोई रोकादेश या न्यायालय का मामला नहीं है, उनमें यदि विक्रय संस्थाएं या बैंक ऋण देते हैं तो पहला काम राजस्व का होना चाहिये और कर की राशि काट कर सीधे सरकार को दी जानी चाहियें। कृपया सुझाव पर विचार करें।

श्री एस. एम कृष्ण : मैं इस सुझाव को एकदम नहीं मान सकता। इसमें कई अन्य बातें भी हैं। यदि वित्तीय संस्थाएं किसी विशेष कम्पनी को कुछ राशि ऋण के रूप में देती हैं तो यह

राशि पिछड़े क्षेत्र में नया उद्योग लगाने के लिए भी हो सकती है। यदि वित्तीय संस्था द्वारा दी गई राशि में से कर की राशि पहले ही बांट ली जाती है तो पिछड़े क्षेत्रों का क्या होगा ?

श्री सतीश अग्रवाल : आप उन्हें छोड़ सकते है। यदि मैं पिछड़े क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने लगा हूँ तो उसमें से यह राशि न काटी जाये। आप इसके लिए कोई तन्त्र बनायें।

श्री एस. एम. कृष्ण : यह विचारार्थ सुझाव है। सर्व श्री सतीश अग्रवाल, अमल दत्त और मूलचन्द डागा ने विदेशियों तथा भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में फिल्मों की शूटिंग से होने वाली आय को मुक्त रखने के बारे में कहा है। इन्हें मुक्त रखने का कारण यह है कि विदेशी फिल्म निर्माताओं के कर निर्माण के मामले में कई प्रशासनिक कठिनाइयां हैं और फिल्म भी शूटिंग पर कर की राशि कुछ अधिक नहीं होती। मुश्किल से ऐसी 4 या 5 फिल्में होती हैं कर मुक्त करने से विदेशियों को भारत में फिल्म की शूटिंग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और यहां विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, भारतीय तकनीशियनों को रोजगार मिलेगा और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार भी होगा। इस बारे में ये चार मुख्य कारण हैं। उदाहरणार्थ

1.00 म. प.

इस देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पूरे विश्व में पर्यटकों को भारत देखने के लिए आकर्षित करने के लिए 'महात्मा गांधी' फिल्म ने क्या भूमिका निभाई है इस बारे में हाल ही में प्रश्न पूछा गया था ताकि पर्यटक आकर उस धरती को देख सकें जहां महात्मा गांधी ने इस देश में भारी क्रांति लाई थी।

श्री सतीश अग्रवाल की कुछ शंकायें हैं कि क्या इस छूट से भारतीयों को लाभ मिलेगा। इस छूट से भारतीयों को लाभ नहीं हो सकता क्योंकि यह रियायत केवल अनिवासी व्यक्ति को उपलब्ध होगी जो (क) एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है (अत: अनिवासी भारतीय के पहलू पर ध्यान दिया गया है); अथवा (ख) कोई ऐसी फर्म है जिसका कोई ऐसा भागीदार नहीं है जो भारत का नागरिक है या जो भारत में निवासी है; (क्योंकि उनके यहां पर हमेशा भागीदार हो सकते हैं और भागीदार को पूरी कमीशन तथा विभिन्न अन्य सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं, इसे भी शामिल नहीं किया गया है); अथवा (ग) कोई ऐसी कम्पनी है जिसका कोई शेयर धारक नहीं है जो भारत का नागरिक है अथवा भारत में निवासी है। अत: एक भारतीय नागरिक द्वारा यह सुविधा किस प्रकार ली जा सकती है ? अत: ऐसी शंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मुद्दे हैं और हम निश्चित रूप से इन पर ध्यान देंगे क्योंकि भारत सरकार के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए इन मुद्दों को उठाया गया है, ताकि इन संसाधनों को देश में विकास कार्य पर खर्च किया जा सके। और मैं सदन को राजस्वों की वसूली के बारे में आश्वासन दे दूं कि सरकार संसद सदस्यों द्वारा यदा-कदा दिये गये किसी भी सुझाव का निश्चित रूप से स्वागत करेगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मैंने आयकर की सूचना देने वाले व्यक्तियों के बारे में मामला उठाया था जिन्हें गत 15 से 20 वर्षों से उचित रूप से पुरस्कृत नहीं किया गया है। वे कई दिनों से बोट क्लब पर भूख-हड़ताल पर हैं और मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। उन्हें 15-20 वर्षों से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है और उन्हें इस सूचना के लिए कोई रसीद भी नहीं दी जाती है। इनमें से अधिकांश व्यक्ति मद्रास के हैं।

श्री एस एम. कृष्ण : श्री गंगवार ने इस मुद्दे को उठाया था और मुझे खेद है कि मैंने इसका उत्तर नहीं दिया। महोदय, यह मामला कई बार मेरे ध्यान में लाया गया है लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ मेसे नियम हैं जो यह पता लगाने के सन्दर्भ में लागू होते हैं कि सूचना देने वाला व्यक्ति कौन है। कभी-कभी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना दी जाती है लेकिन जब वास्तविक छापा अथवा तलाशी अथवा माल की बरामदगी होती है तो परस्पर विरोधी रिपोर्टें होती हैं जिससे संदेह की गुंजाइश रह जाती है कि वास्तव में सही सूचना देने वाला व्यक्ति कौन है। कभी-कभी सूचना देने वाले लोगों के दल में परस्पर संघर्ष होता है। जहां कहीं हम स्वतः सूचना देने वालों की पहचान कर सकते हैं, वहां हम उसको पुरस्कार देने के लिए प्राधिकारियों को कह सकते हैं। कभी-कभी मुकद्दमेबाजी भी हो जाती है और पुलिस की शिकायतें की जाती हैं। अतः सूचना देने वालों को पुरस्कार देने में ये कठिनाइयां हैं लेकिन सरकार ने कहा है कि सूचना देने वाले कुछ पुरस्कार पाने के लिए हकदार हैं और ये पुरस्कार उन को दिये जायेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मद्रास के इन सूचना देने वालों के मामले में कोई रसीदें जारी नहीं की गई हैं।

श्री एस. एम. कृष्ण : मैं इसे देखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम 1958, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964, अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 और ब्याज-कर अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 14 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खड 15

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 7, पंक्ति 24 और 25,—

"दो लाख रुपये" के स्थान पर

"पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये । (1)

पृष्ठ 7, पंक्ति 28,—

"दो लाख रुपये" के स्थान पर

"पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया गया । (2)

पृष्ठ 7, पंक्ति 29 और 30,—

"दो लाख रुपये" के स्थान पर

"पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये । (3)

श्री मूल चन्द डागा : आज जो आप एग्जेम्पशन दे रहे हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रापर्टी की वेल्यु 250 प्रतिशत बढ़ गई है । जो मकान पहले दो लाख का था, आज वह पांच लाख का है । इस वेल्यु के बढ़ने को देखते हुए आप एग्जेम्पशन क्या देना चाहते हैं ? यदि वे इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो यह ठीक है ।

श्री एस. एम. कृष्ण : मैं चाहता हूं कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार करके अपने मित्र श्री डागा को अनुगृहीत कर सकता दुर्भाग्यवश, मैं इन्हें स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या मन्त्री महोदय के उत्तर को देखते हुए आप अपने इन संशोधनों को वापस ले रहे हैं अथवा क्या आप इन पर आग्रह कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : मैं इन पर आग्रह नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री डागा को उनके द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 1,2 और 3 को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन संख्या 1,2 और 3 सभा की अनुमति से वापिस लिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

'कि खंड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 16 से 22 के लिए कोई संशोधन नहीं हैं। प्रश्न यह है।

"कि खंड 16 से 22 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 16 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 23 लें। श्री डागा द्वारा दो संशोधन दिये गये हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली): मैं इन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 9, पंक्ति 9 और 10,—

"एक सौ बीस दिन" के स्थान पर

"एक सौ अस्सी दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 9, पंक्ति 28 और 29,—

"एक सौ बीस दिन" के स्थान पर

"एक सौ अस्सी दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

इन बातों का किस प्रकार निर्णय किया जा सकता है ? मैं इसे जानता हूँ। मुझे अपने प्रति न्याय करना है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि 90 दिनों की बजाए 120 दिन में मामले पर निर्णय किया जा सकता है। यह निर्णय नहीं किया जा सकता है। 90 और 120 दिन के बीच क्या अन्तर है ?

श्री एस. एम कृष्ण : तीस दिन।

श्री मूल चन्द डागा : यदि मैं संशोधन पेश करता हूँ तो इसे कोई नहीं सुनता है। यदि 180 दिन के भीतर इस पर निर्णय किया जाये तो यह ठीक रहेगा। अन्यथा इसका कोई उपयोग नहीं होगा। आप एक ऐसा संशोधन क्यों लाते हैं जो सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता है ? यह उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेगा। इस अवधि के भीतर किस प्रकार मामले का निर्णय किया जा सकता है ? सरकार ने इसकी जांच करनी है और उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहना है। व्यवहारिक दृष्टि से यह असंभव है।

एक बार संशोधन लाये जाने पर कोई व्यक्ति उस पर नहीं सोचता है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है 'यह ठीक है'।

श्री एस. एम. कृष्ण : वास्तव में श्री डागा ने उस पर विचार किया है हमें आशा थी कि वह इस पर विचार करेंगे। यही कारण है कि हमने 90 दिन की अवधि को बढ़ाकर 120 दिन

कर दिए हैं। मैं श्री डागा के साथ पूरी तरह से इसलिए नहीं सहमत होना चाहता क्योंकि हम इस अवधि के लिए निर्धारितियों को दुविधा में नहीं रख सकते हैं आयकर अधिकारी को आदेश पारित करना होता है और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुभव को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 90 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है और हमने यह अवधि बढ़ा कर 1.0 दिन कर दी है। हम इसकी जांच करेंगे और यदि हम उसे आशा के अनुरूप नहीं पाते हैं तो हम भविष्य में सदैव श्री डागा के संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपने संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, मैं इन्हें वापिस ले रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री डागा को अपने संशोधन वापिस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन संख्या 4 और 5 सभा की अनुमति से वापिस लिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 24 से 30 के लिए कोई संशोधन नहीं हैं।

अतः, प्रश्न यह है :

" कि खंड 23 से 30 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 23 से 30 विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड 31

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 13, पंक्ति 5,—

"अधिनियम के अधीन" "के पश्चात्

"किसी न्यायालय द्वारा" "अन्तः स्थापित किया जाये। (6)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन के लिए जोर दे रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री डागा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : हां।

संशोधन संख्या 6 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड 31 से 36 विधेयक के अंग बनें ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 31 से 36 विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड 37

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 17,—

पंक्ति9 से 20 **के स्थान पर**

निम्नलिखित **प्रति स्थापित किया जाए ।**

"(2क) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त उक्त उपधारा के अधीन किसी निर्धारित द्वारा संदेय ब्याज की रकम को कम कर सकता है या मुआफ कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि—

(i) संदाय से निर्धारिती को वास्तव में कठिनाई होगी;

(ii) निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण व्यतिक्रम हुआ था; और

(iii) निर्धारिती ने अधिनियम के अधीन निर्धारण में तथा अन्य कार्यवाहियों में सहयोग दिया है :

"परन्तु जहां ब्याज की रकम एक लाख रुपये से अधिक हो, वहां बोर्ड की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त की की जायेगा । (7)

अब उपखण्ड (2) में किसी बात के होते हुए भी सभी माग के छूट के लिए बोर्ड के पास जायेंगे आयुक्त उक्त उप-खण्ड के अन्तर्गत किसी निर्धारित द्वारा देय ब्याज की राशि को कम कर सकता है अथवा माफ कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि-

(एक) संदाय से निर्धारिती को वास्तव में कठिनाई होगी;

(दो) निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण व्यक्तिक्रम हुआ था; और

(तीन) निर्धारिती ने अधिनियम के अधीन निर्धारण में तथा अन्य कार्यवाहियों में सहयोग दिया है ।"

अब वह कहते हैं कि छूट का प्रत्येक मामला न्यायालय में जायेगा । साथ ही बोर्ड के पास

पहले ही अत्यधिक काम है। मेरा यह कहना है कि केवल वे ही मामले न्यायालय में जाने चाहिए जिनमें ब्याज की राशि 1 लाख रुपये से अधिक है। अन्यथा, इनमें आयुक्त द्वारा निर्णय दिया जा सकता है। यदि सभी मामले जायें तो क्या होगा ?

श्री एस. एम कृष्ण : इस सम्बन्ध में कार्यवाही के दृष्टिकोण में कुछ समानता होनी चाहिए और यह समानता केवल तभी हो सकती है जब मामलों में निर्णय देने में बोर्ड को अन्तर्ग्रस्त किया जाये। इन परिस्थितियों में मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन के लिए जोर दे रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री डागा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : हां;

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि खण्ड 37 से 39 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 37 से 39 **विधेयक में जोड़ दिए गए।**

खण्ड 40

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

पृष्ठ 18,—

पंक्ति 3 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्त स्थापित किया जाए**—

"परन्तु यह भी कि ऐसे सभी लम्बित आवेदन, जिन पर आयोग ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की है, नए सिरे में किए जायेंगे।" (8)

माना कोई व्यक्ति बोर्ड को अर्जी देता है। क्या माननीय मन्त्री मुझे यह बतायेंगे कि बोर्ड के पास कितनी अर्जियां-1000, 2000 अथवा 3000 लम्बित पड़ी हुई है ? इन सभी तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। आपको, जैसा कि आपने उन्हें कहा है, उन्हें सभी कारण बताने के लिए कहना चाहिए, ताकि वे नई अर्जियां दे सकें अत: मैंने कहां "परन्तु यह भी कि ऐसे सभी लम्बित अवेदन, जिन पर आयोग ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की है, नये सिरे से किए जायेंगे।" आपने कहा कि आयोग उन्हें माफ कर देगा।

अतः मैं कहता हूं कि यदि आवेदन बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं तो इन सभी कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

श्री एस. एम कृष्ण : जिन कर दाताओं ने निपटान आयुक्त को निपटान के लिए पहले ही आवेदन दायर किए हैं उन्हें यदि संशोधित कानून के अन्तर्गत नये आवेदन देने के लिए कहा जाये तो यह उनके लिए कष्टप्रद होगा। मैं समझता हूं कि जिन व्यक्तियों ने वर्तमान कानून के अन्तर्गत आवेदन दिये हैं उन्हें उस समय जब उन्होंने आवेदन दिया था प्रवृत्त कानून के उपबन्धों द्वारा ही शासित होना चाहिए। मेरे संशोधन का यही तर्काधार है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसके लिए जोर दे रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री डागा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : हां।

संशोधन संख्या 8 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"खण्ड 40 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंण्ड 40 से 47 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 40 से 47 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 48

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं;

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 3 से 11 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"ऐसे संव्यवहार, जिनसे ऐसी आय हुई है, आय के किसी स्रोत के लिए उसके द्वारा रखी जाने वाली लेखा बहियों में, खंड (क) तथा (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में तलाशी की तरीख से पूर्व अभिलिखित नहीं की जाती या अभिलिखित नहीं किए

जाते और यदि तलाशी के दौरान ऐसी लेखा बहियां तलाशी दल द्वारा पकड़ी जाती हैं या उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, ऐसे संव्यवहारों को, जो तलाशी की तारीख को हुए हैं, लेखा बहियों में अभिलिखित हुआ माना जायेगा, यदि उन संव्यवहारों के संगत रसीदें या दस्तावेज तलाशी करने वाले दल द्वारा बरामद किए जाते हैं या जो तलाशी की कार्यवाही के दौरान प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश किए जाते हैं और यदि प्राधिकृत अधिकारी ऐसे संव्यवहारों की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं।

धारा 273क की उपधारा (1) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण 2 के उपबंधों के अनुसार आयुक्त के सामने किया गया कोई प्रकटीकरण उसे दंड या अभियोजन से तब तक कोई मुक्ति प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 273 के अधीन आयुक्त ऐसा कोई आदेश नहीं देता।' (9)

अगर किसी के यहां सर्च एण्ड सीजर के दौरान पांच तोले सोना या फारेन एक्सचेंज मिलता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मान लीजिए कि सर्च के दौरान एक आदमी के यहां दस लाख रुपया मिला। वह आदमी कहता है कि इसकी एन्ट्री मेरी बही में है। मैं कहता हूं कि इस बात को नहीं मानना चाहिए, जब तक कि सर्च के दिन से पहले किताब में एन्ट्री न हो और अगर सर्च के दिन ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो सर्च के दौरान ही डाकुमेंट्स वगैरह को एथारा-इज्ड आफिसर के सामने पेश न किया जाए।

मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह टैक्स ईवेड होता है। मैं एक बिजिनेस मैन हूं। मैं एक कपड़े की दुकान चला रहा हूं और एक कमीशन एजेंट की। अगर मेरी कपड़े की दुकान से दस लाख रुपया मिलता है, तो बही में एन्ट्री होनी चाहिए कि मुझे दस लाख रुपया मिला है। मेरी एमेंडमेंट का तात्पर्य यह है कि अगर सर्च के वक्त ही डाकुमेंट्स पेश किये जाते हैं, तभी परपज सर्व होगा। अगर यह प्राविजन नहीं किया जायेगा, तो कोई भी आदमी बाद में किताब एन्ट्री कर सकता है।

फर्ज कीजिए कि मेरे यहां दस लाख रुपया मिला है और मैं कह देता हूं कि यह रुपया मुझे अपने एक रिश्तेदार से मिला है। इस सूरत में मुझे सर्च के दौरान ही इसकी एन्ट्री दिखानी चाहिये कि मेरे पास रिश्तेदार के यहां से रुपया आया है, वर्ना बाद में रिश्तेदार एन्ट्री कर लेगा कि मैंने रुपया दिया है। कृपया इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करें।

मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधनों का जो उत्तर दिया गया है मैं उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। माननीय मंत्री मुझे सन्तुष्ट नहीं कर पाये हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि अधिकारियों ने भी इन सब बातों पर विचार नहीं किया है।

मैं चाहता हूं कि सर्च के दौरान ही डाकुमेंट्स में रुपये के सोर्स की इन्ट्री दिखाई जानी

चाहिए। वह कह देगा कि मैं तो रुपया वहां से लाया हूं। अगर उसने सर्च के दौरान बताया है तो ओवजेक्ट सर्च नहीं होगा।

जांच के दौरान केवल संगत दस्तावेजों को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसके बाद नहीं। अन्यथा उस रुपये को जब्त किया जाना चाहिए। वह 10 लाख रुपये जब्त कर लेना चाहिए।

श्री एस. एम. कृष्ण : महोदय, हमें रिर्धारिती को अपना मामला बनाने के लिए पर्याप्त अवसर देना है क्योंकि यही कानून का यही अभिप्राय है। अत: कानून ऐसी आकस्मिकताओं की परवाह नहीं करता है और इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं। क्या सभा श्री मूलचन्द डागा द्वारा पेश किये गए संशोधन संख्या 9 को वापस लेने की अनुमति देती है।

संशोधन संख्या 9 सभी की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 48 और 49 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 48 और 49 वविधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 50

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा क्या आप अपना संशोशन पेश कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अतएव, मैं खंड 50 से 84 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 50 से 84 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 50 से 84 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयकता का पूरा नाम

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियममन सूत्र तथा बिधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री एस. एम. कृष्ण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री राजेश कुमार सिंह

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सतीश अग्रवाल जी ने बहुत से सुझाव दिये हैं और मंत्री जी ने बहुत सी बातों का आश्वासन भी दिया है और कुछ बातों का जवाब नहीं दिया। फिर भी हम कुछ हद तक इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं दो, तीन बातें कहना चाहता हूं। एक तो करप्शन आय कर विभाग में बहुत है। आप कितने ही कानून, नियम बना लें जब तक कड़ाई से नियम इन्कम टैक्स वसूल करने वालों पर लागू नहीं करेंगे तब तक निश्चित रूप से चोरी नहीं रुक सकती। मंत्री जी को तो यह भी मालूम नहीं होगा कि अब तक कितने केस पैंडिंग हैं, कितनों के खिलाफ कार्यवाही हुई, कितनी सर्चेज हुई। तलाशी होती है और बात वहीं दब जाती है। कम से कम गलत अधिकारियों के खिलाफ कड़ाई से कार्यवाही की जानी चाहिए। देश में काला धन इतना फैल गया है कि उससे सारी अर्थ-व्यवस्था बिगड रही है। लोगों की चीजें नहीं मिल रही हैं। एक आदमी 200 रुपये में चीज खरीद सकता है, अच्छे बंगलों में रह सकता है। इन बातों पर सरकार को सख्ती से कायवाही करनी चाहिए और अधिकारियों की भी जांच करनी चाहिये। आप बहुत से अधिकारियों के बंगले देखिये क्या हालत है ? जनता पार्टी के समय में विधान सभा का सदस्य था तो सदस्यों से कहा गया कि वह अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दें। सरकार अधिकारियों से भी ब्यौरा मांगे, लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों से डिक्लेरेशन लें तो मालूम होगा कि किसके पास कितनी सम्पत्ति है। मालूम नहीं होता है ब्लैकमनी कहां से आ रहा है। लाखों करोड़ों रुपये इन्जीनियर्स, डाक्टरों के पास जमा हैं। ऐसे लोगों के नाम गजट में प्रकाशित होने चाहिएं और जिन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और वह लिस्ट डिक्लेयर करनी चाहिए ताकि जनता को मालूम हो सके कि यह काले धन के पीर हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, प्रथम वाचन के समय मेरे दल का कोई सदस्य बोल नहीं सका, क्योंकि आपने जब नाम पुकारा, तब वह उपस्थित नहीं थे।

मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। इस संशोधन विधेयक के जरिये 6 कानूनों को संशोधित किया जा रहा जिनमें आयकर अधिनियम, 1961 है, सम्पत्ति कर अधिनिमय, 1957 है, गिफ्ट टैक्स अधिनियम, 1958 है, कम्पनी प्राफिट सर-टैक्स ऐक्स ऐक्ट, 1958 है, इन्ट्रेस्ट टैक्स ऐक्ट, 1974 है कंपलसरी डिपाजिट स्कीम अधिनियम, 1974 शामिल है। इन तमाम अधिनियमों को इस कराधान विधि (संशोधन) विधेयक के जरिए संशोधित किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जो टैक्स का ढांचा है, वह जनता के हितों के अनुकूल नहीं है। इस ढांचे का लाभ ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तान के इजारेदार पूंजीपति धनी पैसे वाले उठा रहे हैं और सरकार उनके विरुद्ध कोई कारगर कार्यवाही करने में अपने को समर्थ नहीं पाती है। अगर ऐसी बात न होती तो जो बड़े-बड़े इजारेदार हैं, जिनके पास अपार सम्पत्ति है, जो टैक्सों की चोरी करते हैं उनकी सम्पत्ति इस प्रकार से छलांग लगाती हुई नहीं बढ़ती चली जाती। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इस देश के जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं, बिड़ला जी, उनके टोटल असैट्स 1951 में 15 करोड़ के थे जो कि अब दो हजार करोड़ के हो गए हैं। जाहिर है कि इसमें करों की चोरी के बहुत सारे रुपये शामिल हैं। 34 साल में उनके असैट्स में 140 गुना वृद्धि हुई है। उनके असैट्स तो 140 गुना बढ़े हैं लेकिन उनका कर कितने गुना बढ़ा है—यह अगर मंत्री जी बतला सकें तो बतलायें। इसी प्रकार से हमारे देश में जो अन्य इजारेदार पूंजीपति हैं उनकी सम्पत्ति भी बढ़ती जा रही है। (व्यवधान)

इन इजारेदार पूंजीपतियों के ऊपर टैक्सों के बकाए की जो फीगर आपने दी है उसको मैं कोट करना चाहता हूं। कुल मिलाकर एक हजार करोड़ रुपये का टैक्स का बकाया इन लोगों पर आपने बताया है। कस्टम ड्यूटी में 260 करोड़ रु. और इन्हीं के अनुसार सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी में 460 करोड़ रु. है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : नियम 94 के अनुसार:

"इस प्रस्ताव पर कि विधेयक, या विधेयक संशोधित रूप में, यथास्थिति पारित किया जाए, चर्चा विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने के लिए दिये गये प्रतकों तक सीमित होगी। भाषण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे या उससे अधिक निरेश नहीं करेगा जितना कि उसके प्रतकों के प्रतोजन के लिए आवश्यकता है जो कि सामान्य रूप के होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्णय देना मेरा काम है।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, मैं यही साबित कर रहा हूँ कि ब्लैक मनी बढ़ रही है, जिसका ब्योरा यहाँ देने को तैयार नहीं है। वित्त मंत्री झट से कह देते हैं कि हमारे पास आकड़े विश्वस्त नहीं है यह कहकर रफा-दफा कर देते हैं। 1981 में इसी हाउस बीयरर-बांण्ड स्कीम पास की गई थी। ब्लैक मनी शायद उस समय दस हजार करोड़ रूपया थी लेकिन 300 करोड़ रूपया वसूल करने के बाद वह स्कीम फिसफिसा गई। इस प्रकार लोगों के पास बहुत वकाए पड़े हुए है मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ इन्ही मंत्री जी ने 24.7.84 को राज्य सभा में कहा था—

"वित्त मंत्री ने बताया था कि 31 मार्च, 1984 को बड़ी कम्पनियों की और उत्पादन शुल्क की 460 करोड़ रूपए की राशि बकाया थी।"

1981 से 1984 तक 12.005 जगह छापे मारे गए है, लेकिन उनमें सम्पत्ति सिर्फ 86.61 करोड़ रूपये जब्त की गई है। यह बहुत ही कम राशि है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको छापे और ज्यादा मारने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके पास निकाला जाना

चाहिए । अगर पैसा नहीं होगा तो जाहिर बात है कि बड़े लोग और घनाड़ होते जायें इस तरह का कानून बनाने से उनको फायदा होगा और उनके पास काला धन भी बढ़ेगा । मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं । लोग जब जमीन बेचते है, तो बेचेंगे तीन लाख में और रजिस्ट्री सिर्फ एक लाख की करायेगे । इस तरह भी काले धन में बढ़ोतरी होती है इसको भी आप को सख्त कदम उठाकर रोकना चाहिए, ताकि इस प्रकार जो पैसा पचाया जा रहा है, वह न पचाया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए है । बहुत अच्छे । अब माननीय मंत्री उत्तर देगे ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री श्री एस. एम. कृष्ण : श्री रामावतार शास्त्री द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे मैंने नोट कर लिए है । काले धन को निकालने के लिए हम यथा आवश्यक छापे मारेंगे ।

श्री एस. एम कृष्ण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

1 34 म.प.

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्यमंत्री (श्रीमति मोहसिना किदवई) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक को इस सम्मान्य सदन के सम्मुख विचार करने के लिए प्रस्तुत करना मेरे लिए बड़े संतोष की बात है ।

जैसा कि उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में कहा गया है, लोक कल्याण और आर्थिक विकास की अभिवृद्धि करने की राज्य की भूमिका में स्वतंत्रता के बाद अत्यधिक विस्तार हो जाने से लोक प्रयोजनों, औद्योगिकीकरण, संस्थाएं स्थापित करने आदि के लिए भूमि अर्जन के मामलों की संख्या पहले से बहुत अधिक हो गई है । यह आवश्यक है कि लोक प्रयोजन के लिए

भूमि अर्जन की आवश्यकता तथा उस व्यक्ति के अधिकारों, जिसकी भूमि अर्जित कर ली जाती है, के बीच उपयुक्त संतुलन स्थापित किया जाए। भूमि अर्जन की वर्तमान विधायी रूपरेखा को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है ताकि यह व्यक्ति के अधिकारों के साथ सामजस्य करके समुदाय के हितों की पर्याप्त रूप से सेवा कर सके। इस विधेयक का प्रयोजन वर्तमान कानून को नया रूप देकर इस उद्देश्य को प्राप्त करना है जिससे कि भूमि अर्जन को अधिक शीघ्रगामी बनाया जा सके और भूस्वामियों तथा अन्य हिताभिलाषी व्यक्तियों को अधिक यथार्थपरक तथा न्यायोचित आधार पर मुआवजा दिया जा सके।

ऐसा करने में, हम मुल्ला समिति की सिफारिशों से भी काफी आगे गए हैं तथा भूस्वामियों के लिए मुआवजे की इतनी अधिक उदार शर्तों का प्रावधान किया है जिसकी इससे पूर्व ऐसे किसी निकाय ने कल्पना तक नहीं की थी।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि इससे पूर्व 30 अप्रैल 1982 को भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। वह विधेयक वापस ले लिया गया है और उसके स्थान पर वर्तमान विधेयक लाया गया है। पिछले विधेयक के पुर:स्थापन के बाद इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों, राज्य सरकारों तथा कुछ जाने-माने व प्रबुद्ध व्यक्तियों से कई सुझाव प्राप्त हुए थे जिसमें उन्होंने भूमि अर्जन अधिनियम में और संशोधन करने का सुझाव दिया था। उन्होंने 1982 के विधेयक में समाविष्ट किए गए कुछ उपबन्धों में और संशोधन करने का भी सुझाव दिया था। उन सभी के सुझावों का सम्मान करते हुए विधेयक को एक नया रूप दिया गया था और विधेयक 6 अगस्त, 1984 को पुर:स्थापित किया गया।

भूमि अर्जन अधिनियम को इसके लागू होने के 90 वर्ष बाद सारत: संशोधित किया जा रहा है। औद्योगिक पूर्व से औद्योगिक में परिवर्तित हो रहे समाज की अनिवार्यताओं को देखते हुए, विशेषकर ऐसी स्थिति में जिसमें राज्य ने औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण के मुख्य प्रारम्भक के रूप में बीड़ा उठाया हो, यह अपरिहार्य है कि समुदाय के हितों में सहायक विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिकाधिक अर्जन जारी रहेगा। अतएव, यह सुनिश्चित करना विशेष रूप से आवश्यक है कि आधुनिकोकरण तथा औद्योगिकीकरण के हमारे प्रयासों में कमजोर और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा न हो। ऐसे अवसरों पर जब उनकी आजीविका के एक मात्र साधन भूमि का अर्जन समुदाय के व्यापक हितों के लिए अपरिहार्य आवश्यकता बन जाती है, उन्हें पुनर्वास के आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। संशोधनकारी विधेयक में प्रावधान करते समय हम अपने इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने से प्रेरित हुए हैं कि जिस व्यक्ति के भूमि के सम्पत्ति-अधिकार छिन जाते हैं, विशेषकर वह जो समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित है, उसे उसकी हानि के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाए।

अब मैं इस बिधेयक के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों का उल्लेख करना चाहूंगी, जिनमें यह कामना परिलक्षित होती है। मौजूदा भूमि अर्जन अधिनियम में समाहर्ता द्वारा पंचाट देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982 में समाहर्ता को अपना पंचाट देने के लिए दो वर्ष की अवधि का प्रावधान किया गया था।

तथापि, यह प्रावधान रखा गया था कि कुछ परिस्थितियों में समुचित सरकार इस अवधि को बढ़ा सकती है। तथापि, बढ़ाई गई अवधि के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। बाद में सुझाव प्राप्त हुए थे कि समाहर्ता द्वारा निर्णय देने में विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये यह उपबन्ध पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि उपयुक्त सरकार द्वारा समयावधि उदारता से बढ़ाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः यह कहा गया कि जिस उद्देश्य के लिये समय सीमा निर्धारित की जा रही है, वही समाप्त हो जाएगा। वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत यह व्यवस्था की जा रही है कि समाहर्ता के लिए 2-वर्ष की अवधि को मानना अनिवार्य होगा और निर्णय में इस अवधि से अधिक विलम्ब नही किया जा सकेगा। उपयुक्त सरकार को इस अवधि की ओर बढ़ाने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि समाहर्ता इस अवधि के अन्दर अपना निर्णय देने में असफल रहता है तो समूची कार्यवाही व्ययगत हो जाएगी जिसके कारण धारा 4 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक अधिसूचना के स्तर से नये सिरे से कार्यवाही आरम्भ करनी पड़ेगी। यदि इस समय-ढांचे के अनुशासन में रहा जाएगा तो इससे भूमि अर्जन कार्यवाही समय पर पूरी हो जायेगी जिससे भूस्वामी को लाभ होगा तथा उन्हें भी लाभ होगा जिसके लिए भूमि का अर्जन किया जाएगा। जिन आपवादिक परिस्तियों में समय सीमा बढ़ाई जाएगी, कार्यवाही व्ययगत सम्बन्धी उपबन्ध यह सुनिश्चित करेगा कि भूपतियों से उनकी जमीन क्षतिपूर्ति को उस राशि पर न ली जाए जो लम्बे समय के अन्तराल के कारण पर्याप्त नहीं रह जाएंगी।

जब कि निर्धारित समय जिसके अन्दर समाहर्ता को निर्णय देना होता है, अपरिवर्तनीय है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इच्छुक पार्टियाँ समाहर्ता के निर्णय देने से पहले विधि न्यायालय में उनके हस्तक्षेप के लिए नहीं जाएंगी। इस कारण कार्यवाही निश्चत अवधि से भी लम्बी खिच जाएगी, जिसके बारे में समाहर्ता अथवा कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकारी कुछ नहीं कर पायेगे। यह अतिरिक्त अवधि समाहर्ता के निर्णय के लिए निर्धारित दो वर्ष की समय सीमा में नहीं गिनी जाएगी। यह आशा की जाती है कि परिहार्य विलम्ब को समाप्त करने तथा इच्छुक पार्टियों का विलम्ब के कारण होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए, विधेयक में दिये गये सुसंगत उपबन्धों को देखते हुए, समाहर्ता के निर्णय से पहले अधिकांश मामलों में विधि न्यायालय में मुकदमेंबाजी से बचना सम्भव होगा।

इस सदन में तथा सदन के बाहर इस सम्बन्ध में व्यक्त किया गया है कि प्राथमिक अधिसूचना जारी होने की तिथि को भूमि के बाजार भाव के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करना क्षतिपूर्ति को अवास्तविक बना नेता है। अतः अनेक व्यक्तियों ने यह मांग की है कि क्षतिपूर्ति की राशि प्राथमिक अधिसूचना जारी करने की तिथि के बाद किसी तिथि को निर्धारित की जानी चाहिए। इस सुझाव की कमियां इतनी स्पष्ट हैं कि उन पर विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है। जबकि हम भूपत्तियों को क्षतिपूर्ति की उचित राशि देना चाहते हैं, किसी भी समुदाय की कीमत पर किसी को निजी लाभ पहुंचाने के लिए कानून के उपबन्धों के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही को पूरा

करने के लिए तीन वर्षों की पूरी अवधि, जो प्राथमिक अधिसूचना से आरम्भ होती है और समाहर्ता के निर्णय के साथ समाप्त होती है, इस अवधि के दौरान खुले बाजार में किसी प्रकार भी आसमान को छूने वाले मूल्यों पर एक प्रमुख प्रतिबन्ध के रूप में सहायक होगी।

तब भी इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि तीन वर्षों की इस अवधि में भूमि के मूल्यों में कुछ तो वृद्धि होगी ही। अतः इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक अधिसूचना की तिथि को प्रचलित भूमि के बाजार भाव में, प्राथमिक अधिसूचना जारी होने की तिथि से ले कर भुगतान तिथि तक की समूची अवधि के लिए 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से अतिरिक्त राशि जोड़ दी जाएगी।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, इस कानून का उद्देश्य अर्जन कार्यवाही का, सम्बद्ध पार्टियों यह हमारा द्वारा सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय में जाये बिना शीघ्र ही निपटान करना है। पक्का विश्वास है कि समझ-बूझ एवं सदभावना होने से सम्बद्ध पार्टियों को विधि न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि कोई पार्टी समाहर्ता के निर्णय से पहले न्यायालय में जाने की आवश्यकता समझेगी और न्यायालय से स्थगत आदेश अथवा निषेधादेश लेगी तो उससे कार्यवाही लम्बी हो सकती है। जबकि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जिससे यह समझा जाए कि न्यायालय में जाने के कारण सम्बद्ध पार्टी को दंडित किया जा रहा है, किन्तु कानून के माध्यम से जनहित में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यवाही को लम्बा खींचने की दृष्टि से न्यायालय में जाने से मुकदमेबाजों को किसी प्रकार का लाभ न मिले।

जैसे कि सभी जानते हैं, भूमि अधिग्रहण के अनेक मामले समाहर्ता के निर्णय के लिए अनेक वर्षों से लम्बित पड़े हैं। कतिपय मामलों में धारा 4 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक अधिसूचना अनेकों वर्ष पहले जारी की गई थी। इच्छुक पार्टियों को प्राथमिक अधिसूचना जारी होने की तिथि को प्रचलित भूमि के बाजार भावों पर क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान सरासर अन्याय होगा। इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए इस विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के प्रत्येक मामले में जिसमें समाहर्ता द्वारा 30 अप्रैल, 1982 तक निर्णय नहीं दिया गया है, प्राथमिक अधिसूचना जारी होने की तिथि से भुगतान तिथि अथवा क्षतिपूर्ति राशि की जमा तिथि तक 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाए।

मुख्य अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत, समाहर्ता के निर्णय से प्रभावित व्यक्ति इस निर्णय में आगे संशोधन के लिए सिविल न्यायालय में प्रार्थना कर सकते हैं।

यह हमारा अनुभव रहा है कि भूपतियों ने केवल अभिव्यक्ति-सक्षम एवं धनी व्यक्ति ही इस कानून का लाभ उठा पाते हैं। गरीब एवं अभिव्यक्ति समाहर्ता के निर्णय को ही सामान्यतया स्वीकार कर लेते हैं। यदि न्यायालय को मामला प्रेषित करने पर वह क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ा देता है तो इसका लाभ वर्तमान कानून के अन्तर्गत उसी को मिलता है जिसकी ओर से न्यायालय में मामला ले जाया जाता है। वर्तमान विधेयक में एक नया उपबन्ध जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत जो पार्टियां पहले न्यायालय में मामला नहीं ले गई, उनके लिए न्यायालय

के निर्णय के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि को पुन: निर्धारित किया जाएगा। इस नए उपबन्ध के अन्तर्गत, जो व्यक्ति धारा 18 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय में मामला ले जाने में असफल रहे हैं, न्यायालय के निर्णय के तीन महीने के अन्दर वे समाहर्ता को आवेदन दे सकते हैं। और न्यायालय के निर्णय के आधार पर क्षतिपूर्ति के पुन: निर्धारण का अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रकार के आवेदन पर समाहर्ता को इस प्रकार के आवेदकों को देय क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करने का एक नया निर्णय देना पड़ेगा। समाहर्ता के इस नये निर्णय के विरुद्ध भी इस प्रकार के व्यक्ति सिविल न्यायालय में मामला ले जा सकते हैं। इस नये महत्वपूर्ण उपबन्ध से गरीब एवं अभिव्यक्ति अक्षम भूपतियों को बहुत सहायता मिलेगी, जो सामान्य तौर पर समाहर्ता का ही निर्णय मान लेते है और न्यायालय में मुकदमा नहीं ले जाते और इस प्रकार हानि उठाते हैं, जबकि अपेक्षाकृत अमीर एवं अभिव्यक्ति-सक्षम भूपति उसी प्रकार की भूमि के लिए अपेक्षाकृत अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेते हैं।

यह महसूस किया गया है कि समाहर्ता के निर्णय सम्बन्धी अधिकार पर उपयुक्त सरकार द्वारा निगरानी रखने की आवश्यकता है। अत: इस बात की व्यवस्था की गई है कि समाहर्ता को अपना निर्णय देने से पहले उपयुक्त सरकार अथवा उपयुक्त सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त, यह भी व्यवस्था की गई है कि उपयुक्त सरकार समाहर्ता को ऐसे मामलों में बिना पूर्व अनुमति के निर्णय देने का निदेश दे सकती है, जो इस सम्बन्ध में इसके द्वारा निर्दिष्ट किये जाएगे। इस उपबन्ध के अन्तर्गत सरकार ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त बना सकेगी जिससे समाहर्ता द्वारा कुछ मामलों का निपटान उसके स्तर पर ही किया जा सकेगा जबकि अन्य महत्वपूर्ण मामलों में, निर्णय से पहले या तो उपयुक्त सरकार अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। उपयुक्त सरकार, समाहर्ता द्वारा निर्णय देने से पहले किसी भी समय, किसी भी निष्कर्ष अथवा पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट करने के उद्देश्य से कार्यवाही के किसी अंश का अभिलेख मंगा सकती है और उसके सम्बन्ध में, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकती है अथवा निदेश जारी कर सकती है। इन उपबन्धों के अन्तर्गत समाहर्ता को निर्णय देने की पर्याप्त स्वतन्त्रता दी गई है इसके साथ ही उपयुक्त सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी अधिकार दिया गया है कि निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही का सही ढंग से संचालन किया जाये और उस सम्बन्ध में किसी प्रकार का अन्याय अथवा अनियमितता न की जाए।

मूल अधिनियम में अभी तक सहमति सम्बन्धी निर्णय का कोई उपबन्ध नहीं था। इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि भूमि सम्बन्धी मुकदमे से सम्बद्ध व्यक्ति समाहर्ता के समक्ष उपस्थित हों एवं उपयुक्त सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित रूप में उन मामलों पर, जिन्हें समाहर्ता के निर्णय में सम्मिलित किया जाना हो, लिखित रूप में अपनी सहमति दें तो समाहर्ता सहमति सम्बन्धी निर्णय दे सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन मामलों में सहमति निर्णय सम्भव हो, वहाँ कार्यवाही अनावश्यक रूप से लम्बी न खींची जाए।

मैं अब माननीय सदस्यों का विधेयक के कतिपय अन्य उपबन्धों की ओर ध्यान दिलाना

चाहता हूँ। मूल अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी जाने वाली मुआवजे की दर को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, भुगतान न की गई राशि अथवा न्यायालय में जमा की गई राशि पर देय ब्याज की दर को पहले वर्ष के लिए 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 9 प्रतिशत तथा बाद के सभी वर्षों के लिए 15 प्रतिशत कर दिया गया है। "सार्वजनिक उद्देश्य" शब्दावली का संशोधन कर उसे व्यापक बना दिया गया है ताकि उसमें सभी प्रकार के सामाजिक महत्व के उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था हो। किन्तु साथ ही इस उपबन्ध के दुरुपयोग की सम्भावना से भी बचा जाए। इस विधेयक में एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है कि कम्पनियों के लिए भूमि का अधिग्रहण अब तत्काल अधिग्रहण सम्बन्धी उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, जब भूमि का अधिग्रहण, तत्काल अधिग्रहण सम्बन्धी उपबन्ध के अन्तर्गत किया जाएगा, समाहर्ता को उस भूमि के कब्जे से पहले अनुमानित मुआवजा राशि का 80 प्रतिशत देना होगा। ऐसा समझा जाता है कि यह सभी उपबन्ध परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के लिए एक पर्याप्त वातावरण तैयार करने में सहायक होंगे।

इस भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के बाद जो कतिपय मुद्दे उभर कर सामने आये हैं, मैं इस अवसर पर उन्हें स्पष्ट करना चाहती हूं। कतिपय सदस्यों ने इस बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है अच्छी किस्म की अधिकांश कृषि भूमि गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए की जाती है जिसके परिणामस्वरूप हमारे इस सीमित प्राकृतिक साधन में कमी होती जा रही है। मैं माननीय सदस्यों की इस चिन्ता से पूरी तरह सहमत हूं। हमारा सब का यह प्रयास होना चाहिये कि अनेक प्रकार के गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अच्छी कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया। जबकि उसके लिए घटिया किस्म की कृषि भूमि से काम चलाया जा सकता है। हमने राज्य सरकारों को विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय इस बात पर विशेष बल देने के लिए कहा है। राज्य सरकारें भी इस सम्बन्ध में चिन्तित है। किन्तु मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूँगी कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कानूनी प्रतिबन्ध लगाना व्यावहार्य नहीं होगा। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि रक्षा, उद्योग, सिंचाई परियोजनाए, जिन्हें विशिष्ट क्षेत्र में ही स्थापित किया जा सकता, जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए विशिष्ट क्षेत्र में न्यूनतम आकार के विशिष्ट भूमि खंड का अधिग्रहण अपरिहार्य हो जाता है। यदि इस भूमि खंड में अच्छी किस्म की कृषि भूमि पड़ती हो तो उसका अधिग्रहण भी अपरिहार्य हो जाता है। किन्तु समझ-बूझ और सद्भावना से यह सम्भव हो सकता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण न किया जाए और उसके लिए अन्य प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाए। इसी कारण से छोटे और सीमान्त किसानों या धार्मिक संस्थानों की भूमि के अर्जन पर प्रतिबन्ध के लिए कानून बनाना व्यावहारिक नहीं होगा।

माननीय सदस्यों ने उन व्यक्तियों को भूमि या रोजगार देने के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की है, जिन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया है या जिन्हें भूमि अर्जन की वजह से अपना रोजगार खोना पड़ा है। इस बारे में दो रायें नहीं हो सकती कि इन लोगों को या तो

वैकल्पिक भूमि दी जाए या आमदानी और रोजगार का जरिया मुहैया किया जाए। यहां यह भी कहना सगत होगा कि जो सार्वजनिक भूमि ली गई है, उस सारी पर न तो आमदनी होती थी न ही रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। न ही सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जो भूमि अर्जित की जाती है, उसके विस्थापितों को सदैव वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की सम्भावना है। माननीय सदस्यों की चिन्ता को हम समझते हैं, लेकिन जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है या जिनके आजीविका के अवसर समाप्त हो गये उन्हें आवश्यक रूप से भूमि प्रदान करना या जीविका के लिए रोजगार अवसरों को कानूनी मान्यता दे पानी व्यवहारिक नहीं होगा। जो कुछ भी किया जा सकता है, वह किया जाना चाहिए। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि भूमि अर्जन के विशेष मामलों में जैसे, नदी घाटी परियोजनाओं, या बड़ी फैक्ट्रियां लगाने या औद्योगिक परिसर स्थापित करने आदि में इस बात की कोशिशें की जानी चाहिए कि विस्थापित परिवारों के सदस्यों को इनमें रोजगार के अवसर प्रदान किये जाएं। असल में, कई स्थानों पर ऐसा किया जा रहा है। ऐसे विशेष मामलों में पूर्ण लगन और सही तरीके से सोच-समझकर पूरी कोशिश की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को पुनः बसाया जा सके। इस कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

इस उद्देश्य से हमारा सभी संबंधित लोगों को दिशानिर्देश और अनुदेश जारी करने का इरादा है।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस विधेयक में अधिक यथार्थ रूप से और उदारता से मुआवजा और क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है जिससे पहले की अपेक्षा विस्थापित परिवारों को दूसरी भूमि पाने या आजीविका अर्जन में आसानी होगी।

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों के सुझावों या इस विधेयक के अन्य उपबन्धों का विश्लेषण करके इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहती। मैं मानती हूँ कि इस विधेयक में सुझाये गये संशोधन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सामाजिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि अर्जन के लिए बेहतर कानूनी और प्रशासनिक ढांचा तैयार होगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए समाज के हितों में सामजस्य रखा जा सकेगा। मैं प्रस्ताव करती हूं कि सम्मानित सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे।

****श्री निर्मल सिन्हा** (मथुरापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए, मैं आपका आभारी हूं। हमारे सामने जो विधेयक चर्चा के लिए रखा गया है, उसके अंतर्गत भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संशोधन रखने का प्रावधान है। मूल अधिनियम 90 वर्ष पूर्व साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने पास किया था। निश्चय ही उनके द्वारा बनाए गये कानून में, किसी को प्रगतिशील उद्देश्य या विचारधारा की आशा नहीं करनी चाहिए। नहीं कोई छोटे और सीमांत किसानों, बंटाईदार या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों लोगों को आदि के हितों के संरक्षण की आशा कर सकता है। इस अधिनियम में इस संशोधन सहित छह बार सशोधन किया गया है। ब्रिटिश शासन में 1921,1923 और

** बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

1933 में इसमें संशोधन किये गये। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत-सरकार ने तीन दफा, यानि 1962,1967 और अब 1984 में संशोधन किया गया है; लेकिन 1962 और 1967 में हमारी सरकार द्वारा किये गये संशोधनों में भी प्रगति की झलक नहीं मिलती है। कानून का स्वरुप करीब-करीब वैसा ही रहा है। उनमें निर्धन वर्गों, बटाईदारों, छोटे और सीमान्त किसानों, नेत्रहीनों और अन्य विकलांग निर्धन व्यक्तियों आदि के हितों के संरक्षण के लिए, जिन पर उनकी भूमि का अर्जन किये जानेऔर उनसे भूमि लिए जाने का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग, जोकि गरीबी की रेखा से नीचे रहता है को संरक्षण की गारन्टी देने के लिए इस विधेयक में कोई उपबंध नहीं रखा गया है।

श्रीमन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों की आवश्यकतांए और जरुरतों में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए नए कारखाने और उद्योग आदि स्थापित करने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से यह वंचित नहीं है कि प्रगति के इस रथ के पहियों के नीचे, इन सभी गरीब लोगों, बटाईदारों, सीमान्त किसानों, छोटे किसानों, अपंग व्यक्तियों आदि को कुचल दिया जाए। हमने पहले भी देखा है कि जिन गरीब लोगों की भूमि अर्जित की गई उन्हें दयनीय स्थिति में बेसहारा वहां से जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। वे यहां-वहां भटकते रहे और पशुओं की तरह अमानवीय परिस्थितियों में रहते रहे हैं। उनको कोई संरक्षण प्रदान करने में यह विधेयक बिल्कुल असफल रहा है। हमने देखा है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात एक बार पुन: हजारों लोग शरणार्थी बन गये हैं क्योंकि उनकी भूमि अर्जित की गई है और वे दयनीय जीवन बिता रहे हैं।

(श्री एन. के. शेजवलकर पीठासीन हुए)

श्रीमन्, यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। 1970 में, महाराष्ट्र में नवा शेवा परि-

2.00 म प

योजना आरम्भ की थी। इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र ने जिस अमानवीय तरीके से गरीब किसानों पर जुल्म करके उनकी 1,147 हैक्टेयर भूमि अर्जित की, इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलती। 1970 में महाराष्ट्र सरकार ने 93 गांवों की 20,000 हैक्टेयर 500 करोड़ रु० की नहावो सेवा परियोजना के लिए भूमि अर्जन करने के लिए अधिसूचना जारी की। सरकार ने भूमि अर्जन के लिए 27 हजार रु० प्रति एकड़ की दर पर मुआवजे की राशि निश्चित की। 8 जनवरी को लगभग 20 हजार किसान जसई में इकट्ठे हुए और उन्होंने "भूमि बचाव समिति का गठन किया। समिति ने मांग की कि सरकार द्वारा घोषित 27,000 रु० प्रति एकड़ की बजाय 40,000 रु० प्रति एकड़ मुआवजा दे। लेकिन सरकार ने उनकी मांग स्वीकार नहीं कीं। इसके स्थान पर उनकी भूमि बलपूर्वक अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया। राज्य रिजर्व पुलिस ने काफी संख्या में किसानों को गिरफ्तार किया गया। किसानों ने इसका बलपूर्वक विरोध किया। 13 जनवरी को 30 व्यक्तियों और 14 जनवरी को 3 महिलाओं समेत 47

व्यक्तियों को लाठियों से बुरी तरह पीटा गया और उन्हें पुलिस गाड़ी में ले गये। 15 जनवरी को जसई के 300 और नौजवानों को पुलिस पकड़ ले गई। जसई के नजदीक जो 10,000 किसान भूमि अर्जन प्राधिकारियों के पास शिष्ट मंडल ले कर इकट्ठे हुए थे उन पर राज्य रिजर्व पुलिस ने 60 गोलियां चलाई। घटना स्थल पर ही किसानों की मृत्यु हो गई और कई एक घायल हुए। अगले दिन पुलिस ने पुन: दास्तान फाटक के नजदीक गोली चलाई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई घायल हुए। उसके बाद पुलिस द्वारा इन 93 गांवों में आतंक फैलाया गया। गांवों वाले डर के मारे भाग गये। महिलाएं सहमी रही और उन्हें पता नहीं था कि उनके पुरुष कहां हैं। क्योंकि पुलिस द्वारा गिरफ्तार पुरुष राज्य के विभिन्न जेलों में बन्द थे। बाजार, अस्पताल, डिस्पेन्सरी, सभी बन्द थे। इस वातावरण में भूमि अर्जन का कार्य जोर-शोर से किया गया। यह हमारी अपनी सरकार का देश के गरीब किसानों के प्रति रवैया है।

श्रीमन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में पारित किया गया था। उस समय की परिस्थितियां आज से पूर्णतया भिन्न थी। तब से लेकर आज तक दृष्टिकोण और विचारों में काफी परिवर्तन हो चुका है। विशेषकर 1917 की महान रूसी क्रांति के पश्चात, विश्व के कई देशों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारी परिवर्तन आया है। विश्व के परिपेक्ष्य में सरकारों के दर्शन में परिवर्तन आया है। भारत में भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आन्दोलन हुआ। साम्राज्यवादियों से सत्ता को भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया गया। लेकिन इस सबके बावजूद हमें शासक बल के दृष्टिकोण और विचारों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। यह वर्तमान विधेयक उसका एक नमूना है।

हम जानते हैं कि इस सम्मानित सभा में 1962 और 1967 में इस अधिनियम में संशोधन किये गये। 1962 के कार्यवाही वृत्तांत से यह देखा जा सकता है कि इस सभा के शासक और विपक्ष दोनों दलों के माननीय सदस्यों द्वारा उस समय, उन भाग्यहीन लोगों के अनेक उदाहरण बताये गये थे, जो इस कानून के पाटों में पिस गये थे। उन्होंने भी इस प्रकार के संशोधनों की आलोचना की थी। उन्होंने निर्धन लोगो की इसके अमानवीय घातक आक्रमण से रक्षा करने की अपील की थी। 1967 के संशोधन के दौरान भी वही कहानी दोहराई गयी थी। माननीय मन्त्री ने भी यह बात स्वीकार की थी कि किसानों के अमानवीय निष्कासन तथा अर्जित भूमि का मुआवजा प्राप्त करने में नौकरशाहों द्वारा उन्हें परेशान किये जाने के मामले हुए हैं। आज भी माननीय सदस्य वही बातें कहेंगे जो मैंने इससे पूर्व इस इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते समय कहीं थीं। माननीय मंत्री का उत्तर भी वैसा ही होगा जैसा 1967 में दिया गया था और यह विधेयक सत्ताधारी दल के भारी बहुमत के कारण पारित हो जायेगा। लेकिन मूल समस्या का कोई हल नहीं होगा। स्वतन्त्र भारत के सबसे कमजोर वर्गों, यथा, लघु एवं सीमांत किसान, बटाईदार, विकलांग तथा अपंग नागरिक, जिनकी आजिविका का अन्तिम साधन इस कानून की कठोर तथा निर्दयी शक्तियों द्वारा छिपने वाला है, के आँसुओं, आहों तथा आक्रोश का कोई हल नहीं होगा।

इसलिए अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मन्त्री से इस विधेयक को वापस ले लेने का अनुरोध करूंगी और आग्रह करूंगी कि वह एक अन्य संशोधित संशोधन विधेयक लाएं जिसमें हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निम्न-लिखित प्रावधान होने चाहिए :—

1. भूमि का अर्जन करते समय, सीमांत किसानों, छोटे किसानों, निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वालों, विकलांगों तथा अपंगों के मामलों का परिहार किया जाए।

2. यदि ऐसा करना अपरिहार्य हो जाये, तो उपरोक्त वर्गों के लोगों को उसी गांव में समान उत्पादकता वाली उतनी ही भूमि के वैकल्पिक भूखंड दिए जाएं।

3. जिन अन्धे विकलांग तथा अपग व्यक्तियों की भूमि अर्जित की जाती है, उनके लिए उपयुक्त राजगार का सुनिश्चित प्रावधान होना चाहिए।

4. सभी लिखित तथा अलिखित बर्गादारों के पुनर्वास के लिए रोजगार का सुनिश्चित प्रावधान होना चाहिए।

5. ऐसे सभी लघु एंव सीमांत किसानों को, जिन्हें समकक्ष क्षेत्रफल तथा समकक्ष उत्पादकता वाली वैकल्पिक भूमि में पुनर्वास देना सम्भव नहीं है, रोजगार का सुनिश्चित प्रावधान होना चाहिए।

6. भू-स्वामियों की भूमि के वास्तविक अर्जन या कब्जा लिए जाने से पूर्व, उनका सही ढग से पुनर्वास किया जाना चाहिए।

7. भू-स्वामियों को मुआवजा, खंड नियम के अनुसार दिया जाना चाहिए। भू-स्वामी की भूमि जितनी कम हो, उसे दिए जाने वाले मुआवजे की राशि की दर उसी अनुपात में अधिक होनी चाहिए।

8. इस कार्य के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त सलाहकार या पर्यवेक्षक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषक संगठनों से कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री उपरोक्त सुझावों पर उचित गौर करेंगे।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में सोचने और समझने का हमें काफी मौका मिला है। माननीय मत्री जी ने विस्तार पूर्वक जो इसके बारे में अभी बताया है, इससे मुझे यह कहने में थोडी सी झिझक नहीं रही है कि हम सब मिल कर एक साथ इसका समर्थन करेंगे। ठीक है, किसानों के हित को देखते हुए थोड़ी बहुत कमी इसमें रह जाती है परन्तु बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो किसानों के हित को देखते हुये पीछे रह गये थे, वह अब इसमें पूरे किए गए हैं। अब यह बल काफी चिन्तन और सोच-विचार के बाद आया

है। जिस आधार पर हम यहां पीड़ित हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि किसानों के हित में अब ऐसा कानून बना है जिससे उनका संरक्षण हो सकेगा।

मैं यह उदाहरण देना चाहता हूं जैसे कि औद्योगीकरण का विकास हो रहा है। भारत के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है, मगर किसान की कीमत पर नहीं। किसान के हित को साधते हुए औद्योगीकरण हो तभी वह भारत के लिए हितकारी होगा। अगर यह किसान के हित के विपरीत होगा तो एक समय ऐसा आयेगा कि वहां भी वही हाल होगा कि जैसा कि आज औद्योगिक देशों का हो रहा है। वहा बेरोजगारी बढ़ रही है। नाम के लिए औद्योगीकरण किया गया है। समानान्तर कृषि को विकसित करने की भी आवश्यकता है। छोटे-छोटे किसान जो सारे देश में फैले हुए हैं उनके हित का ध्यान नहीं किया गया तो आप साम्राज्यवादी रूप में उसकी परणित कर रहे हैं। दुनिया में विनाशकारी रूप बढ़ रहा है उससे यह देश अपने आप में ही क्षीण और कमजोर हो जायेगा। ऐसी स्थिति में दोनों का संतुलित होना जरूरी है। इस आधार पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिये।

हमें ऐसा अनुभव होता रहा है कि औद्योगीकरण के विकास के सम्बन्ध में हम कहीं-कहीं औद्योगीकरण की तरफ तो नहीं बढ़ गये हैं। जिस फैक्टरी को स्थापित करना होता है, उसके लिए जमीन की जरूरत होती है। खनिज की दृष्टि से भी जमीन मिलती है तो किसान की जमीन ले लेते हैं। यह नहीं देखते कि किसान की उपजाऊ जमीन उसमें जा रही है या नहीं। ऐसी स्थिति में जितना उससे लाभ होना चाहिए, उससे अधिक नुकसान हो जाता है।

अपने क्षेत्र की बात बताता हूं। वहां खान और भद्रपाली नाम के बलौदा बाजार तहसील, रायपुर जिले में स्थान है। वहां सीमेंट का कारखाना खुला। यह मोदी जी का सीमेंट का कारखाना है। एक तरफ सीमेंट का कारखाना देश के लिए आवश्यक है, हमने उसका स्वागत भी किया कि हमारे क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना खुलना चाहिये, वहां इसकी काफी गुंजाइश है और वहाँ दो ही नहीं चार पढ़ने चाहिये। वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। उस क्षेत्र में भुखमरी का इलाका बहुत ज्यादा है। सिंचाई भी बहुत कम है। वहां के लोग रोजगार के लिए सारे देश में जाते हैं। इस स्थिति से खेत मजदूर और छोटे-छोटे किसान ज्यादा प्रभावित होते हैं। सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां औद्योगीकरण का विकास होना बहुत आवश्यक है। इसलिये हमने वहां पर सीमेंट के कारखाने की स्थापना का स्वागत किया।

लेकिन हमने जा कर देखा कि वहा पर जो सब से ज्यादा धान की पैदावार का इलाका है, जो सिंचित जमीन है, उस पर फैक्टरी कायम की जा रही है। अब तो कारखाने का काम प्रारम्भ हो गया है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। मगर उस इलाके की सब से ज्यादा सिंचाई वाला और सब से ज्यादा पैदाबार देने वाली सात आठ सौ एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई है। जिन किसानों की जमीन जे ली गई है, वे आज भी रो रहे हैं। उनको जमीन के बदले उनको कोई और जमीन मिलने वाली नहीं है—उस किस्म की जमीन तो हरगिज मिलने

वाली नहीं है। वे लोग देश के विकास के लिए अपनी जमीन छोड़ रहे हैं, इसलिए हमको उन्हें भरपूर मुआवजा देना चाहिए, ताकि वे भूखों न मर सकें।

अगर वे लोग वैसी ही जमीन ढूंढ़ना चाहें, तो 15,000 रुपए प्रति एकड़ वाली जमीन वहां से दस-पन्द्रह किलोमीटर दूर मिलेगी। लेकिन उनको मुआवजा क्या दिया गया है?— 4,000 रु. 5,000प्रति एकड़। आज जमीन की जो कीमत है,उससे एक-तिहाई कम्पेनसेशन उनको दिया जा रहा है। इस अवस्था में उनके पास आँसू बहाने के अलावा और क्या रहता है? हम सब प्रफुल्लित हैं कि हमारे यहां कारखाना बन रहा है और बेरोजगारी दूर हो रही है। अगर आज का कानून लागू होता और हमारा ध्यान उस ओर गया होता, तो सात आठ सौ एकड़ खेती को उपजाऊ जमीन बच गई होती।

उसके साथ ही पथरीली जमीन है, जहां पर यह कारखाना स्थापित किया जा सकता था। उस परती जमीन का मुआवजा भी चार पांच हजार रुपया एकड़ दिया गया है। पन्द्रह बीस हजार रुपये एकड़ वाली उपजाऊ जमीन का मुआवजा भी चार पांच हजार एकड़ और परती पथरीली जमीन का मुआवजा भी चार पांच हजार रुपये। अच्छी उपजाऊ जमीन और परती जमीन दोनों को एक ही स्तर पर रख दिया गया है। यह तो अन्धे के हाथ बटेर वाली बात है।

उन दोनों की जमीन तो सरकार ने एक्वायर कर ली, मगर उनके मकान और घर का क्या होगा? सीमेंट फेक्टरी के मालिक कहते हैं कि हम उसका काम्पेन्सेशन नहीं देंगे क्योंकि वह हमारे एरिया में नहीं है। उन लोगों का मकान और घर का भी काम्पेन्सेशन मिलना चाहिये, लेकिन वह नहीं मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत किसानो को कभी भी सही काम्पेन्सेशन नहीं मिल सकता है। मुआवजा देते हुए जमीन तो आज की कीमत नहीं देखी जाती है, बल्कि पिछले तीन सालों की कीमत को दृष्टि में रख कर मुआवजा निश्चित किया जाता है। आज जिस जमीन की कीमत दस पन्द्रह हजार रुपये प्रति एकड़ है, उसका मुआवजा चार हजार रुपए प्रति एकड़ मिलता है।

पुराने कानून के अनुसार कलेक्टर और अधिकारी जमीन का काम्पेन्सेशन तय करते हैं। वे किस तरीके से मुआवला तय करते हैं, यह कहने की मुझे हिम्मत नहीं होती है। इसमें किसानों का हित नहीं देखा जाता, बल्कि कारखानेदार के हित के आधार पर ही काम्पेन्सेशन निश्चित किया जाता है। गणित कुछ भी लगाया जाए, मगर अब सरकार को यह व्यवस्था करनी होगी कि जमीन के बाजार भाव से ड्योढ़ा मूल्य मुआवजे के रूप में दिया जाए। जिस जमीन पर कारखाना बनता है, वह जमीन चार हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ली जाती है। वैसी जमीन किसान को पंद्रह हजार रुपये प्रति एकड़ में भी नहीं मिलती है।

प्राय: देखा गया है कि जो जमीन एक्वायर कर ली जाती है, उसके आस-पास की जमीन की कीमत बढ़ जाती है। वहां पर बाजार, दुकानें और होटल आदि बन जाते हैं। कारखाना बनने से सब लाभान्वित होते हैं—सिवाए किसान के, जिसकी जमीन ले ली गई है। वैसी ही स्थिति हर क्षेत्र में देखेंगे। अगर बांध बन जाय तो उसकी जमीन की कीमत उसी आधार

पर आंकी जाती है जो निर्माण होने 3 साल पहले की कीमत होती है। बांध निर्माण होने के बाद जिस जमीन में पानी का डूब हुआ, जिस किसान ने अपनी जमीन देकर राष्ट्र के लिये त्याग किया उसकी कीमत उसको कब मिलेगी और जो उस बांध से लाभान्वित हो रहा है उसकी जमीन की कीमत 25 गुना बढ़ जाती है। 10 एकड़ जमीन जाने के बाद 1 एकड़ बराबर की जमीन उस गरीब किसान को नहीं मिलती है। इसलिए आपको उस किसान की जमीनें की उचित कीमत देनी होगी। उसके त्याग को देख कर जमीन की कीमत तय करनी चाहिए तब जाकर उसको लाभ होता है। होता बिल्कुल उलटा है। किसान हमारे लिए कुर्बान होता है इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि हम उसको नुकसान न होने दें।

आज वर्षा होती है पहाड़ी क्षेत्र में, नदियाँ भी वहीं से निकलती हैं, बांध की डूब में भी पहाड़ी क्षेत्र ही आता है और वहां हरिजन और आदिवासी लोग ही रहते हैं, वही बेचारे बर्बाद होते हैं। तो उन्हें पहले से बसाने की व्यवस्था होनी चाहिये और जिनको लाभ होने वाला है उनके समकक्ष उन गरीब किसानों को लाना होगा। सारे देश में उजड़ने के बाद कारखाने, सड़कें, बांध बनेंगे, सब गरीब किसान की जमीन पर ही बनेंगे, सारे देश का विकास किसान की जमीन पर ही निर्भर है। यह भी सही है कि जो पिछड़े क्षेत्र थे प्रकृति ने हमें अगले कदम में उठाया। भिलाई, बस्तर, बैलाडीला में प्रकृति ने अगर लोहा न दिया होता तो हम उस क्षेत्र को भूल गये होते। वहां पर जो खनिज पदार्थ मिल रहा है उसको निकालने के काम में भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। जिसकी जमीन जा रही है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। खनिज पदार्थ निकालने के लिए भी बाहर के लोग आते हैं। यहां तक कि मिट्टी खोदने वाले, पत्थर लोहा निकालने वाले भी वहां के आदिवासी लोग नहीं है। क्योंकि देश के अन्दर बेरोजगारी है इसलिये बाहर से लोग आ कर वहां काम करते हैं और हरिजन बेचारे वहां सफर करते हैं। मेरी मांग है कि वहां के लोगों की भर्ती करनी चाहिए और अगर आदिवासी लोग ट्रेन्ड नहीं हैं तो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिये। विकसित लोगों को तो अवसर मिलता है और हरिजन, आदिवासी जो सदियों से पिछड़े हुए हैं क्या वह आज भी पिछड़े रहें ? उनकी संस्कृति को हम समाप्त होने देंगे जिसके आधार पर हम खड़े हैं ? सत्य, प्रेम और करुणा अगर किसी में प्लावित हो रही है तो हरिजन और आदिवासी है और हम उसके आगे नत-मस्तक हैं। विशेष अवसर केवल रिजर्वेशन से नहीं होगा। मुझे तो स्वामी विवेकानन्द की वाणी याद आती है जिसको मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पिछड़े हुए को ऊपर उठाना है तो जो आगे बढ़े हुये हैं उनको रोकने के लिये अगर 100 साल की भी आवश्यकता होती है तो उसको रोकना चाहिये। 90 प्रतिशत जनता आज तिरी हुई और दबी हुई है उसको उठाने में अगर 100 साल भी लगते हैं तो बढ़े हुए लोगों को हमें रोके रखना है। इसके बावजूद उस अवसर को ढूढ़कर निकालना होगा आपने रिजर्वेशन दे दिया है, प्राथमिकता दे दी है, भिलाई के स्थानीय लोगों को अधिकार दिया, बस्तर के आदिवासियों के लिये प्राथमिकता होगी लेकिन क्या केवल मिट्टी खोदने के लिये ही ? वहां पर फिटर चाहिये, वहां पर टर्नर चाहिए। टेकनीकल लोग वहां पर हैं क्या ? इसलिये मेरा निवेदन है कि पिछड़े क्षेत्र में जहां भी आप कारखाना खोलें, वहां पर आप जमीन देते हैं उसका स्वागत है, मुआवजा देते हैं उसका भी स्वागत है, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो उसका स्वागत न करे लेकिन इसके साथ साथ कारखाना बनाने के पहले वहां आप स्कूल का

निर्माण करें जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा सके। भले ही यह काम आपके विभाग के अन्तर्गत न आता हो लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि जहां भी पिछड़े क्षेत्र में कारखाना आप लगायें वहां पर स्कूल पहले बनाये।

अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप कानून बनाने जा रहे हैं जिससे किसान लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन चाहे रेवान फैक्टरी हो या मोदी सीमेन्ट फैक्टरी हो वहाँ पर जिन किसानों की जमीनें गई हैं उन्होंने मजबूर होकर दस्तखत किए। हालांकि भूखों मरेंगे और मुआविजा भी बहुत कम है लेकिन फिर भी मजबूर होकर दस्तखत किए। मेरा आपसे निवेदन है कि पाँच साल तक पीछे जिनकी जमीनें ली गई हैं उनका फिर से मूल्यांकन किया जाए, बाजार भाव पर मूल्यांकन किया जाए।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल को लाने के लिए मंत्री जी को तो बधायी दूंगा ही लेकिन सबसे ज्यादा बधायी मैं लोकसभा के अध्यक्ष, डा. बलराम फाखड़ को दूंगा। यदि उन्होंने प्रयत्न न किया होता तो मैं समझता हूँ यह बिल आज हमारे सामने नहीं आता। जब मंत्री महोदया ने यह बिल छः अगस्त को पेश किया था तब अध्यक्ष महोदय ने भावुक होकर जो बात कही थी वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था:

"दिगम्बर सिंह जी की बात मैंने सुनी। उन्होंने जो अपील की है वह भी सुनी है। आपको चिन्ता करने की क्या जरूरत है, अभी क्षमता है बिल पास कराने की और कोई सेक्रेटरी बीच में नहीं आ सकता है।

अखबारों की भी आप क्यों चिन्ता करते हैं, वह तो पैसे वालों के होते हैं जिस दिन किसानों के पास पैसा भी हो जायेगा, उनकी बात भी छापी जाने लगेगी। इसलिए चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है..."

फिर उन्होंने मन्त्री महोदय को संबोधित करते हुए कहा :

"इस प्रश्न का सम्बन्ध समूचे कृषक-समुदाय से है, और एक बार जब जब उसकी भूमि छिन जाती है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। यह उसकी जीवन भर की संगिनी है और वह उसके सहारे जीता है। यह जीवन में उसके लिए सबसे बढ़कर है। आपको उसके लिए कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए मुआवजा भी देना चाहिए और आप यह देखें कि यदि आप प्रयोजन के लिए कोई संशोधन आवश्यक हो तो उसे लाएं और उनका कोई भी विरोध नहीं करेगा। सारा सदन उससे सहमत होगा। श्री मती किदवई, मैं समझता हूं आपके साथ राव साहिब भी इस पर गौर करेंगे। मैं समझता हूं प्रधान मंत्री ने भी यह बात कही है।"

अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके लिए कहा है। फिर आगे अध्यक्ष महोदय ने मंत्री जी से कहा कि "आप इसे ध्यान से सोचिए. बार-बार नहीं बनता है। तीन बार पहले भी किया है। मैं भी इससे सम्बन्धित हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूँ।" जो

कोई आपके डिपार्टमेंट में बैठते हैं, उनको अगर आप किसान के पास जेठ के महीने में भेज दें तो फिर उनको अकल आ जाएगी और हिसाब लगा लेंगे। आप इसको थोड़ा सोचकर अगर जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से करें। मुझे उम्मीद है आप इसको देखेंगी। सभापति जी, जो मैंने कहा था, उसकी भी दो लाइनें मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं—अध्यक्ष महोदय, मैं भावुकता में कहना चाहता हूं कि अगर मेरे इस्तीफा देने से यह बिल अमेंड होकर पास हो सकता है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस अमेंडमेंट को आप ले आयें। अगर आप चाहें कि तुमको शहीद होना पड़ेगा, भूख हड़ताल कर दो, तुम्हें फांसी पर पढ़ना होगा तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप उस अमेंडमेंट को ले आयें। अगर आप मुझ से यह कहें कि किसान के हित के लिए तुम यह वादा कर लो कि तुम कभी राजनीति में भाग नहीं लोगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप इस अमेंडमेंट को कर दीजिए कि किसान से जमीन जब ली जाती है; जब उस पर कब्जा किया जाता है, तो तब के बाजार भाव का मुआवजा उसको मिलना चाहिए। उस वक्त मैंने कहा था।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : दिगम्बर जी, आपने कहा था कि मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी इस्तीफा दें।

श्री दिगम्बर सिंह : हां, यह मैंने इसलिए कहा था कि अध्यक्ष महोदय ने एक कृषक समाज की कांफ्रेंस की थी। उसमें प्रस्ताव किया था कि जब जमीन ली जाती है, उस वक्त के बाजार भाव देने चाहिए। उसकी असफलता में मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी इस्तीफा दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

सभापति जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कुछ हो या न हो, लेकिन सन् 1952 से यह पहला मौका है कि जब विरोधी पार्टी के एक आदमी ने कोई बात हाउस के सामने रखी हो और वह बिल के रूप में सदन में पारित होने के लिए आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या-क्या किया है। 15 जुलाई, 1980 को सबसे पहले मैंने ही इस मामले को सदन में उठाया था कि इसमें संशोधन होना चाहिए। समय कम होने की वजह से मैं उस भाषण को नहीं पढ़ूंगा। इसका जवाब राव वीरेन्द्र सिंह जी ने दिया था हम इस काम को करा रहे हैं। लेकिन सभापति जी मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यहां किसानों की रैली होने वाली थी और उस रैली में काफी आदमी इकट्ठे हुए। मेरा प्रधान मंत्री जी से सन् 1952 से मिलना-जुलना रहा है। मैंने उनको एक पत्र लिखा और निवेदन किया कि यदि आप मेरी इन तीन बातों को अपने भाषण में शामिल कर लें तो बड़ी कृपा होगी। एक—किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य मिलें, इसमें कोई विरोध नहीं है, दो—किसानों को जमीन का मुआवजा उचित मिले, इसमें भी किसी को विरोध नहीं है और तीन—दिल्ली में आप किसान निवास बना दें, ताकि किसान आकर ठहर सकें। मैंने भी एक किसान निवास बनाया है, जहां किसान आकर ठहरते हैं। हमारी प्रधान मंत्री जी ने 16 फरवरी, 1981 रैली में स्टेटमेंट दिया, जिसको मैं एकदफा पढ़ चुका हूं, फिर भी मैं एक लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने कहा—मुआवजे के भुगतान के दिन जमीन का मूल्य होगा और वही स्पीकर साहब ने कहा था। मेरे पास सारी अखबारों की कटिंग हैं। समय कम होने की वजह से मैं उनको सही पढ़ रहा हूं। सबसे पहले

मैंने ही प्राइवेट मैम्बर बिल के रूप में एक बिल 1981 में इसमें संशोधन के लिये पेश किया था, इस प्रयत्न में चार बरस और चालीस दिन हो गये हैं, आज चालीसवां दिन है। रूरल डवेलपमेंट व एग्रीकल्चर की कोई कन्सलटेटिव कमेटी नहीं हुई, जिसमें मैंने यह सुझाव न रखा हो। उसमें एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं था, जिसने मेरा समर्थन न किया हो। उस समय कांग्रेस सदस्यों ने भी कहा था कि तुम ठीक कह रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं—सब संसद सदस्यों को तीन पत्र मैंने ही भेजे, जिनमें यह कहा कि आप कृपा कर किसानों के हित के लिये यह कीजिये। इतना ही नहीं चौधरी चरण सिंह जी ने भी जो पत्र श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लिखा था, आमतौर पर वह किसी को नहीं लिखते हैं, लेकिन किसानों के हित के लिये उन्होंने लिखा, उसकी कापी भी मैंने सब संसद सदस्यों को भेजीं। इसके बाद ससद सदस्यों के हस्ताक्षर करा कर, जिनमें कांग्रेसी ससद सदस्य भी थे, वे मांगें प्रधान मत्री जी को दीं। उनमें भी यही बात थी कि किसानों को भूमि का मुआवजा उस पर दिया जाना चाहिये जिस समय उस जमीन पर कब्जा किया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के पत्र में भी यही बात थी।

सभापति जी, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी और लोकदल की जो एन. डी. ए. की मीटिंग हुई थी, उसने भी एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने एक मैमोरेण्डम तैयार किया था उसमें भी इन्हीं बातों की मांग थी। इस विषय पर मैं तीन बार लोक सभा में बोला हूं। जो विषय मैंने नियम 377 के तेहत उठाये उनमें भी ज्यादातर इसी प्रश्न को उठाया है और यही माँग की है।

सभापति जी, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं—जब हमारी प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य हो गया तो मैंने उसकी कटिंग लेकर उनको एक चिट्ठी लिखी कि आपके वक्तव्य के बाद जब किसान यहां से गये तो बड़ी खुशी मनाते हुए गये कि अब उनके साथ भूमि अर्जन में लूट नहीं होगी क्योंकि अब प्रधान मत्री जी ने घोषणा कर दी है। इसलिये अब इस बारे में शीघ्र से शीघ्र बिल आना चाहिये। प्रधान मंत्री ने राव साहब से कहा। राव साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि दिगम्बर सिंह, तुम्हारे क्या सुझाव हैं, तुम इसके बारे में अधिकारियों से बात कर लो। मैंने कहा—राव साहब, जो प्लाट खरीदने वाले हैं, उनसे मेरी कैसे पटेगी? उसके बाद फिर राव साहब ने मुझे बुलाकर बात की और उसके बाद 1982 में एक बिल आया। लेकिन अफसोस यह था कि उस बिल में भी वह बात नहीं थी कि कंपेन्सेशन भूमि के कब्जा के समय का मिलना चाहिये। मैंने फिर राव साहब से कहा। उन्होंने कहा—मैं क्या करूं? मैंने फिर प्रधान मंत्री जी को लिखा कि इस बिल में वह बात नहीं है जिसके लिये हमने उनसे कहा था। उन्होंने फिर राव साहब से कहा···

प्रो. मधु दंडवते : राव साहब से आपका मतलब हमारे मिनिस्टर साहब से है?

श्री दिगम्बर सिंह : हां, राव बीरेन्द्र सिंह उस वक्त इस डिपार्टमेंट के भी इन्चार्ज थे। उसके बाद यह मामला चलता रहा। 1982 के शरतकालीन अधिवेशन में उस बिल को पास करने के लिये दिन तय हो गया। मैंने फिर राव साहब से कहा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। उसके बाद मैं स्पीकर साहब से मिला और उनसे कहा—यदि आप इसको बिजनेस में

से निकाल दें तो मैं फिर प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, मुझे विश्वास है कि वह मेरी बात मान जायेंगी और यही हुआ। उन्होंने बिजनेस से उस विषय को निकाल दिया। उसके बाद मैंने फिर प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना की और उन्होंने राव साहब से कहकर उस बिल को वापस कराया। लेकिन किसानों का यह दुर्भाग्य था कि उस विभाग में एक ऐसे मंत्री आये जिनका नाम था—श्री हरिनाथ मिश्र। वह सिर्फ एक ही बात जानते थे कि जो उनके सैक्रेटरी और अधिकारी लिखकर देते थे, वे उनकी हां में हां मिला देते थे। उसी आधार पर फिर बिल तैयार हुआ। मेरा दुर्भाग्य था– उस वक्त यदि हमारी किदवई जी आ गई होतीं तो शायद हम उनको राजी कर लेते, लेकिन अब इलैवन्थ-आवर पर क्या करें।

एक माननीय सदस्य : अब भी करा लो।

श्री दिगम्बर सिंह : अगर आप भी हिम्मत करें तो हो सकता है।

सभापति महोदय : ये राजी हो जाएं तो अभी भी हो सकता है।

श्री दिगम्बर सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो बिल है इसमें वही कमी रह गई है जो उसमें पहले थी। यह ठीक है कि कुछ बातों को इसमें जरूर किया गया है, जिनके बारे में मंत्री महोदया ने बतलाया है। मत्री महोदया ने पढ़कर सुनाया है, लेकिन मैं उन संदको जुबानी बतला सकता हूं। अगर संसद सदस्य मुझे क्षमा कर दें, तो मैं यह कहूंगा कि एक भी संसद सदस्य ऐसा नहीं है जिसने इसका उतना अध्ययन किया होगा, जितना मैंने किया है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आपकी उम्र हमारी कैसे हो सकती है ?

श्री दिगम्बर सिंह : यह तो आपकी कृपा है—आपकी उम्र मेरी जितनी नहीं है, लेकिन मेरी उम्र कभी आपको जरूर मिलेगी।

प्रधान मंत्री को मैंने पत्र लिखा कि इस बिल में वह बात नहीं है। फिर यह हुआ कि स्पीकर साहब से बात हुई। स्पीकर साहब ने प्रधान मत्री से बात करने के उपरान्त, मेरे भावुकता के भाषण के उपरान्त, एक मीटिंग बुलाई और उसमें ला मिनिस्टर थे, माननीय मत्री जी थीं और मैं भी था। चारों के सामने तय हुआ, अगर मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर लें, तो दो बातें हमें स्वीकार हैं। एक बात तो यह थी कि 10 प्रतिशत का जो ब्याज है, वह देंगे लेकिन ब्याज को चौपट यह कहकर कर दिया कि यदि कोई कैस स्टे का होगा, तो उस टाइम को नहीं लेंगे। अब आप देखिये कि कोर्ट में सब जाते हैं। प्रतिबन्ध हटा देंगे इन्होंने इस बात को मान लिया और ला मिनिस्टिर ने कहा कि प्रधान मत्री जी से पूछेंगे वैसे हमें यह स्वीकार है और हम इसको मान लेंगे और दूसरा यह कर दिया कि जो नोटीफिकेशन सेक्शन 4 का होता है, उसकी जगह सेक्शन 6 के समय का बाजार भाव मान लेंगे। तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात आपने स्वीकार नहीं की थी, अध्यक्ष महोदय के सामने और क्या इस बिल में वे कोई ऐसा ऐमेंडमेंट ला रही हैं। मुझे पता है कि वह नहीं आ रहा है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कोई वकील नहीं हूं, लाइयर नहीं हूं लेकिन मेरे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों के ये सजेस्चन्स आए हैं और उन्होंने लिखा है कि दिगम्बर सिंह जी हमें पता है कि आप इसमें कुछ कर रहे हो और हमारे जो सजेश्चन्स हैं, वे आप इसमें रखिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस बिल में जो पहले का बिल था, उससे भी ज्यादा कुछ खराब बातें है, उससे भी ज्यादा इसको खराब कर दिया है। क्या कर दिया है आपने इसमें ? आपने यह किया है कि जो केस कोर्ट में चल रहे हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सम्बन्ध में एक एमेंडमेंट रखा है, उनमें यह कर दिया है कि सेक्शन 11 का जो एवार्ड तय होगा; उस एवार्ड में केवल दो वर्ष लगेंगे लेकिन पुराने जो केसेज हैं; उनमें आज से आगे दो वर्ष लगेंगे और उसमें पुराना समय शामिल नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के वकील यह बता रहे हैं कि यह इसलिए किया है कि पेंडिंग में जो बहुत से केसेज पड़े हुए हैं, ऐसा कानून अगर पास करते, तो वे सब खारिज हो जाएगे और उन्हें बचाने के लिए यह एमेंडमेंट लाया गया है जो कि पहले राव साहब वाले बिल में नहीं था और यह जो बिल है, इसमें है। मैं आपसे कहता हूं कि आप सुधार की बात कहते हैं लेकिन यह सुधार की बात कहां हुई, यह तो बिगाड की बात है।

यही नहीं कि मैंने इस बारे में पत्र लिखे हैं। मेरे पास इतने ज्यादा पत्र आए है कि अगर मैं उन को सिर पर उठा कर लाना चाहता, तो ला नहीं पाता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे पत्रों के उत्तर में 10 पत्र प्रधान मंत्री जी ने लिखे हैं और 41 पत्र मंत्रियों ने लिखे हैं, जो कि कैबीनट में बैठते हैं। तब भी मैं समझता हूँ कि समस्या हल नहीं हुई है। मैं आप को बताना चाहता हूँ कि ला मिनिस्टर साहब ने एक बात कही थी कि दिगम्बर सिंह जी, अब हम नोटीफिकेशन से 10 वर्ष का इन्ट्रेस्ट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ने यह कर दिया है कि मान लो, 10 वर्ष पहले का नोटिफिकेशन है, तो 10 वर्ष का ब्याज देंगे। में यह कहना चाहता हूं कि पहले तो कोर्ट जाने की वजह से ब्याज मिलेगा ही नहीं और अगर मान भी लिया जाय कि ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपये के 200 रुपया 10 वर्ष में मिल जाएगें क्योंकि 10 प्रतिशत ब्याज से इतना ही रुपया बैठता है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे यहां सरकार एक काम करती है कि हर जमीन की मार्केट वेल्यू तय कर देती है ताकि सेल डीड करने में स्टैम्प ड्यूटी कम न लग। पता नहीं, मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूं या नहीं, मै यह बताना चाहता हूं कि कोई भी जमीन ऐसी नहीं है, जिस की मार्केट वेल्यू सरकार ने तय न की हो। मार्केट वेल्यू की मेरे पास नकलें मौजूद हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस जमीन का 40 रुपये का भाव 1977 में था, 22-1 77 को जिस जमीन का भाव 40 रुपये था, सरकार कहती है कि 19 3 में वह जमीन 400 रुपये की है यानी 10 गुना उस का भाव बढ़ गया है। इसके हिसाब से तो 1977 से 1983 तक ही प्राइसिज दस गुनी हो गई हैं लेकिन जब आप दस परसेंट के हिसाब से लगाते हैं तो प्राइसिज सौ वर्ष में दस गुनी होती हैं। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अंधेर कर रखा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आवास, विकास परिषद् अधिनियम बना रखा है। इस एक

की जो सेक्शन 4 और 6 है उसमें तो तीन वर्ष का अन्तर है। लेकिन वहां इसको भी नहीं माना जा रहा है। वहां लोगों के खिलाफ कार्यवाहियाँ रही हैं। मैंने इसके सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश सरकार को बहुत से पत्र लिखे परन्तु उनका कोई जवाब नहीं मिला। मैंने यहां पर सदन में भी मामला उठाया और कहा कि यह कांस्टीच्युशन के खिलाफ काम हो रहा है। आपके यहां की जो सेक्शन 4 और 6 हैं, वे उत्तरप्रदेश अधिनियम की सेक्शन 22 और 2 के बराबर हैं। इस सम्बन्ध में कोर्ट में केस चल रहे हैं। मैंने वहां की सरकार को बहुत लिखा और प्रधान मंत्री से भी मिला। प्रधान मंत्री जी के पास में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और मंत्रियों के पत्रों की 17 फोटोस्टेट कापियां ले गया जिनमें यह लिखा हुआ था कि आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन क्या आवश्यक कार्यवाही कर रहें यह कोई नहीं बताता था। क्या आवश्यक कार्यवाही की गई इसका कोई जवाब नहीं देता था। जब मैं प्रधान मंत्री जी ने मिला तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। मैंने उनसे यह कहा कि क्या आश्वयक कार्यवाही की गई है, वह मुझे बताया जाए। फिर प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि क्या कार्यवाही की गई है यह दिगम्बर सिंह को सूचना दी जाए। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने जवाब के साथ अपने सेक्रेटरी का वह जवाब नत्थी कर दिया जो कि मेरे पास पहले आ चुका था। उसमें लिखा था कि कार्यवाही हो रही है, अपको यहां आने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे पास पचासों पत्र हैं।

आप कहते हैं कि क्या चिंता है, लेकिन में माननीय मंत्री महोदयो से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सेक्शन 4 6 और के नोटिफिकेशन के बीच एक वर्ष का अन्तर कर दिया है और उसके बाद दो वर्ष का आवार्ड कर दिया है। अगर आप तीन वर्ष से बढ़ाते हैं तो उस पर ब्याज देंगे। मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन दिया है। किसके अनुसार मैं चाहता हूं कि या तो आप नोटिफिकेशन के टाइम का हमें कम्पेनसेशन दे दो, इस पर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन के टाइम और आवर्ड देने के टाइम में तीन वर्ष से अधिक का अन्तर हो तो 3 वर्ष का जब आपने जमीन का पोजेशन लिया है वह टाइम एक वर्ष से अधिक का है तो आप हमें एक वर्ष पहले का दे दो। मेरे संशोधन का यही आशय है कि जब भी कलेक्टर पोजेशन लेगा उस समय के भाव का कम्पेनसेशन तय होगा। प्रधान मंत्री जी ने जो ऐलान किया था मेरा संशोधन उसके अनुरूप है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप इसे मान लें। जब भूमि ली जाएगी तभी का कम्पेनसेशन तय होना चाहिए। हमें ब्याज जो दस डरसेंट आपने रखा है, उसकी जरूरत नहीं है। जब आप हमारी जमीन का कब्जा लेते हो हमें उस वक्त का मुआबजा दे दो।

आप हमारी जमीन पर जब कब्जा करते हो तो हमसे 2 रुपये 50 पैसे वर्ग गज के हिसाब से लेते हो। जमीन पर से किसानों को बाहर कर दिया जाता है, उनकी झोंपड़ियों से बाहर कर दिया जाता है, उनकी भैंस और मवेशी बाहर कर दिये जाते हैं। आप उसी जमीन को पूंजीपतियों को 17,334 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से देते हो। माननीय सदस्यों में से क्या कोई ऐसा है जो इस भाव में जमीन खरीद सके। ये तो बड़े पूंजीपति ही खरीद सकते हैं और आप उनको ही जमीन देते हैं। किसान से जमीन ली गई ढाई रुपये गज और उस एकड़ पर मुनाफा कमाया 8 करोड़ 24 लाख ....।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का मत यह है कि प्रजेशन के समय मिलना चाहिए ठीक है, लेकिन उसमें 18 परसेंट से कम सूद नहीं होना चाहिये।

श्री दिगम्बर सिंह : मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जब टी वी पर प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना और किसानों के हित की बात आई किन्तु होता कुछ नहीं तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उसी वक्त पत्र लिखा। मेरे पास वह पत्र हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि आप किसानों के हित की बात करती हैं। किसानों के हित का फैसला होने वाला है। मैंने तय कर लिया है कि या तो मैं इसको करवाऊंगा नहीं तो बिना प्रचार किये मैं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। किसानो से चुन कर आने वाला व्यक्ति यदि किसानों की भलाई नहीं कर सकता तो उसे यही करना चाहिये। मैंने यह भी सोचा कि आमरण अनशन कर दूं। स्पीकर साहब ने कहा कि ऐसा मत करिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब भी आंसू आ रहे हैं। इसलिए मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि जिन प्रधान मन्त्री जी ने कांग्रेस के ससद सदस्यों से कहा था रैली में, जब चुनाव में आप जाएंगे और वोट मांगेंगे तो वे पूछेंगे कि प्रधान मन्त्री ने कहा था, वह बिल पास करा लिया कि नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस पर वोटिंग कराऊंगा और एक लिस्ट बनाऊंगा। अखबार वाले तो नहीं निकालेंगे लेकिन मैं विज्ञापन के रूप में पैसा देकर इसको निकलवाऊंगा कि इन माननीय सदस्यों ने इस अमेंडमेंट के पक्ष में वोट नही दिये। इसलिये मैं यही कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने जो कहा था कि मुआवजा उस वक्त का मिले जब भुगतान हो। इसका ही मैं समर्थन करता हूं। इसके पक्ष में बोल रहा हूँ और यह अमेंडमेंट रखा है। इसके अलावा अध्यक्ष जी ने जो बात कही थी, उस पर भी सरकार का कोई अमेंडमेंट नहीं आया। यह भी पता नहीं है कि 12 परसेंट का ब्याज के अमेंडमेंट का क्या हुआ। यह भी पता नहीं है कि उस प्रावीजो का क्या हुआ। इस बारे में अभी इसमें कन्फ्यूजन है। जब तक ये स्पष्ट न हो जाएं तब तक इस बारे में बात नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब यह बात स्पष्ट हो जाए तब मुझे फिर से थोडा सा बोलने का मौका दिया जाए। तभी किसानों के साथ न्याय हो सकेगा।

सभापति महोदय, मैं बड़े दुख भरे दिल से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इस संशोधन के पक्ष में वोट दे दें। अगर इस पर प्रधान मन्त्री जी नाराज होंगी या किसी को पार्टी से निकालेंगी तो मैं उनके दरवाजे पर भूख हड़ताल कर दूंगा। मैं किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने दूंगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ।

श्री राम प्यारे पनिका : सभापति महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं। किसान रैली में मैं भी था। प्रधान मन्त्री ने सिर्फ यही कहा था कि जिस समय जमीन ली जाएगी, उस समय का मार्केट वैल्यू किसानों को दिया जाना चाहिए। ये जो धमकी दे रहे हैं यह गलत है। अगर पजेशन के समय पर मुआवजा देने की बात की बात मान ली जाएगी तो हिन्दुस्तान में कोई फैक्ट्री नहीं बन सकेगी।

सभापति महोदय : दिस इज नाट प्रापर।

श्री दिगंबर सिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी ने नहीं कहा था। मेरे पास कटिंग है, आज इजाजत दे तो मैं पढ़कर सुना दूं।

सभापति महोदय : अभी जरूरत नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : सुना दीजिए। सदन को गुमराह करना ठीक नहीं है। 17 फरवरी 1981 के अमर उजाला में जो श्रीमती गांधी के भाषण का अंश छपा है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

> "श्रीमती गांधी ने घोषणा की कि जो जमीन सरकार लेगी, उसका तुरन्त मुआवजा दिया जायेगा। इस बारे में नीति में परिवर्तन किया जायेगा। अब किसानों को पूर्ण कीमतों से मुआवजा दिया जायेगा। उनकी जमीन का अनुपात मुआवजा दिया जायेगा। इस अनुपात में मुआवजे के भुगतान के दिन जमीन का मूल्य होगा। कोई भी संस्था किसानों की जमीन सस्ती कीमत पर खरीद का लाभ न उठा सकेगी।"

(व्यवधान)

मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे जो दो संशोधन हैं, उनको मंजूर कर लीजिए। जब भूमि ली जाए तो उस समय का बाजार भाव दिया जाए। अगर इसको नहीं माना जा सकता तो नोटिफिकेशन के समय का या जब अवार्ड तय हो तो उससे तीन वर्ष पहले का, होना चाहिए। जो भी कम हो वह मान लिया जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, लैण्ड एक्वीजिशन अमेंडमेंट बिल, 1984 जो सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट 1984 में बना था। उसके बाद 1921, 1933, 1933, 1962 और 1967 में अमेंडमेंट हुए। अभी तक जो अमेंडमेंट्स प्रस्तुत हुए हैं, उन सबसे यह प्रगतिशील विधेयक है। अपोजीशन की ओर से जो बोले हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि लैण्ड एक्वीजिशन के बारे में जो पहले कदम उठाये गये थे और जो संशोधन रखे गए थे, उन सबसे प्रगतिशील संशोधन पेश हुआ है।

मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया, उसमें दो बातों पर विशेष तौर से प्रकाश डाला गया। उसमें मेरी राय भिन्न है। एक तो प्रश्न यह है कि रोजगार देने के लिये इस सम्बन्ध में कुछ डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स को दिये जायेंगे, यह इसमें रखा गया है। प्रश्न यह पैदा होता है कि जिनकी जमीन ली जाती है, उनके एम्पलायमेंट के लिए प्रोविजन नहीं किया जाता और न ही क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। मैंने यह भी गहराई से सोचा कि इस संबंध में कानून बनना चाहिए। लेकिन, कानून बनाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कानून बनने पर उनको एम्पलायमेंट देना कम्पलसरी होगा। इसलिए, यह एक चिन्तन का विषय है। इस सम्बन्ध में जिस तरह की डायरेक्शन्स स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए, वे ऐसी होनी चाहिए जिनका पालन किया जा सके। वे ओब्लीगेटरी हों। हमें यह भी विचार करना चाहिए, चिन्तन करना चाहिए कि किस तरह से हम उनको कानूनी शक्ल दे सकते हैं और किस तरह से ओब्लीगेटरी

बना सकते है। ताकि जितने लोग उस स्थान से उखाड़े जाएं, उनके लिये रोजगार की व्यवस्था हो सके, उनको बसाने का कार्य किया जा सके।

अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे यहां जितने बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हुये हैं, वहां से पहले गरीब लोगों को हटाया जाता है और तब उनकी स्थापना की जाती है। लेकिन उन विस्थापितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता। फिर उनको किसी उचित स्थान पर बसाने के कार्य, या उनको एम्पलायमेंट उपलब्ध कराने के कार्य की ओर सरकार ध्यान नहीं देती। मैं राजस्थान के बारे में जानता हूं। वहां जितने भी स्टेट एन्टरप्राइसेज या बड़े उद्योग लगे हैं, वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हम जैसलमेर या बाड़मेर के किसी स्थान पर आर्मी के लिये कैन्टोनमेंट की स्थापना के लिये कैम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखते हैं, उसी तरह अन्य स्थानों पर भी होना चाहिए और उनको उन स्थानों से उखाड़ने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था उनके बसाव और रोजगार की होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि उनको राजस्थान में कैनाल में बसाने में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। इसी तरह से दूसरे प्रान्तों में ऐसे स्थानों का चयन हो, जहां कैनाल भूमि उपलब्ध हो, वहां विस्थापितों को बसाने में प्राथमिकता मिले। जब उनको कंपैन्सेशन मिल जाता है तो उसके बाद हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उनको कैनाल एरियाज में बसाया जाए और उसके लिए कोई चार्जेज न मिल जाएं। जमीन की सीमा निर्धारित की जा सकती है कि एक व्यक्ति को अधिक से अधिक ऐसे क्षेत्र में कितनी भूमि दी जाए, वह 20 बीघा भी हो सकती है, 25 बीघा भी हो सकती है। इससे उन लोगों में संतोष की भावना होगी कि चलो हमें राजस्थान कैनाल में जमीन मिल जाएगी या दूसरे प्रान्तों में हमें ऐसी जगहों पर जमीन मिल जाएगी जहां सिंचाई आदि की सुविधा उपलब्ध हो। वे लोग समझेंगे कि अब हम एक नया जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस आदमी की जमीन ले ली जाती है, उनका मुआवजा ठीक तरह से आंकलित नहीं किया जाता, किसी एग्रीकल्चरिस्ट की जमीन का आंकलन तो ठीक से हो जाता है, परन्तु किसी बिल्डिंग वगैरह का ठीक से आंकलन नहीं होता और इसलिये उनको उचित कंपैन्सेशन नहीं मिल पाता।

कंपैसेशन के बारे में अभी हमारे एक मित्र अपने विचार प्रकट कर रहे थे कि हमें मार्केट रेटस के मुताबिक कम्पैन्सेशन देना चाहिये। लेकिन कौन-सा मार्केट रेट हमें ध्यान में रखना चाहिए, वह किस तारीख का मार्केट रेट हो, यह प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन है। यह भी प्रश्न विचार करने का है कि एमर्जेन्ट केसेज में हमारे यहां सैक्शन 6(1) के अन्तर्गत वर्तमान मार्केट रेट का 80 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन वह किन्हीं खास परिस्थितियों में एप्लीकेबल होता है। यदि किसी जमीन का कम्पैन्सेशन हम उसी समय के मार्केट रेटस के आधार पर 80 प्रतिशत के हिसाब दे देते हैं तो मैं समझता हूं किसी को इससे एतराज नहीं हो सकता। लेकिन जहां एवार्ड विलम्ब से दिया जाता है, वहां हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जमीन लेने के प्रोक्लेमेशन नोटिफिकेशन जारी होने और एवार्ड दिए जाने के बीच के समय का किसान को कैसे लाभ दिया जाये। जिस व्यक्ति की जमीन ली जाए, एवार्ड मिलने तक के बीच के समय में उसे क्या लाभ मिले, यह प्रश्न सोचने का है। गवर्नमेंट का व्यू यह है कि डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन को ही आधार मान कर कम्पैन्सेशन का निर्धारण किया जाना चाहिये

और उस बीच की अवधि का उसे इन्टरेस्ट दिया जाए । यहां मेरा एक निवेदन यह है कि वह रेट आफ इन्टरेस्ट कम से कम उतना तो हो जो रेट आफ इन्टरेस्ट हमारे बैंक्स इस समय देते हैं।

3.00 म.प.

अभी बैंक रेट 10 परसैंट बताये गये हैं, वह आज के वक्त में नाकाफी हैं । ये रेट्स बराबर बढ़ते जा रहे हैं, 10, 12, 15, 18 परसैंट और आज अगर 20 परसैंट हो जाये तो उसी प्रकार के इन्टरेस्ट आपको देने चाहिये । यह दृष्टिकोण आपको अपनाना चाहिये ।

जो य आपने रखा है कि पोजेशन जब दिया जाये, उसमें 2, 3, 4 साल भी लग सकते हैं और फिर उसका मार्किट रेट निर्धारित किया जाये, यह प्रिंसिपल कोई भी समझदार आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : 3 साल की लिमिट है उसमें एवार्ड नहीं दिया तो लैप्स हो जायेगा।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अगर 3 साल में नहीं दिया तो लैप्स हो जायेगा । उसके बाद फिर आप नये सिरे से चालू करेंगे । जिसकी जमीन होगी उसको वापसी की प्रोसीडिर फाइट करनी पड़ेगी और उसको फिर खर्चा करना पड़ेगा । तो लैप्स वाली प्रोसीडिंग्ज के बारे में भी सोचने की बात है । इससे हल नहीं होगा । जिसकी जमीन ली जायेगी, उसको तो नुकसान होगा, उसे कोई लाभ नहीं होगा । यह पनिशमैंट भी किसान को मिलेगा ।

कहने का अर्थ यह है कि लैप्स का प्रावीजन एग्रीकल्चरिस्ट्स के इन्टरेस्ट में नहीं है, न न्यायप्रद है, इसको हटा देना चाहिये, इसको रखने से कोई लाभ नहीं है । न इन्डस्ट्रीज के लिये इससे लाभ रहेगा ।

सबसे बढ़िया चीज इसमें की गई है जो डैफिनिशन दी गई है पब्लिक परपज । उसमें जो आइटम इन्कलूड किये गये हैं वह सब पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, वे लाजमी और आवश्यक हैं। उसमें यह भी लिख दिया गया है—लेकिन इसमें कम्पनी के लिये भूमि का अर्जन शामिल नहीं है ।

यह प्रावीजन एग्रीकल्चरिस्ट्स के हित में है । नहीं तो कम्पनी को भी वही लाभ मिलता है जो गवर्नमेंट को मिलता है । इससे हमारे यहाँ भी यह स्थिति होगी (2) अब इसके पश्चात से, अधिनियम के अन्तर्गत गैर-सरकारी कम्पनियों के लिये भूमि का अर्जन, सभी मामलों में, विधेयक के भाग 7 के अनुसार किया जायेगा ।"

अभी एक बड़ा भारी कारखाना एक सेठ द्वारा सिरोही जिले में स्थापित किया जा रहा है। वह बहुत ही उपजाऊ जमीन लेना चाहते हैं । उससे किसनों को बड़ा भारी नुकसान होता है । परन्तु लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट ऐसा बना हुआ है कि उनको बहुत सुविधा मिलती है । इसमें जो प्रावीजन किया गया है उससे वह गवर्नमेंट की फुटिंग पर नहीं आयेंगे, वह उसका लाभ नहीं

उठा सकते हैं। इसलिये यह प्रावीजन किसानों के हित में किया गया है। अगर प्राइवेट कम्पनी कोई उद्योग स्थापित करने जा रही है तो उनको चैप्टर सैवंथ आफ दी एक्ट के मुताबिक कार्यवाही करनी पड़ेगी।

पार्ट 7 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से उपजाऊ जमीन नहीं ली जा सकती। यह प्रयास करना चाहिये कि किसान की उपजाऊ जमीन न ली जाये, जिसमें दो तीन फसलें होती हैं।

अगर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की जमीन ले ली जाती है, तो उनके पास जीविका का और कोई जरिया नहीं रहता है। इसलिये उनकी जमीन लेते हुये उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिये, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आज किसानों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की जमीन लेने से उन्हें नुकसान होता है। गवर्नमेंट को यह प्रयास करना चाहिये कि उन्हें मार्केट रेट के आधार पर मुआवजा देने के अलावा हर प्रकार की सुविधायें, कनसेशन्ज और सबसिडीज आदि दी जाए, ताकि वे यह महसूस करें कि अगर उद्योग के स्थापित होने से हम उजड़ गये हैं, हम बेघरबार हो गये हैं, हमें दूसरे स्थान पर जाना पड़ा है, तो इसके साथ ही हमारे सैक्रीफाइस के बदले में हमें एक ऐसा जीवन मिला है, जिसमें हमारी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो गई है।

3.07 म.प.

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

प्रजातंत्र के युग में हमें किसानों, गरीबों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से ही शक्ति मिलती है। वे ही प्रजातंत्र को मजबूत किए हुये हैं। इसकी तुलना में लैंड-लार्ड्ज और राजा-महाराजाओं ने अपने वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स को नहीं छोड़ा है। सीलिंग एक्ट पास होने के बावजूद उन्होंने अपनी जमीनें नहीं छोड़ी हैं और उन्होंने प्रगतिशील कानूनों को सपोर्ट नहीं किया है। हम अभी तक शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को जमीन वहीं दे पाये हैं। जब हम उद्योग स्थापित करने के लिये, या एजूकेशनल परपज के लिये कोई जमीन लें, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोग, जिनसे जमीन ली गई है, प्रसन्न और सैटिसफाइड हों कि उनके हित की रक्षा की गई है और उनको कोई कष्ट न हो। इसी दृष्टि से हमें अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये और कानून बनाना चाहिए।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : सभापति महोदय, यह कितने आश्चर्य की बात है कि गुलामी का शासन खत्म होने के बाद स्वतंत्र भारत में इतनी देर से यह कानून लाया गया है। इस बिल को बहुत सोच-समझ कर लाना चाहिए था। जिस तरह श्री दिगम्बर सिंह ने बात की है, उससे ऐसा लगता है कि यह बिल प्राइम मिनिस्टर और अध्यक्ष महोदय की राय से लाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की कनपल्टेटिव कमेठी का मैं भी सदस्य हूं। उसमें यह राय बनी थी कि इस बारे में परामर्श होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। में

समझता हूं कि यह कनसल्टेटिव कमेटी सब धोका है। नौकरशाही द्वारा जो बिल तैयार किए जाते हैं, उनको यहां पेश कर दिया जाता है।

1982 के बिल को वापस ले लिया गया है, लेकिन इस बिल को व्यापक रूप नहीं दिया गया है। इस बिल का बिरोध ट्रेजरी बैंचों और विरोधी पक्षे दोनों की तरफ से किया जा रहा है। अगर इस में उचित संशोधन नहीं किए जा सकते, तो इस बिल को वापस ले लेना चाहिए और 27 तरीख को एक अधिक अच्छे और व्यापक बिल को लाना चाहिए।

सवाल यह है कि अगर क्लेक्टर ने 1984 से पूर्व अधिसूचना जारी कर दी, तो उस जमीन का मुआवजा किस समय के हिसाब से दिया जाएगा। अगर 1959 में अधिसूचना जारी करके जमीन ले ली गई, तो उसका मुआवजा किस समय के हिसाब से दिया जाएगा ? बीस पच्चीस साल के बाद जमीन का मूल्य कई गुना बढ़ गया है, लेकिन किसानों को बहुत कम मुआवजा मिलेगा। जो हमारी सम्पत्ति का मौलिक अधिकार है उसका भी बटवारा कर दिया। किसान के अधिकारों पर तुलडीजर चलाया जा रहा है, उसके अधिकारों की आपने कोई रक्षा नहीं की।

आपने कहा कि औद्योगिक संस्कृति पनप रही है, सड़कें और रेल बनेंगी। ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप यह तो देखें कि उसको अपनी जमीन की क्या कीमत दी जाती है आज दिल्ली में कोई सेठ किसान की जमीन 10,000 रु. बीघा में लेता है उसको बाद में कितने में बेचता है। और आप उसको बाद में रेगुलराइज भी कर देते हो। मौलिक अधिकरों की संरक्षण देना हमाना परम कर्तव्य है। अगर हम किसान के इस अधिकार को छीनते हैं तो यह कानून के खिलाफ है इसलिए आप आश्वासन दीजिए कि जिस किसान की सिंचित भूमि ली जाएगी उसको बदले में सिंचित जमीन ही दी जाएगी चाहे भले ही वह राजस्थान कैनाल एरिया में हो।

आज बिना पढ़ा लिखा आदमी ही खेती करता है क्योंकि वह प्रौफिटेबिल नहीं है। किसान के पास पहनने को कपड़ा तक नहीं होता। उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, न वह नौकरी कर सकता है और आप जैसे व्यक्तियों के यहां नौकरी करता है। आज उसके सामने सिवाय कुदकशी के और कोई चारा नहीं है। मेरी मांग है कि जिनकी जमीन ली जाय उनको नौकरी देने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल करना चाहिए। आपने कहा कि इस बारे में हमने ससी राज्यों को कह रखा है, लेकिन हम उनको वाध्य नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि राज्य सूची में यह अधिकार होना चाहिए कि अगर किसी का अधिकार छीनें तो उनको रोजगार दें।

किसान का पूरा परिवार खेती पर लगा रहता है और हम सारे के सारे नम्बर दो के आदमी हैं जो किसान के हित के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। यहां कहते हुए हैं। किसान के साथ हम कितना मजाक कर रहे हैं। आपको उदाहरण दूं कि हमारे राजस्थान में कोटा जगह है वहां महाराजा भीम सिंह जमीन को मिलिटरी ने सीलिंग की और जब उसका अवार्ड होने लगा

तो राजस्थान सरकार ने कहा कि यह जमीन सीलिंग में आ चुकी है इसलिए उसका मुआवजा सरकार को मिलना चाहिये। वह मुआवजा सरकार को आज तक नहीं मिला, और दूसरी तरफ महाराजा को 1 करोड़ रु. दे दिया। एक तरफ आप 10 बीघा वाले किसान को खुदकशी के लिए तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजा, महाराजाओं को संरक्षण दे कर आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए इस बिल को या तो आप वापस लें, नहीं तो जिस रोज किसान की जमीन का कब्जा लें चाहे डिक्लेरेशन एक्वायर करने का अभी भी हुआ हो, मुआवजा कब्जे की तारीख से ही दें गे। इस शर्त पर तो हम इस बिल का समर्थन करें गे, नहीं तो डट कर विरोध करे गे। और जो माननीय दिगम्बर सिंह जी ने कहा इस पर हम वोटिंग करायें गे और जो लोग इस बिल का समर्थन करेंगे उनके नामों को हम गावों के अन्दर ले जाएगें और बताएं गे कि यह किसान विरोधी व्यक्ति हैं। माननीय दिगम्बर सिंह ने प्रधानमंत्री का और सदन में हुई चर्चा का हवाला देते हुए सब बातें बतायी हैं, और मैं उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता हूँ। अन्त में मैं अनुरोध करता हूं कि जिनके अधिकारों को आप छीनते हैं उनके लिए आपको कुछ करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. एन. जी रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह विधेयक मेरे मित्र माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। यह संतोषप्रद विधेयक नहीं है। मैं इस विधेयक से संतुष्ट नहीं हूं। किन्तु साथ ही यह विधेयक वर्तमान कानून में सुधार करने वाला विधेयक है। इसलिए, इसका कुछ भी उपयोग हो, मैं इसका स्वागत करता हूं। किन्तु, इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा विधेयक शीघ्रातिशीघ्र पुरः स्थापित किया जाये। उसे कितनी जल्दी पुरः स्थापित किया जायेगा, हमें मालूम नहीं है? मेरे मनानीय मित्र श्री दिगम्बर सिंह ने 25 वर्षों से अधिक समय के दौरान की विधि के सम्बन्ध में जो कुछ भी हुई है अथवा नहीं हुई है उसका पूरा इतिहास बताया है।

इस मामले में कांग्रेस उस समय से किसानों के पक्ष में रही है जब मैं कांग्रेस पार्टी की भूमि संबंधी नीतियों के बारे संघर्ष कर रहा था। भूमि अर्जन के मामले में कांग्रेस किसानों के पक्ष में थी। सचिवालय अथवा मंत्रालय में कुछ होता तो है किन्तु जैसा कि श्री दिगम्बर सिंह ने स्वयं कहा है के बारे में और एक व्यापक विधेयक तैयार करने तथा उसे पारित कराने के बारे में कोई विशेष गम्भीर विचार नहीं किया जा रहा है अनेक बार अनेक प्रत्यन किये जाते रहे हैं। एक जांच समिति भी नियुक्त की गई थी, और मेरे विचार से उसके अध्यक्ष भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मुल्ला थे। मैं भी उस समिति का सदस्य था और हम लोगों ने देश भर का भ्रमण किया था, अनेक साक्ष्य एकत्र किये गये थे और हमने एक विधेयक का संशोधन विधेयक भी तैयार किया था। लेकिन उसे लाया नहीं गया अतः प्रशासन और मंत्रालयों द्वारा बरती जाने वाली इस प्रकार की उदासीनता को दूर करना होगा। दुर्भाग्य विरोधी दल के रूप में सभी दल किसानों के पक्ष में होते हैं, किन्तु सत्तारूढ़ होते ही उसका रुख बदल जाता है। यहां तक कृषि आयोग ने भी यह सुझाव दिया था कि इसमें तत्काल संशोधन किया जाना चाहिये। फिर भी जैसा भी यह विधेयक है ठीक ही है क्यों कि

हमें इससे अधिक नहीं मिल सकता है और हम लोग अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं और इन छोटी-छोटी अनुकम्पाओं के लिए हम लोगों को बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है।

महोदय हम लोग इस प्रकार का विधेयक क्यों नहीं चाहते हैं ? समाजवादी दृष्टिकोण से, इस पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है। उनमें से एक साम्यवादी दृष्टिकोण है। उनके विचार से किसी भी व्यक्ति के पास कोई भूमि नहीं होनी चाहिए। दूसरा समाजवादी दृष्टिकोण है विशेषकर मेरा जैसा गांधी वादी दृष्टिकोण' जिसमें भूमि केवल सम्पत्ति ही नहीं है अपितु जीवन-यापन और, आर्थिक स्वतन्त्रता का साधन, स्वयं रोजगार देने वाली और रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने वाली है।

दूसरे मैं राज्य स्तर पर तथा केन्द्रीय स्तर पर भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधी अधिनियमों के पारित किये जाने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति का यह कहते हुए आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं है कि ये राजा और महाराजा, बड़े-बड़े जमींदार जागीदार आदि इस स्थिति में भी जब सरकार अनिवार्य रूप से भूमि आदि अधिग्रहण करना चाहती है, इससे इतनी अधिक पूँजी अर्जित करना चाहते हैं, आदि जमींदारी प्रथा बिल्कुल ही समाप्त हो गई हैं। यदि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्य भूमि की अधिकतम सीमा को लागू करने में विचार से पिछड़े हुए हैं, तो उसका कारण यह है कि स्थानीय किसान संगठन, काग्रेस सगठन और अन्य समाज कल्याण संगठन तथा राजनैतिक दल इतने प्रभावहीन हैं कि यत्र-तत्र कुछ व्यक्ति जो बहुत अधिक नहीं हैं और ना ही हर जगह है किसी न किसी रूप में सैकड़ों एकड़ भूमि अपने नियन्त्रण में रखने में सफल हुए हैं। इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। आमतौर से सभी किसान छोटे लोग हैं। कुछ ही किसान अमीर हैं किन्तु वे जमींदार नही हैं दूसरे में वे लोग मध्य वर्गीय किसान हैं। उनमें से अधिकांश छोटे कृषक या सीमांत कृषक हैं। जहां तक काग्रेस सरकार की अद्यतन नीति का संबंध है, सभी राजनैतिक दलों की लगभग यही नीति रही है इस समय सीमांत किसनों की विशेष सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। उसकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है यही लोग हैं जिन्हें आमतौर पर इस प्रकार के अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और पर्याप्त मुआवजा दिये जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इन लोगों के साथ क्या घटना घटित होती हैं ? जब कोई फैक्टरी बन्द होती है तब और इस सभा में और इस सभा के बाहर साम्यवादी तथा सरकारी समाजवादी दल के मेरे मित्र वैकल्पिक रोजगार देने की मांग करते हैं और कहते हैं कि श्रमिकों को मुआवजा भी देना चाहिए जब किसी फैक्टरी में काम बन्द हो जाता है अथवा तालाबन्दी हो जाती है, तब श्रमिकों के लिए स्थायी छटनी के सम्बन्ध में भुगतान करने की मांग की जाती है। तदनुसार, मुझे अथवा इसी आधार पर मेरे लिए अथवा किसी भी व्यक्ति के लिए इस बात की मांग करने का अधिकार है कि किसानों अथवा बिटहरों की भी सुरक्षा की जानी चाहिये ? वे सब श्रमिक हैं। उनमें से अधिकांश वास्तव में ही श्रमिक हैं। वे ऐसे जमीदार तो नहीं है जो स्वयं खेती नहीं करते। उनमें से 1 या 2 प्रतिशत ही खेती न करने वाले ऐसे भू-स्वामी हैं। विभिन्न राज्यों में परिस्थिति के

अनुसार उनकी संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। कि ये अधिकांश व्यक्ति वास्तव में श्रमिक हैं अर्थात् नौकर हैं। इसके साथ ही स्वयं ही नियोक्ता हैं इस प्रकार यह एक प्रकार से अपना रोजगार है। व किसी भू-शोषण नहीं करते है और उनके पास इस प्रकार की सम्पदा है जिसके कारण पूरा समाज का अथवा किसी भी वर्ग के व्यक्ति का शोषण नहीं होता है जिनके प्रति आपको सहानुभूति पूर्वक और उचित रूप से व्यवहार करना होगा।

दुर्भाग्यवस आजादी से पहले की विभिन्न सरकारों तथा आजादी मिलने के बाद भी कांग्रेस तथा जनता सरकार का रवैया किसानों के प्रति इतना उदार नहीं रहा जितना होना चाहिए था। मैं बार-बार "फार्मर" शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है। वे लोग 'पीजेन्ट' है, 'पीजेन्ट ओनर' है और पीजेन्ट-कल्टीवेटर' है। वे लोग स्व-नियोक्ता हैं। वे लोग औद्योगिक श्रमिक के समान है अथवा उनसे बेहतर हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि साम्यवादी तथा समाजवादी उनके प्रति उसी प्रकार का विवेककील, सहानुभूति और समर्थन का रवैया अपनाये जैसा कि वे औद्योगिक श्रमिकों के प्रति सदैव ही विशेष ध्यान रखते हैं।

औद्योगिक श्रमिकों के प्रति जो उनको सहानुभूति है उसके लिये मुझे ईर्षा नहीं है किन्तु मैं उनसे यह आशा करता हूं कि कृषकों के प्रति भी वे लोग वैसी ही सहानुभूति दिखायें।

भूमि अनिवार्य रूप से अधिगृहीत की जा रही है। इसका प्रयोजन क्या है ? जनता के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेरे विचार से पहल बार स्वय नेहरू के समय में ऐसा किया गया था। पहले भूमि सामाजिक प्रयोजनों स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों, कृषि-प्रयोजनाओं आवास प्रयोजनों और प्राकृतिक आपदाओ आदि के समय में नष्ट हुई भूमि की पूर्ति करने के प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की जाती थी। तत्पश्चात् कांग्रेस शासन के चरण में भूमि का अर्धीगृहण औद्योगिक आवश्यकता के सम्बन्ध में इसे एक विशेष प्रयोजन के लिए किया गया था क्योंकि उस समय योजना आयोग का गठन किया गया था जिसने सारे देश में औद्योगिक विकास करने की एक व्यापक योजना तैयार की थी जो इस आधार पर तैयार की गई थी कि उद्योगों के विकास से देश में कृषि क्षेत्र के बेकार श्रमिकों के लिए एक विशेष मात्रा में रोजगार मिलेगा इन लोगों को कोई न कोई रोजगार दिया जाना है। स्पष्ट रूप से भूमि से सीमित लोगों को रोजगार मिल सकता है। अतः कुछ अन्य रोजगार अर्थात् उद्योगों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने थे। फैक्टरियों के बिना उद्योग कैसे हो सकता है ? इसलिए फैक्टरी मालिकों को अपनी फैक्टरियां निर्मित करने के लिए अमुक-अमुक क्षेत्रों के भूमि प्राप्त करने का दावा करने का प्राधिकार दिया गया था।

उस समय हम सभी ने इस बात की आलोचना कर रहे थे कि यह सरकार बम्बई के उद्योगपतियों का और कानपुर के उद्योगपतियों का पक्षपात कर रही है।

किन्तु फिर भी यह एक अच्छी बात थी। मैंने इस का समर्थन किया। उद्योग विकसित किये जाने चाहिये। रोजगार के लिए नगरों, कस्बों और बड़े-बड़े गांवों में जाने वाले कृषकों के लिए वैकल्पिक रोजगार का प्रबंध किया जाना चाहिए। हमें अधिक से अधिक उद्योग चाहिए।

इसलिए, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः इन सब सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, सिंचाई परियोजनाओं, बांधों, बांधों के निर्माण तथा अन्य अनेक कार्यों के लिये उनकी भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा। जब उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो विवाद का विषय यह है कि भूमि का अधिग्रहण कब किया जायेगा ? इसके लिए नियम है। भूमि अधिग्रहण करते समय क्या क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए ? बहुत समय से इसके बारे में बहुत विवाद रहा है कि बाजार भाव से दिया जाना चाहिए। बाजार भाव क्या है ? चूंकि राज्य सरकारों को अधिक से अधिक आय प्राप्त करने की चिंता थी इसलिए स्टाम्प शुल्क उत्तरोत्तर बढ़ता गया और तब बिक्रेता और क्रेता दोनों ने मिलकर एक दूसरे के बीच वास्तव में आदान-प्रदान किये गये मूल्य से कम मूल्य बता कर सरकार को धोखा देने लगे इसलिए, बाजार भाव का निर्माण बिक्रय मूल्य देखकर नहीं किया जा सकता अपितु उसका निर्णय भूमि की सार्वजनिक बिक्री करके किया जा सकता है। और तभी हमलोगों को उसका वास्तविक मूल्य पता लग सकता है। समयानुसार, ऐसा संशोधन किया जा सकता है जिससे कि विक्रेता को लाभ होगा क्यों कि ऐसा करने से सार्वजनिक बिक्री के माध्यम से मूल्य से प्राप्त होगा और यदि यह मूल्य बाजार भाव से अधिक है तो वास्तव में या तो बाजार भार अथवा विक्रय मूल्य, दोनों में एक मूल्य दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस प्रकार के सुविधा यहां नहीं हैं। दूसरे में उसका भुगतान अब किया जाना चाहिए ? इसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी घोषणा जब समाहर्ता द्वारा की जायेगी, तब भुगतान किया जाएगा। क्या उस समय भुगतान करना उचित होगा ? मेरे माननीय मित्र ने ठीक ही कहा है कि उसका भुगतान उसी समय किया जाना चाहिए जब आपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा अपने कार्यालय के माध्यम से सरकार द्वारा अथवा समाहर्त्ता द्वारा उसे अपने अधिकार में लिया जाता है अथवा जबभी उद्योगपतियों और विभिन्न प्रकार के अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हो रहा है। यदि संभव हो सके तो यथा संभव यथा समय इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए।

थोड़े ही महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं और जब भी चुनाव होते हैं सभी दल इस प्रकार का आश्वासन देकर आपस में प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं जिससे जब भी वह दुबारा चुने जाये और जब भी कोई न कोई दल सत्तारूढ़ हो तब सभी दल सरकार को इसके लिए उत्तरदायी ठहरा सकें और इस बात का ध्यान रख सकें कि इस मामले में किसानों के हित का ध्यान पूरी तरह रखा जाये। मुआवजा अवश्य ही दिया जाना चाहिए। अनेक व्यक्तियों ने यह प्रश्न किया है कि मुआवजा क्यों दिया जाना चाहिए ? कुछ साम्यवादियों को मैंने यह कहते हुए सुना है तथा यह आपत्ति उठाते हुए देखा है। उसका सीधासा कारण यह है कि आप इस बात से इन्कार करते हैं कि किसानों को न केवल अपनी सम्पत्ति से अपितु अपने जीवन-यापन के साधन से और स्वयं रोजगार के साधन से तथा अपनी सुरक्षा से वंचित होना पड़ता है। सभी बातों में स्व-रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। यूगोस्लाविया और यूगोस्लाविया के आदर्श का पालन करने वाले अन्य समाजवादी देश अपनी योजनाओं में स्व-रोजगार के लिए विशेष अंशदान दे रहे हैं। स्वयं रोजगार से क्या आशय है ? स्वयं रोजगार से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो (1) पूंजीपतियों (2) साम्यवादी नियुक्तायों और साम्यवादी तानाशाह के रोजगार की दासता से मुक्त

होगा । वह (3) सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त होगा और वह अपने आपका तथा अपने परिवार का स्वयं नियोक्ता होगा । और यह इस स्वामित्व में सहज ही है और इसलिए जब उसे इससे वंचित रखा जाता है तब मुआवजा देना ही होगा । मुझे खुशी है कि सरकार ने हमें 15 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये करने के लिए यह विधेयक पेश किया है । परन्तु, दुर्भाग्यवश, अनेक राज्यों में मुआवजे की अलग-अलग दरें दी जा रही हैं । अत: मैं चाहूंगा कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करें कि अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अधिग्रहण की जाने वाली सभी प्रकार की भूमि पर सम्पूर्ण भारत में यह 30 प्रतिशत लागू होगा । अन्य राज्यों में जो कुछ भी मुआवजा लिया जाएगा अगर वह हमसे कम होगा तो उतना दिया ही जायेगा ।

अन्त में, ब्याज की दर के बारे में, वे सिर्फ 10 प्रतिशत देना चाहते हैं । मैंने स्वयं एक संशोधन की सूचना दी है । मैं 12 प्रतिशत का सुझाव देकर सरकार के साथ यथा संभव युक्ति-संगत एवं अनुकूल बात कहना चाहता हूं । मैंने सोचा था कि यह देख करके कि मैंने उसकी सूचना दी है अपने ही संशोधन को प्रस्तुत करके इस 12 प्रतिशत को स्वीकार करेगी । यह दुख: की बात है कि इसने ऐसा नहीं किया है मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र, मंत्री जी इन संशोधनों पर विचार करने के समय कम से कम 12 प्रतिशत पर सहमत हो जायेंगे । हमारे सभी मित्र कहते आये हैं कि इसे बढ़ाकर 16 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए और सरकार की वित्तीय नीति के संबंध में यह होना चाहिए क्या इस तरीके से सिर्फ किसानों को ही नुकसान उठाना होगा ? प्रत्येक लेन-देन के मामले में बैंक दर अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह सब से कम है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जानकर किसी निजी व्यापारी से उधार लें तो सामान्य दर 24 प्रतिशत है यहां तक कि सहकारी बैंक भी 10 प्रतिशत पर उधार नहीं देगी । अत: मेरे सुझाव पर विचार करने के लिए अभी समय है । इस विधेयक में एक और अच्छा मुद्दा है । अब तक इस की कार्यवाही बहुत लम्बी थी । इसे घटाकर अब एक वर्ष कर दिया गया है दूसरी ओर उन्होंने ब्याज दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी है । यह सभी अच्छा है परन्तु पर्याप्त नहीं है । इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है किन्तु मैं आशा करता हूँ कि जहां तक यह विधेयक पहुंचा है इसे सदन के सभी वर्गों की स्वीकृति मिलेगी । और मुझे आशा है कि सरकार यथाशीघ्र एक और अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी, अगर चुनाव से पहले न कर सकी तो कम से कम चुनावों के तुरन्त पश्चात करेगी । मैं आशा करता हूं कि मेरा दल सत्ता में आयेगा । मुझे विश्वास है मेरा दल किसानों के प्रति अधिक ईमानदार एवं अनुकूल होगा ।

मैं अपने मित्र श्री दिगम्बर सिंह को धन्यवाद करना चाहता हूँ जोकि किसानों के प्रति इतने निष्ठावान हैं और इन सुधारात्मक कार्यों के लिए वे बराबर संघर्ष करते रहे हैं । मुझे विश्वास है इन सुधारों के लिए उनको इतना श्रेय दिया जा सकता है जितना किसी और को ।

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : बहुत से सदस्य इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं । अत: मैं सिर्फ दो या तीन मुद्दों को ही लूंगा ।

इस संशोधन कारी विधेयक को सदन के समक्ष लाने में 90 वर्ष लग गये हैं । श्री रंगा

को आशा है कि फिर से एक संशोधनकारी विधेयक आयेगा । मुझे आशा नहीं है क्योंकि वर्तमान संशोधन में 90 वर्ष लग गये हैं और अन्य संशोधन आने में 60 से 70 वर्ष और लग जाएंगे, अत: अगर कोई भी गलती हुई है तो हम उसे अब सही करेंगे ।

मैं छोटे संशोधनों पर नहीं बोलूंगा जिन पर अन्य लोग बोल रहे हैं । मैं सिर्फ एक मुद्दे को लूंगा । यद्यपि बहुत से अच्छे संशोधन मूल अधिनियम में लाये गये हैं मुख्य बात अनिवार्य भूमि अर्जन के बारे में है जोकि मन्त्री जी ने बोलते हुए बताई है। मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो लोग छोटे तथा सीमांत किसान हैं जिन्हें जमीन से हाथ धोना पड़ेगा और अन्य कोई विकल्प अपना जीने का सहारा नहीं है, ऐसे किसानों के लिए जिनकी जमीन अनिवार्य रूप में ली जा रही है हम कहेंगे कि हम इसे राष्ट्र तथा समाज के निकास के लिए कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कितने लोग समाज का निर्माण करते हैं । हमारी रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं । इस देश में छोटे किसानों की संख्या अधिक है । यह कैसे समव है कि छोटे वर्गों के लोगों के लिए हम इन छोटे लोगों को छोड़ने में इच्छुक हैं ? दूसरी तरफ जब कभी भी यह देश उन्नति करता है या आगे बढ़ता है तो सर्वप्रथम विकास अथवा उन्नति का फायदा गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए । विधेयक के पारित होने के पश्चात मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इसका क्रियान्वयन एक गलत दिशा में होगा ।

मेरा मुख्य मुद्दा है कि हमें अन्य विधेयक को लाने का इन्तजार नहीं करना चाहिए । इस मुद्दे पर सदन का प्रत्येक वर्ग सहमत है । अत: मेरा सुझाव है कि जब कभी भी आप अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम के तहत छोटे अथवा सीमान्त किसानों से या ऐसे किसान जिनके पास गुजारा करने के लिए कोई और विकल्प नहीं हैं, भूमि लेते हैं, तो आपको गांव के दूसरे भाग से या पास के गांव में बाजार भाव से जमीन खरीदकर उन्हें देनी चाहिए । जब उद्योग के लिए भूमि ली जाती है तो भारत सरकार की ओर से एक परिपत्र है कि कोई भी उद्योग जो भूमि लेती है तो इसे उन लोगों को रोजगार देना होता है जिनसे भूमि ली गई है । परन्तु अनुभव से पता चलता है कि भारत सरकार के सरकारी उपक्रम भी उन्हें रोजगार नहीं दे रहे हैं । अत: मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस विधेयक को पारित करने से पहले आप सावधानी बरतिये । अगर आप छोटे लोगों से जमीन लेना चाहते हैं तो आपको उनके लिए एक प्रावधान बनाना होगा । राष्ट्र के लिए उनकी बलि मत चढ़ाईये । जब कभी भी देश विकास करता है आपको देखना चाहिये कि उस विकास का फायदा गरीब व्यक्तियो को पहुंचे ।

डा. ए. कलानिधि (मद्रास मध्य) : सभापति महोदय, भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1984 पर डी. एम. के. दल की ओर से मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं :—

मुझे इस विधेयक का हृदय से अभिवादन करने में कोई झिझक नहीं है जो कुछ हद तक उन लोगों के हितों में सहायक है जिनकी भूमि का लोक प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाता है ।

बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत के मुआवजे को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है। यहां मैं बताऊंगा कि न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार अधिशेष मुआवजे पर ऐसे मामलों में उन मुआवजों पर जिनमें मुआवजे की रकम दिये बिना ही भूमि पर कब्जा हो जाता है। देय ब्याज को भी काफी मात्रा में बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूं विशेष रूप में इस वृद्धि को करने में सरकार को क्या अड़चन है।

इसी प्रकार से, अविलम्बनीय मामलों में निर्णय दिये जाने से पूर्व जिन परिस्थितियों में समाहर्ता को भूमि का कब्जा लेना चाहिये उन्हें व्यापक लोक प्रयोजनों को शामिल करने के लिए परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसा मेरे विचार से अर्ध नगरीय क्षेत्रों में राजनैतिक मतभेद को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। किसी भी माने हुये लोक प्रयोजन के अंतर्गत, राजनैतिक विरोधी की जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि सभी प्रकार के लोक प्रयोजनों का इस विधेयक की अनुसूची में उल्लेख होना चाहिए।

दिल्ली में, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा मद्रास में मद्रास आवास बोर्ड निजी कालोनाइजर्स को रोकने में असमर्थ रहे हैं। रायसीना मार्ग जनपथ चौराहे पर तीन करोड़ रुपये की एक तुच्छ राशि में सरकारी जमीन इस सदन के सत्तारुढ़ दल के एक सदस्य को दी गई है। इस जगह पर एक बहुमंजिला पांच तारा होटल तेजी से बन रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे लोक प्रयोजन की किस श्रेणी के अन्तर्गत लाया जा सकता है। क्या यह निजी उद्यमी का लोक प्रयोजन है ? इस विधेयक का उद्देश्य राज्य द्वारा तथा निजी उद्यमी द्वारा भूमि अर्जन में अंतर करना है इस निजी उद्यमी के फायदे के लिए सरकारी बंगलों को मिटा दिया गया। यह सरकार की कथनी और करनी के बीच अन्तर का एक स्पष्ट उदाहरण है। किसान के लिए मुआवजा अल्पतम है। यहां राजधानी के बीचों बीच, मूल्यवान जमीन एक संसद सदस्य को कौड़ियों के भाव दी गई है।

इस तरह के कानूनों का क्या लाभ है, विशेषरुप से जनसाधारण के फायदे के लिए ? परन्तु आने वाले चुनावों को देखते हुए यह सिर्फ एक दिखावा है। मैं आपको बताऊंगा कि यह सरकार राष्ट्रीय मसलों जैसे कि भूमि सुधार, शहरी भूमि की बढ़ती हुई कीमतों आदि को सुलझाने में असमर्थ है।

समृद्धि के बीच भारी निर्धनता भारत की आर्थिक विडम्बना है। ग्रामीण झोंपड़ियों के बीच फार्म-हाऊस—संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दिल्ली के आस-पास नए सत्ता-रूढ वर्ग के पास बड़े फार्म-हाऊस हैं जो सेवानिवृत्त नौकरशाहों के आवास के साथ लगे हुए हैं। किसानों के पास पीने का पानी नहीं है, परन्तु फार्महाऊस जल प्रपात की सहायता से हरे-भरे लहलहा रहे हैं। किसानों की लागत पर भूमि खरीदी जाती है और किसानों को खरीददारों से आतंकित किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक को सत्तारूढ दल के प्रति निष्ठा रखने वाले इन नए प्रकार के भूमि हड़पने वालों पर प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि एक ओर तो हम अपनी 70 प्रतिशत जनता की अनिवार्य

आवश्यकताओं के प्रति बनावटी सहानुभूति प्रकट करते हैं, परन्तु दूसरी ओर हम किसानों को लूटते हैं।

किसानों का शोषण बड़े जमींदारों द्वारा तथा शहरों में निहित स्वार्थी लोगों द्वारा हो रहा है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि यह कानून किसानों को उनकी भूमि से अलग करने का एक आसान साधन और नही अधिक बनना चाहिए। सरकार समस्या को केवल किनारे से ही छूना चाहती है और इस कानून की एक सामाजिक क्रांति के रूप में सराहना करना चाहती है। इस विधेयक के अन्तर्गत जिलाधीशों को बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। मुझे केवल यह चिन्ता है कि वे सभी राम लाल न बन जांए। अब, प्रभावित भूमिहीन व्यक्तियों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि जैसे ही भूमि अर्जित की जाती है, मुआवजे की तत्काल अदायगी के लिए प्रबन्ध किया जाए।

मेरे चुनाव क्षेत्र ऐग्मोर तथा चेतपेट में पिछड़े 8 दशकों से लोग झुग्गी-झोपडियों में रह रहे थे। उनकी भूमि रेल विभाग द्वारा हथिया ली गई है। उन्हें आज तक न ही रेल विभाग द्वारा और न ही राज्य सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक स्थान प्रदान किया गया है।

मैं इस अध-पके कानून का समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रजातन्त्र में ऐसे विधान के टुकड़े भी मूल्यवान बन जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस भू-अर्जन संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री महोदय जो यह बिल लाए हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, यह बात अपनी जगह सही है कि आजादी के बाद सार्वजनिक कल्याण और आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए उग्रम की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। इसके लिए जमीनों का अर्जन करने की आवश्यकता बहुधा पड़ती है। परती और बजर जमीन जब उपलब्ध नहीं होती है तो खेती की जमीन का अर्जन करना होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक कल्याण और व्यक्ति के हित के बीच एक सामंजस्य बना रहे। समाज के हित के लिए एक व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बिल में इन बातों का ध्यान रखा गया है और यह भी ध्यान रखा गया है कि जिसकी जमीन ली जाए उसको ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जहां तक सम्भव हो उसका उचित मुआवजा शीघ्र दिया जाना चाहिए।

इसमें कई ऐसी बातें की गई हैं जिससे पुराने एक्ट में काफी सुधार हुआ है। एक तो इसका समय निर्धारित कर दिया गया है। सेक्शन चार उपधारा एक में दिया गया है कि अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक के एक वर्ष के अन्दर ही सेक्शन 6 में गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन कर देना होगा और डिक्लेरेशन के बाद दो वर्ष का समय कलेक्टर को दिया गया है कि वह अवाड कर दे। इस तरह से कुल तीन वर्ष में यह अर्जन की कार्यवाही पूरी हो जानी

चाहिए। इसमें एक व्यवस्था यह भी की गई है कि कलैक्टर अगर दो वर्ष के अन्दर मुआवजा तय न कर सकें तो सारी कार्यवाही लैप्स हो जायेगी। अगर आप यह कहते हैं कि वह भूमि फिर अर्जित की जाएगी तो यह उचित नहीं है इस प्रोविजन के साथ कार्यवाही लैप्स हो कि उसे फिर अर्जित नहीं किया जायेगा। ऐसा नहीं किया गया तो इससे जमीन के मालिक का नुकसान हो सकता है। यदि फिर अर्जित करनी है तो तीन वर्ष का जो डेमेज हुआ है, वह उसे मिलना चाहिए। इसके साथ ही यह व्यवस्था कर देनी चाहिए कि कलैक्टर के द्वारा दो वर्ष के अन्दर अवार्ड का तय किया जाना जरूरी है जिससे दो वर्ष के बाद कार्यवाही न हो। दो वर्ष के बाद कार्यवाही समाप्त करनी है और फिर जमीन अर्जित करनी है तो इसके लिए और समय मिलना चाहिए। उस समय का उसे मुआवजा मिलना चाहिए। तीस अप्रैल 1982 को जब यह अमेंडमेंट लाया गया था यदि किसी मामले में कार्यवाही पूरी न हुई हो और कलैक्टर के द्वारा मुआवजा तय न किया गया हो तो अधिसूचना के दिनांक से पेमेन्ट के दिनांक तक उसको मार्किट वैल्यु पर दस परसेंट के हिसाब से सिम्पल इन्टरेस्ट प्रश्नानुसार मिलेगा। इस सम्बन्ध में कोर्ट की कार्यवाही की वजह से कलैक्टर की कार्यवाही रूकी रहती है तो उस समय का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। वह भी उसको मिलना चाहिए। अगर उसे मुआवजा नहीं मिलेगा तो वह उसके साथ अन्याय होगा। अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक पर जो मार्किट वैल्यु होगी, उसी आधार पर मुआवजा देने की व्यवस्था है। मैं, दूसरे प्रदेशों की बात नहीं जानता। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कोई निश्चित रकम नहीं होती। जिस रेट पर बैनामा होता है, उसी रेट पर मार्किट वैल्यु मानी जाती है। जहां पर खेती का इलाका है, वहां पर ऐसी जमीनें कम बिकती हैं। अगर बिकती हैं तो उनकी मार्किट वैल्यु अधिक नहीं होती है।

सभापति महोदय : जल्दी खत्म कीजिए।

जयराम वर्मा : मुझे थोड़ा समय और दे दीजिये। मैं स्वयं छोटा किसान हूँ। मुझे किसानों से बड़ी हमदर्दी है। मैं, थोड़ी बहुत जमीन जोतता हूं। यहां पर अन्न नहीं खरीदता हूँ बल्कि अपनी जमीन से पैदा किया हुआ अन्न ही यहां पर खाता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा समय और दीजिए। एक तो आपने यह प्रोविजन किया हुआ था कि नोटिफिकेशन के समय जो मार्किट वेल्यू होगी और दूसरे फसल और पेड़ कटने आदि से जो डेमेज होता है, वह शामिल किया जाएगा।

यह भी प्रोविजन हैं कि मार्किट वेल्यू पर 15 फीसदी कम्पेंसेशन में तुष्टिधन के रूप में जोड़ा जाय। लेकिन यह खुशी की बात है कि इस बिल में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि 15 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत मार्किट वेल्यू का प्रति कर में जाग पाए। ऐसा प्रावधान इसमें जमा किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे भी किसान को संतोष नहीं होगा क्योंकि तीन वर्षों में मार्केट वेल्यू में कितना अन्तर हो जाता है, वह भी हमें देखना होगा। कहीं-कहीं तो यह अन्तर बहुत ज्यादा हो जाता हैं। इसलिए जैसा दिगम्बर सिंह जी ने कहा है कि हमें मुआवजा करजा लेने के समय की मार्केट वेल्यू के आधार पर देना चाहिए, जिस वक्त किसी आदमी से जमीन ली जाय: उस वक्त की मार्केट वेल्यू के आधार पर मुआवजा मिले, बल्कि मैं

उससे भी आगे जाकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल उस वक्त के मार्केट वेल्यु के आधार पर मुआवजा देने से ही काम नहीं चलेगा, इससे किसान संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जमीन अधिकतम रूप से जनहित में विशेष कार्य के लिए ली गई है, इसलिए उसको मार्केट वेल्यू से 10 या 15 प्रतिशत अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि जब कोई आदमी अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसे मार्केट वेल्यू पर दाम तो मिल ही जाते हैं। लेकिन जहां किसी को मजबूर होकर जमीन देनी पड़े, किसी दूसरे काम के लिए, जिससे उसकी जीविका समाप्त हो रही है तो उसको मार्केट वेल्यू पर मुआवजा मिलने से ही संतोष नहीं हो सकता, बल्कि उसको मार्केट वेल्यू से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। तभी जाकर उसको संतोष हो सकता है।

मैं यहां पर एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि जिस तरह जमीन एक्वायर की जाती है, वहां अमूनन दो-तीन साइटस होती हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे अधिकारियों द्वारा ऐसी जमीन को बक्वायर करने के लिए चुना जाता है, जहां गरीबों की जमीन होती है। जहां बड़े लोगों की जमीनें होती हैं, वहां से जमीन एक्वायर करने की हिम्मत नहीं करते, वहां जाने तक की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जहां गरीब लोगों की जमीन होती हे, उस स्थान की जमीन को एक्वायर करने के लिए चुन लिया जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई मौके ऐसे आये, जब कि वहां जमीन एक्वायर की जा रही थी तो जहां गरीब लोगों की जमीन ज्यादा थी, ऐसे इलाके को चुना जाता था और उससे थोड़ी दूर पर जंगल था, लेकिन उसको इस बहाने नहीं चुना जाता था कि बहां ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जंगल के बदले किसानों की अच्छी जमीन को लिया जा रहा था।, जो हर तरह की सुविधा से सम्पन्न है। जब इस तरह की बात मेरे सामने आई, मेरे पास किसान दौड़े आये, क्योंकि में भी स्वयं किसान हूं, इसलिए मैंने पूरी सहानुभूति के साथ सरकार के सामने उस मामले को रखा। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी बात को माना और उन गरीब लोगों की जमीन एक्वायर नहीं की गई। कई बार एसे उदाहरण मेरे सामने आये, जब मैंने गरीब लोगों की जमीनों कों बचाया। मेरा दिवेदन है कि कोई भी जमीन एक्वायर करते समय इस बात बात को ध्यान में रखा जाय कि वहां गरीब लोगों की जमीन न हो- बल्कि हमें ऐसी जमीन एक्वायर करनी चाहिए, जहां कम बरीब किसान रहते हों, जहां जंगल हों और जहां कोई सुविधा न मिलती हो। गरीब किसानों की जमीन को छोड़ दिया जाना चाहिये।

फिर, जिन लोगों की जमीन को लिया जाय, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जितनी सुविधा हम उनको दे सकते हैं, वह भी देनी चाहिए। यदि उनको किसी दूसरे स्थान पर वैसी ही जमीन दी जा सके तो उसका प्रबन्ध करना चाहिए। यदि उन्हें कोई दूसरी जमीन नहीं दी जा सकती, तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था हो, या दूसरी कोई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा वे बेचारे तबाह और बर्वाद हो जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिये उनका पुनर्वास हर हालत में जरूरी है और उनकी उपेक्षा न की जाए।

कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की जमीन तो ले ली जाती है, लेकिन उस जमीन पर बना मकान नहीं लिया जाता है। मैं जानता हूँ कि जहां आप किसी की जमीन लेते हैं, तो

उस पर बना मकान भी, उसके मालिक की सहमति ले, लेनी चाहिए और उस बिल्डिंग का उसको मार्केट वेल्यू के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिये। इससे उसको किसी दूसरे स्थान पर अपना मकान बनाने में सहायता मिलेगी और दूसरे इन्तजाम करने में सहायता मिलेगी।

जब किसी की जमीन ले ली जाती है तो उसके बाद वहां निर्माण कार्य आरम्भ हो जाते हैं, कहीं इण्डस्ट्रीज बनती है तो कहीं दूसरे निर्माण होते हैं, इसके कारण उस जमीन की मार्केट वेल्यू थोड़े ही दिनों बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब कि उसके कुछ दिनों पूर्व उसको जो मुआवजा दिया जाता है, वह कम वेल्यू के आधार पर मिलता है। मैं समझता हूं कि यह बात भी किसी तरह से उचित नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इस बात पर जरूर बिचार करने की जरूरत है कि उसको मुआवजा उस वक्त की मार्केट वेल्यू पर मिलना चाहिए जिस वक्त जमीन पर कब्जा लिया जा रहा है, बल्कि उस वक्त की मार्केट वेल्यू से भी ज्यादा मिलना चाहिए। इस पर विचार करके फिर से फैसला करने की जरूरत है। इस समय इस में अगर यह न कर सकें तो जल्दी ही इस तरह का संशोधन आना चाहिये जिससे किसान के साथ न्याय हो सके, गरीबों के साथ न्याय हो सके और केवल समाज के लिए वह तबाह और बर्बाद न हो।

श्री भीमसिंह (झुंझुनूं) सभापति महोदय, सरकार ने जो यह बिल रखा है इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। पर इस बिल में कुछ खामियां हैं और जिस स्पिरिट से यह बिल रखा गया है काश्तकार को फायदा पहुचाने के लिये, सरकार की यह भावना इससे पूरी नहीं हो पा रही है। अतः मैं कुछ बातें निवेदन करता हूँ।

मैं जानना चाहूंगा सरकार से कि आखिर जमीन किसके लिये लेना चाहते हैं ? आप ने आबजेक्टिव में लिखा है कि फार पब्लिक परपज लेकिन जमीन ली किसलिये जाती है ? डेवलपमेंट के नाम पर बडे-बड़े शहरों में डेवलपमेंट एथारिटीज आपने बना कर बैठा दी है। यह काश्तकारों से जमीन लेकर इकट्ठी कर लेते हैं, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस बीस माइल की बाउण्ड्री कायम कर लेते हैं। कई कई साल तक वह जमीन किसी को एलाट नहीं की जाती हैं। बाद में खूब ऊंची कीमत पर उसको एलाट करते हैं। सालों तक बैठे रहते हैं डेबलपमेंट के नाम पर।

दूसरे, ये जमीनें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए. उनके कारखाने लगाने के लिए लेते हैं और देते किस को हैं ? गड़े बड़े इंडस्ट्रीअलिस्ट्स को जो अपना मैजारिटी शेयर रख कर पब्लिक को एक्सप्लाइट करते हैं। अगर आप डिफेंस के लिए लेते हैं या इर्रीगेशन चेनल के लिए लेते है, नहरों के लिये लेते हैं तो बात समझ में आ सकती है। काश्तकार की रोंजी छीनकर और काश्तकार को बरबाद करके बड़े बड़े डेवलपमेंट एथारिटीज के चेयरमैन के रूप में जो नये इंडस्ट्रियलिस्ट्स या राजा बना कर बैठाते हैं उनको उससे फायदा पहुंचाते हैं। काश्तकार अपनी जमीन को मां मानता है, उसको धरती माता कहता है। उसके लिये वह सौने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो पीढ़ियों से उसकी परवरिश कर रही है। लेकिन आप उनसे उनकी रोजी हमेशा के लिये छीनते हैं, पीढ़ियों तक की उनकी संतान की रोजी छीनते हैं और उसके बदले में

चन्द रुपये के टुकड़े उनको देते हैं जिससे वह अपना पूरा पेट भर नहीं सकते है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तहसीलदार से आप रिपोर्ट मांगते हैं कि इस जमीन का कितना पैसा होना चाहिये, वह दो दो सौ, ढाई ढाई सौ, रुपये पकड़ा कर छुट्टी करता है और उसके बदले में वह कारपोरेशन, वह सरकार हजारों रुपये के ऊपर उसको आक्शन करती या दूसरों को देती है। आप मिडिल मैन का काम करने लगते हैं। कहते हैं कि मिडिल मैन आप खतम करना चाहते हैं लेकिन सरकार और डेवलपमेंट कारपोरेशन खुद मिडिल मैन के रूप में प्राफिटियरिंग और ब्लैक मार्केटिंग जमीन का करते हैं।

आप कम्पनीज के लिए कहेंगे। अभी मेरे पूर्व वृद्ध ने बताया था कि कम्पनियों का नहीं है। उन्होंने यह नही पढ़ा कि इसके अन्दर कम्पनीज का जो नाम मैंशन किया गया है इसलिये किया गया है कि डेफीनीशन में चेंज किया है। उन्होंने एक उद्धृत किया था—इट इज नाट इन्क्लूड ऐक्वीजीशन आफ लैंड फार कम्पनीज। उन्होंने यह नहीं महसूस किया कि इधर आपने कम्पनीज के लिये इसके अन्दर अलग सेफरेट डेफीनीशन ही करदी और इसके तहत इसमें से हटाया गया है। कम्पनीज के नीचे डेफिनीशन के अन्दर कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो लिखा है वहां तक तो ठीक है। पर बाकी कम्पनीज की देने की जो बात है, कम्पनीज को दें, लेकिन कम्पनीज को देते हैं तो ऊसर लैंड या बंजर लैंड दीजिए जिस पर कुछ पैदा नहीं होता हो। मगर आप उनको यह बंजर जमीन देते हैं जिसमें काफी पैदायश होती है और जिससे काफी पैसा आता है। मैं एक ही मिशाल देना चाहूंगा कम्पनी के बारे में। आपने रत्नागिर जिले में

4.00 म. प.

रत्नागिरि एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट खड़ा किया जिसके लिए आपने 2 हजार एकड़ जमीन एक्वायर की। यह वह जमीन थी जिसमें सारे आम ही आम लगते थे और वह भी अलफाजों मैंगो जो आज वर्ल्ड फेमस हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। वह सारे दरख्त कम्पनी के नाम से कटवाए जायेंगे अलफांजो मैंगोज की जमीन एक्वायर करके आपने 800, 1000 फेमिलीज को डिसलाज कर दिया। वह फेमिलीज जिनके पास कुछ गुंटे जमीन शी, उन फार्मर्स को गवर्नमेंट ने क्या दिया? एक गुंटा जमीन के 50 रुपये दिए, वहां पर एक एकड़ जमीन में 40 गुंटा जमीन होती है। उसके बाद क्या हुआ कि वह रत्नागिरि एल्यूमीनियम प्रोजेक्ट उस जमीन को काम में नहीं लेना चाहता, वह वहाँ पर आया ही नहीं। उसका रिजल्ट अब यह है कि आप उस जमीन को महाराष्ट्र सरकार को 2 हजार रुपए गुंटा में दे रहे हैं।

मेरा कहना यह है कि जब वह प्रोजेक्ट फेल हो गया है तो उस जमीन को आप उन काश्तकारों को ही वापिस क्यों नहीं देते? किस बात की जिद है कि जमीन काश्तकार को वापिस नहीं दी जाती? इस तरह की हालत जमोन की है—इससे सरकार की और कानून बनाने की आंख खुलनी चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आप काश्तकार को जब जमीन से हटाते हैं, तो उसका प्रोफेशन छीनते हैं, आप उसे जमीन के एवज में जमीन दीजिये, पैसा तो खर्च हो जाता है, अगर उसको जमीन देंगे तो यह रिहैबूलीटेड हो जाता है।

आपने इतने बड़े कैनाल प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें आप दूसरे आदमियों को देते हैं, उसके बजाय जिस काश्तकार को आपने स्वयं लैंडलैस बनाया है, उसे आप जमीन क्यों नहीं देते। काश्तकार जमीन के लिये चला जाएगा, उसको इसमें एतराज की बात नहीं है। लेकिन आप उसको जमीन नहीं देना चाहते।

आप उसे मुआवजा मार्केट रेट पर क्यों नहीं देते ? आपने कहीं मार्केट रेट को एलोवरेट किया है कि मार्केट रेट क्या होगा ? किस रेट को आपका कलैक्टर मार्केट रेट कहेगा ? सरकार के अफसर का हमेशा यह रवैय्या रहता है कि सरकार के खजाने में ज्यादा से ज्यादा पैसा ले। वह मार्केट रेट को सही आंकता ही नहीं है। मेरा कहना यह है कि जिन शहरों में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वह अगर काश्तकार की जमीन लेती हैं तो जो रेट वह देती हैं, उतना तो आप भी काश्तकार को दीजिये। वह मार्केट रेट होगा।

अब सवाल यह है कि उसको मुआवजा कब से दें ? यह कन्ट्रोवर्सी की दलील रही है। सब मेम्बर्स ने इसको आग्यू किया है। आप नोटिफिकेशन की तारीख से देना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि जिस दिन से जमीन लें उस रोज से दें। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार और घपला हुआ है। वह मैं आपको दिल्ली की मिसाल देता हूं जहां कि अपने लोग बैठे हैं। खुद दिये तले अन्धेरा हो रहा है।

दिल्ली में आपने जमीन एक्वायर की है। 13-11-59 में नोटिफिकेशन हुआ और आज 23 साल पूरे हो गये लेकिन अभी तक उसका एवार्ड नहीं हुआ। नोटिफिकेशन के 23 साल बाद तक आप एवार्ड करके मुआवजा नहीं दे सके।

4.04 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

आपके कानून में जो कि 1894 का प्रिंसिपल एक्ट है, उसमें जब से डिक्लेयरेशन आफ नोटिफिकेशन हो जाता है, उसमें आप खड्डे खोदने शुरू कर देते हैं, डिमार्केशन कर देते हैं। उससे काश्तकार के काम की जमीन नहीं रह जाती है। काश्तकार को आप उसके धन्धे से हटा देते हैं।

आपने इस सारी खराबी को मिटाने के लिये एक्ट में प्रावीजन किया है कि 2 साल में एवार्ड हो जायेगा। यह आपने बहुत सुन्दर किया है परन्तु इसमें एक प्रोवीजो एड करके पहले के काश्तकारों को डैमेज कर दिया। यह भेद-भाव क्यों ? कई लोगों की जमीनों के बारे में 13-11-59 को नोटिफिकेशन हो गए थे। क्लाज 9 के द्वारा प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 11 में यह संशोधन किया गया है :—

"कलेक्टर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की कलावधि के भीतर धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय करेगा और यदि उस कलावधि के भीतर कोई निर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि के अर्जन के लिये समस्त कार्यवाहियां व्ययगत हो जायेगी :

परन्तु किसी ऐसे मामले में, जहां उक्त घोषणा भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम 1984 के प्रवर्तन से पूर्व प्रकाशित की गई है, वहां अधिनिर्णय ऐसे प्रवर्तन से दो वर्ष की कालावधि के भीतर किया जाएगा।"

जो नोटिफिकेशन 23 साल पहले निकाले गए थे उनके एवार्ड के लिए दो साल और दिये जा रहे हैं। जिन आफिसज ने पैसा लेने के लिए यह घोटाला किया, उनके लेप्सिज को ढंकने के लिए और उनको बचाने के लिए यह प्रोवाइजो रखा गया हैं। डीले के सवाल को ले कर कई मामले कोर्ट में हैं और वहां से गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला होने वाला है। इसलिए उन आफिसर्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने गुनाहों को ढंकने के लिए यह प्रोवाइजो ऐड किया गया है। हो सकता है कि उन जमीनों में कई गवर्नमेंट के काम की हों और बाकी उसके काम की न हों। पहले एक्ट में जारी किए गए नोटिफिकेशन्ज को खत्म होने दिया जाए और जो जमीन सरकार लेना चाहती है, उसके लिए फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जिन लोगों को जमीनों के बारे में नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी हो चुके हैं, इस प्रोवाइजो द्वारा इस कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर सरकार इन्हें क्यों नुक्सान पहुंचाना चाहती है ? उन लोगों के साथ उसकी क्या दुश्मनी है ? सरकार के लिए सब लोग बराबर होने चाहिए। इसलिए इस प्रोवाइजो को डीलीट करना चाहिए।

दूसरा सवाल यह है कि मार्केट रेट नोटिफिकेशन के समय का लिया जाए या एवार्ड के समय का। यह गड़बड़ सन् 1923 में इस कानून में इनसर्ट की गई थी। प्रिंसिपल एक्ट के सैक्शन 11 में दिया हुआ है :—

"और भूमि के मूल्य के भीतर (धारा 4, उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को)।"

इसमें से ब्रैक्ट्स के अन्दर का पोर्शन 1923 के एक्ट 38 के द्वारा इनसर्ट किया गया है। 1923 में भी ब्रिटिश राज था। उस वक्त भी कम से कम रुपया देने की भावना थी। आरिजिनल एक्ट में यह नहीं था। मेरा निवेदन यह है कि जब यह आरिजिनल एक्ट में नहीं था, तो यह प्रोवाइड कर दिया जाए कि एवार्ड के बाद जो मार्केट रेट हो, वह दिया जाए। ऐसा करने से कलेक्टर को इस बात की चिन्ता रहेगी कि एवार्ड जल्दी दिया जाए। दो साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोटिफिकेशन के बजाए एवार्ड के समय का मार्केट रेट दिखाया जाए। श्री दिगम्बर सिंह ने पढ़ कर सुनाया है कि खुद प्रधान मन्त्री ने इस बारे में काश्तकारों को एशोरेंस दिया है। उस एशोरेंस को पूरा करना चाहिए।

जहां तक ब्याज का सम्बन्ध है, अगर एक काश्तकार बैंक या कोआपरेटिव सोसायटी से लोन लेता है, तो उसे 14 से 18 परसेंट ब्याज देना होता है। अगर उसको ज्यादा जरूरत होती है, तो उसे शहर के साहूकार को 24 परसेंट ब्याज देना पड़ता है। सरकार तो साहूकार से ज्यादा साहूकार है, मगर वह सिर्फ 10 परसेंट ब्याज देना चाहती है। उसे साहूकारों वाला ब्याज देना चाहिए और कम से कम 18 परसेंट तो जरूर देना चाहिए। वह काश्तकारों को 10 परसेंट ब्याज

देकर उन्हें चूसना चाहती है। एक तरफ वह उनकी जमीन छीनती है और दूसरी तरफ वह उन्हें ब्याज भी नहीं देना चाहती। यह वाजिब नहीं है।

इसके अलावा एक बहुत बड़ी कमी इस कानून में रह गई है और वह यह कि डेवलपमेंट के बारे में कोई मुआवजा आप किसान को नहीं देना चाहते हैं। आप जमीन ऐक्वायर करते हो तो उसका आप मुआवजा देना चाहते हैं, लेकिन उस जमीन पर उसका ट्यूबवैल होता है, इर्रीगेशन चैनल्स हैं, मकान है, केटिल शैड है वह सब मुफ्त में लेना चाहते हैं। वह कहीं जमीन खरीदेगा तो उस पर मकान, कूआ आदि उसको बनाना होगा। फार्म एक दिन में तो तैयार नहीं होता, पीढ़ियों बाद वह जमीन डेवलप होती है। ऐसी स्थिति में सारे डेवलपमेंट का भी किसान को आप पैसा दीजिये। जो जमीन ले रहे हैं मुआवजा देंगे अगर आपने 50 बीघा जमीन का मुआवजा दिया तो उतने में वह 2 बीघा जमीन भी नहीं खरीद सकता है। इसलिये कम से कम इतना मुआवजा तो दीजिये जिससे वह किसान अपने को रीहैबिलिटेट कर सके और इज्जत के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सके। भिखारी बन कर न रहे। ऐसा संशोधन आप कीजिये। आप जो बिल लाये हैं उसके लिये धन्यवाद, लेकिन जो बातें मैंने कही हैं उन पर आप अवश्य विचार करें और किसान का हित ध्यान में रखते हुए काम करें।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। प्रधान मन्त्री अभी सदन में आई हैं। जमीन जब ऐक्वायर की जाती है, कब्जा जब सरकार का होता है तब का मुआवजा किसान को मिलना चाहिये। इस संशोधन का सभी ने समर्थन किया है। तो मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरी इस बात पर ध्यान दें। मैंने यह कहा है कि जमीन जब ली जाती है, जब उस पर कब्जा किया जाता है उस समय का मुआवजा किसान को मिलना चाहिये। इस का सभी संसद सदस्यों ने समर्थन किया है, और आपने भी किसान रैली में घोषणा की थी। तो जब सारे सदस्य, नेता और पार्टियां चाहती हैं कि जब जमीन पर कब्जा हो तब के बाजार भाव का मुआवजा दिया जाय इतना छोटा सा मेरा संशोधन है जिसको सब मान रहे हैं।

श्री लंका की स्थिति के बारे में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब आगे की कार्यवाही करने से पहले हमें श्री लंका के बारे में चर्चा करनी है। श्री लंका पर चर्चा करने के पश्चात हम इस विधेयक पर फिर से वाद-विवाद करेंगे और इसे पारित करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अपहरण किये गये हवाई-जहाज के बारे में ताजी सूचना क्या है। हम बहुत चिंतित हैं। मैं ताजी सूचना जानना चाहता हूँ। क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : अब प्रो० मधु दंडवते बोलेंगे

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : श्री लंका की स्थिति के बारे में 16 अगस्त को माननीय राज्य मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया था, मैं उसके बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा उठाता हूं।

एक राष्ट्र के जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब देश की प्रभुसत्ता-सम्पन्न संसद में लोगों के दु:ख और क्रोध को एक आवाज में व्यक्त किया जा सकता है और मैं इस स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहा होऊंगा यदि मैं यह कहूं कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम सब को एक आवाज में बोलना चाहिये ताकि राष्ट्र की आवाज को सुना जा सके और उन व्यक्तियों की इच्छा को बल पूर्वक व्यक्त किया सके जो इस सम्बन्ध में उपयुक्त कदम लेने से सम्बद्ध है और इस समस्या का समाधान हो सके।

जहां तक श्री लंका की स्थिति का संबंध है, विशेष रूप से जब कि हमारी प्रधानमंत्री गुट-निरपेक्ष देशों के समूह की अध्यक्ष हैं, प्राय: जब हम संसद में श्री लंका की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें बिना चाहे और बिना निमंत्रण के, विशेष रूप से पश्चिमी देशों द्वारा यह सलाह दी जाती है कि यदि हम अपनी प्रभुसत्ता-सम्पन्न संसद में इस समस्या पर वाद-विवाद तथा चर्चा करते रहेंगे तो इसका अर्थ होगा कि हमारी गुट-निरपेक्ष की भावना पर एक धब्बा होगा। शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि निर्गुटता का अर्थ यह नहीं है कि आक्रमण के विरुद्ध न्याय में भी संघर्ष में निर्गुट रहा जाये। निर्गुटता की हमारी परिभाषा ऐसी नहीं है। पंडित नेहरू के जमाने से लेकर इस देश के नेताओं ने बार-बार बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हमारी निर्गुटता की नीति का अर्थ यह होगा कि हम बड़े राष्ट्रों के गुटों के आंतरिक संघर्ष में अपने को नहीं उलझायेंगे, हम सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेंगे और जिस अन्तर्राष्ट्रीय मामले पर हमारे विचार तथा हमारा दृष्टिकोण अलग होगा, उस पर हम दृढ़ आवाज में बोलेंगे, इसलिए यदि श्री लंका में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में हम कड़ा रुख अपनाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है।

निःसन्देह राष्ट्र की प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की बात तो है। लेकिन महोदय, मुझे कहने अनुमति दें कि मानव मूल्यों की प्रभुसत्ता भी तो है जिसका अधिकार राष्ट्रों की प्रभुसत्ता से कहीं अधिक है। अत: जब कभी भी विश्व में कहीं मानवाधिकार पर आक्रमण हुआ है तो तत्काल हमने उसके विरुद्ध आवाज उठाई है। मुझे याद है मार्च, 1960 में जब दक्षिण अफ्रीका की सुदूर कोने केप टाउन में जातीय भेदभाव के कारण पुलिस द्वारा नृशंसता पूर्वक गोली चलाये जाने से दक्षिण अफ्रीका के निर्दोष नागरिक मारे गए तो तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित नेहरू इसी सभा में उठ खड़े हुए और एक संकल्प पेश किया जिसमें इन अत्याचारों तथा जातीय भेद-भाव की निन्दा करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि यद्यपि ये अत्याचार भारत की सीमाओं से बाहर किये गये है—उन्होंने संक्षिप्त अभिव्यक्ति की—लेकिन जहां आजादी और न्याय का प्रश्न है, उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। अत: इस सभा में संकल्प पास करना उचित है। पंडित नेहरू ने 21 मार्च 1960 को शब्दों में निन्दा की थी। उनकी राष्ट्र को यह देन है और हमें इसी को आगे बढ़ाना है। अत: हमें उन तथाकथित अन्दरूनी नीतिज्ञों की चिंता करने की जरूरत नहीं जो अनचाहे रूप में बार-बार

कहते रहते हैं कि हमें श्री लंका के मामलों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। इस के विपरीत मैं उन लोगों में से हूं जो यह अनुभव करते हैं कि निर्गुट राष्ट्रों के समूह की अध्यक्ष होने के नाते जैसे ईरान और ईराक के बीच संघर्ष को सुलझाने का प्रयास हो रहा है, इन दोनों देशों ने निर्गुटता के सिद्धान्त के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है, इसी प्रकार जब श्री लंका और भारत दोनों ही निर्गुट राष्ट्र हैं और जब दुर्भाग्य से दोनों के हितों में टकराव पैदा हो गया है तो निर्गुट राष्ट्रों के समूह की अध्यक्ष होने के नाते उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इस बारे में पहल करनी चाहिये और वह यह देखे कि अधिकतम अन्तर्राष्ट्रीय दबाव डाला जा सके, ताकि यह समस्या काफी हद तक ठीक हो जाए और अंत में इसका समाधान हो सके।

जहां तक श्री लंका की स्थिति का सम्बन्ध है, ऐसा नहीं है कि यह 1983 में या 1984 में पैदा हुई है। दुर्भाग्य से श्री लंका मे लोगों को बल्कि श्री लंका तमिल लोगों की दुःखद स्थिति हाल की घटना नहीं। यह स्थिति तो लम्बे समय से चली आ रही है। श्री लंका में तमिल भाषी लोगों पर अत्याचार 1983 और 19 4 में ही होते नहीं देखे गये। हमने देखा है कि 1956, 1958, 1966, 197 , 1981 और 1983 में इसी प्रकार की वीभत्स घटनाएं श्री लंका में हुईं और तमिल भाषी लोगों को जुल्म सहने पड़े, और उनका अपमान किया गया। पिछले 4 अवसरों पर तो हमने देखा है कि वे पागल ही हो गये हैं लेकिन इसके पीछे भी एक निश्चित उद्देश्य है। वर्ष 1977, 1981, 1983 और 1984 में जिस प्रकार की हिंसा और अत्याचार हुए हैं, वे व्यापक पैमाने पर हुए हैं और इस नई समस्या को बहुत प्रभावी और ठोस ढंग से हल किया जाना चाहिए। नई समस्या इसलिए है कि पहले भी अत्याचार होते थे और आतंक फैलाया जाता था लेकिन उसमें थल सेना, नौ सेना जैसे सुरक्षा बल उस हद तक शामिल नहीं होते थे, जिस हद तक 1977 के बाद से होना शुरू हो गये हैं।

इसने तमिल भाषी जनता को दबाने की समस्या को नया आभास दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सेना जेल में घुस कर स्त्री-पुरुषों पर जुल्म करे। हमने 'बेस्टिल्ले' को तोड़ने की बात सुनी है लेकिन उसके पीछे आजादी की भावना थी। स्वतंत्रता सेनानी बाहर आ गये थे। लेकिन यहां तो बात ही दूसरी है। वे तो तमिलों को गुलाम बनाना चाहते हैं। उन्होंने जेल पर हमला करके उसे तोड़ दिया और कई वर्षों से जेलों में बन्द तमिलों में आजादी की भावना को कुचलने का प्रयास किया किया है। ऐसा श्रीलंका के उत्तरी भाग तथा अन्य भागों में हुआ है। समस्या के इस नये पहलू की ओर भी ध्यान देना होगा।

श्री लंका में इस जबरदस्त लहर का एक और पहलू भी है अत्याचार किया जाना और प्रतिक्रिया स्वरूप कार्यवाही। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वहां की दो-तिहाई जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। इस से विस्फोटक स्थिति की भयावह बनाने में और मदद मिली है। जहां तक संघर्ष और तनाव का सम्बन्ध है, इस पहलू की उपेक्षा और अवहेलना की गई है। श्री लंका में न केवल उत्तर-दक्षिण तनाव है बल्कि दक्षिण-दक्षिण तनाव भी है और जो यात्री तथा विशेषज्ञ बंध गए हैं, उन्होंने वापस आकर अपनी टिप्पणियां दी हैं। उन्होंने विशेष रूप में इस पहलू का उल्लेख किया है कि आप श्री लंका में न केवल उत्तर-दक्षिण

का तनाव और संघर्ष है वरन दक्षिण-दक्षिण में भी ऐसा है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री लंका में हुई घटनाओं का एक और पहलू भी है अर्थात वहां के समाज का बहुवादी स्वरूप तथा ढ़ाचा। यदि श्री लंका के समाज का स्वरूप एक सा होता है भाषा, धर्म, जातीय तथा सांस्कृतिक ढांचा समान होता तो समस्या अलग प्रकार की होती। लेकिन श्री लंका के समूचे समाज का बहुवादी और जटिल स्वरूप होने के कारण समस्या अधिक गहरी और कठिन हो गई है।

श्री लंका का क्षेत्र 25, 232 वर्ग है और उसकी जनसंख्यां 150 लाख से अधिक है और वहां जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा भाषायी भिन्नतायें विद्यमान हैं। वर्ष 1946 की जनगणना के अनुसार आंकड़े इस प्रकार हैं—सिंहली लोगों में 92% बौद्ध है और 8% ईसाई हैं सीलोन तमिलों में 81% हिन्दू हैं 16 % ईसाई और 3 प्रतिशत बौद्ध हैं। जिन्हें हम भारतीय तमिल कहते हैं, उनमें 89 प्रतिशत हिन्दू हैं, 8 प्रतिशत ईसाई हैं और बाकी बौद्ध हैं। सीलोन मूर—यहां मुझे कुछ शक है—इनमें 99 प्रतिशत मुस्लिम हैं और बाकी बौद्ध, हिन्दू और ईसाई हैं, लेकिन कई लाग कहते हैं कि ये शतप्रतिशत मुस्लिम हैं।

वहां का ढांचा ठीक इस प्रकार का है और भाषा, धर्म जाति मूल इतने जटिल होने के कारण हम देखते हैं कि जब भी कोई संघर्ष उठ खड़ा होता है तो यह उससे बिल्कुल अलग प्रकार का होता है जो किसी ऐसे देश में हो जहां जाति धर्म संस्कृति में समानता हो। सीलोन तमिलों की संख्या उत्तर और दक्षिण में अधिक है जब कि सिंहली लोग अधिकतर अन्य भागों में रहते हैं। उससे एक नये किस्म का तनाव पैदा हो गया है। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से लड़ रहे हैं। किसी क्षेत्रीय भाग में किसी विशेष भाषा बोलने वालों का प्रभुत्व है तो दूसरे भाग में कोई अन्य भाषायी वर्ग का बहुमत है। इस प्रकार अलग क्षेत्रों में अलग धार्मिक और भाषायी लोगों का बहुमत है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक अलग ही समस्या है जिसके कारण हर तरह के आरोप लगाए जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति इधर आये थे। उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया। जब विदेश मंत्री ने 16 अगस्त को सभा में वक्तव्य दिया तो उस वक्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण अंश पता चले और किसी प्रकार की आलोचना और विश्लेषण या टिप्पणियां करने से पूर्व मैं उन की समीक्षा करता हूं।

पहले उन्होंने बताया कि हाल ही में श्री लंका में स्थिति और बिगड़ गई है और श्री लंका की सशस्त्र सेनाएं जाफना और उत्तरी भाग के अन्य क्षेत्रों में जहां बड़े तमिल जनसंख्या अत्यधिक है, बड़े पैमाने पर कार्यवाही कर रही हैं।

उन्होंने हमें आगे बताया कि उत्तरी भागों में भारतीय मूल के तमिल भी प्रभावित हुए हैं। जब हाल ही में राष्ट्रपति जयवर्द्धन भारत आये थे तो हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन पर जोर डाला था कि इस समस्या का सैनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक समाधान निकाला जाये। यद्यपि वह सहमत हो गये थे लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

इसे अब स्वीकार भी किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने हमारी प्रधान मंत्री को संदेश भेजा है कि उत्तरी प्रान्तों में तमिल उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों का मुकाबला करने का निर्णय किया है, इसीलिए यह नये सिरे में हिंसा भड़की है। वास्तव में इतने पैमाने पर हिंसा को तो नर संहार ही कहा जायेगा। जब श्री लंका ने बाह्य सुरक्षा अभिकरणों को आंतरिक हालात में शामिल कर लिया तो स्थिति और बिगड़ गई। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यही कहा है। लेकिन हैरानी यह है कि यह कह चुकने के बाद मंत्री जी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि श्री लंका में तमिल लोगों की हत्या करने और उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को रोकने के लिए सरकार सभी सम्भव प्रयास कर रही है।

मेरे विचार से सरकार के पवित्र विचारों की अभिव्यक्ति है। मुझे खुशी होती यदि मंत्री जी अपने वक्तव्य में विस्तार से बताते, लेकिन उन्होंने केवल यही कहा कि सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। देश की प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद में हम मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने जो कदम उठाये हैं, उनके बारे में विस्तार में बतायें। यहां लोग उत्तेजित हैं, संसद सदस्य उत्तेजित हैं। अतः हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या उपाय किये हैं। इस पृष्ठभूमि में केवल ऊपरी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप बनाये रखने के स्थान पर हमें तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपति जयवर्द्धन प्रायः सर्वदलीय वार्ता की बात करते रहे हैं। प्रधान मंत्री भी इस बात की पुष्टि करेंगी कि जब राष्ट्रपति यहां थे तो उन्होंने प्रैस वालों से बात करते हुए सर्वदलीय वार्ता की बात कही थी, ताकि जातीय समस्या का सदा के लिए कोई राजनीतिक हल निकल सके। लेकिन यह तो केवल अन्तर्राष्ट्रीय दिखावे की बात थी। क्यों कि उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया है। वास्तव में वह कोई राजनीतिक हल तलाश नहीं कर रहे, बल्कि सैनिक हल ढूंढ रहे हैं। यदि वह सैनिक हल ढूंढने के लिए सर्वदलीय वार्ता से बचते रहे तो राजनीतिक समाधान मात्र भ्रम ही रहेगा।

श्री लंका के प्रधान मन्त्री के बारे में एक अन्य पहलू है। श्री लंका में जाति संहार का प्रत्यक्ष रूप से औचित्य सिद्ध करने की बजाए श्री लंका के प्रधान मंत्री पूरा दोष तमिल उग्रवादियों पर डाल रहे हैं जो वहां उत्तरी भाग में बस गये हैं और उन्होंने यह भावना दर्शाई है कि चूंकि तमिल टाईगर्स' आंतकवादी तरीके से कार्य कर रहे हैं जिसके कारण सुरक्षा सेनाओं—नौसेना और स्थल सेना—को बाध्य होकर विशेष कार्यवाही करनी पड़ी।

महोदय, अन्त में राष्ट्रपति जयवर्द्धन अपने वचन से मुकर गए हैं जो उन्होंने दिल्ली में दिया था। बारम्बार इस वचन को दोहराया गया था। यह वचन क्या है ? मेरे विचार से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनका वचन था कि वह श्री लंका में तमिलों के एक स्वायत्तशासी जोनल परिषद का गठन करेंगे और इससे काफी हद तक यह समस्या हल हो सकेगी। अब वह इस वचन से मुकर गए हैं। इन क्षेत्रों में, आग भड़की हुई है, किसी स्वायत्तशासी परिषद के गठन किये जाने की कोई संभावना नहीं है। हमें बताया गया है कि नरम दल के 'तुल्फ' नेता अप्रभावी हो गये हैं। जब उग्रवादी राजनीतिक पर्दे पर उभरते हैं तो वे एक संगठन के जिम्मेदार नेता होते हैं और यदि आप

उदारवादी नेताओं, अर्थात जो संतुलन दिमाग वाले हैं, के साथ समस्याओं का समाधान करने से मना कर देते हैं तो संयम है कि उग्रवादी ताकतें उभरें । इस समय श्री लंका में स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि जब 'तुल्फ' के कुछ उदारवादी नेता जनता के पास जाते हैं तो उन्हें कहा गया है कि जनता का उन पर अधिक भरोसा नहीं रह गया है । जब तक आप राज्य में व्याप्त हिंसा का मुकाबला हिंसा से करने संकल्प नहीं करते तब तक हमें आपको सहयोग देना संभव नहीं होगी। अब इस प्रकार की भावना वहां पर पनप रही । अत: इस पहलू पर भी उचित ध्यान देना होगा । कुछ एसे पहलू हैं जिनमें विदेशी नीति संबंधी पहलू भी संबद्ध हैं। महोदय, हम दावा करते हैं कि हम गुट-निरपेक्ष हैं । श्री लंका का दावा है कि वे गुटनिरपेक्ष हैं लेकिन यदि सरकार गुटनिरपेक्ष स्वरूप के उनके सभी दावों सहित श्री लंका की अर्थ-व्यवस्था और विदेशी नीति का अत्यन्त ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो उसे पता चलेगा कि उनकी गुट-निरपेक्षता पश्चिम की ओर झुक रही है । अत: यह अकारण ही नहीं है कि जब वहां पर स्थिति बहुत खराब थी तो उन्होंने संकेत दिया था कि वे अमरीका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, बंगलादेश और आस्ट्रेलिया जैसे देशों से सहायता लेंगे । अब उन्होंने यह किया है । वे एक स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था का अनुसरण कर रहे हैं तथा वे बहुराष्ट्रिक कम्पनियों पर निर्भर कर रहे हैं । पश्चिम से सभी प्रकार बहुराष्ट्रिक कम्पनियां श्री लंका में घुसपैठ कर गई हैं । उन्होने कुछ सम्पर्क बना लिये हैं और उनका झुकाव इनकी ओर है और पुन: हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जयवर्द्धन ने बारम्बार स्वीकार किया है कि जब स्थिति चरम सीमा पर पहुंच गई थी तो उन्होंने आत्म-रक्षा में आवाहन किया था कि "हमें दूसरे देशों से भी सहायता लेनी पड़ेगी ।" उनकी यह बात रिकार्ड में है ।

अब, इन सभी पहलुओं को उस समय ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम समस्या का समाधान करेंगे, चाहे हम आर्थिक प्रतिबन्धों का उपयोग करते हैं, चाहे हम गुट-निरपेक्ष देशों में अपनी स्थिति का उपयोग करते हैं अथवा हम किसी अन्य यन्त्र का उपयोग करते है तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा । मैं यहां पर चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि स्थिति को बिगड़ने दिया गया तो भी ये बड़ी शक्तियां चुप नहीं रहेंगी । मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो प्रत्येक मामले पर दोनों बड़ी शक्तियों की तुलना करेगा । उदाहरणार्थ जहां तक सामान्य व्यक्ति का संबंध है जब बंगला देश का संकट उत्पन्न हुआ तो हमारी गुट-निरपेक्षता होते हुए जब हमें पता लगा कि सातवें बेड़े ने भारत में आने की धमकी दी तो किसी अन्य बड़ी शक्ति ने धमकी दी "हम आपकी रक्षा के लिये तैयार हूँ ।" गुट-निरपेक्ष और सभी राष्ट्रों को समान समझने के बारे में चाहे हमारी जो भी अच्छाई हो, बड़ी शक्तियों की तुलना करनी पड़ेगी तथा जिस गुट ने सरकार के प्रति सहानुभूति दिखाई थी सरकार को उसके प्रति सहानुभूति दर्शानी पड़ेगी । वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण हुआ । उस समय अमरीका ने कहा था "हम सहायता देने के लिए तैयार हैं ।" लोगों ने उनके प्रति सहानुभूति महसूस की थी और बंगला देश युद्ध के दौरान जब अमरीका ने कहा "हम अपना सातवां बेड़ा भेजेंगे" तो लोगों ने उनके प्रति क्रोध व्यक्त किया। तब सोवियत संघ ने कहा "यदि आप एक कदम भी आगे बढ़े तो तो भारत के साथ टकराव से

पूर्व आपका हमारे से टकराव होगा।" उस समय यह स्थिति थी। आप गुट-निरपेक्ष हो सकते हैं लेकिन मानसिक दृष्टि से लोग गुट-निरपेक्ष नहीं रहते हैं। इन सभी पहलुओं को और इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अन्त में मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक ऐसा मुद्दा है जिसे श्रीलंका में बार-बार उठाया जाता है और वह मुद्दा है अलगाववाद का। वे कहते हैं कि श्री लंका में तमिलों की जनसंख्या एक अलग राज्य उत्पन्न करना चाहती है जो श्रीलंका से अलग हो। हम अपने देश का अनुभव लें। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र डी. एम के. नेता मुझे गलत नहीं समझेंगे। किसी समय भारत में डी. एम. के. ने अलगाववाद का आह्वान किया था। लेकिन यह कहा जाना चाहिए—मैं देश में राष्ट्रीय पार्टियों की परिपक्वता की प्रशंसा करता हूं—कि अलगाववाद के नारे से भयभीत होकर हम भय की जटिलता में नहीं फसे और हमने अन्नादुराई जैसे नेताओं के साथ अपना सम्पर्क बनाए रखा तथा ईमानदारी और निष्ठा बरती। हमने सभी राष्ट्रीय पार्टियों से सम्पर्क किया। सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों—दोनों ने अन्नादुराई के साथ सम्पर्क बनाए रखा, क्योंकि हमें दोनों पक्षों पर विश्वास था कि हम अन्नादुराई को राजी कराने का प्रयास करेंगे कि वह हमारे राजनीतिक जीवन की मुख्य धारा में आ जायें। सभी राष्ट्रीय पार्टियों के ये प्रयास सफल हुए और आज हम देखते हैं कि देश में किसी अन्य पार्टी के समान डी. एम. के. और ए. आई. ए. डी. एम. के भारतीय राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा वाली पार्टियां बन गई हैं। मुझे बिलकुल सदेह नहीं है कि जब भारतीय राष्ट्रवाद की विजय हुई है और वह तमिलनाडु में अपनी शक्ति का दोबारा दावा कर सका है तो वह श्रीलंका में भी अपनी शक्ति का पुन: दावा कर सकेगा।

अत: मैं यह नहीं कहूंगा कि वहां पर अलगाववाद से भयभीत हो जाओ, अपितु मैं कहूंगा कि राजनीतिक समाधान ढूंढो और वहां पर अलगाववाद खत्म हो जाएगा। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए तो श्रीलंका की समस्या हल हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में माना जाएगा और इसका समाधान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : अध्यक्ष महोदय, पिछले पखवाड़े से अधिक समय से और यदि ठीक कहूं तो इस महीने की तीन तारीख से मित्र देश श्रीलंका के हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि हुई है और तमिल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध यह हिंसा सुरक्षा सेनाओं द्वारा की गई है जो वास्तव में स्थल सेना तथा नौ-सेना है। श्रीलंका की नौ-सेना द्वारा वेल्वेट्टीदुराई नगर पर गोलाबारी करके यह हिंसा इस महीने की तीन तारीख को हुई जहां सैकड़ों लोग मारे गये और तमिल अल्पसंख्यकों के सैकड़ों मकान तथा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई। यह राज्य आतंकवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है जो इस समय श्रीलंका में फैला हुआ है। थोड़े दिन बाद चुन्नाकम में क्या हुआ ? चुन्नाकम के इस नगर में पुलिस द्वारा 21 तमिलों को रोका गया और उन्हें स्थानीय पुलिस हवालात में रखा गया और पुलिस बल ने क्या किया ? पुलिस बल ने हवालात को खाली कराया, पुलिस स्टेशन को खाली कराया, पुलिस ने दरवाजों पर दस्तक दी और जब कैदी बाहर आये तो बम का विस्फोट हुआ और कुछ घटे बाद उस स्थान पर 21 तमिलों की लाशें पाई जाती हैं।

कुछ दिन पहले जाफना नागरिक समिति ने किशोरों की रिहाई के लिये अपील की। 15 और 25 वर्ष की आयु के बीच 500 किशोरों को सेना द्वारा नजरबन्द किया गया और उन्हें अज्ञात जगह पर ले जाया गया और अगले दिन अपील जारी करने के बाद इनमें से कुछ व्यक्तियों, जो लापता थे, की लाशें मिली थीं। अब हमें श्रीलका सरकार से पता चला है कि वह इनमे से प्रतिदिन 10-15 लोगो की रिहाई कर रहे हैं। यह कब तक चलता रहेगा जब तक इन सभी निरपराध लोगों को छोड नहीं दिया जाता ? यह आतंकवाद की स्थिति है जो दुर्भाग्यवश मित्र देश श्रीलंका में हो रही है।

तथापि यह स्थिति नहीं है। इस द्वीप में स्वाधीनता के बाद से ही श्रीलंका में रह रहे तमिल लोग रोजगार, शिक्षा, मूल अधिकारों से वंचित करने के प्रति भेदभाव बरतने के लिये लड़ रहे हैं दुर्भाग्यवश यह उसी संविधान, जो श्रीलंका ने स्वयं बनाया है, में निहित है जो स्वाधीनता के बाद अधिकांश सिंघालियों ने स्वयं चुना है। रोजगार, शिक्षा और जीवन के सभी क्षत्रों में इस भेदभाव के खिलाफ तमिल लड़ रहे हैं और इस कारण उनका नर-संहार किया जा रहा है और तथाकथित सुरक्षा बलों द्वारा उनकी सम्पत्ति जलाई जा रही है और लूटी जा रही है।

इस समय समुद्री सीमा के पूर्वी क्षेत्र में, जहां तमिलों की आबादी अत्यधिक है, जफना के उत्तरी क्षेत्र में सिविल प्रशासन का अस्तित्व समाप्त हो गया है। वहां पर नागरिक शासन बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर सैनिक शासन है और सेना किसी को भी जवाब देह नहीं होती। वहां पर बहुत से अत्याचार हो रहे हैं। इसके बारे में श्रीलंका के अधिकारियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि असैनिक नागरिकों के विरुद्ध अत्याचार हो रहे हैं और कोई भी जवाब देह नहीं है। किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है। बीसियों बेकसूर तमिल अल्पसख्यक लोगों की मृत्यु के लिये एक भी सैनिक कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस बात का श्रेय इस सरकार को जाता है कि लगभग एक वर्ष पहले, जुलाई-अगस्त, 1983 में जैसे ही जातीय दंगे शुरू हुये, इस सरकार ने समझौता कराने की पहल की। संक्षेप में, श्रीलंका के दो बड़े समुदायों के बीच समस्या का राजनीतिक हल ढूंढ़ने की कोशिश की और इस बात का श्रेय प्रधान मत्री के विशेष दूत को जाता है कि उन्होंने वह कर दिखाया जो उस समय लगभग असंभव सा प्रतीत होता था अर्थात् दोनों पक्षों अर्थात् तमिल संघ मुक्ति मोर्चा तथा सरकार के प्रतिनिधियों को एक स्थान पर लाकर उनकी बातचीत करवाना। जैसी कि खबरें हैं कि राष्ट्रपति जयवर्द्धन ने दिल्ली आये थे। उन्होंने, सभी दलों के बीच विचार-विमर्श के उपरान्त तय किये गए एक सूत्र को दिल्ली में स्वीकार किया था। वह सूत्र क्षेत्रीय परिषदों के गठन के बारे में था। उन परिषदों से तमिल जनता को कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की जा सकती थी तथा उन्हें कुछ हद तक स्वतः शासन का आधार मिल सकता था। महोदय, यहां पर यह उल्लिखित किया जाता है कि क्षेत्रीय परिषदों को उनके क्षेत्र तक सीमित, जो शक्तियों प्रदान की जानी थी, वे शक्तियां हमारे वर्तमान संविधानिक ढांचे के अन्तर्गत राज्यों को अब तक प्रदान की गई शक्तियों से कहीं कम हैं। हालाँकि राज्य कुछ सही दृष्टि से और प्रयत्यक्ष रूप से और अधिक शक्तियों की मांग कर रहे हैं, परन्तु फिर भी राज्यों के पास अब भी जो शक्तियां हैं,

उनके मुकाबले क्षेत्रीय परिषद की शक्तियां बहुत कम हैं। राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने इस प्रस्ताव को दिल्ली में स्वीकार किया था परन्तु जैसे ही वे कोलम्बो पहुंचे, वे अपने वायदे से मुकर गये। निश्चय ही उन्होंने ऐसा कुछ सिंहली नेताओं और कुछ बौद्ध धार्मिक नेताओं के दवाब में आकर किया और अब क्या हो रहा है ? राष्ट्रपति जो कह रहे हैं, संसद, प्रधान मंत्री और सुरक्षा सेवाएं जो कह रही हैं, उससे तो अब यह लगता है कि वे समस्या का जो हल ढूंढ़ रहे हैं, वह नाजी काल में गैस्तापो के दौरान "अन्तिम हल" के रूप में जाना जाता था अर्थात् सामूहिक हत्या का हल, जाति संहार का हल, अल्पसंख्यकों की हत्या करने और मिटाने का हल।

महोदय, सरकार ने तब तक साहसपूर्ण प्रयास किया जब तक राष्ट्रपति अपनी कायरता के कारण उस प्रस्ताव को मुकर नहीं गये। जिसे उन्होंने दिल्ली मे स्वीकार किया था। इस साहस-पूर्ण प्रयास के कुछ परिणाम भी निकले थे और इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस सही प्रयास को जारी रखें, जो हमारे मित्र देश श्रीलंका की दो बड़े समुदायों के बीच समझौता कराने का एक प्रयास है। निश्चय ही यह एक राजनीतिक हल है, परन्तु इसके साथ-साथ सरकार श्रीलका की एकता और अखंडता को बनाये रखे और उसे हमेशा स्वीकार करती रहे।

एक माननीय सदस्य : यदि वह असफल हो जाती है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यदि वह असफल हो जाती है ? तो जो भी हल निकाला जाता है और जिस भी हल का सुझाव दिया जाता है, वह ऐसा हल होना चाहिये, जो उन लोगों के हितों में हो जिनके संरक्षण की मांग कर रहे हैं अर्थात् श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिल लोगों का संरक्षण, वह ऐसा हल नहीं होना चाहिये जिसका सुझाव, सत्तारूढ़ दल के मेरे मित्र दे रहे हैं अर्थात् सैनिक हल का। मेरे विचार से वह यह सुझाव देते हुए बहुत गंभीर नहीं थे। सैनिक हल किसी भी तरह से व्यवहार्य नहीं है और विशेष रूप से यह इस दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है कि इस हल से उन्हीं व्यक्तियों के हितों को सबसे अधिक क्षति पहुंचेगी, जिनकी हम सबसे अधिक रक्षा करना चाहते हैं। इससे तमिलों को ही क्षति पहुंचेगी और किसी को नहीं।

महोदय, अब राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने जो प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव को परखा गया और उसे अविश्वसनीय पाया गया। यह प्रस्ताव दूसरा सदन बनाने के बारे में था। दूसरे सदन के लिये जिले को आधार बनाया गया था। दूसरे सदन के लिये 25 जिलों में से प्रत्येक से दो सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था और इन 50 सदस्यों में से 25 सदस्यों को राष्ट्रपति जयवर्द्धने अथवा श्री लंका की सरकार द्वारा नामजद किया जाना था। अब राष्ट्रपति जयवर्द्धने कहते हैं कि दूसरे सदन में से वे कुछ मन्त्री नियुक्त करेंगे जो इन क्षेत्रों की देखभाल करेंगे। इन मन्त्रियों की शक्तियां क्या होंगी ? शक्ति का हस्तान्तरण करने के लिये कितना बंधाविक समर्थन मिलेगा जिसे ये मन्त्री पूरा करना चाहते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं कही जाती है। ऐसी बातों को कभी भी नहीं कहा जाता। पूर्व के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री लंका जैसे छोटे देश में जिला एक बहुत ही छोटी इकाई है। शक्ति के किसी भी प्रकार

के वास्तविक हस्तांतरण के लिये इस इकाई पर कतई निर्भर अथवा विश्वास नहीं किया जा सकता।

अब राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने एक नया प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया है। यह प्रस्ताव प्रान्तीय परिषद के बारे में है। फिर यही प्रश्न उठता है कि क्या इन परिषदों की सक्षमता, इन परिषदों की शक्ति, किसी भी तरह तमिल जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इस प्रस्ताव तथा राजनीतिक हल की आवश्यकता के अतिरिक्त मुझे इस समूचे प्रश्न के मानवीय पहलू का भी उल्लेख करने दिया जाए। लोग मर गये हैं। इस बात को सब व्यक्ति मानेंगे कि बेगुनाह व्यक्ति मर गये हैं। श्री लंका के मंत्रियों ने यह स्वीकार किया है। अब यह आवश्यक है कि उन लोगों का पुनर्वास किया जाए। यह भी आवश्यक है कि यदि उनकी जान की नहीं, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, तो कम से कम उन्हें सम्पत्ति का जो भारी नुकसान हुआ है, उसकी तो क्षतिपूर्ति की जाए।

मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि सैनिक कार्यवाही द्वारा प्रभावित पीड़ितों में से एक मुश्त को, सरकार के कथनानुसार, मुआवजा दिया जा रहा है। यह मुआवजा मुन्नर में ही क्यों दिया जा रहा है ? वेलवत्तूराई में क्यों नहीं दिया जा रहा है ? किसी अन्य नगर में क्यों नहीं दिया जा रहा है ? हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कारण और मजबूरियां हैं कि केवल मुन्नर के लोग ही मुआवजा पाने के हकदार हैं और अन्य नगरों के लोग हकदार क्यों नहीं हैं ? मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात की ओर ध्यान दें कि श्री लंका के किसी भी भाग में, जिन बेगुनाह लोगों को नुकसान हुआ है, वे चाहे किसी भी शहर अथवा क्षेत्र में रहते हों, उन्हें मुआवजा दिया जाए और उनका पुनर्वास किया जाये।

यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछले वर्ष जुलाई में जातीय दंगों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास संस्था को उपयोगी कार्य करने की अनुमति दी गई थी, परन्तु इस बार उसी संस्था को श्री लंका में कार्य करने से मना किया जा रहा है। किसी को तो यह बहुत ही अजीब लगता है और किसी को लगता है कि यह मानवीय नहीं है।

मानवीय पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु अपने देश की सुरक्षा की व्यवस्था करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह आवश्यकता इसलिये पैदा हुई है क्योंकि उस क्षेत्र में विदेशी ताकतें घुस गई हैं। पिछले एक वर्ष से अमरीकी लोगों ने उस द्वीप में वास्तव में पांव जमा लिये हैं।

त्रिन्कोमल्ली में क्या हो रहा है ? उस द्वीप से मिली सूचना के अनुसार, श्री लंका के वर्तमान प्रशासन द्वारा अमरीका को सैनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। श्री लंका प्रशासन ने इस बात से इन्कार किया है। श्री लंका के प्रशासन ने कहा है कि उन्हें केवल विश्राम और मनोरंजन की सुविधाएं दी गई हैं जिनका प्रयोग कोई भी देश कर सकता है। परन्तु उन्हीं लोगों को अधिक जानकारी होनी चाहिये जो उस महत्वपूर्ण और नाजुक पत्तन, के सैनिकीकरण की सूचना लाते हैं।

जाना माना शान्ति दल फिर से श्री लंका में क्रियाशील है। वायस आफ अमरीका अपनी पारेषण सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है और हो सकता है कि वह उस द्वीप में और पूर्ण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा दे और उनका बलात मत प्रवर्तन करे।

हमें खबरें मिली हैं कि इस्राइलियों ने वहां के अमरीका दूतावास में कोई हित विभाग खोल लिया है। इसके साथ-साथ मोस्सद श्री लंका के कार्यकर्त्ताओं को तमिल के स्वतंत्रता सेनानियों उन (यदि मुझे उन्हें इसी नाम से पुकारने दिया जाए) के विरुद्ध प्रशिक्षण दे रहा है।

वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के विरुद्ध बेरूत में मुसलमानों के विरुद्ध, उनकी तकनीक और उनके आक्रमण के ढंग अर्थात् पहले धावा बोलो फिर खोजो और नष्ट कराने मोस्सद के इस पूर्ण निन्दनीय रिकार्ड को जानते हुए कोई भी वास्तव में यह विश्वास कर सकता है कि मद्रास हवाई अड्डे पर जो कुछ भी हुआ, अर्थात् बम के फटने से हमारे कई व्यक्तियों के मारे जाने में इस्राइल के मोस्सद का हाथ होने के बारे में काफी शक किया जा सकता है।

केवल इस्राइली ही नहीं, दक्षिण अफ्रीकी लोग भी वहां पर कार्य कर रहे हैं। जैसी कि खबरें है, दक्षिण अफ्रीका का एक जहाज कोलम्बो में उतरा है और उसने हथियार लाने का काम किया है। इस प्रकार श्री लंका में विदेशी ताकतें घुस रही हैं। इससे श्री लंका की सुरक्षा की तथा स्वतन्त्रता को खतरा है क्योंकि जब एक बार ये ताकतें अर्थात् इस्राइल से आ जायें, तो ये आसानी से लौटती नहीं हैं। चूंकि हमारा देश श्री लंका के निकट है, इसलिये हमारे देश को भी इनसे खतरा है। अतः यह आवश्यक है कि भारत सरकार श्री लंका के प्रशासन को बहुत गभीरतापूर्वक यह सूचित कर दे कि श्री लंका में विदेशी ताकतों का घुसना, श्री लंका के लिये और हमारे लिये भी खतरनाक है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह राजनीतिक हल ढूंढने की दिशा में कार्य करें इस सभा में हम सभी को सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिये, ताकि सरकार अपना कार्य कर सके। हमें राष्ट्रपति जयवर्द्धने को यह भी सूचित कर देना चाहिये कि विदेशी ताकतों का घुसना उनके देश के हितों के विरुद्ध तो है ही, परन्तु यह हमारे देश के हितों के भी विरुद्ध है।

इस सारे देश की जनता श्री लंका के तमिलों के पीछे हैं और हमें आशा है कि शीघ्र ही अच्छे दिन आएंगे।

श्री एम. एम. लारेंस (इडुक्की) : इस मामले पर इस सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। हमारी सरकार श्री लंका सरकार और श्री लंका के तमिल नेताओं के बीच इस समस्या को सोहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश कर रही है। परन्तु अब तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। न केवल यही बल्कि श्री लंका में अत्याचार बढ़ रहे हैं। पहले जिन सदस्यों ने भाषण दिए हैं, उन्होंने कई घटनाओं का उल्लेख किया है। अब इस अत्याचार की विशेषता यह है कि यह श्री लंका सरकार द्वारा किया जा रहा है। वह निहत्थे नार्मल लोगों के विरुद्ध सेना इस्तेमाल कर रही है। श्री लंका में वास्तव में वह संहार हुआ है। मरने वालों में अधिकांश

स्त्रियां और बच्चे थे, पुरुष नहीं थे। कई दुकानों को भी लूटा गया और जला दिया गया। अब तमिल लोग आर्थिक दृष्टि से तबाह हो चुके हैं।

जयवर्धने सरकार श्री लंका के लोगों में फूट डालने की नीति का पालन कर रही है। वे फूट डाल कर राज्य करने का प्रयास कर रही है। श्री जयवर्धन सत्ता में कैसे आए, यह हम सब भली भाँति जानते हैं। श्री लंका में हमारी भाति संसदीय प्रणाली थी। बाद में एक प्रकार का जनमत करा कर वहां राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी गई। जयवर्धन श्री लंका के राष्ट्रपति बन गये और अब राष्ट्रपति बनने के बाद वह श्री लंका के लोगों, के चाहे वे तमिल हों या सिंहली, सभी लोकतान्त्रिक अधिकार समाप्त कर रहे हैं। वह लोगों की कोई भी समस्या हल नहीं कर रहे हैं। श्री लंका आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है और इसकी जनसख्या भी बहुत कम है। बेरोजगारी वहां बढ़ती जा रही है। मुट्ठी भर लोग श्री लंका के अधिकांश लोगों का शोषण कर रहे हैं और श्री जयवर्धने ने इन मुट्ठी भर लोगों के लिए शासन कर रहे हैं। इस शासन को बनाए रखने के लिए वह और उनके अनुचर लोगों में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं और वहां इस समस्या के उठने का कारण भी यही है। पहले आशा की जा रही थी कि वे क्षेत्रीय परिषद का गठन करेंगे। अब वह पुन: मुकर गए हैं। श्री लंका की सरकार एक कमजोर सरकार है। अब वह इस्राइली और अमरीकी साम्राज्यवादियों से सीधे सहायता और परामर्श ले रहे हैं। मेरे माननीय मित्र इस सम्बन्ध में पहले ही कह चुके हैं। इस सभा में कई बार इस बारे में कहा जा चुका है। ट्रिनकोमली अमरीका साम्राज्यवादीयों का सैनिक अड्डा बनाया जा रहा है और इस्राइल से मोसाद को विद्रोह करने वाली शक्तियों का मुकाबला करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए लाया गया है। न केवल **मोसाद** बल्कि ब्रिटेन स्थित एक संगठन **एस. ए. एस.** को भी लाया जा रहा है। **एस. ए. एस.** एक दमनकारी सेना है जिसका प्रयोग ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने 1950 में मलेशिया में लोकतान्त्रिक और क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए किया था। अब उसी एस. ए. एस. के लोग सरकार द्वारा भड़काए गए आतंकवादियों को श्री लंका के निहत्ते तमिलों को मारने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। यही **मोसाद** लातिनी अमरीका की आम जनता पर आक्रमण करने के लिए तथा वहां स्वतन्त्रता आन्दोलन को दबाने के लिए लातिनी अमरीका के क्रान्तिकारी-विरोधियों की सहायता कर रहा है। वे सी. आई. ए. से सांठ-गांठ करके लातिनी अमरीका के सैनिक शासकों की सहायता कर रहे हैं। इस्राइल की भूमिका के बारे में हम सब भली-भांति जानते हैं। मध्य पूर्व में वे क्या कर रहे हैं और बेरूत और लेबनान में उन्होंने क्या किया है। अमरीका साम्राज्यवादियों की सहायता से इस्राइल लेबनान की जनता में ईसाइयों और मुस्लिमों के रूप में फूट डालने में सफल हुआ है। वे एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। **मोसाद** ने बेरूत में हजारों निहत्थों को बच्चों और पुरुषों दोनों को मारा है। वही **मोसाद** हमारे पड़ोस श्री लंका में पहुंच गया है। महोदय, इन बाहरी आसूचना और विनाशक शक्तियों की उपस्थिति से यह मामला एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। विशेष रूप से हमारे देश की प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता और एकता से सम्बन्धित एक अत्यन्त गम्भीर समस्या बनती जा रही है। **मोसाद** इन शक्तियों को श्री लंका में केवल प्रशिक्षण देने पर ही नहीं लगा हुआ है। यदि हम **मोसाद** के इतिहास को उठाकर देखें तो हमें पता चल सकता है कि वे विभिन्न एजेन्टों के माध्यम से

हमारे देश में घुसने का प्रयास करेंगे। संभवतः वे हमारे देश में प्रवेश कर भी चुके हों और हमारे देश में विनाशक गति-विधियों में सहायता कर रहे हों।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : केरल में भी।

श्री एम. एम. लारेंस : मैं आपकी टिप्पणी की सराहना करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आपका कहने का अर्थ है कि इस्राइली हमारे देश में डा. स्वामी के माध्यम से प्रवेश कर चुके हैं।

श्री एम. एम. लारेंस : मेरे विचार में वे इससे इन्कार नहीं करेंगे।

मुझे एक साप्ताहिक पत्रिका में डा. स्वामी का एक लेख पढ़ने का मिला था जिसमें उन्होंने इस्राइल की वकालत की थी.....

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आपने इस लेख को पढ़कर अपना समय क्यों नष्ट किया ?

श्री एम. एम. लारेन्स : उस लेख में भारत सरकार से इस्राइल को मान्यता देने का अनुरोध किया गया था।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : सरकार इस्राइल को पहले ही मान्यता दे चुकी है। मैं चाहता हूं कि वहां दूतावास खोला जाए।

श्री एम. एम. लारेंस : मेरे विचार में तथा मेरी पार्टी के विचार में भारत सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती है। लेकिन डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी इसके लिए वकालत करते

5.00 म. प.

रहे हैं। वह किसके लिए वकालत करते रहे हैं ? वह अमरीकी साम्राज्यवाद के लिए वकालत करते रहे हैं। डा. स्वामी ही नहीं, हमारे देश में कुछेक संगठन ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे वक्त पी.एल.ओ. के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किये हैं जब कि यह मोसाद श्रीलंका में श्रीलंका के आम लोगों के विरुद्ध विद्रोह-विरोधी शक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए आया है।

प्रो. मधु दण्डवते : कृपया संक्षिप्त रूप में नाम न कहें, लोगों को पी.एल.ओ. और यू. एल. ओ. में क्रान्ति पैदा हो जायेगी।

श्री एम. एम. लारेंस : इस समय जबकि मोसाद श्रीलंका में वहां की सरकार को तमिलों के लोकतांत्रिक आन्दोलन को दबाने के लिए पहुंचा है, उस समय इन संगठनों ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के विरुद्ध प्रचार क्यों आरम्भ किया है ? वास्तव में उनका, इन शक्तियों के साथ सांठ-गांठ है। मैं उनका जिक्र भी करना चाहता हूं। यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। इस बारे में हाल ही में संघ के सरसंघचालक ने अपने विचार व्यक्त किये थे। केवल

अभी नहीं, पहले भी इन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की थी कि वे उन सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ अपना सहयोग कर रहे हैं जो कि अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ सहयोग कर रही हैं। उन्हें पाकिस्तान का एक साम्प्रदायिक देश, एक रूढ़िवादी देश बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। वह बंगलादेश के भी ऐसा बनने के इच्छुक हैं। वे इस बारे में तर्क क्यों दे रहे हैं ? क्योंकि वे सोचते हैं कि तभी वे भारत में एक हिन्दू राष्ट्र स्थापित करने के अपने मामले को स्थायी रूप दे सकेंगे। उनकी यही मंशा है। यह एक अलग बात है कि वह अपने इस उद्देश्य में सफल होते हैं या नहीं। मुझे विश्वास है कि वे अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही हम इस देश में आम लोगों के मन में इन खतरनाक प्रतिक्रियावादी विचार धारा और उद्देश्यों को पनपने देने की उनकी कोशशों को नजरन्दाज नहीं कर सकते।

प्रो. के. के. तिवारी (बम्सर) : आपने श्रीलंका में चीन की दिलचस्पी के बारे में जिक्र नहीं किया।

श्री एम. एम. लारेंस : मैं चीन के लिए तर्क नहीं दे रहा हूं। अगर आपको कुछ कहना है तो आप इस बारे में कह सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि चीन भारत के साथ समस्यांए सुलझाने में इच्छुक है। हाल ही में मैं चीन के दौरे पर गया था। मुझे उनके विचारों को जानने का काफी मौका मिला और वे भारत के साथ समस्याओं को सुलझाने के इच्छुक हैं····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमें अपने—आपको श्रीलंका की समस्या तक सीमित रहना चाहिए। इस मामले को व्यापक बनाने की कोशिश न कीजिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : उन्होंने श्रीलंका में चीनियों की दिलचस्पी का जिक्र किया है न कि चीन की।

श्री एम. एम. लारेंस : इस चर्चा को चीन से जोड़ने की बात करे के. के. तिवारी ने की है। खैर, मुझे विश्वास है कि चीन की सरकार या वहां की जनता, श्रीलंका में तमिलों के रहने के विरुद्ध नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि उनके श्रीलका सरकार से अच्छे सम्बन्ध हैं। श्रीमन्, इस हमले की वजह से श्री लंका में एक लाख व्यक्ति शरणार्थी बन गये हैं। वे काफी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। कुछ लोग भारत आ गये हैं और कुछ और भारत आना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है। मोटे तौर पर सरकार द्वारा अपनाया गया रवैया सही है। वह वार्ता के माध्यम से समस्या को हल करना चाहती है। कुछ लोग सेना के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा दल इसके सख्त खिलाफ है। इससे समस्या हल नहीं होगी। हमें अपनी सेना को भेजकर उस देश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम इसके विरुद्ध हैं।

इस समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार को अधिक सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिए। पहले ही प्रो. मधु दण्डवते ने हमारे गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के नाते प्रभाव

डालने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं समझता हूं कि इस बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा देश और श्रीलंका दोनों ही राष्ट्रमन्डल के सदस्य हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रमंडल इस समस्या को हल करने के लिए क्या कर रहा है? यह समस्या श्रीलंका के तमिलभाषी लोगों और जयवर्धने सरकार के बीच में है न कि सिंहली और तमिलों के बीच। यह केवल लोगों और उन तानाशाहों के बीच हैं जो कि अमरीकी साम्राज्यवाद की सहायता से उस धरती पर राज्य कर रहे हैं। वह देश भी राष्ट्रमन्डल का सदस्य है और हमारा देश भी इसका सदस्य है। यह राष्ट्रमन्डल क्या कर रहा है? क्या वह इस मामले में कुछ कर रहे हैं? अगर राष्ट्रमन्डल उपयोगी नहीं है तो हम इसके सदस्य क्यों कहें? अब समाचारपत्रों में कहा गया है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए नार्वे और स्वीडन कुछ पहल कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे कैसे समस्या को सुलझा सकते हैं। ठीक है, अब सारे भारत में और विशेषकर हमारे देश के दक्षिणी राज्यों - तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक—के लोग यह सोचने लग गये हैं कि भारत सरकार ने ऐसा कुछ किया जो कि इस समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता था। इस समस्या का यथासंभव शीघ्र समाधान करने के लिए सरकार अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रही है। अतः मैं सरकार तथा विशेष रूप से प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह अधिक कड़ी कार्यवाही करके इस समस्या को शीघ्र हल करने के लिए पहल करें। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन राष्ट्र मन्डल तथा किन्ही अन्य मंचों का प्रयोग किया जाये जिससे इस समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी।

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : महोदय, इस सम्मानित सदन में परसों यह देखा गया है कि किस प्रकार सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर आंध्र प्रदेश की समस्या का राई का पहाड बनाया है। मैं खेदपूर्वक कह रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण तमिल समस्या पर चर्चा करने में उसी तरह की रुचि नहीं दिखाई गई है...(**व्यवधान**) तब वे सभी इकट्ठे हो गए थे और शोर मचा रहे थे कि भारत में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने श्री लंका में तमिल लोगों की वास्तव में की गई हत्या आदि के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। वे आंध्र प्रदेश के बारे में अधिक चिंतित हैं (**व्यवधान**)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनकी पार्टी का केवल एक तमिल सदस्य सदन में उपस्थित है। अन्य सभी सदस्य अनुपस्थित हैं....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम श्रीलंका की समस्या पर चर्चा करें।

श्री ईरा अनबारासु : इस समय यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप श्रीलंका की समस्या पर चर्चा करें।

श्री ईरा अनबारासु : इससे पूर्व कि मैं श्रीलंका में हुई घटनाओं पर बोलूं मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान श्रीलंका के इतिहास की ओर दिलाना चाहता हूं। कभी श्रीलंका तमिलनाडु का अभिन्न अंग था। इस बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य है...(**व्यवधान**) मैं तेलगु नाटक

नहीं खेल रहा हू जैसा कि परसों अन्य राजनीतिक नेताओं ने किया था अथवा एन. टी. आर. ने एक बड़ा नाटक किया था जो सभी विधायकों को दिल्ली में ले आये थे। मैं तमिलनाडु से निर्वाचित हूं....(**व्यवधान**) मुझे अपने विचार व्यक्त करने दें।

मैं श्रीलंका के तमिल लोगों की समस्या पर अपनी सच्ची भावनायें व्यक्त करना चाहता हूं न कि कुछ राजनीतिक दलों के समान जो केवल राजनीतिक नाटक करते हैं... (**व्यवधान**)

इस बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि 113-125 ईसवी में, श्रीलंका के शासक द्वितीय गजबगु ने सेरन सेनगुट्टुवन, जो तमिलनाडु के तीन महान नरेशों में से एक था, क्या आमंत्रण स्वीकार किया और कण्णगी में शुचिता की देवी कन्ना की मूर्ति के स्थापना समारोह में भाग लिया। इसका उल्लेख सिलप्पाड़ी कड़म में उल्लेख किया गया है जो द्वितीय शताब्दी ईसवी के तमिल साहित्य का एक प्रमुख महाकाव्य है। श्रीलंका के ऐतिहासिक अभिलेख महावंश में इसकी पुष्टि की गई है कि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान श्रीलंका तमिलनाडु का अभिन्न अंग था। विख्यात पूर्वी तथा पश्चिमी इतिहासकारों के अनुसार इसका 'ताम्परबने' के रूप में उल्लेख किया गया है। महोदय, ताम्परबने का आशय सागर में मोती है। यह जोर देने के लिए एक स्पष्ट साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में यह तमिल व्यवस्था का एक अभिन्न अंग था। अतः मेरा मुद्दा यह है कि श्रीलंका में तमिल लोगों का वहां पर रहने का निर्विवाद अधिकार है। जयवर्द्धने को छोड़ दीजिए, कोई अन्य व्यक्ति भी उन्हें वहां से निष्कासित नहीं कर सकता है। उनका श्रीलंका में रहने का जन्मसिद्ध अधिकार है।

महोदय, श्रीलंका में नरसंहार काफी लम्बे अर्से से किया जा रहा है। यहां पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जब सभ्य राष्ट्र इस बात से सहमत हैं कि यह नर संहार है तो यह प्रत्येक देश का नैतिक दायित्व है कि वह पीड़ितों की रक्षा करें और इस प्रकार के नर संहार को रोकें। महोदय यहां पर मैं 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किए गए संकल्प की पुनः याद दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

> "विश्व के किसी हिस्से में नर सहार सम्बन्धित देश का आन्तरिक मामला नहीं मान जा सकता है।"

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन शांति काल अथवा युद्ध काल में किया गया नर संहार एक अपराध है जिसकी न केवल भर्त्सना की जाए और रोका जाए अपितु इसके लिए दड भी दिया जाये। सामूहिक हत्याओं का साक्ष्य तथा निरपराध तमिलों पर राज्य का आतंकवाद नर संहार अपराध के स्पष्ट साक्ष्य हैं। अतः मैं कहना चाहता हूं कि हम केवल यह नहीं सकते कि यह एक आंतरिक मामला है। हम चुप भी नहीं रह सकते हैं। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कार्य-व्यवहार्य राजनीतिक समाधान शीघ्र ढूंढा जाना चाहिए।

महोदय, मैं इस देश की प्रधान मन्त्री द्वारा की गई समस्त पहल के लिए उनका धन्यवाद करता हूं अन्यथा अब तक कई और हत्यायें हो जातीं।

श्री चित्त बसु (बारसाह): और हुआ क्या है ?

श्री ईरा अनबारासु : मैं भारत सरकार द्वारा समय पर हस्तक्षेप किये जाने के लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, श्रीलंका में हो रहा नृषंस हत्या कांड, निर्दयता पूवर्क की जा रही हत्यायें वयातना उनकी बर्बर कार्यवाही है । तमिलों की नृशंस हत्या मानवीय अधिकारों पर सीधा प्रहार है और विश्व के मानवीय अधिकारों के रक्षकों को श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों पर राजकीय आंतकवाद का विरोध करने और इसे रोकने के लिए आगे आना चाहिए।

महोदय, यहां पर मैं इस सम्मनित सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि श्रीलंका में अल्पसंख्यक समस्या एक विशिष्ट समस्या नहीं है । इस प्रकार की समस्या का कई अन्य देशों को सामना करना पड़ा है । मलेशिया और पाकिस्ता में भी इस प्रकार की समस्या थी लेकिन वे समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह परिपक्व थे और उन्होंने इस समस्या के प्रति अधिक सावधानी का दृष्टिकोण अपनाया । लेकिन राष्ट्रपति जयवर्द्धने के दृष्टिकोण में वह परिपक्वता नहीं है जिससे कि इसका उचित और व्यव- हारिक समाधान ढूंढा जा सके । इसकी बजाय वह एक तानाशाह के समान बर्ताव करते हैं । वह ढुलमुल नीति अपना रहे हैं । जब भी वह दिल्ली आये, एक नया प्रस्ताव लेकर आये । श्री जयवर्द्धन, श्री पार्थासारथी और टी. यू. एल. एफ. के नेताओं के बीच जिस औपचारिक प्रस्ताव पर सहमति हुई थी, उस पर आगे बातचीत नहीं की गई । इसे कूड़े की टोकरी में फैंक दिया गया था ।

यहां पर मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जयवर्द्धने श्रीलंका में तमिलों को समाप्त ही नहीं करना चाहते, अपितु वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने विरोध में देखना भी नहीं चाहते, इसमें किसी व्यक्ति अथवा किसी राजनीतिक दल का तो प्रश्न ही नहीं है । महोदय, हम जानते हैं कि किस प्रकार श्रीमती भंडारनायके ने श्रीलंका पर शासन किया । उस देश की तत्कालीन प्रधान मन्त्री को अब नागरिक स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं है । उसकी नागरिक स्वतंत्रता छीन ला गई है । वह अब किसी बैठक को संबोधित नहीं कर सकती हैं । हमारे विपक्षी नेता कल शोर मचा रहे थे कि भारत में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है । वे श्रीलंका में जायें और वहां राष्ट्रपति जयवर्द्धने के कुशासर का पता लगायें । दस लाख लोगों के नागरिक अधिकार एक ही बार में छीन लिए गए । यह शर्म की बात है ।

प्रो. मधु दंडवते: मेरे विचार से आगामी आपातकाल में आप हमें श्रीलंका में भेजेंगे।

श्री ईरा अनबारासु : मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जयवर्द्धने सत्ता में आने के बाद तत्काल ही श्रीलंका के संविधान को नष्ट कर दिया । अब न्यायपालिका पंगु हो गई है जो अल्पकालिक राजनीनिक लाभ के लिए ही रह गई है । एक विख्यात विधि नेता द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक में इसका बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । हांलाकि राष्ट्र को कोई विश्वसनीय खतरा नहीं था तथापि तमिलों के लिए कानून तथा संवैधानिक समाधानों में अड़चन

डालने के किसी अन्य कारण को छोड़कर वहां पर आपात स्थिति की उदघोषणा की गई थी और उन पर अब राज्य का प्रतिशोध इस आघात से हुआ। यहां पर मैं जस्टिस पाल सियघार्ट द्वारा लिखित तथा इंटरनेशनल कमीशन आफ ज्यूरिस्टस एण्ड इट्स ब्रिटिस सैक्शन द्वारा प्रकाशित श्रीलंका के बारे में एक उत्कृष्ट प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहता हूं।

"क्रमिक संवैधानिक संशोधनों और दमनकारी अध्यादेशों के जरिए, जिनमें से प्रत्येक श्रीलंका के संविधान का उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने इस प्रकार एक बार में ही एक लोकतन्त्रात्मक राज्य में प्राप्त हो सकने वाले नियंत्रण और प्रति नियंत्रण नष्ट कर दिए हैं।"

श्रीलंका में इस प्रकार का प्रशासन चल रहा है और इसलिए राष्ट्रपति जयवर्द्धने के कुशासन के कारण ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। न्यायपालिका स्वतंत्ररूप से न्यायसंगत विचार व्यक्त नहीं कर सकती है। और विधान मंडल प्रमुख बहुमत के असंवैधानिक और गैर-कानून उद्देश्यों के पक्षपातपूर्ण हितों को पूरा कर रहा है और यह राष्ट्रपति जयवर्द्धने का कुशासन है जो तमिलों की हत्याओं का मुख्य कारण है।

मेरे मित्र श्री मोधाद की उपस्थिति के बारे में बोल रहे थे। मोसद केवल श्रीलंका में ही नहीं थी अपितु उन्हें तमिलनाडु में भी देखा गया है। इस बारे में मैं 28 जुलाई, 1984 के 'पैट्रियार' से एक उद्धरण को पढ़ना चाहता हूँ जो इस प्रकार है :

"इजरायली संगठन मोसाद का श्रीलंका में राज्य प्रायोजित आतंकवाद मे प्रवेश एक नई बात है। अमानवीय यातना, तिरस्कार और गलियों में हत्यायें रोजमरी की बात हो गयी है। सी. आई. ए. की सहायता से मोसाद कल अपनी कार्यवाही योजना भारत में शुरू कर सकता है।"

यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि कुम्बकोनम में दो इजरायली व्यक्ति मिले थे और स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी और अगले दिन वे गायब हो गए और उनका अता-पता मालूम न हो सका। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे भारत में विशेष रूप से दक्षिण भारत में सक्रिय हो रहे हैं और हमारी सुरक्षा को भी खतरा है। अत: मैं एक बार फिर इस सम्मानित सदन का ध्यान जयवर्द्धने के तर्क की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि आंतकवाद पर नियंत्रण करना चाहते हैं। मान भी लिया जाये कि श्रीलंका में आंतकवाद है तो भी आप इसे श्रीलंका में तमिल मूल के लोगों की हत्या करके नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि वह आंतकवाद को नियंत्रित करना चाहते हैं तो श्रीलंका के लोगों को उचित आकांक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए। यदि श्रीलंका की आकांक्षायें तथा इच्छायें पूरी की जाती हैं तो कोई आंतकवाद नहीं होगा। वास्तव में श्रीलंका के तमिल कोई अलग राष्ट्र नहीं चाहते हैं। 30 वर्षों तक वे सिंहलियों के साथ भाइयों की तरह शांतिपूर्वक रहे हैं। वे एक अलग राज्य के लिये कब आगे आये ? यह वर्ष 1974 ही है जब श्रीलंका में एक तमिल सम्मेलन हो रहा था तो भीड़ पर गोलीबारी की गई थी और हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस समय श्रीलंका में एक

अन्य जलियांवाला बाग की घटना दोहराई गई थी । वे सरकारी आतंकवाद को रोकना चाहते थे, वे कुछ लड़ने की शक्ति का निर्माण करना चाहते थे और यही कारण है कि तमिलों को दबा दिया गया वहां तमिल लोग सिंहलियों के समान अधिकार चाहते थे । आप जानते हैं कि उनके साथ कैसा भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है । इसलिए अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बार इस बात पर फिर बल देना चाहता हूं कि भारत सरकार को यह समस्या सभी विश्व मंचों पर उठानी चाहिये, विशेषकर मानव अधिकार आयोग में और भारत को चाहिये कि श्रीलंका को एक कड़ी चेतावनी दे ।

अध्यक्ष महोदय : यह सदन अथवा देश इस विषय में विभाजित नहीं है । इस प्रश्न पर यह एकमत है । वे पूरी तरह एकमत हैं ।

श्री ईरा अनबारासु : भारत को श्रीलंका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और उसे दी गई सारी सहायता वापस ले लेनी चाहिए । अन्यथा, वे भारत के हस्तक्षेप या पहल की कोई परवाह नहीं करेंगे और समस्या हल नहीं होगी ।

श्री सी. टी. दंडपाणि : (पोल्लाची) मैं उन सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने श्रीलंका सरकार द्वार तमिल अल्पसख्यकों के विरुद्ध छेड़े गये सरकारी आतंकवाद की निन्दा की है ।

गत वर्ष जुलाई, के महीने में निर्दोष लोगों की, विशेषकर निहत्थे लोगों की जेल में हत्या की गई । बहुत से कारणों से तथा तमिलनाडु व श्रीलंका के लोगों में परस्पर सम्बन्धों के कारण हमने इस मुद्दे को सदन में उठाया था । इस मामले में भारत सरकार ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी । 1983 में भारत सरकार ने यह कहा था कि वह मूक दर्शन नहीं बनी रहेगी । एक वर्ष बीत जाने पर भी, यह बड़े अफसोस की बात है कि भारत सरकार वही बयान दे रही हैं । वेलवेटीतुरई तथा चुन्नकम क्षेत्रों में हाल ही में हुई घटनाओं तथा दंगों में बहुत से लोग मारे गए हैं । 300 से अधिक बच्चों को गिरफ्तार किया गया था । उन्हें बन्दी बना लिया गया था । जिन 2000 युवकों को गिरफ्तार किया गया था उनके बारे में कोई जानता कि वे कहां हैं । कल उनकी माताओं, अर्थात् 2000 युवकों की माताओं, ने एक जलूस निकाला था । उन्होंने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया कि नजरबन्द बनाए गए लोगों को तुरन्त रिहा कर दिया जाए । श्रीलंका सरकार का इस समस्या से निपटने का एक अनोखा ढंग है । उन्होंने 15 से 30 वर्ष तक की आयु के युवकों का संहार करने का निर्णय किया है । यह एक पूर्व-नियोजित तरीका है, जिसे वे अपना रहे हैं । लोकतंत्र के प्रेमी तथा समूचे समाचार पत्र जो मानव अधिकारों के पक्षधर हैं, सभी ने इन कृत्यों की निन्दा की है । भारत सरकार इस विषय में श्रीलंका सरकार से पत्र व्यवहार करती रही है । इन पत्रों के बाद श्रीलंका के राष्ट्रीय सुरक्षा मन्त्री श्री ललित अतुलथ-मुडाली ने एक वक्तव्य दिया :

> "बयान में कहा गया है कि सेना ने अपनी कार्यवाही के दौरान मानवीय रवैया अपनाया था ।"

2,000 व्यक्ति मारे गए हैं तब भी राष्ट्रीय सुरक्षा मन्त्री का यह कहना है कि सेना ने माननीय रवैया अपनाया है। वास्तव में वे समूचे तमिल समुदाय का संहार करना चाहते थे। यह सेना ने नहीं किया। मैं यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा मन्त्री के इस बयान को दृष्टिगत रखते हुए कह रहा हूँ कि उनकी कार्यवाही माननीय रवैये पर आधारित थी। वह सेना की कार्यवाही की प्रशंसा करते हैं। वहां पर सब कुछ हो रहा है।

महोदय, मैं वहाँ उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। यहां तक कि तमिलनाडु के कुछ लोगों को लगभग 16 यात्रियों को जो जाफना गए थे, भी नहीं बक्शा गया। उन 16 यात्रियों को, जो एक किराये की मोटर गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, श्रीलंका के सुरक्षा बलों ने जाफना से 5 किलोमीटर दूर कैथाली नामक स्थान पर गाड़ी से बाहर खीचकर गोली से उड़ा दिया। मैं वह कह रहा हूँ जो बताया गया है। तमिलनाडु के भारतीय नागरिकों को मार दिया गया। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार क्या करने वाली है। बेशक, मैं समझ सकता हूं कि बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि यह उनका आंतरित मामला है। लेकिन वहां तमिलनाडु से हमारे नागरिकों को मार दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार के विरुद्ध कोई विराध दायर किया बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों को इसकी सराहना करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप तमिलों के रवैया और प्रवृति को देखें। तमिल युवकों ने ऐलान दम्पत्ति का अपहरण कर लिया था। वे अमरीकी हैं और उन पर सी. आई. ए. के एजेन्ट होने का सन्देह है। निस्सन्देह, वे सी. आई. ए. के एजेन्ट थे। तमिल युवकों ने उनका अपहरण करके उन्हें अपने पास रखा था। प्रधान मन्त्री महोदय ने युवकों से अपील की कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। तमिल युवकों ने पूरी विनम्रता के साथ इस दम्पत्ति को रिहा कर दिया था लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार, विशेषकर प्रधान मन्त्री से यह मांग की थी कि निर्मला नित्यानन्दम नामक एक महिला, जो एक कालेज में प्रोफेसर हैं, और जिन्हें श्रीलंका सरकार ने नजरबन्द किया हुआ है, को रिहा किया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि भारत सरकार श्रीलंका सरकार को यह कहे कि इस महिला को जेल से रिहा कर दिया जाए। बेशक, हमने ऐसा नहीं किया। हम श्रीलंका सरकार को यह नहीं लिख पाए हैं कि निर्मला नित्यानन्दम को रिहा कर दिया जाए। किसी प्रकार उसे मुक्त कराया गया, उसे तमिल युवकों ने जेल में रिहा कराया।

मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक लोगों को कैसे परेशान किया जाता है। बहुत से मंचों, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों तथा अनेक स्थानों के विधि नेताओं ने भी इस कार्यवाही की निन्दा की है तथा बहुत से संघों ने भी इसकी भर्त्सना की है। मैं बहुत भारी मन से पूछ रहा हूं। समूचा तमिल समुदाय, चाहे यह श्रीलंका में है या तमिनाडु में, अन्धेरे में है। हम नहीं जानते कि कहां जाएं, किस के पास जांएं और क्या फरियाद करें। हम दारुण स्थिति में हैं। ऐसा इसलिए है कि हमारे बचाव के लिए आगे आने वाला कोई नहीं है। यह है स्थिति। आजकल वहां यह सब हो रहा है। मन्त्री तथा सरकार इन पिछले वर्षों से, कम से कम पिछले वर्ष से जन जातीय हिंसा हुई, हमें यह बताते आएं हैं, जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, उनके पास कोई भी

प्रस्ताय नहीं है । हमने श्रीलंका सरकार की समझौता करने में केवल सहायता की । उस स्थिति में, आपने गत जून में राष्ट्रपति जयवर्द्धने को क्यों आमन्त्रित किया ? आपको उन्हें यहां आमन्त्रित करने की क्या आवश्यकता थी ? जब आपके पास कोई प्रस्ताव ही नहीं था, तो आपने उन्हें यहां क्यों आमन्त्रित किया। जब आपके पास कोई प्रस्ताव ही नहीं था. तो इस प्रकार की मध्यस्थता की पहल ही क्यों की ? साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि समाचार पत्रों के अनुसार उस बैठक में भी उन्होंने कुछ स्वीकार किया था । मैं नहीं जानता कि किस बात पर चर्चा हुई है। लेकिन, समाचार-पत्रों के अनुसार जयवर्द्धने ने आपके द्वारा रखे गये बहुत से प्रस्ताव स्वीकार किए थे, लेकिन श्रीलंका पहुंचने के बाद उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया । जो समझौता आपके साथ हुआ था या जो आश्वासन आपको दिए गए थे, वह उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वह ऐसा कह रहे हैं । यदि ऐसा है तो स्थिति क्या है ?

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : हमें क्या करना चाहिए ?

श्री सी. टी. दडपाणि : यह आपका प्रश्न है।

श्री के. मायातेवर (डिन्डगल) : आप यह प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपमें वे भावनाएं नहीं हैं जो हममें हैं ।

श्री सी. टी. दंडपाणि : तमिल संगठित मुक्ति मोर्चे (टुल्फ) के नेता आरम्भ में गोल-मेल सम्मुलन में भाग लेना नही चाहते थे···

प्रो. एन. जी. रंगा : मेरा अभिप्राय: आपको टोकना नहीं था, मेरा आशय आपकी सहायता करना था ।

श्री सी. टी. दंडपाणि : आरम्भ में वे गोलमेल सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने यह आग्रह किया कि उन्हें गोलमेज सम्मेलन में जाना चाहिये । उन्होंने गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया । वे चाहते थे कि एक क्षेत्रीय परिषद बनाई जाए जिसे राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने अस्वीकार कर दिया । अब वे यह कहते हैं कि यह दूसरा चैम्बर है। मेरे माननीय मित्र श्री फैलीरो ने यहां ठीक कहा था कि दूसरा चैम्बर कैसे कार्य करेगा ।

यदुपरान्त, उन्होंने आतंकवाद के बारे में कुछ कहा था । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवक आतंकवादी कैसे बनते हैं । मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह अपरिहार्य है । निश्चय ही मैं खुले आम कहूंगा कि मैं उनका समर्थन करता हूँ । लेकिन साथ ही साथ वे ऐसी किसी शक्ति से सहयोग नहीं करना चाहते जो भारत के विरुद्ध है । मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं । उसी मोसाद संगठन ने श्रीलंका के तमिल युवकों को अपनी सेवाओं की पेशकश की थी। मोसाद संगठन ने 2000 युवकों को इस्राइल में ही प्रशिक्षण देने की पेशकश की थी। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया । बैठक तमिल नेताओं तथा मोसाद संगठन के बीच जेनेवा में हुई थी । उन्होंने दो कारणों से इसे अस्वीकार किया, प्रथम यह कि वे इस्राइल की राजनीतिक विचारधारा के विरुद्ध थे और दूसरा यह कि इस्राइल भारत के विरुद्ध है । इसलिए, उन्होंने इसे अस्वीकार कर

दिया। यदि तमिल युवकों ने मोसाद संगठन द्वारा की गई पेशकश स्वीकार करली होती तो मैं नहीं जानता कि अब तक क्या हो गया होता। वे श्रीलंका की समूची सशस्त्र सेनाओं का सामना कर लेते। उन्होंने केन्द्र सरकार पर विश्वास करते हुये अवसर खो दिया है। अब वे नहीं जानते कहाँ जाना है। स्थिति यह है।

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पृष्ठ 3 पर यह कहा गया है।

> "हमारे देश से श्रीलंका के विरुद्ध की जाने वाली गतिविधियों को दबाने के लिए हमने उपाय किये हैं।"

मैं इस वाक्य का अर्थ नहीं समझ सका हूँ। "हमारे देश से" उनका क्या तात्पर्य है। मैं नहीं जानता इसका अर्थ क्या है? माननीय मंत्री जी को इस बारे में मुझे जानकारी देनी चाहिये ताकि मैं इस पर संतुष्ट हो पाऊं।

मेरे माननीय मित्र जो मधु दंडवते ने कहा कि वे अलगाववाद के विरुद्ध हैं। मैं भी अलगाववाद और भारत में एक अलग राष्ट्र के विरुद्ध हूं। उन्होंने हमारे स्वर्गीय अन्ना के बारे में भी कहा। इस पर उनकी टिप्पणी के लिए मैं उनका आभारी हूं। फिर भी हम श्रीलंका में अलग 'एलम' बनाने का समर्थन करते हैं। हम द्रमुक द्वारा भारत में अलग राष्ट्र सम्बन्धी मांग की तुलना श्रीलंका में तमिलवासियों की माग से नहीं कर सकते।

साथ ही हम श्री जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक मूल्यों के समकक्ष श्री जयवर्धने के अभिनामकीय घमंड को नहीं रख सकते।

मैं श्रीलंका के 'न्यूज रिव्यू खण्ड I पृष्ठ 5 से उद्धृत करना चाहूँगा :-

> " 1975 तक—तुल्फ द्वारा अलगाववाद को राजनीतिक समाधान के रूप में अपनाने से एक वर्ष पूर्व ही आतंकवादियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि शक्ति के बल पर श्रीलंका का विभाजन करके अलग राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य है।"

यह पुस्तिका है। इसके अनुसार उन्होंने 1957 में नारे लगाने शुरू कर दिये। उसके पहले क्या हुआ था?

18 अगस्त, 1977 को प्रधान मंत्री श्री जयवर्धने ने तमिलों के विरुद्ध खुले हुए युद्ध की घोषणा की थी। 1977 में ही यह शुरू हो गया था। अत: कई कारणों एवं तमिल लोगों पर अत्याचारों के फलस्वरूप उन्होंने यह मामला उठाया। यहां तक कि जून 1983 में श्री अमृतालिंगम ने कहा :

> " मैं अलग राष्ट्र बनाने की मांग को त्यागने के लिये तैयार हूँ वशर्ते कि स्वायत्त शासन और राज्य को अधिक अधिकार दे दिए जायें।"

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुये)

इस बात को नहीं माना गया। अतः जहाँ तक मेरा संबंध है, श्रीलंका में तमिल व्यक्तियों को अलग राज्य देने के अलावा कोई अन्य हल नहीं है। वे दशको से दलके लिए लड़ रहे हैं।

5.38 म प.

एक अन्य पूर्व नियोजित षडयंत्र जारी है। सिंहालियों को वहां पर जबरदस्ती बसाया जा रहा है। अब क्या होगा ? धीरे धीरे तमिल व्यक्तियों की अपनी संस्कृति एव पहचान खत्म हो जायेगी। यह एक और गलत कार्य है। यह मानव व्यवहार के विरुद्ध है। अतः मैं यह भी कहूंगा कि यह उपनिवेशन रुकना चाहिये।

वहां पर पूर्णतया सैनिक शासन है। उन्हें इसका विरोध करना ही होगा। श्रीलंका बहुत से देशों से हथियार खरीद रहा है जिसमें इजराइल, दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन भी है।

सभी शांतिप्रिय देशों द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि भारतीय महासागर को शांति का क्षेत्र होना चाहिये। यह मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि श्रीलंका इसे अमेरिका द्वारा एफ-16 को उतारने तथा उसमें पुनः ईंधन भरने के लिये अड्डे की भांति उपयोग करने की इजाजत दे रही है। हमारी मान्य (स्वीकृत) नीति है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। इस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

प्रो० मधुदडवते ने कहा है कि हमारी प्रधान मन्त्री जी निर्गुट राष्ट्रों की अध्यक्ष हैं। परन्तु निर्गुट राष्ट्रों में से एक देश अन्य निर्गुट राष्ट्रों विशेष रूप में एशियाई राष्ट्रों के हितों के विरुद्ध जा रहा है, और सम्पूर्ण एशियाई क्षेत्र को प्रदूषित कर रहे हैं। यह भी एक और एशियाई प्रादेशिक युद्ध का कारण हो सकता है। अतः क्या यह सभापति का कर्तव्य नहीं है कि वह इसे निर्गुट देशों के ध्यान में लाये तथा श्रीलंका द्वारा देश में महा शक्तियों को अधिक हथियारों को लाने की अनुमति देने की भर्तसना करे।

यह कहा गया है कि यह आन्तरिक समस्या है। मेरी सूचना के अनुसार 2000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया है। इन 2000 व्यक्तियों में बहुत से भारतीय नागरिक हैं। अतः सरकार को यह देखने का पूरा अधिकार है कि भारतीय निवासी जेल से मुक्त किए जायें। भारतीय मूल के निवासियों के बारे में, जो वहां रह रहे हैं, शायद कोई परवाह न करे। यह एक बात है।

एक अन्य बात और है। वे कहते हैं कि यह आन्तरिक समस्या है। अगर कोई देश अपनी सीमा के अन्दर ही विशेष समस्या का सामना करना चाहता है तो यह ठीक है यह एक आन्तरिक विषय है। परन्तु श्रीलंका ने अन्य देशों से हथियार खरीदने शुरू कर दिये हैं, वे न सिर्फ हथियार ही खरीद रहे हैं परन्तु अन्य देशों की ऐजेन्सियां भी वहां कार्य कर रही हैं और वे उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अतः यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। इस मामले में, भारत सरकार सिर्फ यह कह कर कि जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि यह एक आन्तरिक समस्या है।

अब यह अंतरांष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है।

मैं सरकार से फिर अपील करूंगा कि श्रीलंका की अलोकतान्त्रिक गतिविधियों तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन के कारण श्रीलंका से सम्बन्ध विच्छेद करे और ईलम को मान्यता प्रदान करे। मुझे आशा है भारत सरकार भविष्य में समझदारी से व्यवहार करेगी।

श्री के. टी कोसलराम (तिरुचेंदूर) : माननीय सभापति महोदय, श्रीलंका समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। स्वतन्त्रता सैनानी होने के नाते मैं जानता हूं कि उन दिनों क्या हुआ ? मैं चार वर्ष से अधिक समय तक जेल में था। उन दिनों में मेरे क्षेत्र में एक अंग्रेज व्यक्ति का खून हो गया था और बहुत से रेलवे स्टेशनों तथा पुलिस स्टेशनों को जला दिया गया था। परन्तु अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों में सेना को नहीं भेजा। अत: मैं अपने मित्र श्री दण्डपाणि से अन्य किसी भी बात में असहमत हो सकता हूं, परन्तु मैं यह भी कहूंगा कि मैं वहां पर सैनिक कार्यवाही की प्रशंसा नहीं करता···

श्री के. मायातेवर (डिन्डिगल) : वह क्या समाधान है जो आप सुनाना चाहते हैं ?

श्री के. टी. कोसलराम : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिये।

मैं श्री जयवर्द्धने को बहुत अच्छी तरह जानया हूं। तीन वर्ष पहले मैं श्रीलंका गया था। उन्होंने सुस्पष्ट रूप में मुझे बताया था कि टंडमैन रिपोर्ट को मत्रिमंडल ने मंज़ूर कर लिया है, यानिक नागरिकता-विहीन व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार दिये जायेंगे। उसके पश्चात्, वह भारत आये और उन्होंने सुस्पष्ट रूप में प्रेस को बताया था कि वे भारतीय मूल के उन नागरिकता विहीन व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार देने जा रहे थे।·· किन्तु वह आश्वासन क्रियान्वित नहीं किया गया। हमारी प्रधान मंत्री जी ने श्री जी. पार्थसार्थी को विशेष दूत बनाकर श्रीलंका भेजा। श्री जयवर्द्धने ने उन्हें स्पष्ट रूप में आश्वासन दिया और वचन दिया कि जिला परिषदों को अधिक स्वायत्तता दी जायेगी, कानून एवं व्यवस्था और विधायी अधिकार भी उन्हें दिये जायेंगे किन्तु वह अपना समय बिता रहे हैं और अब उन्होंने दूसरा चेम्बर की बात करना शुरू कर दिया है। पहले वे कहते थे कि जिला परिषदों को अधिक अधिकार दिये जायेंगे। राष्ट्र-पति श्री जयर्द्धने इस प्रकार की बातें कह रहे है और हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। यही नहीं, वहां त्रिनकोमाली एक प्राकृतिक बन्दरगाह है। वहां पर 800 युद्धपोत खड़े किये जा सकते हैं। वहाँ पर एक तेल-बंकर का निर्माण किया जा रहा है। हमने भी इसके टेंडर भरे थे, लेकिन यह कार्य अमरीकी फर्म को सौंपा गया है। इस तरह वहां पर अमरीकी सेनाएं हैं। अब हमारे जहाजों को श्रीलका का चक्कर लगाकर जाना होगा। जब तक सेथुसमुद्रम परियोजना पूरी नहीं हो जाती, हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है।

मेरे मित्र, श्री मायातेवर जानना चाहते हैं कि समस्या के बारे में मेरे पास क्या हल है। इसका केवल एकमात्र हल राजनैतिक है। राजनीतिक हल का अर्थ है, हमें यह सुनिश्चित करना

होगा कि जयवर्द्धने वार्ता के लिए राजी हों। हमें विश्वास है कि इस नैतिक कार्यवाही से समस्या का हल नहीं हो सकता।

मैं अपने मित्र, श्री दण्डपाणि को उत्तर देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि उन्होंने कहा है कि हम भारत में यह नहीं चाहते कि कोई अलग राज्य स्थापित किया जाये। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन इसके साथ ही वे ईलम की मांग का समर्थन कर रहे हैं···

श्री के. मायातेवर : हमें यहां पर मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। यहां हमें सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।

श्री के. टी. कोसलराम : उत्तरी श्रीलंका में 20 लाख ईलम लोग रहते हैं। श्रीलका के अन्य क्षेत्रों में भारत मूल के लोगों और भारतीय नागरिकों की संख्या 12 लाख है। अगर हम एक अलग से ईलम राज्य की स्थापना के लिए अपनी सेनायें भेजते हैं तो भारतीय मूल के और भारतीय नागरिकों के उन 12 लाख लोगों का क्या होगा ? मेरा यह प्रश्न है ? इसलिए, श्रीमन्, मैं कड़े शब्दों में श्रीलंका की सैनिक कार्यवाही की निन्दा करता हूं। इसी प्रकार हम ईलम को एक अलग राज्य बनाने के लिए अपनी सेनायें भी भेज सकते। यह मेरी धारणा है। लेकिन मैं इस बात को छोड़कर श्री दण्डपाणि की सभी बातों का समर्थन करता हूं।

श्री के. मायातेवर : जाति संहार को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री के. टी. कोसलराम : मैं पूछ रहा हूँ। क्या किसी ने यह भी सोचा था कि बंगला देश की समस्या इतनी जल्द हल हो जायेगी ? किसी ने नहीं। इस प्रकार, धैर्य रखिये। इस समस्या को हल करने के लिये भी हमारी प्रधान मंत्री सक्षम हैं। यह तमिल लोगों की ही समस्या नहीं है। यह कोई क्षेत्रीय समस्या नहीं है। हमारी प्रधान मत्री ने सही रूप से इसे राष्ट्रीय मसला माना है। मुझे अपनी प्रधान मंत्री से पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा है 'मैं चुप नहीं बैठ सकती। मेरे लोग वहां बसे हुए हैं। अगर आप इस प्रकार उनकी निर्मम हत्याएं करते रहेंगे, तो मैं चैन से नहीं सो सकती।' इस प्रकार उन्होंने कहा है। इसलिये मैं अपने मित्रों से अपील करता हूं कि···

एक माननीय सदस्य : कम से कम उनको एक चेतावनी तो देनी ही चाहिये।

श्री के. टी. कोसलराम : आप जानते हैं कि इन चेतावनियों का क्या हुआ ? बंगलादेश के मामले में भी हमने चेतावनी दी थी।

श्री के. मायातेवर : यहां तो एक संकल्प तक पारित नहीं किया जा रहा।

श्री के. टी. कोसलराम : हमें वहां पर अमरीकी मौजूदगी को महसूस करना होगा। प्रधान मंत्री का प्रयास एक सही प्रयास है। उनका दृष्टिकोण सही है। यहां तक कि राष्ट्रपति रीगन ने कोसलराम, मायातेवर या चटर्जी को नहीं, बल्कि राष्ट्रपति जयबर्द्धने को कहा है कि हमारी प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण ही सही है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए भी हमारी प्रधान मंत्री में विश्वास रखें।

वह बराबर पत्र लिखती रही हैं और हर मिनट तार भेज रही हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे जयवर्द्धने लोगों को धोखा दे रहे हैं और देरी करने की तरकीबें अपना रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल कुछ लोग ही अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। ये सभी तमिल लोग कुछ सत्ता चाहते हैं। बस यही बात है। हमारी प्रधान मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ईलम लोगों को सत्ता मिले और वे मिलकर रह सकें। अलगाववाद हमारे लोगों को कत्ल कर दे इसके लिये हम वहां सेना नहीं भेज सकते। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस बात को नोट कर लें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हजारों मुसलमान रहते हैं। बंग्लादेश में सभी भारतीय मुसलमानों का कत्ल किया गया था। जैसा बंगला देश में किया गया था वही उपाय वहां पर नहीं किया जा सकता। 2,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बन्द कर दिया गया है। अगर वहां भारतीय हैं, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हम यहां बैठकर उन भारतीयों की सुरक्षा करें। हमारी प्रधान मंत्री वहां के सभी भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करेंगी।—धन्यवाद।

सभापति महोदय : डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी। आपको पांच मिनट बोलना है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्रीमन्, जब प्रधान मंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था तो लोगों ने समझा था कि भारत सरकार श्रीलंका की समस्या के बारे में कोई निर्णायक कदम उठाने जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बाद उन्होंने अवसर खो दिया है। आज हम पुन: इस मामलों पर चर्चा करते रहने की पुरानी स्थिति में लौट आये हैं। आज की चर्चा का विषय तो यह होना चाहिये कि यदि इस प्रकार की घटनायें पुन: होती हैं और इस प्रकार की हत्याएं होती हैं तो उस स्थिति में भारत सरकार क्या कदम उठायेगी ? श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, वह अहिस्ता-अहिस्ता किये जा रहे जन-संहार की प्रक्रिया है। कुछ हत्याएं की जाती है और फिर कुछ समय के लिये शांति हो जाती है; इसके बाद पुन: हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर दफा तमिलों की स्थिति खराब होती जा रही है। 1983 में जब सबसे भयानक दंगे हुये थे, तो उस समय श्री अमृतालिंगम भारत आये थे। वह संसद सदस्य थे ? भारत सरकार द्वारा कुछ किये जाने के बारे में काफी चर्चा थी। फिर जयवर्द्धने ही भारत आये। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद श्रीलंका की संसद से तमिल संसद सदस्यों को सदस्यता से हटा दिया गया। लेकिन इसे रोकने के लिए आप असमर्थ रहे। हर दफा जब भी दंगे हुये तमिलों की दशा और खराब हुई है। उसके बाद कुछ शांति हुई थी। हम उसको भूल जाते हैं कि यह सभी प्रक्रिया पुन: प्रारंभ हो जाती है। दुर्भाग्यवश, श्रीलंका के दंगों ने जाति-संहार का रूप ले लिया है। वास्तव में मैं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देख रहा था। रंग-भेद की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित संकल्प संख्या 3068 है। रंग-भेद की जो व्याख्या दी गई थी, वह केवल दक्षिण अफ्रीका पर ही लागू नहीं होती, परन्तु जो कुछ श्रीलंका में हो रहा है वह उस पर भी लागू होती है। श्रीलंका सरकार द्वारा दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हुये निर्णयों का पूरी उन्मुक्तता से उल्लंघन किया जा रहा है और श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, भारत सरकार उसका मात्र सजीव विवरण ही दे रही है। **(व्यवधान)**

इससे आपकी प्रभाविकता का पता चलता है और आप इन्हें रोक पाने में असमर्थ हैं।

इससे पता चलता है कि आपकी व्यवहार-कुशलता कितनी अप्रभावी है। आप इन्हें रोक नहीं पाये हैं। यह कहने का क्या लाभ है कि आपके पास विश्व की चौथे नम्बर की सबसे बड़ी सेना है। आप यह क्यों कहते रहते हैं। अपने मित्रों को यह क्यों नहीं बताते कि हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। यह कहने का क्या लाभ है कि हमारे यहां लाखों लोगों के पास हथियार हैं और विश्व में हमारी सेना चौथे नम्बर पर है।

एक माननीय सदस्य : आपके मित्र क्या कर रहे हैं ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने मित्रों से आपको सहायता दिला सकता हूं। आजकल श्रीलंका की सबसे बुरी स्थिति यह है कि वहां कोई सिंहली नेता ऐसा नहीं है जो समूचे देश के लिए आगे आकर बोले। सिंहली नेता सिंहालियों के लिए और तमिल नेता तमिल लोगों के लिए बोलते हैं। निश्चय ही तमिल लोग अल्पसंख्या में हैं। परन्तु यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है जहां पर राज्य की नीति को नष्ट किया जा रहा है, राजनीतिक प्रक्रियाओं को इस तथ्य के कारण तहस-नहस किया जा रहा है क्योंकि आज सिंहालियों के नेता गुटवादी नेता बन गये हैं और वे नेता केवल जाति संहार को बढ़ावा देना चाहते हैं। वास्तव में प्रश्न यह उठता है कि क्या किया जाये। श्रीलंका में तमिल लोगों के तीन वर्ग हैं—जाफना के तमिल लोग, बगानों में काम करने वाले तमिल लोग और सिंहली तमिल लोग। वास्तव में, यह कहना गलत है कि तमिल लोग केवल वे व्यक्ति हैं जो भारत से आये थे। सच तो यह कि सिंहली लोग भी भारत से आये थे। महोदय, वे आपके क्षेत्र और उड़ीसा से आये थे। वे दोनों ही भारतीय है। मैं सिंहली और तमिल लोगों में कोई अन्तर नहीं समझता। परन्तु प्रश्न यह है कि वे दोनों आपस में मिलकर नहीं रह पा रहे हैं। श्री अनबारासु यहां पर नहीं हैं। उन्होंने यह कहकर भेद खोल दिया है कि श्रीलंका भारत का ही भाग है, श्रीलंका प्रशासन भारत का ही भाग था। 1935 में इसे जनता की सहमति के बिना भारत से अलग कर दिया गया था। पाकिस्तान को जनता की सहमति के साथ अलग किया गया था, जबकि श्रीलंका को भारत की जनता की सहमति के साथ अलग नहीं किया गया था और यह भारत से केवल 35 किलो मीटर दूर है। जबकि अन्दमान और निकोबार द्वीप भारत से लगभग 2000 किलो मीटर दूर हैं और वे भारत का भाग है, जबकि यह भारत से केवल 35 कि. मी. दूर है। चीनी लोग हांगकांग के बारे मे बात कर सकते हैं परन्तु भारतीय लोग श्रीलंका के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। मैं इस तर्क को समझ नहीं पाता हूँ। मैं कुछ सुझाव नहीं दे रहा हूँ। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि आप जब हस्तक्षेप की बात करते हैं, हस्तक्षेप तो पहले ही हो जाता है जब श्री पार्थसारथी श्रीलंका में जाते हैं। वह हस्तक्षेप है। अब तो प्रश्न हस्तक्षेप की सीमा का है। आप कितना हस्तक्षेप करने को तैयार है ? किस हद तक आप हस्तक्षेप करने को तैयार हैं ? जब आपने श्री जयवर्द्धने को टेलीफोन किया था और वहां की स्थिति के बारे में पूछा था तो मैंने कहा था कि "यह भी हस्तक्षेप है।" परन्तु प्रश्न यह है कि यह किस सीमा तक तक हस्तक्षेप है ? यही तो वास्तविक प्रश्न है।

महोदय, मुझे डर है कि तमिलनाडु में यह भावना बढ़ती जा रही है कि सरकार तमिलों की परवाह नहीं करती है। कुछ तमिल लोगों ने मुझे कहा है कि जब थोड़े हिन्दू, पंजाबी व्यक्ति

पंजाब में मारे गए तो वहां सेना को भेज दिया गया, जबकि श्रीलंका में हजारों तमिल लोगों को मारा जा रहा है, यह सरकार भाषण देने के सिवाय कुछ नहीं कर रही है। तमिलनाडु में यह समान्य राय है और आपको यह स्वीकार करना होगा। अत: मैं कहता कि यदि इसे स्पष्ट शब्दों में कहा जाये···

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आप क्या चाहते हैं कि सैनिक कार्यवाही की जाय ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह आपके बस का नहीं है।

आचार्य भगवान देव : आप चाहते क्या हैं ? (**व्यवधान**)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अत: अन्त में मैं इस सरकार से पूछता हूं कि उसका विचार क्या है ? दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई चर्चा से आपकी कार्यवाही को समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की हत्याएं जारी नहीं कर सकतीं। मैं कहता हूं कि इस प्रकार की हत्या से तमिलनाडु के लोगों पर वास्तव में बुरा असर पड़ रहा है। मैं नहीं जानता कि ईलम एक व्यावहारिक समाधान है। वास्तव में जब ईलम बनाया जायेगा, तो यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। विदेशी ताकतों को, इसे समर्थन देना होगा। यदि आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे है और यदि श्रीलंका को कायम रखना है तो मुझे डर है कि जयवर्द्धने को राजनीतिक समाधान करने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी होगी। अन्यथा, विश्व के हाल ही के इतिहास में हस्तक्षेप के बहुत से उदाहरण हैं। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में जो सेना भेजी है, उसके लिए भारत सरकार ने उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा अफगानिस्तान ने उन्हें निमंत्रण दिया था। अत: श्रीलंका में आपको निमंत्रण दिया जा सकता है। यदि आप इच्छुक हैं तो मैं निमंत्रण का प्रबन्ध कर सकता हूं। अपने हितों की रक्षा करने हेतु अमरीका ने भी ग्रेनेडा में अपनी सेना भेजी है। अत: यदि तमिल लोगों की श्रीलंका में हत्या की जाती है तो वहां पर तमिल लोगों की रक्षा करने के लिए आपको भी सेना भेजने का प्रत्येक अधिकार है ताकि वहां की सरकार होश में आ जाये और जाति-संहार को प्रोत्साहन न दे। यही समाधान है।

6.00 **म.प.**

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : समापति जी, श्री लंका की समस्या पर हम लोग यहां विचार कर रहे हैं। पंडित जी के समय से लेकर आज तक यह भारत की परम्परा रही है कि दुनिया के किसी भी कोने में यदि मानवता को कुचला गया है, लोगों के अधिकार को छीना गया हे तो इस सदन में हमेशा चर्चा हुई है। हम लोग जनतंत्रीय प्रणाली के मानने वाले लोग हैं, जो कुछ श्रीलंका में हो रहा है, मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं, लेकिन अगर इस सदन में कुछ लोग ही यह चाहें कि श्रीलंका और तमिलियन्स को प्रोवोक करके हम अपने देश पर एक अन्तर्राष्ट्रीय खतरा मोल लें तो मैं इसका समर्थक नहीं हूं।

आज श्रीलंका की समस्या हमारे देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता की समस्या से जुड़ी हुई है, उसको हम अलग कर के नहीं सोच सकते। जो इस सदन में यह सुझाव

देना चाहते हैं कि श्रीलंका की समस्या को अपने सिर पर मढ़ लें तो मैं और मेरी पार्टी इस राय के नहीं हैं। उस समस्या को भारत सरकार जिस ढंग से ले रही है, मैं उसकी कोई प्रशंसा तो नहीं करता हूं, लेकिन जिस रास्ते पर वह चल रही है, उससे अगर हटने की कोशिश की तो विश्व की बड़ी शक्तियां एक तरफ जहां हिन्दुस्तान को घेरने की कोशिश कर रही हैं, इन्डियन ओशन को हम जोन आफ पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की प्रधान मंत्री इस बात को लेकर चल रही हैं तो हमारी तरफ से कोई ऐसा कदम न उठे कि बड़ी ताकतों को बहाना मिल जाये कि श्री लंका की प्रावलम को लेकर हिन्दुस्तान ने श्री लंका के अन्दरूनी मामलों में दखलन्दाजी की है।

श्रीलंका की समस्या एक मानवतावादी समस्या है। वहां हमारे हिन्दुस्तान के लोग भी हैं। मैं प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूं कि 1974 में आपने श्रीमाओ भंडारनायके के साथ समझौता किया था उसमें तय हुआ था कि आप 5 लाख 60 हजार लोगों को, हिन्दुस्तान के मूलवासियों को वापिस बुलायेंगी। श्रीलंका ने उस वक्त तैयार था और न आज तैयार है कि उनको अपनी नागरिकता दे आपने खुद स्वीकार किया था कि उन 5 लाख 60 हजार भारतीय मूलवासियों को वापिस बुलाने का काम नहीं किया गया, तो क्या यह ब्रीच आफ कम्प्रोमाइज नहीं है ? जो हमारी ट्रीटी उनके साथ हुई थी ?

आपसे पहले 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी श्रीमती भंडारनायके के साथ समझौता किया था, लेकिन उसके इम्पलीमेंटेशन की भी कोई कोशिश भारत सरकार द्वारा नहीं हुई। अगर हुई होगी तो हमारी प्रधान मंत्री यहां बैठी हैं, मिलेट्री एक्शन का डा. स्वामी ने जिक्र किया अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की समस्या को आप श्रीलंका के साथ मत जोड़िये। मैं वहां पर फौजों की हिमायत नहीं करता हूं, वह वापिस होनी चाहियें। वह हमारे देश के लिए भी खतरा है लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि अगर 5 घंटे रशियन फौजें वहां पहुंचने में लेट हो जातीं तो वहां अमेरिकन फौजें रशियन फौजों की जगह होतीं। आज जो ज्वायन्ट कौमनिक चाइना और अमेरिका का पब्लिश हुआ, आपको मालूम है चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे हम लोग हों, आज अमेरिका और चाइना में ट्रीटी हुई है, उनमें समझौता हुआ है।

हमारे लोगों की यह कोशिश नहीं होनी चाहिये कि चीन और अमेरिका दो बड़ी शक्तियां अफगानिस्तान में आकर बैठ जायें। दोनों को अलग-अलग रहना चाहिये। मैं अफगानिस्तान की फौजों की वकालत नहीं करता हूँ।

मैं इसीलिये कहता हूँ कि श्रीलंका की समस्या पर यह सदन बड़ी गहराई से विचार करे। वहां पर सेना भेजने के क्या रिपर्कशन्ज होंगे, हमारे देश पर उसका क्या असर होगा ? मैं उसकी भर्त्सना करता हूं जो श्री रामचन्द्रन ने 9 अगस्त को वहां के सदन में बयान दिया कि अगर वहां यह चीज चलेगी तो एक-एक तमिलियन हथियार उठाकर यहां से मार्च शुरू कर देगा। इस तरह प्रोवोकेशन ने इस सदन में हो न सदन के बाहर हो। हिन्दुस्तान की परम्परा रही है हरेक मुल्क की एकता अखंडता की हमेशा हमने चिन्ता की है।

आज हमारी प्रधान मन्त्री निर्गुट राष्ट्र सम्मेलन की अध्यक्ष हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने इस स्थान, जो विश्व के देशों ने आपको दिया है, मजबूती से उस स्थान से अपना असर इस्तेमाल करके श्री जयवर्द्धने पर पोलिटिकल प्रेशर डालें और उनको मजबूर करें। मैं तमिल भाइयों की इस राय से सहमत हू कि श्रीलंका के तमिल लोगों का आन्दोलन खालिस्तान की तरह का एक सैपेरेटिस्ट आन्दोलन नहीं है। वे चाहते हैं कि जयवर्द्धन की सरकार उन्हें सिंहलियों की तरह बराबरी के अधिकार दे और उनके साथ समानता का व्यवहार हो। अगर वे एक अलग स्टेट की मांग करते हैं, तो वह उसी तरह जिस तरह हमारे देश में समय-समय पर अलग-अलग स्टेट्स बनाने की मांग की जाती रही है और पंजाब तथा दूसरी स्टेट्स को मान्यता मिलती रही है। मैं मांग करता हूँ कि विश्व को जो साम्राज्यवादी ताकतें हमारे देश के खिलाफ सक्रिय हैं और श्रीलंका में अपनी फौजें भेजने की कोशिश कर रही है, यह सदन उनकी भर्त्सना करे। मैं उन शक्तियों की भर्त्सना करता हूं। अमरीका हो या इस्राईल, वे अपने आपको श्रीलंका की समस्या में इनवाल्व न करें, क्योंकि इसके भयानक नतीजे निकल सकते हैं।

मैं जयवर्द्धन से कहना चाहता हूँ कि जहां हम अपनी सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिये कटिबद्ध हैं, वहां हमने भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर हमेशा मानवाधिकारों की रक्षा का समर्थन किया है।

हमारे देश की किसी पार्टी के लीडर का भले ही यह विचार हो, मैं समझता हूँ कि श्रीलंका को तोड़ना पाकिस्तान का तोड़ने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उस वक्त हम सब एक थे। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि जितना छोटा कोई देश होता है, साम्राज्यवादी ताकतों को उसके मामलों में दखलंदाजी, इन्टरवीन, करने का उतना ही अधिक मौका मिलता है। जो लोग श्रीलंका में फौज भेजने के पक्ष में हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहाँ पर दो देश बन जाने से विश्व की बड़ी ताकतें वहां पर दखल देंगी, वहां पर बार-बार कू होंगे। यह हमारे नेशनल इन्ट्रेस्ट में है कि श्रीलंका नहीं टूटना चाहिए। वहां पर सेना भेज कर समस्या को हल करने की हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि विश्व के देशों में उनको एक बडा महत्वपूर्ण स्थान मिला है, वह डिप्लोमेटिक प्रेशर इस्तेमाल करके श्रीलंका की समस्या की पोलोटिकल सालूशन निकालने की कोशिश करें।

श्री के. ए. राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, हम विभिन्न अवसरों पर श्री लंका के इस मसले पर चर्चा करते आये हैं, परन्तु अब हम एक विशेष संदर्भ में और श्री लका के भीतर और बाहर हाल में घटी घटनाओं के संदर्भ में, श्री लंका के इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, हम श्री लंका की इस समस्या के राजनीतिक समाधान के लिये कोशिश कर रहे थे और सही कोशिश कर रहे थे। अपने दल की ओर से मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सैनिक हस्तक्षेप कोई समाधान नहीं है। सैनिक हस्तक्षेप से परिणाम उलटे ही निकलेंगे। सेना के जरिये समाधान निकालना तो केवल राष्ट्रपति जयवर्द्धने तथा अन्य प्रतिक्रियावादियों की योजना को सफल बनाना ही है जो स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। अत: वह समस्या का समाधान नहीं है। दुर्भाग्यवश, यह हमारे सुनने में आया है कि श्री जयवर्धने राजनीतिक हल निकालने के

लिए उत्सुक नहीं हैं। श्रीमती भण्डारनायके के हाल ही में दिये गये वक्तव्य तथा तमिल संघ मुक्ति मोर्चे (तुल्फ) के नेताओं के वक्तव्य से तो यही पता चलता है। वे कहते हैं कि श्री जयवर्धनें समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने के लिये बिलकुल भी उत्सुक नहीं हैं। इसका कारण क्या है? वह कौन सी नई घटना है जो श्री लंका में घटी है। श्री लंका में नव-उपनिवेशीय आर्थिक गतिविधियां हुई हैं। और यह एक मूल कारण है जिसका इन हाल के वर्षों में हुई घटनाओं के मूल में यही बात है। राष्ट्रपति जयवर्धने इस जातीय समस्या का राजनीतिक समाधान करने के लिये बिलकुल भी इच्छुक नहीं हैं क्योंकि वे अमरीका, ब्रिटेन, चीन और इजराईल से और अधिक हथियार तथा अन्य प्रकार की सैनिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश में हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद फैलाने हेतु सौदा करने के लिये वाशिंगटन और लन्दन में हाल ही की उनकी यात्राओं के कारण यह वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है। यह अमरीका के साथ सांठ-गांठ है और इनराईल ने भी कोलम्बो में अपना कार्यालय खोल लिया है। मोस्साद की सेवाएं प्राप्त की गई हैं और जापान से जलसेना के लिये नौकाएं खरीदी गई हैं और कुछ और घृणित कार्य के बारे में विचार किया जा रहा है, जिसके कारण भारी चिंता हो रही है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मोस्साद क्या है। मोसाद एक इजरायली संगठन है जिसका बहुत देशों में अपना आधार है जहां इसने सुस्थापित सरकारों को गिराने में बहुत घृणास्पद भूमिका निभाई है। यह सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवादी तरीकों का यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयोग कर रही है कि लोगों के सामान्य तथा बैध अधिकारों को दबाया जा सके।

इस स्थिति में यह पूरी तरह से केवल श्री लंका का ही मामला नहीं है। यदि श्रीलंका को नुकसान होता है, यदि दिएगो गार्शिया की स्थापना के लिये अमरीका द्वारा ट्रिंकोमाली का उपयोग किया जाता है, यदि इस घटना से पूरे हिन्द महासागर को खतरा होता है तो इससे केवल श्रीलंका की सुरक्षा को ही खतरा नहीं हैं। श्रीलंका में हो रही नई घटनाओं के कारण भारत के अस्तित्व और स्थिरता को भी खतरा है।

यही कारण है जिससे हमें चिंतित होकर कहना पड़ता है कि जयवर्द्धने इस समस्या के राजनीतिक समाधान करने के बारे में बिलकुल गंभीर नहीं है। दुर्भाग्यवश, जातीय संहार किया जा रहा है। इस समस्या को उठाना पड़ेगा। विशेष रूप से भारत को विशेष भूमिका निभानी पड़ेगी। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष होने के नाते और इस आन्दोलन को एक मजबूत स्तम्भ के रूप में भारत को उस देश में तमिलों के प्रति किये जा रहे अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध जनमत तैयार करना है। वहां के तमिल लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति के संरक्षण और एसोसियेशन बनाने की आजादी के लिये हर अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार उन्हें मिलने चाहिये।

उन्होंने स्वाधीनता के नारे को स्वीकृति दी है और इसके लिये वे सहमत हुए हैं। तमिल लोगों के अधिकारों को स्पष्ट करते हुए उन्हें स्वीकार करना होगा। इस सन्दर्भ में मैं बल देना चाहता हूं कि देश के विभिन्न मंचों के जरिए सरकार को थोड़ा आगे आना चाहिए और जनमत तैयार करने में पहल करनी चाहिए और उस देश में हो रही नई घटनाओं के सन्दर्भ में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह उल्लेख करे कि अमरीकी अड्डों तथा इसी प्रकार की

इजरायली गतिविधियों की अनुमति देकर जयवर्द्धने अपने देश को किस स्थिति की ओर ले जा रहे हैं।

इस तरीके से हमें इस समस्या का एक राजनीतिक समाधान ढूंढना है। विशेष रूप से भारत को भूमिका निभानी है। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह श्रीलंका के साथ अच्छे तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहता है। हम किसी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और यह सुनिश्चित करना है कि जयवर्द्धने की ये घृणास्पद गतिविधियां तथा तमिलों के विरुद्ध किया गया खुला जातीय सहार रोका जाये और देश को साम्राज्यवाद के ऐसे पिठुओं से बचाया जाये। धन्यवाद।

श्री हरीश कुमार (पीलीभीत) : माननीय सभापति जी, श्रीलंका की वर्तमान समस्या पर विचार करते समय हमें यह भी सोचना होगा कि भारत में बहुत से तमिल लोग हैं और जिनकी भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची है अपने भाइयों के मारे जाने से और उनके जरिये सारे देश को ठेस पहुची है इस मामले में। क्योंकि किसी भी स्थान पर इस तरीके से सामूहिक हत्यायें हों, जिनके पास हथियार न हों उन के ऊपर मिलिटरी के तीनों विंग या उनमें से एक विंग भी हमला करे तो जो हमारे अधिकार हैं और जो मानवता के नाम पर हमें दिये गये हैं जिनको यू०एन०ओ० ने माना है और हम मानवतावादी हमेशा से मानते आये हैं, उन अधिकारों का भी श्रीलंका हनन किया गया है।

श्रीलंका में बहुत समय से तमिल लोगों के साथ जो कि भारतीय मूल के हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। छठे संविधान बिल के जरिये उन्हें निर्वाचन के अधिकार से वंचित किया गया है। समस्या वहां चाय के बागों में काम करने वाले लोगों की भी है और क्या यह अच्छा लगता है कि 30 लाख व्यक्ति घर से बाहर कर दिये जायें, उनके रहने का कोई ठिकाना न रहे, उनके बच्चों को भून दिया जाय, मां बहनों के साथ रेप किया जाय तो क्या हम चुपचाप इन अन्यायों को देख सकते हैं और सह सकते हैं? वे मांग कर रहे होंगे अपने अधिकारों के लिये, हमने भी मांग की थी हिन्दुस्तान को आजाद करने के लिये···और बहुत सी जगहों पर यह मांगे उठती रहती है अहिंसात्मक रूप से, और कहीं पर कुछ हिंसा भी हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूं तमिल लोग इन अत्याचारों को बहुत समय से, कम से कम तीन दशकों से सहते चले आ रहे हैं और भारत ने सिवाय कागज-पत्र लिखने के, कागज पर अपनी संवेदना प्रकट करने के और कोई भी सहायता उनकी नहीं की है। यह कहा जा सकता है और कहा गया है और मैं भी इस व्यू का हूं कि वहां पर सेना नहीं भेजनी चाहिए। सेना के द्वारा यह सवाल हल नहीं होगा। सेना भेजने पर लोग हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। जो बात हम दूसरों के लिए कह रहे हैं वह हमारे ऊपर भी आ सकती है। इसलिये मैं यह नहीं कहता लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि जब हमारी देश की प्रधान मत्री नानएलाइंड मूवमेन्ट की भी चेयरमैन है तो क्या उसके जरिए इस मामले को हल नहीं किया जा सकता? क्या उन लोगों की कोई कमेटी नहीं बनाई जा सकती जिसके जरिए इस मामले को हल किया जा सके? आखिर हिन्दुस्तान के लोगों की भावनाओं का भी खयाल करना उनका फर्ज बनता है।

दूसरी बात यह है कि क्या हम इतने कमजोर हो गये हैं कि हम किसी बात को कायदे में, नियमों के अनुसार मानवता के नाते करना चाहते हों परन्तु एक छोटा सा देश भी उसको मानने के लिये तैयार न हो ? हमारी फोरन पालिसी का यह दिवालियापन ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान हमसे नाराज रहे, श्रीलंका हमसे नाराज रहे और हमारी बात न माने··· (व्यवधान) सही बात कभी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान से हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हो सके, बंगलादेश से हमारे टर्म्स खराब, नैपाल भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और उधर श्रीलंका भी हमारी बात मानने के लिये तैयार नहीं है। तो फिर हम कैसे बड़े भाई हैं, कैसे चेयरमैन हैं नानएलाइन्ड नेशन्स के कि कोई भी हमारी बात मानता ही

6.18 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नहीं ? इसका मतलब यह है कि हम शक्तिशाली नहीं हैं अपनी बात मनवाने के लिये। हमारी चिट्ठी का, हमारे टेलीग्राम का, हमारी भावनाओं का और पार्लमेन्ट की भावनाओं का कोई भी असर पड़ोसी देशों पर पड़ सकता है—इसमें शक है, क्योंकि हमने अपने को उस प्रकार से शक्तिशाली नहीं बनाया हुआ है।

इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई बहुत तेज और व्यापक पग उठाए जाने चाहिये जिससे इस समस्या का हल निकल सके। बहुत दिनों तक मूकदर्शक बनकर इस समस्या को हमें देखते नहीं रहना चाहिए इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा(कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका में कई वर्षों से नरसंहार का भीषण चक्र चल रहा। नरसंहार होता है, फिर बीच-बचाव और शांति होती है। उसके बाद फिर नरसंहार होता है। यह जो दुष्चक्र चल रहा है, इसका अन्त कैसे हो, मैं समझता हूं सिवाय राजनीतिक समाधान के और कोई दूसरा सल्यूशन इसका नहीं हो सकता है। कई मित्रों ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि सैनिक कार्यवाही होनी चाहिए, कई मित्रों ने अन्य बातें कही है, लेकिन मैं स्वयं और हमारा दल भी ऐसा समझता है कि आज की परिस्थितियों में, आज की अन्तर्राष्ट्रीय सिच्युएशन में इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। लेकिन वहां पर जो नरसंहार चल रहा है उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और सरकार को भी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी आज नैम और चोगम की चेयरपर्सन है इसलिये उनसे बड़ी उम्मीद है। जब विश्व की अन्य परिस्थितियों पर विचार किया गया तब क्या कारण है कि श्रीलंका में जो यह अनवरत समस्या चल रही है उसके लिए अन्य देशों से साथ मिलकर इस राजनीतिक समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकते हैं ? श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती भण्डरनायके के साथ जो समझौता हुआ था, उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि उसमें कमी है, तो उस कमी को अगर कारगर ढंग से नहीं लिया जाएगा तो यह समस्या

चलती रहेगी। जहां तक लाखों तमिलियन्स और अन्य भारतीयों के साथ जो मानवीय अधिकारों पर प्रहार हो रहा है, उसकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए।

आज विश्व बहुत छोटा हो गया है। एक छोर से दूसरे छोर आदमी आसानी से पहुंच सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम विश्व के देशों के साथ मिलकर राजनीतिक और कूटनीतिक ढंग से समाधान कर सकते हैं। लेकिन जितना इस पर हमें ध्यान देना चाहिये, मैं समझता हूं कि वह अभी नहीं दिया गया है। इसी कारण से यह बराबर नर-संहार का चक्कर चलता रहेगा और हम यहां संसद में चर्चा करते रहेंगे और आंसू बहायेंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलेगा। यह भी बहुत खेद का विषय है कि हमारे देश के जो राजनीतिक और राजनैयिक सम्बन्ध हैं, उन सम्बन्धों में इतने दिनों से जो कार्यकलाप हुए हैं, उससे कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया है। चूंकि हमारे जितने भी पड़ौसी देश है, चाहे बगलादेश हो चाहे पाकिस्तान हो और चाहे श्रीलंका हो व चीन हो— इन सभी देशों के साथ किसी न किसी तरह से अभी तक हमारे सम्बन्ध सामान्य नहीं हो पाए हैं। स्व० पंडित जी का सिद्धान्त पंचशील था गुटनिरपेक्षता अथवा सहअस्तित्व का हमारे देश के लिए अच्छा था। महात्मा गांधी ने रंगभेद और जातिभेद के आधार पर जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उसके लिए वह अफ्रीका तक गए और आज जब तमिलियन्स की समस्या श्रीलंका में उत्पन्न हो रही है, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अन्तरराष्ट्रीय सयुक्त राष्ट्र संघ, "नैम" और "चोगम" के सदस्यों से बातचीत करके राजनीतिक हल ढूंढना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, मेरे सहयोगी, श्री मिर्धा वाद-विवाद का उत्तर देंगे। यदि मैं अब बोल रही हूँ तो यह श्रीलंका में बिगड़ती हुई स्थिति के प्रति अपनी गम्भीर चिंता व्यक्त करना है।

माननीय सदस्य जानते हैं और उन्होंने इस मामले में पिछली चर्चा के बाद हुई विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है। इनकी पहले भी कई बार चर्चा की जा चुकी है। उन्होंने श्रीलंका की नौसेना द्वारा की गई भारी गोलाबारी का तथा मन्नार और वेल्वेट्टीदुराई जैसे अन्य स्थानों में जो कुछ हुआ उसका और वहां पर बहुत से निरपराप व्यक्तियों के मारे जाने का उल्लेख किया है। वास्तव में नवीनतम समाचार यह है कि भारतीय मूल के बहुत से लोग मारे गये हैं।

शुरू में मैंने केवल कुछ सामान्य बातें कहने की बात सोची थी, लेकिन यहां पर कुछ मुद्दे उठाये गये हैं जिन पर मैं कुछ बोलना चाहती हूं।

मैं प्रो. दण्डवते को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने विद्वतापूर्ण और शिक्षाप्रद भाषण दिया जैसी कि उनसे आशा की जाती है। उन्होंने इस कठिनाई के मूल कारण के बारे में बताया है जो लम्बे अर्से से चल रहा है। यहां पर विभिन्न प्रकार के व्यक्त किये गये हैं। हांलाकि हमारे मित्र जो अभी बोले हैं, मेरे विचार से जगपाल सिंह जी··· (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : जी हां, लोकदल ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : चाहे कोई भी दल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उन्होंने तर्क संगत भाषण दिया और राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया । तथापि उन्होंने यह कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह सच नहीं है । कुछ लोगों ने कहा है—मुझे खेद है कि मैं उस समय उपस्थित नहीं थी जब श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपना अधिकांश भाषण दिया, मैंने केवल इसका अंतिम हिस्सा सुना है—उन्होंने हस्तक्षेप और यह किस हद तक हुआ है के बारे में कहां है वस्तुत: यह प्रश्न है । ऐसा नहीं है । यदि हमने कोई व्यक्ति श्रीलंका में भेजा है तो यह राष्ट्रपति और श्रीलंका सरकार की सहमति से हुआ है हमने यह घोषणा नहीं की थी कि हम किसी व्यक्ति को भेजेंगी चाहे वे चाहते हैं अथवा नहीं । यदि मैंने टेलीफोन किया है अथवा उन्हें पत्र लिखा है तो यह अन्य शासनाध्यक्षों तथा राज्याध्यक्षों के साथ सम्पर्क बनाये रखने का एक सामान्य तरीका है और मैंने ऐसा किया भी है जब यह मामला सीधे भारत के साथ सम्बन्धित नहीं होता है । अवसर के अनुसार मैं बहुत से देशों के नेताओं के साथ परामर्श करती हूं। जब कभी कोई दुखद घटना हुई है तो मैंने राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ सम्पर्क बनाये रखा है और उन्हें पत्र लिखा है अथवा उनसे बातचीत की है । यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे स्पष्ट करने की जरूरत है । एक माननीय सदस्य ने बंगलादेश के युद्ध के समय सोवियत हस्तक्षेप का उल्लेख किया है । सोवियत संघ के साथ हमारा समझौता पूरी तरह से सैनिक समझौता नहीं है यह वस्तुत: शान्ति तथा मैत्री का समझौता है । अत: इसको छोड़कर कि यह उस विशेष समय में, जब हमारे राष्ट्र का उत्साह कुछ कम हो रहा था, नैतिक उत्साह को बढ़ाने वाला था, अन्यथा इसका बंगलादेश की घटनाओं अथवा इसके बाद के परिणाम के साथ सम्बन्ध नहीं था ।

श्रीलंका में मोसाद संगठन की स्थापना के बारे में सरकार को भारी चिन्ता है । श्रीलंका सरकार ने इसकी तुलना बम्बई स्थित इजरायली वाणिज्य दूतावास से की है । इन दो मामलों में बिलकुल समानता नहीं है तथा इन दोनों के बीच तुलना नहीं होनी चाहिए । इस विशेष वाणिज्य-दूतावास की स्थापना पांचवें दशक में की गई थी जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में रहने वाले यहूदियों को वीसा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना था जो अधिकांशत: बम्बई अथवा कोचीन और इस क्षेत्र में रहते हैं। अब इस समय हमारा बम्बई में कोई वाणिज्य दूतावास भी नहीं है । दूसरी ओर वास्तव में श्रीलंका का इजरायल के साथ सुरक्षा सम्बन्धी सम्बन्ध है । ये दो बिलकुल अलग-अलग स्थितियां हैं । राष्ट्रपति जयवर्धने ने प्रेस सम्मेलन में बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो वह "स्वयं शैतान से भी" सहायता की मांग करेंगे । राष्ट्रपति जयवर्धने द्वारा अपने निर्णय के लिए दिया गया प्रत्यक्ष युक्ति तर्क महल कि उन्हें कुछ अन्य देशों से आंतकवादी विरोधी सहायता नहीं मिल सकी है । यह स्पष्टीकरण हमें चक्कर में डाल देता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम और इसकी ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि की है कि ब्रिटिश विशेषज्ञ गत अक्टूबर से श्रीलंका की पुलिस को आंतकवादी विरोधी प्रशिक्षण देते रहे हैं । वे पश्चिमी प्रान्त में कलुतरे में स्थित पुलिस अकादमी से सम्बद्ध हैं और वे वहां पर एक विशेष कमांडो एकक की स्थापना के लिए सहायता कर रहे हैं और अन्य देशों से भी इसी प्रकार की सहायता मिल सकती है ।

विमान के बारे में यह पूर्वी अफ्रीका की एयरलाइन्स से लिया गया एक "चार्टर्ड" विमान था लेकिन किस व्यक्ति ने इसे किराये पर लिया था और इसमें कौन अथवा क्या आया था इस बारे में हमें नहीं मालूम है। कोई भी व्यक्ति विमान किराए पर ले सकता है और इसका प्रयोग कर सकता है। तथापि वर्तमान परिस्थितियों में यह मामला चक्कर में डालने वाला है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अम्बरासु जानते हैं कि यह दक्षिण अफ्रीका का है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि वे सम्बद्ध नहीं हैं तो मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहती हूं साथ ही मुझे इसके विपरीत कोई जानकारी नहीं है। आज के एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है कि श्री लंका के प्रधान मन्त्री श्री प्रेमदास ने एक भारतीय पत्रिका 'इण्डिया 2000' को अपनी संसद में पेश किया है जिसमें एक तथाकथितयोजना दी गई कि भारत ने पिछले सितम्बर में द्वीप पर हमला करना है। मैं इस झूठे आरोप का जोरदार खण्डन करती हूं। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का ऐसा व्यवहार नितान्त गैर-जिम्मेदाराना है ऐसी कोई योजना न थी। यद्यपि विपक्ष में अपने मित्र को मैं निराश नहीं करना चाहती, भविष्य में भी हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस योजना के बारे में क्या स्थिति है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उसके बारे में तो मैंने अभी बताया ही है।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : जरा एक प्वाइन्ट साफ कर दीजिए कि क्या आप का यह स्टेटमेंट था कि आप ने अमेरिका से कोई मदाखलत करने की अपील की थी। ऐसा लोक सभा में भी सवाल उठा था कि आप ने कहा था कि अमेरिका, लंका और हमारे बीच में बिचोलिया हो कर कुछ करे।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी ने 377 में यह सवाल उठाया था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने ऐसी बात बिल्कुल नहीं कही थी। इस वक्तव्य में कोई सच्चाई नहीं। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। अन्यथा मैंने इसका उल्लेख किया होता। लेकिन हमने अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी।

श्री मनी राम बागड़ी : वाजपेयी जी ने यह रेज किया था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमने श्री लंका की घटनाओं, बढ़ती हुई हिंसा और अपराध पर चिन्ता व्यक्त करने के लिए अनेक देशों के नेताओं, शासनाध्यक्षों से बात की है। उन्हें बताया है कि वहां कैसे हिंसा और अपराध बढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है कि 500 युवा लोगों को पकड़ लिया गया और उनके माता-पिता से कहा गया कि उन्हें शीघ्र वापस भेज दिया जायेगा। मेरे विचार से उनमें से केवल 100 को वापस भेजा गया। बाकी लगभग 1:0 लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं है।

जब हमने सुना कि सैनिक तथा अन्य सहायता के लिए दूसरे देशों से कहा गया है ताकि श्री लंका के कथित तमिल आंतकवाद को दबाया जा सके तो हमने उनके समक्ष मत व्यक्त किया कि विदेशी शक्तियों के इतने निकट होने से हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है और हमें हैरानी इस बात पर थी कि क्या ये देश समस्या के मूल स्वरूप को समझते हैं और क्या वे उस ढंग से इस मामले में हस्तक्षेप कर सकेंगे, जिस ढंग से उन्हें कहा गया है।

देश के आकार का उस देश की प्रभुसत्ता के मामले में कोई महत्व नहीं होता। किसी ने 'बड़े भाई' जैसी बात कही है। हम इस बात में विश्वास नहीं रखते। हम बड़े या छोटे भाई की तरह बात नहीं करते। हमारा विश्वास है कि सभी राष्ट्र बराबर हैं। यद्यपि निर्गुट राष्ट्रों के समूह का भारत अध्यक्ष है लेकिन हमने कभी अपने नेतृत्व या विचारों को दूसरे पर थोपने का रवैया नहीं अपनाया। हम मिल कर काम करने का प्रयास करते हैं। उसमें कई कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन उसके कई लाभ भी हैं। क्योंकि उससे अधिक सहयोग मिलता है। बड़े भाई की संज्ञा से हमारे छोटे आकार के पड़ोसी देश तथा जो देश हमारे निकट नहीं हैं, वे क्षुब्ध हो जाते हैं। कुछ भारतीय इसे विशेष सांस्कृतिक सम्बन्ध, आदि कहते हैं। इस से हमें गर्व हो सकता है लेकिन अन्य देश इसे पसन्द नहीं करते।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : बड़ी बहिन के बारे में क्या विचार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : बड़ी बहिन कहें या बड़ा भाई, उस से कोई अंतर नहीं पड़ता। जब हम बराबर की बात कहते हैं तो बहिन या भाइयों में बराबरी की बात है, आप जो चाहे कह लें। प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है और वह बाह्य हस्तक्षेप पसन्द नहीं करता जैसे अपने देश में हम भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं चाहते। जब हम श्री लंका की बात करते हैं तो हम एक मित्र और एक पड़ोसी के रूप में कहते हैं जिसे वहां की घटनाओं पर गहरी चिंता है।

एक प्रश्न पिछले समझौतों के बारे में पूछा गया था। हम 6 लाख लोगों को वापस लेने पर सहमत हो गये थे, जिसमें से 5,10,000 लोगों ने अन्तिम तिथि तक जो 30 अक्टूबर, 1981 थी, आवेदन दिये। इन सब का या तो पंजीकरण हो गया है या उसकी प्रतिक्रिया चल रही है।

राष्ट्रपति जयवर्धने शेष लगभग 93000 लोगों को श्री लंका की नागरिकता देने को सहमत हो गये थे। लेकिन महोदय, श्री लंका ने, जो 3,75,000 लोगों को लेने के लिए तैयार हो गया था, आज, यानि 31 जनवरी, 1984 तक केवल 1,90,000 लोगों को ही नागरिकता प्रदान की है। बाकी का उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है। बाकी 93000 लोग, जिनके लिए वे सहमत हुए हैं, इन के अतिरिक्त हैं।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम वार्ता के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। यही एक मार्ग है जिससे शान्तिपूर्ण समाधान ढूंढा जा सकता है। जहां तक बच्चों तथा अन्य मामलों का प्रश्न है, न केवल विदेश कार्यालय बल्कि मैंने स्वयं भी श्री लंका के उच्चायुक्त से

उन बच्चों और युवा लोगों के बारे में बात की है और इस मामले पर मैंने राष्ट्रपति जयवर्धने को भी लिखा है।

अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या यह मामला केवल आतंकवाद और कानून तथा व्यवस्था का ही है जैसा कि श्रीलंका के प्राधिकारी कहते हैं और जिसके बारे में राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने मुझे पत्र लिखा था ? हमारे विचार से समस्या कहीं गहरी है। श्रीलंका में न केवल भारी निराशा बल्कि वहां तमिल लोगों के विरुद्ध बढ़ रही हिंसा तथा उन पर अत्याचारों के कारण यह स्थिति आई है। आपको पता ही है कि वहां कितने लोग मारे गए हैं और उनकी कितनी सम्पत्ति नष्ट हो गई है। आज वे सभी गम्भीर खतरे में रह रहे हैं। उन पर प्रति दिन अत्याचार होते हैं, उनसे भेदभाव किया जाता है, उनका अपमान होता है और वे बहुत डरे हुये हैं।

तमिल लोगों के मूलमानवाधिकारों के लगातार दमन के कारण यहां भारी चिन्ता व्याप्त हो गई है। इन अधिकारों के दमन के बारे में हमने उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय अभिकारणों का ध्यान आकृष्ट किया है। हमने भेदभाव निवारण तथा अल्पसंख्यकों के संरक्षण सम्बन्धी उप आयोग तथा मानवाधिकार आयोग में जोरदार आवाज उठाई है। पहले हमने रेडक्रास सोसाइटीज की लीग के माध्यम से विभिन्न सहायता पहुंचाई थी। एक माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया है कि कुछ पश्चिमी देश की लंका को वित्तीय तथा अन्य सहायता दे रहे हैं। इस स्थिति की समीक्षा की जा रही है और इस बात पर गहरी चिन्ता अनुभव की जा रही हैं।

वहां वास्तव में समस्या बहुत जटिल है। तमिल लोगों की बहुसंख्या उत्तरी भाग में है और वहां उन्हें दबाया जा रहा है। पूर्वी प्रान्त में भी तमिल हैं जहां समूचे श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय सिंहली मूल के लोगों को बसाया जा रहा है, ताकि वहां तमिलों की संख्या कम की जा सके। और अन्त में वे तमिल है जिन्हें भारतीय मूल के कहा जाता है। आपने यह ठीक ही कहा है कि वे सभी भारतीय मूल के लोग हैं लेकिन अभी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें लगभग 100 वर्ष पूर्व अंग्रेज वहां से गये थे। उन्हें ही प्रायः भारतीय मूल के तमिल कहा जाता है। वे कोलम्बो के आस पास ऊंचे स्थानों पर और श्रीलंका के अन्य भागों में बसे हुए हैं।

महोदय, कुछ तत्व स्थिति को खराब करने में रुचि रखते है ताकि बाह्य हस्तक्षेप के लिए बहाना मिल जाये। हमें इस बारे से बहुत सावधान रहना है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। लेकिन हम कोई ऐसी बात करना या कराना नहीं चाहते जिससे स्थिति तमिल लोगों के लिये और खराब हो जाये। इसके विपरीत हमें वाह्य अभिकरणों से बहुत सचेत रहना है क्योंकि यह द्वीप हमारे बहुत निकट है, यानि लगभग 12 मील दूर। स्पष्ट है कि हम स्थिति से बेखबर नहीं रह सकते। यहाँ स्थिति वैसी नहीं है जैसे कि अन्य उदाहरण दिए गए हैं। यह मौका अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की उपस्थिति पर चर्चा करने का नहीं है। हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम बाहरी सेनाओं और बाहरी हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हैं और हमने सभी सम्बन्धित क्षेत्रों को यह स्पष्ट कर दिया है। श्रीलंका की समस्या बिल्कुल अलग

किस्म की है। हमारा हित तो वहां के तमिल लोगों के दमन और उनकी हत्याओं को रोकना है। और यह स्थिति तभी आ सकती है जब किसी ऐसे राजनीतिक समाधान के लिये सक्रिय प्रयास किये जायें जो सभी को मान्य हों।

जब भी हम कहते हैं कि भारत को सलाह देनी चाहिए या उसे अपनी उपस्थिति महसूस करानी चाहिए तो उससे इस अल्पसंख्यक जाति को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय चिढ़ जाता है और तमिल लोगों से बदला लेने लगते हैं। अतः जब हम राष्ट्रपति अथवा उनके प्रतिनिधि से बात करते हैं तो हमारा रवैया यह होता है कि ऐसा प्रस्ताव रखा जाए जो तमिल तथा अन्य समुदाय के लोगों को भी मान्य हो (व्यवधान)। राष्ट्रपति ने कई प्रस्ताव रखे थे। उनके पास अन्य प्रस्ताव भी थे और उन्होंने कहा कि वातावरण के अनुसार वह उन्हें प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा 'मुझे अन्य लोगों का भी विश्वास प्राप्त हुआ है।' जो भी हो। आपको पता ही है कि उन्होंने द्विनीय चेम्बर की बात कही थी जो 'तुल्फ' को मान्य न था। पिछले दिनों एक प्रेस इण्टरव्यू में राष्ट्रपति जयबर्द्धन ने कहा था कि श्रीलंका सरकार समूचे देश में प्रांतीय परिषदें बनाने को तैयार हैं जो गृह शासन संभालेगी। शुरू में काफी समय तक जिला परिषदें रहेंगी और मंत्रीगण प्रांतीय परिषदों के प्रति उत्तरदायी होंगे। प्रांतीय परिषदें द्वितीय चेम्बर का एक अंग होंगी। राष्ट्रपति जयवर्द्धन ने 23 जुलाई को सर्वदलीय सम्मेलन में जिस प्रस्ताव की रूपरेखा रखी थी, उससे यह बेहतर जान पड़ता है। मैं कह सकती हूं कि अल्पसंख्यक दल और ग्रुप जिनमें तमिल, मुसलमान और ईसाई शामिल हैं—ये मुसलमान और ईसाई भी तमिल हैं किन्तु मैं इन्हें इसलिये अलग कर रही हूं क्योंकि—

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी श्रीमती : धर्म के कारण ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : धर्मानुसार नहीं किन्तु आरम्भ में श्रीलंका सरकार मुसलमानों को अलग मानती थी और हमें यह कहती थी कि वे इस आन्दोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। यही एक कारण है कि मैं उनका अलग से उल्लेख कर रही हूँ, मैं उन्हें धार्मिक समूहों में विभाजित नहीं करना चाहती हूं। किन्तु मुसलमान भी मारे गए हैं, उनकी सम्पत्ति को नष्ट किया गया है और वे भी पीड़ित महसूस करते हैं। अतः ये अल्पसंख्यक समूहों तथा मैं समझती हूं कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने जिनमें मेरे विचार से श्रीलंका साम्यवादी दल भी शामिल हैं, प्रान्तीय परिषदें स्थापित करने का आग्रह किया है। कहा गया है कि हाल ही में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। अतः हम यह आशा करते है कि इन प्रस्तावों पर अब पार्टी कान्फ्रेंस की 29 को होने वाली बैठक में अथवा जब भी इसकी बैठक हो पूर्णरूपेण चर्चा होने की सम्भावना है। और एक स्थायी राजनीतिक हल निकाला जायेगा।

जैसा कि अधिकांश तदस्यों ने कहा हैं यह न केवल तमिलनाडु की हमारी बहिनों और भाइयों की ही चिन्ता का विषय नहीं है बल्कि यह समस्त राष्ट्र की चिन्ता का विषय है। हम आशा करते हैं कि बातचीत की लोकतांत्रिक प्रकिया के माध्यम से संगठित श्रीलंका के अन्तर्गत ही तमिल लोगों के लिये एक सम्मानपूर्ण और सुरक्षित स्थान प्राप्त होगा। इसलिये हमने एक पड़ौसी मित्र के नाते अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी। हाल ही में राष्ट्रपति जयवर्द्धन ने

एक संदेश भेजा है कि वह चाहते हैं कि श्री पार्थसारथी दूर से किसी उपयुक्त समय पर श्रीलंका आयें। श्रीलंका सरकार को हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं और हम हर सम्भव तरीके से यह प्रयत्न करते रहेंगे कि तमिल लोगों की यह कष्ट की घड़ी टले।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम चर्चा जारी रखें···

प्रो. एन. जी. रंगा : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री अनबाशसु ने एक सुजाव दिया था कि क्या रेडक्रास की गाड़ियां और चिकित्सा सामग्री की सप्लाई सम्भव हो सकेगी और वह स्वीकार्य होगा।

श्री के. मायातेवर (डिन्डिगल) : महोदय, क्या आप मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति देंगे। मैं आपके नियन्त्रण में हूं मैं आपके अभिरक्षण में हूँ, आप हमारे अभिरक्षक हैं (**व्यवधान**) मैं माननीय प्रधान मन्त्री से एक विनम्र प्रश्न पूछना चाहता हूं। जन संहार के विरुद्ध भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो वह पहले ही कह चुकी है।

श्री के. मायातेवर : जन संहार को रोकने के लिए कम से कम क्या कार्यवाही की गई है ? हर रोज इन लोगों के मारे जाने के बारे में सुन रहे हैं। यह आम बात हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने उत्तर दिया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : प्रो. रंगा ने एम्बुलेन्सेज के बारे में पूछा है।

श्री के. मायातेवर : जन संहार की भर्त्सना नहीं की गई है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसकी सरकार वे जोरदारक भर्तसना की है। यही सब मैं कह रही थी कि हमने इसकी भर्टसना की हैं। हमने अन्य राज्याध्यक्षों को इसकी भर्तसना करने के लिए लिखा है। हम इसे मानव अधिकार आयोग में ले गये हैं।

डा. सूब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप इसे जन संहार कहते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे नहीं मालूम कि क्या वह शब्द प्रयोग किया गया था। पहले मार-काट, तमिलों का कत्लेआम शब्द प्रयोग किये गये थे। मुझे अब यह याद नहीं है कि क्या पत्रों में जन संहार शब्द लिखा गया था। मैं फिर से देखूंगी। किन्तु जब आप यह कहते हैं कि लोगों का कत्लेआम हो रहा है और समस्य जनसंख्या का संहार हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि इसका वही अर्थ है।

आरम्भ में मैंने दवाइयां, भोजन तथा सभी आवश्यक वस्तुएं शरणार्थी शिविरों अथवा अन्य स्थानों को भेजने की पेशकश की थी। उस समय हमें कहा गया कि सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। हमने 60 लाख रुपये सरकार के स्तर पर और 54 लाख रुपये भारतीय रेडक्रास के

माध्यम से दिये। किन्तु यदि अधिक धन की आवश्यकता हो तो उस पर विचार किया जा सकता है हमारे पास पैसा अधिक नहीं है। हम यथा शक्ति निश्चित रूप से सहायता करेंगे। किन्तु बाद में हम सहायता करते रहे हैं। उस समय उन्होंने रेड क्रास को अनुमति नहीं दी।

प्रो. एन. जी. रंगा : इस समय ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : रेड-क्रास स्वयं नहीं जाता। रेड-क्रास केवल युद्ध की स्थिति में जाता है। किन्तु लीग आफ रेड-क्रास सोसाइटीज ऐसी स्थिति में सहायता करती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि अब इसमें कुछ अधिक नहीं रहा है और मैं दूसरी मद पर जा सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अपहरण किये गये विमान की ताजा स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि जब उन्हें जानकारी मिलेगी वह देंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब सभा स्थगित होने जा रही है और कल रविवार है। हमें कुछ जानकारी होनी चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कोई एक विधेयक चल रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानता हूं कि एक विधेयक चल रहा है किन्तु हवाई जहाज भी चल रहा है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण का मेरा एक छोटा मामला है। यात्री सूची में मेरा नाम भी है। (व्यवधान) क्यों कि अन्यथा श्री तिवारी कहना शुरू कर देंगे कि मैंने जहाज का अपहरण किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पढ़ा है। मैंने तत्काल मार्शल को यह मालूम करने के लिए भेजा आप यहां हैं अथवा जहाज में हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यहां हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी मित्र आश्वस्त हो कि मैं यहां हूँ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : इससे मालूम होता है कि सोवियत संघ का विमान अपहरण में हाथ है।

प्रो. मधु दंडवते : क्या यह श्री इन्द्रजीत गुप्त हैं या उनकी तीसरी प्रति है ?

6.49 म. प.

भूमि-अर्जन (संशोधन) विधेयक जारी

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं हम अब भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक ले सकते हैं।

हम इसे आज समाप्त कर सकते हैं ।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, दिगम्बर सिंह जी ने संशोधन के बारे में प्रधान मंत्री जी से कहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह उठकर न जाए, इसको मंजूर करके जाएं। जब भी जाएं, इस संशोधन के बारे में फैसला करके जाएं, ऐसे नहीं।...(व्यवधान)

श्री सज्जन कुमार (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि लैण्ड लैक्वीजिशन बिल जिसकी पिछले कई सालों से हम लगातार कोशिश करते रहे हैं कि यह बिल संसद के सामने आए और जो किसानों का शोषण हो रहा है, उनको कुछ रिलिफ मिल सके।.. (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : भूमि अर्जन विधेतक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। कई सदस्यों को इस पर बोलना है। इसे सोमबार को लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसे निपटाने दीजिए। सभा ने यह निश्चय किया है कि इस विधेयक को आगे समाप्त किया जाये।

श्री सज्जन कुमार : अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि लोक सभा के अध्यक्ष साथ-साथ आप कृषि पण्डित-हैं और कृषक समाज के अध्यक्ष भी हैं। मैं भी जानता हूं, ससंद भी जानती है और सारा देश जानता है कि आप की लगातार यही कोशिश रही है कि यह बिल ससंद के सामने जल्दी से जल्दी आये, और यहां से स्वीकृति मिलने के बाद बाद लागू हो, ताकि किसानों का जो शोषण हो रहा है, उनको कुछ रिलीफ मिल सके। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं किसानों की ओर से और से आपको भी बधाई देना चाहता हूँ।

यहां मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां आपने इस बिल में बहुत से नये प्रावधान किए हैं, दफा चार और दफा छः के नोटिस के सम्बन्ध में आपने कहा है कि इसमें एक साल से अधिक का समय नहीं लगेगा, लेकिन मैं यहां सुझाव देना चाहता हूं कि एक साल का समय भी बहुत अधिक है। क्यों कि जब किसान को दफा चार के नोटिस दे दिए जाते हैं तो उस का इंटरैस्ट उस जमीन के प्रति नहीं रहता। क्यों कि उसको पता लग जाता है कि बहुत जल्दी सरकार इस जमीन को ले लेगी। इस कारण उस जमीन से अधिक पैदावार होने की आशाएं खत्म हो जाती हैं और दूसरी तरफ कई परेशानियां भी सामने आती हैं। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि इस अवधि को घटाकर 6 महीने कर दिया जाना चाहिए।

दफा 6 के नोटिस के बाद एवार्ड दिए जाने के सम्बन्ध में आपका कहना है कि इसमें दो वर्ष से अधिक का समय नहीं लगेगा। अध्यक्ष जी, दिल्ली में हमारा यह अनुभव रहा है कि दफा 6 का नोटिस देने के बाद एवार्ड मिलने तक के काल में कई परेशानियां खडी हो जाती हैं। जैसा

मैंने कहा, एक ओर तो किसान का अपना इंटरेस्ट उस जमीन के प्रति खत्म हो जाता है, दूसरी ओर यह भी देखने में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व उस जमीन की खरीद-फरोख्त शुरू कर देते हैं और उसमें नई-नई अन-औथोराइज्ड कालोनियों का निर्माण शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि दफा 6 के नोटिस के बाद एवार्ड मिलने तक के बीच के समय को अधिक से अधिक एक साल रखा जाना चाहिए। जब हमने जमीन को लेने का एक बार निश्चय कर लिया है तो उसके बाद भी सालों तक उसको ऐसे ही डाले रखने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता।

इस बिल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान और किया गया है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, कि अर्जित भूमि के बाजार मूल्य की 15 प्रतिशत की तोषण की दर को बढ़ाकर तीस प्रतिशत किया जा रहा है। इससे किसानों को अवश्य ही कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन मेरे विचार में यह भी कुछ कम है। उसका कारण यह है कि एक ओर तो सारी चीजों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, इसलिए उसके अनुरूप किसान को जमीन की कीमत का तोषण दर 30 के स्थान पर 50 प्रतिशत होना चाहिए। यदि इस 30 प्रतिशत दर का आप पूरा अनुमान निकाल कर देखें तो इससे किसान को जितना लाभ पहुंचना चाहिए, उतना नहीं मिल पाएगा। मैं आशा रखता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देकर इस दर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करेगी।

इस बिल के तहत ब्याज की दर को बढ़ा कर 9 प्रतिशत करने का भी सुझाव है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां हमने सभी चीजों पर ब्याज की दर को बढ़ाया है, तो उसी के अनुरूप हमारे किसानों को भी 15 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलना चाहिए क्यों कि उस किसान की जमीन को हम लेंगे, जिसका सब कुछ उसी जमीन पर निर्भर करता है इसके बाद बिल में यह भी सुझाव है कि किसी किसान को एवार्ड घोषित हो जाने के बाद भी यदि पैसा नहीं मिल पाता है तो उसको 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस दर को भी बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए। यद्यपि यह भी कम है, लेकिन इतना तो अवश्य ही मिलना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि जहां आपने, जिन की जमीनों को लिया जाएगा, उनके बारे में सोचा है, वहीं हमें देश के लैंडलैस, भूमिहीन हरिजन और दूसरी जाति के लोगों के बारे में विचार करना चाहिए जिनका सब कुछ जमीन पर ही निर्भर करता है चाहे वह हमारे लोहार भाई हैं, चाहे कुम्हार भाई हैं, चाहे खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, लेकिन उसमें कोई बात उनके लिए नहीं सोची गई कि आखिर वह भी जो बेरोजगार होंगे उनके बारे में हम क्या करें? मैं पहली बात तो यह कहना चाहूँगा कि जब सरकार किसान की जमीन लेती है तो हमें एक तो पहले यह ध्यान देना चाहिए कि हम उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकें हमारे नौजवान लड़के और बहिनें, आज जिनका सब कुछ जमीन पर निर्भर था, जिनका वह सब कुछ ले लिया गया, वह बेरोजगारों की लाइन में खड़े हैं। उनके सामने कोई समाधान नहीं है। उन के सामने गम्भीर समस्या है कि वह अपना पेट कैसे पालन करें। दिल्ली में जो जमीन ली जाती रही है उस में पांच एकड़ जमीन

का मुआवजा अक्सर 20 हजार रुपये एकड़ से अधिक कभी नहीं दिया गया। बल्कि कई जगह तो दस हजार रुपये एकड़ दिया गया और दिल्ली विकास प्राधिकरण जो आलटरनेटिव प्लाट देता है 200 गज का उस का साढ़े तीन सौ रुपये गज उसी आदमी से लेता है जिस की जमीन का अधिग्रहण किया गया। पांच एकड़ जमीन का करीब 1 लाख रुपया मुआवजा उस को मिलता है और दो सौ गज के प्लाट का करीब करीब उतना ही रुपया उससे लिया जाता है। आप देखे 5 एकड़ जमीन का मुआबजा अक्सर 80 हजार से ले कर 1 लाख रुपये तक उसको मिलता है और उसी जमीन में से वहीं आदमी उसी गांव का रहने वाला जब आप से 200 गज प्लाट लेता है तो उस से 80 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की उसकी कीमत ले ली जाती है। मैं कहूँगा उसकी कीमत इतनी क्यों ? यह कितना बड़ा अन्याय है ? जो आलटरनेटिव प्लाट उसे उसकी अपनी जमीन में से ही दिया जाता है उस की इतनी कीमत क्यों ?

दूसरी बात-जमीन देने के बाद उसके सामने बेरोजगारी का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ? 1977 के पहले उन बेरोजगारों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन 1977 के बादसरकार बदलने के बाद वह प्राथमिकता समाप्त कर दी गई। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमें यह बात भी रखनी चाहिए कि जिन की जमीन ली जाय उन बेरोजगार को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जायगी।

जिस चीज के लिए जमीन लेते हैं जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण मकान बनाने के लिए लेता है, या किसी कारखाने या फैक्ट्री के लिए लेता है तो यह क्यों न किया जाय कि उन गांवों के बच्चों को रोजगार दिया जायेगा और प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा ? ऐसे ही, जैसे मैंने कहा कि वहां के भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, हरिजन भाई हैं, उन को भी इस में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण को मुबारकवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहली बार प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश से यह निश्चय किया है कि जो आलटरनेटिव प्लाट पहले सिर्फ उन लोगों को दिया जाता था जिन की जमीन ली जाती थी, अब यह हुआ है कि नो प्राफिट नो लास बेसिस पर उन्हें भी मकान बनाकर दिया जा रहा है जो भूमिहीन हैं, हरिजन भाई हैं और करीब दस हजार मकान दिल्ली विकास प्राधिकरण उनके लिए बना रहा है। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस बात के लिए भी वधाई देना चाहता हूँ कि उनको कामर्शियल शाप्स के प्लाट्स में भी कुछ प्राथमिकता दी है। कुछ दुकानें एलाट करने का निश्चय किया गया है। लेकिन वह बहुत कम है। मैं जहां उनको बधाई देना चाहता हूँ वहां इस बात के लिए उनकी आलोचना भी करता हूँ कि जो टार्गेट रखा गया है वह बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। पाँच प्रतिशत या दस प्रतिशत से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 25 प्रतिशत दुकानों में उन के लिए रखा जाना चाहिए। साथ साथ इंडस्ट्रियल प्लाट्स जो हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया आप डेवलप करते हैं उन एरियाज में भी एक एक प्लाट देना चाहिए।

7.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय, हमने तो आपके माध्यम से सरकार को यह भी सुझाव दिया है कि दिल्ली

के किसान अपनी जमीन आपको फ्री देना चाहते हैं। जिस आदमी के पास 10 एकड़ जमीन है, वह कहता है कि 9 एकड़ जमीन सरकार फ्री ले ले लेकिन हमारी एक एकड़ जमीन छोड़ दे और उस पर उसको इस बात का मौका दे कि जो भी सरकार का नक्शा है, उसके मुताबिक उसे कमर्शियल बनाकर वह लोगों को बेच सके। अगर इस तरफ सरकार ध्यान दे तो इससे सरकार का पैसा भी बच सकता है और उसी एक एकड़ जमीन से उसे किसान को इतना पैसा मिल सकता है कि वह सरकार द्वारा दिये मुआवजे से अधिक होगा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन बेरोजगार किसानों को पहले रहने का और उसके साथ-साथ उनके रोजगार की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो एक ऐसा सवाल लोगों के दिमाग में खड़ा होता जा रहा है, ऐसे रास्ते पर नौजवान लड़के भटक रहे हैं कि उनको अगर रोजगार नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में वह हमारे लिये परेशानी खड़ी कर सकते हैं।

जिन गांवों की जमीन ली जाती हैं, उनके विकास का काम दिल्ली विकास का काम दिल्ली विकास प्राधिकरण कर रहा है। उसमें बहुत काम किया गया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत काम की जरूरत है। मैं सरकार को इसके लिये मुबारकबाद देना चाहता हूं।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा मैं आपको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने इसमें बहुत प्रयास किया है। शिक्षित समाज के नाति आप किसानों का बहुत ख्याल रखते हैं। आप इस सम्मानीय पद पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी आप सारे किसानों, भूमिहीनों के प्रति जितना विशेष तौर से ध्यान देते हैं, मुझे मालूम है।

आप शिक्षित समाज के अध्यक्ष हैं, आपने इन सवालों को उसमें उठाया है। मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहूँगा कि जो जमीन हम लेते हैं, जिसका अधिग्रहण करते हैं, इस बात का ध्यान नहीं करते कि गांव की बढ़ी हुई आबादी क्या है वहां, जमीन का अधिग्रहण कर लेते हैं।

यह भी देखने को मिला है कि प्रधान मंत्री के 20-सूत्रीय प्रोग्राम में जिनको रैजीडैंशियल प्लाट्स दिये हैं. उनको भी एक्वायर करने के नोटिस सरकार ने दे दिये हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो विल्ड-अप एरिया है, उसको न लिया जाये और इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि गांव की जो आबादी बढ़ रही है, उस गांव के आसपास थोड़ी जमीन ज्यादा छोड़ी जाये जिससे वह लोग अपनी व्यवस्था कर सकें।

मैं एक बार फिर प्रधान मंत्री को किसानों की तरफ से और लोगों की तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत प्रयास के बाद जो सरकार यह बिल लाई है, उससे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी।

धन्यवाद।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे अभी लखनऊ जाना है इसी लिए मैं रुका था।

इस तरह के विधेयक के लिए किसानों की बहुत दिनों से मांग थी और बहुत मजबूत आवाज—मेरा तात्पर्य है, आप की आवाज—उठने के बाद इस बिल को यहां पर लाया गया है। आपने हम सब की बातों को ध्यान में रख कर सरकार पर जोर डाला कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको दूर करने के लिए यह विधेयक लाया जाए। लैंड एक्वीजीशन से सम्बन्धित कानून बहुत पुराना था और वह एक किसान विरोधी कानून था। उसमें संशोधन करने की तरफ तवज्जुह नहीं दी गई। इस सदन में दूसरे कानूनों में हर साल संशोधन होते रहते हैं। लेकिन चूंकि यह कानून किसानों से सम्बन्ध रखता है, इस लिए सरकार ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सरकार का ध्यान इस ओर जरूर गया कि किसान अनाज की पैदावार बढ़ाए, देश को आत्म-निर्भर बनाए और इस देश को भिखमंगे की स्थिति में न रहने दें। इसके लिए सरकार ने पानी और बिजली आदि की व्यवस्था आदि कई कदम उठाए। किसानों ने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया। इसीलिए आज अगर हम सिर उठा कर कहते हैं कि भारत अनाज के मामले में आत्म-निर्भर है, तो इसका पूरा श्रेय इस देश के मेहनत करने वाले किसानों को जाता है। लेकिन सरकार ने इस कानून की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया और इस लिए सदन में बराबर आवाज उठती रही है।

अभी श्री सज्जन कुमार दिल्ली की चर्चा कर रहे थे। जब मैं पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष था, तो उस कमेठी ने, जिस तरह से दिल्ली में डी डी ए किसानों की जमीन लेता है, उसका विशेष रूप से अध्ययन किया था उस वक्त कमेटी को बड़े सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़े थे। हमने कहा था कि डी डी ए दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, किसानों को दिन-दहाड़े लूट कर रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली में 200 गज जमीन की जो कीमत है, उसी कीमत में डी डी ए ने किसानों के पांच एकड़ जमीन ले कर और उसमें डैवेलपमेंट वगैरह कर के मनमाने तरीके से बेचा है। मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसा पब्लिक परपज हो जिसमें देश का कोई बहुत बड़ा हित शामिल हो, अगर सुरक्षा के लिए जमीन लेनी है या बिजलीघर आदि किसी ऐसी संस्था के लिए जमीन लेनी है, जिसका बनाना जरूरी है, तो उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन अमीरों की बस्ती बसाने के लिए, सिनेमाघर बनाने के लिए या खेलों के लिए मनमाने दामों पर जमीन ली जाती रही है।

मैं एक उदाहरण देता हूं। गाजियाबाद में 1960 में 50 गांवों के किसानों की 34,000 एकड़ जमीन ली गई, जिसका उद्देश्य यह बताया गया कि गाजियाबाद का विकास करना है। वह जमीन 18 साल वैसे ही पड़ी रही। किसान कहते थे कि हमें इसको बोने जोतने दिया जाए। वे लोग पंडित जवाहरलाल के पास भी पहुंचे। उन्होंने गुस्से से कहा था कि क्यों किसानों के साथ ऐसी बात होती है। लेकिन उसके बाद फिर मामला नौकरशाही के हाथ में चला गया। बड़ी मुश्किल से कुछ जमीन छोड़ी गई। एक महीना पहले मैं उन गांवों में गया था। 50 गांवों के किसान वहां इकट्ठा थे।

मुझे खुशी है कि इस विधेयक के जरिये यह एमेंडमेंट किया जा रहा है कि अगर अदालत द्वारा किसी व्यक्ति के काम्पेन्सेशन में वृद्धि की जाती है, तो उसी नोटिफिकेशन के द्वारा जिन अन्य लोगों की जमीन ली गई है, उन्हें भी काम्पेन्सेशन में वृद्धि मांगने का अवसर दिया जाएगा। पहले तो उसीको ज्यादा काम्पेन्सेशन दिया जाता था, जो कोर्ट में जाता था। जो दूसरे गरीब लोग अदालत में नहीं जाते थे, उनको कोई नहीं पूछता था। गाजियाबाद के मामले में यही हुआ। हाई कोर्ट ने कुछ किसानों का काम्पेन्सेशन तीन गुना बढ़ा दिया, हालांकि आज जमीन की कीमत सौ गुना बढ़ गई है। बाकी किसान कोर्ट में नहीं गए। उन्होंने कहा कि हमें भी बढ़ाया हुआ मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार देने के लिए तैयार नहीं हुई और कानों में तेल डाले बैठी रही।

इस क्लाज को स्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिए। आजादी के बाद से किसानों की जो जमीनें ली गई हैं और जिनको मुआवजा नहीं मिला है, यह प्राविजन उनपर भी लागू किया जाना चाहिए। जिन गरीबों को मुआवजा नहीं मिल पाया है, उसी रीति से उनको भी मुआवजा देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो संशोधन श्री दिगम्बर सिंह ने पेश किया है इस पर मन्त्री जी को बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मैं दो उदाहरण देता हूं। मद्रास हाई कोर्ट में एक केस गया, जमीन 1944 में ले ली गई। 25 साल तक उस पर कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब वह अदालत में गये और जमीन का मुआवजा मांगा तो उन किसानों को कहा गया कि 25 साल पहले जिस रेट पर जमीन ली थी उसी नोटिफिकेशन के अधीन आप मुआवजा पाने के अधिकारी हैं। अगर 25 साल मामला लटका रहेगा और नोटिफिकेशन की डेट से देंगे तो क्या यह उचित है ? कायदे की बात है कि जिस दिन आप कब्जा ले रहे हैं उस दिन जो जमीन का बाजार भाव है उसके मुताबिक सरकार को मुआवजा देने में क्या हर्ज है ? मैं समझता हूं यह संशोधन बहुत जरूरी है और इसको सरकार को मानना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब इसमें कुछ समाधान है।

श्री चन्द्रजीत यादव : नहीं है। अब कह रहे हैं कि दो साल के अन्दर फैसला होना है। तारीख वही रहेगी नोटिफिकेशन वाली। अगर दो साल के अन्दर अधिग्रहण नहीं होगा, अगर उनको मुआवजा नहीं मिल जायगा तो अपने आप लैप्स कर जायगा। यह अच्छी बात है। पहले तो यह कैद भी नहीं थी, और 20, 25 साल से गाजियाबाद का, यानी 1960 का मामला अभी तक लटका रहा।

एक तो मेरी यह प्रार्थना है कि खासतौर से शहरों के विकास के लिये और उनके आस-पास बड़े पैमाने पर जमीन ली जा रही है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये, कुछ नियम बना दीजिये, आपने कहा हम सब को रीहैबिलिटेट नहीं कर सकते, नौकरी नहीं दे सकते, आल्टरनेटिव सोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, मेरा कहना है कि कम से कम जो पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर के कारखाने हैं, जहां आप जमीन लेते हैं, उनमें जो भर्ती होती है उसमें उन

किसानों के लड़कों को जरूर भर्ती करने में प्राथमिकता देनी चाहिये। कम से कम एक परिवार का एक आदमी जरूर लिया जाए। आप इस बात को जरूर लागू कराइये।...

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : मथुरा रिफाइनरी में भी लागू नहीं हुआ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप इस बात को सख्ती से लागू कराइये कि एक परिवार का कम से कम एक आदमी को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

दूसरी बात यह कि एक जगह आपने अपनी स्पीच में कहा कि जिसकी जमीन ली जाएगी उसमें जो वीकर सैक्शन के लोग हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा रीहैबिलिटेट करने के लिये। मैं समझता हूं इसमें कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : गांवों में वीकर के अलावा तो कोई रहा ही तहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : एक किसान जिसके पास 10 एकड़ जमीन है तो वह गरीब है।

अध्यक्ष महोदय : है ही नहीं। किसी के पास रहो कहां जमीन ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने बड़े ध्यान से आपकी स्पीच सुनी जिसमें आपने कहा वीकर सैक्शन की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा रीहैबिलिटेट करने में। मैं समझता हूँ इसमें वीकर और स्ट्रांगर सैक्शन न लाइये। बल्कि जिसकी जमीन ली जा रही है उन सबको रीहैबिलिटेट करने की बात होनी चाहिये। शहर में, जैसा इन्होंने कहा कुछ परसेंटेज शौप्स की बात। क्यों नहीं देखते हैं कि जो गरीब आदमी हैं उनको शौप या फ्लैट देने में, नौकरी देने में कुछ तो वरीयता दी जायगी। कुछ तो करिये। मैं कहता हूं किसानों की जमीन आपने ले ली है लेकिन बहुत सी चीजें आप करते हैं, पेट्रोल के पम्प देते हैं, गैस की एजेंसीज देते हैं और दूसरे काम करते हैं, कर्जा भी देते हैं तो क्यों नहीं आप किसानों को उन चीजों में प्राथमिकता देते हैं। जिनकी जमीनें ली जा रही हैं, उनको आप इनमें प्राथमिकता दीजिये। इसी तरह से उनको सस्ते रेट पर कर्जा मिले।

अब और अधिक समय न लेते हुए मैं समझता हूं सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये और इस काम को बिल्कुल नौकरशाही के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिये कि जिधर से चाहें नहर निकाल दें, जिधर से चाहें सड़क निकाल दें। जहां तक सम्भव हो, आप गरीबों को, छोटे किसानों को बचाने का प्रयत्न कीजिये और उनकी मदद कीजिये। धन्यवाद।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, यदि हमारे संशोधन स्वीकृत होते हैं तो हम बोलेंगे भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राठौर, यह अच्छी शर्त है।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बड़ी प्रतीक्षा

के बाद यह निल आया है और हम इसका स्वागत करते हैं। अभी हमारे सहयोगी सज्जन कुमार जी ने आपको धन्यवाद दिया है, मैं भी उन्हीं के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह बात भी सही है कि आप ही नहीं, हमारे माननीय सदस्य दिगम्बर सिंह जी भी समय-समय पर पिछले कई वर्षों से इस बात की चर्चा करते रहे हैं, उन्होंने भी इस सम्बन्ध में बड़ा प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय : पूरा डटकर प्रयास किया है।

श्री राम प्यारे पनिका : उनको भी मैं बिना धन्यवाद दिए नहीं रह सकता। उनकी बहुत सी भावनाओं से मैं सहमत हूं लेकिन कुछ बातों से जो मैं डिफर करता हूं वह भी बताऊंगा।

मैं यह जरूर चाहता हूं कि जब किसानों की जमीन ली जाए तो उसका उद्देश्य निश्चित तौर से यह होना चाहिये कि वे जिस हाल में उस समय हैं उससे अगर बाद में बहुत बेहतर न बना सकें तो उससे बेहतर भी न बनायें। इसमें तीन चीजें हैं। एक तो सम्पत्ति के मुआवजे की बात है। दूसरी बात रिहैबिलिटेशन की है और तीसरी बात नौकरी वगैरह देने की है। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, यह सही है कि अभी जो मार्केट वैल्यू की बात कही गई है उसको डिफाइन किया जाना चाहिये। अभी होता यह है कि अधिकारियों की तरफ से संकेत आता है कि इस तरह से मुआवजा तय करो जिससे ज्यादा न देना पड़े। ट्राइबल एरियाज में सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं या जो कोल फील्ड हैं वहां पर आदिवासियों की जमीन की कोई रजिस्टरी या कोई दूसरा रिकार्ड नहीं रहता है। कुछ ऐसे चालाक लोग होते हैं जो उन लोगों से रजिस्टरी बहुत सस्ते में करा लेते हैं जिससे मार्केट वैल्यू निश्चित तौर से सही सही अधिकारियों के सामने नहीं आ पाती है। इस तरह से किसानों को बहुत कम मुआवजा मिल पाता है। इसलिए मैं चाहता हूं मार्केट वैल्यू की जहां तक बात है, उसको डिफाइन किया जाना चाहिए।

दिगम्बर सिंह जी का जो यह कहना है कि पजेशन के समय मुआवजा दिया जाना चाहिए तो इस सम्बन्ध में आप विचार करें कि कोई प्रोजेक्ट है जिसकी सेंग्शन पांच करोड़ की है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि सरकार उस जमीन को नोटीफाई कर रही है तो उसके अगल-बगल की जमीनों की कीमत भी कई सौ गुना बढ़ जाती है और तीन साल के बाद तो और भी कीमत बढ़ जायेगी। इसीलिए अभी सज्जन कुमार जी ने कहा था कि यदि आप किसी किसान की पांच एकड़ जमीन लेते हैं तो उसके पास केवल 200 गज जमीन छोड़ दीजिए और बाकी आप मुफ्त में ले लीजिए। इसलिए पजेशन के समय तो उस जमीन की वैल्यू कई गुना होगी और आप कल्पना कर सकते हैं कि उसको दे पाना व्यावहारिक नहीं रहेगा। फिर वह परियोजना ही नहीं चल पायेगी।

अध्यक्ष महोदय : सरकार जेब से दे रही है क्या ?

श्री राम प्यारे पनिका : हमारी सरकार जनप्रिय सरकार है। प्रोजेक्ट्स को वायबल बनाने के लिए सारी बातों को देखना पड़ता है···(**व्यवधान**)···मैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में

बताना चाहता हूं। हमारे यहां समझौता करने के बाद तीन सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाए गए। उस वक्त सरकारी रेट एक हजार रुपये प्रति एकड़ आता था, लेकिन झगड़ा करने के बाद हमने पोने आठ हजार रुपये कराया लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला। आश्चर्य की बात यह है कि जो अगल-बगल की जमीन थी, बीच-बीच में जो छोटे टुकड़े बचे हुए थे, उनकी कीमत दिल्ली से भी अधिक हो गई। यदि पोजेशन का रेट उनको देना पड़ेगा तो उससे योजना में कठिनाई पैदा होगी और काफी बड़ी राशि का भुगतान किसानों को करना पड़ेगा। यह बात सुनने में अच्छी हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : फिर आप एक इंच भी जमीन मत लो।

श्री राम प्यारे पनिका : यह सही है कि अनिवार्य रूप से देश को विकसित करना है, इसलिए हम किसानों की ऐसी वकालत न करें, जो उचित न हो। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार रिजर्व बैंक ने इनकम टैक्स पर 15 प्रतिशत सूद का प्रावधान रखा है, जैसे-जैसे रिजर्व बैंक के आर्डर पर वह बढ़ता रहता है, उसी हिसाब से उनको वह सूद तीन साल के अन्दर देना पड़ेगा। इससे काफी असंतोष दूर हो सकता है।

इससे बड़ी चीज यह है कि जिन किसानों की जमीन ली जाती है, उन किसानों को नौकरी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर जमीन ट्राइबल क्षेत्र में ट्राइबल्स की ली जाती है, तो उनको वहीं पर बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि उनको नौकरी देने की व्यवस्था नहीं हो सकती है उनको आपको खेती करने के लिए जमीन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। खास तौर से वे भूमिहीन किसान, आदिवासी और हरिजन, जो किसानों के खेत में खेती करते हैं, जब उनकी जमीन ले ली जाती है, तो उनको नौकरी देने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा असन्तोष वहां पैदा हो जाता है। इस ओर भी सरकार द्वारा कदम उठाने की आवश्यकता है।

एक खतरनाक चीज और है, जो जमीन कोल फील्ड द्वारा, कोल-बीयरिंग-एक्ट के तहत, जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया का कानून है, एक्वायर की जाती है, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि इस कानून को रिपील कर देना चाहिए और एक कानून लागू किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह सैपरेट है।

श्री राम प्यारे पनिका : वह भी केन्द्र का कानून है। मैं चाहता हूं कि केवल एक कानून होना चाहिए। सोलेशियम जो आप 15 परसेंट से 30 परसेन्ट करने जा रहे हैं, उसको बढ़ा कर पचास परसेन्ट कर देना चाहिए। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि यह बिल काम्प्रिहैंसिव नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक काम्प्रिहैंसिव बिल सदन में पेश करें, ताकि किसानों को लाभ हो सके।

इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। (इति)

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन को बधाई देता हूं और भारत के किसानों का आह्वान करता हूँ—जिस का सदियों से शोषण होता रहा है, जिस को इस देश के लुटेरों ने चाहे कोई कहीं भी बैठा हो हमेशा लूटा, लूट का समन्दर बना रखा है—यह कानून उस लूट से वंचित तो नहीं कर सकेगा, लेकिन इस कानून के जरिये तुम ने एक रास्ता दिखाया है, जैसे डाक्टर अम्बेदकर ने संविधान बना कर भारत के शोषितों और पीड़ितों को कहा था कि मैंने अब यह रास्ता तुम को दिखा दिया है कि तुम भी अपने अधिकार को समझो। हमारे दिगम्बर सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया और यह बिल जो आज यह सदन पास करने जा रहा है, कम से कम उस के जरिये हिन्दुस्तान के किसानों का आह्वान किया जा रहा है कि भारत किसानों आज तुम को यह रास्ता मिल गया है, अब तुम अपनी मन्जिल पर पहुंच जाओगे।

यह बिल बहुत लम्बा है, मै उस पर कुछ नहीं कहूंगा। कितना इस में कर सके हो, कितना नौकरशाह बीच में आया है, लेकिन एक बात समझ लो कि किसानों के वोट से यहां आये हो, हम सब उस का हित चाहते हैं लेकिन अभी तक मजबूरी में उस के लिए कुछ नहीं कर सके हैं। उस की जमीन ले ली जाय, 2: साल के बाद मुआवजा दिया जाय, फिर भी सही मुआवजा देते हुए दर्द हो—यह ठीक बात नहीं है। लाल किले के पास किसानों की जमीन थी लेकिन आज एक इन्च जमीन भी उन के पास नहीं है, जब कि बड़े-बड़े फार्म बन गए हैं, डालमिया के पास फार्म है, दूसरे बड़े पूंजीपतियों के पास फार्म है, लेकिन आप उन के फार्मों को नहीं ले सकते, सिर्फ गरीब की जमीन को ले सकते हैं। मैं चाहता था कि प्रधान मन्त्री जी इस मौके पर यहां होतीं, लेकिन उन की भी अपनी मजबूरी है। वह कहती हैं कि नौकरशाह मेरे ऊपर भी हावी हैं। रंगा साहब ने ब्याज वाली जो बात कही है वह ठीक है उसको मानना चाहिये। मैं चाहता हूँ—जिस दिन कब्जा लें उस दिन के हिसाब से मुआवजे का फैसला हो, जो कीमत उस वक्त बनती हो वह उस को दी जानी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये—जमीन तो एक्दायर कर ली दो पैसे गज में और कीमत बढ़ गई दो हजार गुना। यह जमीन कौन लेगा, टाटा, बिरला लेंगे जिन को कारखाने लगाने हैं, इस लिए गरीब का नुकसान क्यों करते हो ?

यह कानून जो आप ने बनाया है ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, फिर भी आपने इस कानून को बना कर हिन्दुस्तान के किसानों को अपनी मन्जिल पर पहुंचने का रास्ता दिखाया है। अब इस में जो रुकावटें आयेंगी, हिन्दुस्तान का किसान उन का मुकाबला करेगा और अपनी मांगों को पूरा करेगा। अगर उन को कोई रोकने का प्रयास करेगा तो खूनी इन्कलाब आयेगा, जिस में नौकरशाहों को भी खत्म कर दिया जायगा। यह बिल ला कर आप ने भलाई लेने की कोशिश की है। यह ठीक है कि एक महिला मन्त्री ने कुछ मजबूती दिखाई है, लेकिन नौकरशाहों ने आप को भी बहुत दबाया। वह दिन याद करो, जब किसान उठेगा और इन नौकरशाहों को जो उस के शोषण की नींव हैं जला कर राख कर देगा। मैं नौकरशाहों को चेतावनी देता हूं—तुम्हारे महलों को, तुम्हारी हवेलियों को भी आग लगेगी, तब तुम को हमारी याद आयेगी, हम तुम को पहले से बतला रहे थे।

अब आप इस बिल को फटाफट करो पास। आयेंगे किसान और सब कर देंगे मैदान इन का खाक।

अध्यक्ष महोदय : अकेला ही चला था जानिबे-मन्जिल

लोग मिलते गये और कारवां बनता गया।

अभी कोई बात नहीं है, फिर बनायेंगे। अभी बस नहीं हो गई है, अभी तो शुरुआते-इश्क है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह आप की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है, मैं इस में से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

> "यह सर्वविदित तथ्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जमीन के मालिकों से बहुत ही कम दर पर भूमि का अर्जन करता है···इसका एक ज्वलन्त उदाहरण यह है कि कालका जी जिला केन्द्र में क्षतिपूर्ति के रूप में जमीन के मालिकों को 2.50 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मूल्य दिया गया···इसके मुकाबले में प्लाट 2704 रुपये प्रति वर्ग गज की औसत दर से बेचे गये। सबसे ऊंची दर 17316 रुपये प्रति वर्ग गज थी।"

उस ने दो रुपये में जमीन ली और 17 हजार रुपये में बेची। मैं इस में एक सुझाव देना चाहता हूं—आप ने इस बिल में काफी सुधार किये हैं। काश्तकार अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहता, जमीन उस की जिन्दगी है, उस से उस को प्यार होता है, उस से अपने पशुओं को पालता है, अपने कुटुम्ब को पालता है उस का जो सालाना खर्चा होता है उतना उस मुआवजे से उस को मिलना चाहिये। उतना उस का मुआवजा मिलना चाहिये कि सालाना खर्च उसका पिछले तीन साल का निकल सके और आगे आने वाले 30 सालों में कितनी जमीन की कीमत बढ़ जाती है, यह आप जानते ही हैं। जो खर्च उस का बढ़ जाता है वह ब्याज के रूप में उसे मिल सके।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जमीनें किस की लेते हैं। आप जमीनें उन की लेते हैं जिनके पास दो-दो एकड़ या आधा एकड़ जमीन है। उन लोगों की जमीन आप ने ले ली है, जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है और उन पर उन के मकान बने हुए हैं। आप जमीन उन की लेते हैं, जो बोल नहीं सकते और जो कम्पेसेशन को समझ नहीं सकते। उन की जिन्दगी उस जमीन पर निर्भर करती है, उन के पशु और उन के बच्चे उस पर निर्भर रहते हैं और उनकी आमदनी उसी जमीन से होती है।

आप मार्किट रेट क्या सोच रहे हैं। मेरे पास आज 25 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत आज 50 हजार रुपये है और आने वाले 20 सालों के बाद उस जमीन की कीमत 8 गुना, 10 गुना बढ़ जाएगी। तो आप उन लोगों की जमीन ले रहे हैं, जिन के पास थोड़ी जमीन है और इस तरह से उन की रोटी और उनकी आमदनी छीन रहे हैं। आप कहते हैं कि हम मार्किट रेट देंगे। मेरे पास यह जजमेंट है और इस में उन्होंने बताया है :

"उच्चतम न्यायालय ने आज कई दिल्ली ग्रामवासियों द्वारा दायर की गई एक याचिका स्वीकार की जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि का अर्जन करने की संघ सरकार के अभिप्राय को संवैधानिकता तथा इस भूमि को कई वर्षों के बाद अर्जन करने को चुनौती दी गई। संघ सरकार को यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि न्यायालय क्यों न इसे एक संवैधानिक के रूप में अवैध करार किया जाये आदि।"

प्रो. मधु दण्डवते : उन्हें इसे भी चुनौती देने दीजिए। आप क्यों चिन्ता करते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं चाहता हूं कि उनको कम्पेसेशन सही मिले और इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कानून आजादी से पहले 10 दफा छेड़ा गया और आजादी के बाद 5 दफा छेड़ा गया और अब छटी बार छेड़ा जा रहा हैं। इस में कुछ संशोधन करने की बात की जा रही है।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के जरिये कुछ अच्छा कानून बनाने की बजाय, उस में कुछ बुराइयां भी ला दी हैं। कुछ अच्छी बातें भी की हैं और उनका मैं समर्थन करता हूं। प्राइवेट कम्पनीज को सरकार उन के कारखाने लगाने के लिए जमीन एक्वायर कर के नहीं देगी, इसका प्रावधान इस में कर दिया है और इस को पब्लिक परपज नहीं माना है, यह पब्लिक परपज की डेफीनीशन में अच्छा सुधार किया है। मेरे राज्य राजस्थान में सिरोही जिले में एक कम्पनी के कारखाने के लिए रजिस्ट्रार ने धारा 4 के अधीन 65 किसानों की जमीन के एक्वीजीशन के नोटिस निकाले हुए हैं। अब इस धारा के नीचे वह जमीन ले कर उस सेठ को नहीं दे सकेगें, इस की मुझे खुशी है। इस के अलावा क्लाज 9 के जरिये धारा 11 को आप एमेंड कर रहे हैं और कानून के जरिये कलक्टर द्वारा एवार्ड देने की मियाद 2 साल मुकर्रर कर रहे हैं, यह आप ठीक कर रहे हैं पर इसी धारा में आप ने जो प्रोवीजो लगाया है उससे पुराने मामले जो कई अदालतों में 15,20 वर्ष से पेन्डिंग हैं, उन को भी इस मियाद में न कर के मुआवजा दिलाने की बात सोच रहे हैं। जिन जमीनों को सरकार ने अभी तक कब्जे में नहीं लिया है, उन जमीनों पर किसानों ने पिछले 15-20 साल में कई तरह के इम्प्रूवमेंट्स कर लागान आप वसूल कर रहे हैं। मैं आप को एक कान्क्रीट केस देता हूं। जेसलमेर में 500 दिये हैं। उन को उचित मुआवजा इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप उन जमीनों की मार्किट वैल्यू उस दिन से दे रहे हैं जिस दिन नोटीफिकेशन हुआ था। इससे उन को उचित मुआवजा नहीं मिल पाएगा।

मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि सड़कों और सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन ली गई है और उस पर सरकार 15-20 वर्ष से कब्जा किये हुए है लेकिन उन जमीनों का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं चुकाया गया है बल्कि उन से उल्टे उन जमीनों का लगान आप वसूल कर रहे हैं। मैं आप को एक कान्क्रीट केस देता हूं। जेसलमेर में 500 एक्येयर मील जमीन आर्मी फाइरिंग रेंज के लिए ली गई। 6-7 गांव बीच में आते थे। उन की

जमीन का मुआवजा एक बीघा का 10 रुपये दिया गया। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री स्व० बरकतुल्लाह साहब ने 10 रुपये का मुआवजा कम समझ कर मुआवजा देने वाले अधिकारी से उस का मुआवजा 20 रुपये फी बीघा करवा दिया। इस पर उस अधिकारी के खिलाफ सी० बी०आई० के द्वारा इंक्वायरी हुई और किसानों के खिलाफ मुकदमे बनाये गये। इस हालात में आप अन्दाजा लगाइये कि किस तरह से इम्पलीमेंटेशन में अन्याय होता है। यह अन्याय स्टेट के जरिये से हुए एक्वीजीशन से ही नहीं बल्कि सेन्ट्रल के एक्वीजीशन से भी होता है।

श्री दिगम्बर सिंह जी ने इस कानून के बारे में जो बताया है कि कैसे कानून आया, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा। पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 20-20, 25-25 सालों से जो केसिज अदालतों में लटक रहे हैं उनके लिए भी आपने एक प्रोवीजो लगा दिया है कि दो साल में फैसले हो जाने चाहिए। नये केसिज के बारे में तो यह प्रोवीजो ठीक हो सकता है लेकिन पुराने केसिज के लिए आप इस प्रोवीजो को निकाल दो। जो नये केसिज हैं जो कि मुआवजा देने के बारे में फाईल होंगे उनके बारे में झगड़ा नहीं है। ये जो पुराने केसिज हैं जो कि सन् 53, 54 से कोर्टों में पड़े हुए हैं उनके लिए आप इस प्रोवीजों को निकाल दो। इसमें आपको क्या तकलीफ है ? इसमें यही होगा कि जो केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या किसी और जगह पेंडिंग हैं वे इसके नीचे नहीं आयेंगे और वहीं से डिसमिस हो जाएगें। आपको एक नया नाटिफिकेशन निकालने की जरूरत है। किसान अपना नया क्लेम फाईल कर देगे। आपने पुराने केसिज को इस प्रोवीजो के साथ जोड़ कर किसानों के साथ घोर अन्याय किया है। अगर आप इस प्रोवीजो को निकाल दो तो कम्पेनसेशन का झगड़ा नहीं रहता है।

इसके बाद आप व्याज की बात कर सको तो करो, वह ठीक है। हम आपकी सब बात मान लेंगे। आप हमारी यह बात मान लो। जिस जमीन पर ट्यूबवेल लग गये हैं, मकान बन गये हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट कम्पेनसेशन में नहीं आयेगा। जमीन पर जो इम्प्रूवमेंट की गई है उसका कम्पेनसेशन नहीं आयेगा। अगर आप किसानों के लिए कुछ करना चाहते तो श्री दिगम्बर सिंह का अमेंडमेंट मान लो या फिर इस प्रोवीजो को निकाल दो।

बस मेरा यही कहना है।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : इस विधेयक पर बोलने से पहले मैं सभा को बताना चाहूंगा कि मैं पहले ही सन् 1980 में भूमि अर्जन के बारे में एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुर:स्थापित कर चुका हूं। यह विधेयक प्रगतिशील मालूम पड़ता है। यह निश्चित रूप में समर्थक है परन्तु इस विधेयक में सिवाय एक संशोधन के शायद ही कोई अच्छी बात है अर्थात्, कि अगर कोई व्यक्ति अदालत में जाता है और जो कीमत उसे दी जाती है वही कीमत उसी क्षेत्र के किसी और व्यक्ति को भी समाहर्ता द्वारा दी जा सकती है।

हम सभी जानते हैं कि हमारी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। आमतौर पर, आजादी के पश्चात् हम लोगों से कृषि-भूमि विकास कार्यों के लिए लेते रहे हैं; और उनको दिया जाने वाला मुआवजा बहुत ही कम होता है, इसका कारण स्पष्टत: यह है कि यह विधेयक बहुत ही पुराना है और अभी तक किसी ने भी इसमें संशोधन करने की कोशिश नहीं की। हमारे

पास बीडिओ चोरी विधेयक के लिये तो समय हो सकता है परन्तु इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिये नहीं है जिससे लगभग हमारी 70 प्रतिशत आबादी प्रभावित है।

निर्णय करते समय दो तरीके हो सकते हैं : पहला तरीका यह है कि उस भूमि से 20 साल तक होने वाली आय को लिया जाये और दूसरी तरीका यह कि बाजार भाव यानिक, पिछले तीन सालों के दौरान उस भूमि के विक्रय दस्तावेजों पर भी विचार किया जाये। इस देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो उसी कीमत पर विक्रय दस्तावेज का पंजीकरण करने को तैयार हो, जो उसने अदा की है। जब हम यह आयकर अधिनियम में यह संशोधन किया है कि कोई भी सम्पत्ति, जो कि कम कीमत पर पंजीकृत की गई है, आयकर विभाग उसे अधिकृत कर सकता है। जब यह तथ्य है और इस प्रकार के प्रावधान को आयकर विधि के अन्तर्गत किया जा सकता है तो ऐसा इस विशेष अधिनियम में ही क्यों होना चाहिये कि आप सिर्फ पंजीकृत दस्तावेज मूल्य पर ही विचार कर रहे हैं और बाजार भाव पर विचार नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होना चाहिए। मेरे विचार से इससे आप लोगों के प्रति भारी अन्याय कर रहे हैं।

श्री दिगम्बर सिंह ने कब्जे की तारीख के बारे में कहा है। कब्जे की तारीख पर विचार किया जाना चाहिए और उस तारीख को कीमत निर्धारित की जानी चाहिए। हम सभी सहमत हैं। यहां तक कि आप भी सहमत हैं। प्रधान मंत्री जो भी सहमत हैं। माननीय महिला मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग से आई हैं। वह दुविधा में हैं। परिवार नियोजन में प्रोत्साहन देने तथा प्रोत्साहन न देने का प्रावधान है। अच्छा यह है कि वह ऐसा निर्णय ले, जो सम्पूर्ण सदन को मान्य हो।

मुआवजा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। हर वक्त कर्मचारियों को हम महंगाई भत्ते में वृद्धि दे रहे हैं। अभी महंगाई भत्ते की 3 किश्तें बकाया हैं। यहां पर आप 15 प्रतिशत से सिर्फ 30 प्रतिशत ही क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं इसे 50 प्रतिशत कर देते ?

श्री सज्जन कुमार ने रोजगार के बारे में कहा। जब कोई भी सिंचाई योजना शुरू की जाती है तो परियोजना से प्रभावित लोगों को वैकल्पिक भूमि दी जाती है। मंत्री जी नये हैं। अतः मैं यह समरूप व्यवस्था राज्यों तथा केन्द्र सरकार अधिनियमों में से दे रहा हूं। सिंचाई परियोजनाओं के तहत हमें इससे प्रभावित व्यक्ति को अन्य भू-खंड प्रदान करना करना पड़ता है अथवा उसे उपलब्ध सिंचित भूमि उपलब्ध करानी पड़ती है। जब इस प्रकार के प्रावधान अन्य कानूनों में उपलब्ध हैं तो उन्हें दुविधा में क्यों होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कर सकती थीं उन्होंने कर दिया है। आपको इसकी जटिलताओं को समझना चाहियें।

श्री उत्तम राठौर : मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह आग्रह करूंगा कि अगर वह आप कोई भी निर्णय लेने में समर्थ नहीं हैं तो अच्छा यह होगा कि वह अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों से परामर्श लें और इस विषमता के बारे में निर्णय लें। भूमि की कीमत कब्जे की तारीख के अनुसार दी जानी चाहिए।

श्री पीताम्बर सिंह (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, यह 1894 का एक्ट है। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट मेरी समझ से लैण्ड एक्स्प्रोप्रिएशन एक्ट है। यह अंग्रेजों ने बनाया था। इतने दिनों तक यह एक्ट चलता रहा। अंग्रेजों के राज में इसका चलना तो समझ में आता है लेकिन 6 योजनाएं समाप्त हो रही हैं और आज इसके ऊपर विचार हो रहा है कि इसको एक संपूर्ण कानून बनाया जाये। तो इसको देख कर बड़ा आश्चम होता है —बिल के उद्देश्य में लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों को बहुत से विकास कार्यों के लिये भूमि अर्जन की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिये इस तरह का संशोधन लाया गया है। तो इतने दिनों तक जबकि 6 योजनाएं समाप्त हो रही हैं, आखिर ये बिल कहां था और इसके पीछे जो समझ थी वह कहां छिपी हुई थी। इससे बहुत साफ मालूम होता है कि किसानों को, लाखों किसानों को इस देश में नाम मात्र का मुआवजा दे कर जो उन्हें बर्बाद किया गया, उजाड़ा गया इस देश में, उसके लिये इसके— पहले तक सोच कर कुछ भी करने की समझ सरकार में नहीं थी। नौकरशाही में होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने इस कानून की रोशनी में एक दूसरा कानून बताया है। वहां पर मुआवजे के रूप में जमीन के बदले जमीन देने की व्यवस्था की गई है। अगर यह बात सही है तो इस धारा को यहां भी शामिल करने का प्रयास किया जाये। सदन के सभी सदस्यों की बातें सुनने से ऐसा लगता है कि जमीन के एक्वायर करने की सूचना जैसे ही किसानों को मिलती है, उनको ऐसा महसूस सोता है कि उनके घर में किसी व्यक्ति की मौत हो गई। जमीन के अर्जन का जो खतरा लगता है, उसके पांच कारण हैं। पहला यह कि जो अफसर जमीन का बैल्यूएशन करते हैं, उनका दृष्टिकोण किसान विरोधी है। सरकार के नौकर होने के कारण सरकार के लिये जमीन का अर्जन करते हैं। अर्जन करते समय, उन्हें किसानों की दशा, जमीन का मूल्य और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंन किया हैं, उसकी कोई चिंता नहीं होती। इसलिये, किसान विरोधी दृष्टिकोण होने के कारण, यह सबसे बड़ा कारण है। दूसरा यह कि जब किसान को आप हटाते हैं तो निश्चित रूप से जमीन के साथ उसका मोह होता है, उस पर उसे चोट लगती है। तीसरा है, एलीमेंट आफ कम्पलसन। उसको छोड़ने के लिए मजबूत करते हैं। जब उसको छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं तो आप तोषण और ब्याज से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस बिल में यह कहा गया है कि पन्द्रह परसेंट ब्याज देंगे और तीस परसेंट सोलेशियम देंगे। जमीन के मूल्य का जहां तक सवाल है, इसकी कोई डेफीनिशन नहीं हुई है। मार्केट वैल्यु के लिए तीन विधियां बताई गई हैं। एक तो नोटिफिकेशन वाली, दूसरी दफा-6 वाली और तीसरी पजेशन की डिलीवरी। दिगम्बर सिंह जी की जो संशोधन की मन्शा है, उसे मैं पूरी तरह उचित समझता हूँ। जिस दिन आप जमीन लें, उसी दिन का मार्केट प्राइस दिया जाये और मूल्य का भुगतान भी उसी दिन होना चाहिये। इस बिल में अगर यह व्यवस्था नहीं है तो बिल ने तसाम पुरानी मुसीबतों को अभी तक रिटेन किया हुआ है। इस बिल के आने के बाद भी किसानों का भला होगा तो ऐसी गलतफहमी मेरे अन्तर नहीं है। इस बिल को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसानों की मुसीबतें ज्यों की त्यों रहेंगी क्योंकि बुनियादी तौर पर किसानों के प्रति इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन लक्षित नहीं होता है। उसकी जमीन लेकर परियोजनाएं लागू हुई और परियोजनाओं से सारे आफिसर्स को लाभ हुआ। उसकी जमीन ली गई इसलिये उसको उस लाभ से वंचित किया गया। जो अवसर उसे मिलना चाहिए था, वह छीन लिया गया। मैं

यह कहना चाहूंगा कि ब्याज और तोषण से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन होना चाहिए और मुआवजे की रकम सूद के परसेंटेज से तय होने वाली नहीं है। उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये। जो खेत मजदूर, हरिजन हैं और जिनकी बस्तियां योजनाओं में पड़ी हैं तथा जिनके पास जमीन का कोई कागज पत्र नहीं था, ऐसे हमारे बिहार में गण्डक परियोजना में सैकड़ों हरिजनों के गांव हैं, उन लोगों के पास भूमि के परचे नहीं थे और बटाईदारों के पास कोई रिकार्ड आफ राइट भी नहीं था। ऐसे सारे लोग, खेत मजदूर, हरिजन, पिछडा वर्ग के कमजोर लोग, उन सबको उजाड़ा गया, उनकी बस्तियों को उजाड़ा गया और वे भाग-भाग कर दूसरी जगहों पर बसे। उन्हें एक नया पैसा भी किसी तरह के मुआवजे के रूप में नहीं मिला। आज भी ऐसी कोई व्यवस्था इस बिल में देखने को नहीं मिलती जिससे आगे के लिये इस बात की गारन्टी हो सके कि जो लोग सारे देश में ऐसी जमीनों पर बसे हुये हैं, यदि किसी टैक्निकल आवश्यकता के लिये उनकी बस्तियों को उजाडा जाता है, किसी योजना के लिये उनको उजाड़ा जाता है तो उन्हें क्या कम्पैन्सेशन दिया जाएगी। इस बिल में वैसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री आर. एप. स्पैरो (जालन्धर) : माननीय अध्यक्ष महोदय इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मैं सर्वप्रथम आपका, सरकार का तथा माननीय मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं। आपने भारत कृषि समाज के अध्यक्ष होने के नाते इस विशेष समस्या में काफी हद तक योगदान किया है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बोलूंगा। मैं बहुत लम्बे समय से इस समस्या के बारे में सोच रहा था। मैं एक छोटा किसना हूँ और यह कार्यभार सम्याला है और मैं उन मुश्किलों को भी जानता हूं जोकि इस सम्बन्ध में छोटे तथा अन्य किसानों को ही रही हैं और मैं यह देखकर आज बहुत खुश हूं कि सदन का बहुमत इस विशेष विधेयक के समर्थन में मालूम पड़ता है, जो कि आज छोटे रूप से शुरू हो कर भविष्य में व्यापक रूप में सधन कृषि के कारण कृषि उद्योग गरीब से गरीब किसानों सहारा होने जा रहा है ताकि उनका रहन-सहन को ऊंचा उठे और इस कारण से महोदय आपने शुरू आत की है उस के लिये मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं। मैं सिर्फ तीन मुद्दों पर ही जोर दूंगा। ऐसा कुछ भी नही है जिसे इसमें नहीं लिया गया हो। पहली बात है जोकि माननीय मंत्री जी तथा सरकार और सम्बन्धित अधिकारियों को ध्यान में रखनी चाहिये और वह किसानों के व्यवसाय से सम्बन्धित है। याद रखिये, जब हम उसे स्थान से बेदखल करते है, जब हम राजस्व अधिनियम की धारा 4 तथा 6 के अंतर्गत के उसकी भूमि ले लेते हैं तो उसे उस स्थान का छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। वह कहां जाये' यही मुद्दा है। उसका पैत्रिक व्यवसाय खत्म किया जा रहा है। उसे कहीं और काम ढूंढना है और संयोग से जितने पैसे की उसने आशा की हो वह नहीं मिल पाये। इस कारण से हमने उसका सारा व्यवसाय ही अस्त व्यस्त कर दिया है जो वह किया करता था। तथा व्यवसाय ढूंढना कोई आसान कार्य नहीं है। आप अपने पैर नहीं जमा सकते, आप अपने आपको कहीं स्थिर नहीं कर सकते और यहां तक कि शायद उसे इस प्रक्रिया में अपना घर-चूल्हा भी खोना पड़े। अतः मैं उनके पुनर्वास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुये कहूँगा, आप उनके लिये ज्यादा से से ज्यादा ज्यादा क्या कुछ कर सकते हैं, उन्हें आप इस बिशेष अधिनियम में जिसे आप लाना चाहते हैं उप-नियमों के माध्यम से कर सकते हैं। यह मुद्दा नम्बर एक है। मुद्दा नम्बर दो उसे भूमि का आकलित बाजार मूल्य देने अथवा जितनी भूमि वह हमें देता है, से

सम्बन्धित है। इसके अन्दर धोखा है। मैंने कतिपय पदों में रह कर कई मामलों पर स्वयं कार्यवाही की है और धोखा हैं कि इसे हिसाब लगाने का क्या मानदण्ड रखा है ? यह सब कुछ दिखावा होता है स्पष्ट रूप में कहूं तो उस निर्धन व्यक्ति को उसकी उचित रकम नहीं दी जाती है। मेरे बहुत से माननीय मित्रों ने यही कहा है। अत: मैं आपको सिर्फ यह बात याद कराना चाहता हूँ कि किस प्रकार उसे अपनी भूमि की सही एवं अच्छी से अच्छी कीमत मिले जो कि उस समय प्रचलित वास्तविक बाजार भाव के अनुसार हो ? आप इसे किस प्रकार से गियर्मों के अन्तर्गत कर सकते हैं, यह आपका कार्य है कि आप किस धारा में इसकी व्यवस्था करें।

अन्त में न्यायालय की बात आती है यदि किसी गरीब व्यक्ति की 2 अथवा 3 एकड़ भूमि है, जो उसके जीवन की एक मात्र पूंजी हैं और यदि आप उसे उसकी बाजार कीमत लेने के लिये न्ययालय जाने के लिए कहते हैं तो यह कतई उचित नहीं है। 80 प्रतिशत गरीब जनता कभी भी न्यायालय का द्वार नहीं खटखटाती और कष्ट सहती रहती है। न्यायालय जाने की क्षमता केवल धनी व्यक्तियों में होती है अन्य लोग न्यायालयों में नहीं जा पाते। अत: हमें इन 80 प्रतिशत छोटे एवं सीमान्त किसानों के बारे में सोचना है।

मैं यह तीन बातें कहना चाहता था।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्य महोदय, भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, जिस पर हम बहस कर रहे हैं, के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण एवं उचित बातें उठाई जा चुकी हैं अर्थात् कब्जा लेने के समय प्रचलित बाजार भावों पर मुआवजे का भुगतान तथा विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास जैसे मुद्दे उठाये गये हैं। मैं इन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता। इन उठाये गये मुद्दों को अपना समर्थन देते हुए मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ एक विशेष मुद्दा उठाना चाहता हूं।

7.56 म. प.

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

यदि आप भूमि अर्जन अधिनियम को देखे तो आपको पता चलेगा कि सार्वजनिक हित में धार्मिक महत्व की सम्पत्तियों के अजन पर कोई स्पष्ट बाधा नहीं है। यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई बाधा स्पष्ट नहीं है, किन्तु हमेशा यह समझा जाता रहा है कि धार्मिक महत्व की भूमि पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। यहां मैं सदन का ध्यान राजस्व नियमावलियों की ओर दिलाना चाहता है जिनमें यह व्यवस्था है कि ऐसी भूमि और निर्माणों, जिससे धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचता हो, क्या अर्जन न किया जाए। इसके इलावा, मैं **मोहम्मद लबाई बनाम मोहम्मद हनीफ** (के. आई. आर 76, 1569 पृष्ठ 1579) के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख करना चाहता हूं। मैं इसको इसलिये उद्धृत कर रहा हूँ कि इन सिद्धान्तों से ही इस बात की पुष्टि होती है कि धार्मिक महत्व की भूमि का अर्जन नहीं किया जाना चाहिये और उसका अर्जन नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह निर्णय दिया था :

"यदि एक बार संस्थापक किसी स्थान को मसजिद बनाने के लिये अर्पित कर देता है और मसजिद में नमाज पढ़ी जाती है तो वह स्थान और मसजिद वक्फ की सम्पत्ति बन जाती है और उस पर संस्थापक का मालिकाना अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। मुसलमान कानून के अन्तर्गत, किसी भी मुसलमान को चाहे वह किसी भी वर्ग अथवा सम्प्रदाय का क्यों न हो, मसजिद में नमाज पढ़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।"

8.00 म.प.

अत: यह निर्णय किया गया है कि यदि एक बार मसजिद अथवा पूजास्थल बन जाये तो हमेशा मसजिद होती है। इसके पीछे धारणा यह है कि इस प्रकार की धार्मिक महत्व की सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। उसी निर्णय में हमें कब्रिस्थानों की भी स्थिति बताई गई है। पृष्ठ 1586 पर न्यायालय ने निर्णय दिया हैं :

"हमारा यह मत है कि यदि एक बार कब्रिस्तान को सार्वजनिक कब्रिस्तान माना जाता है, तब यह सार्वजनिक स्थान हो जाता है और वक्त हो जाता है और यदि इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता, बल्कि यह हमेशा कब्रिस्तान ही रहेगा चाहे इसका उस रूप में प्रयोग हो रहा हो अथवा न हो रहा है।"

महोदय, इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह हमेशा स्वीकार किया गया है कि धार्मिक महत्व की भूमि का भूमि अर्जन अधिनियक के अन्तर्गत अर्जन नहीं किया जा सकता। किन्तु हाल में कतिपय न्यायालयों ने निर्णय दिये हैं जिसके कारण जनता में गम्भीर चिन्ता एवं आशंकाएं उत्पन्न हो गई है। महोदय, मोहम्मद अली खान बनाम विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, लखनऊ नगर पालिका, ए. आई- आर. 1978 इलाहाबाद 80 पृष्ठ 283 पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का निर्णय था :

"धारा 6 इसी अनिनियम की धारा 3 में यथा परिभाषाति भूमि के अर्जन की अनुमति देती है। इसलिये हमारे लिये भूमि अर्जन अधिनियम की ऐसी व्याख्या करना सम्भव नहीं जिससे मसजिद अथवा कब्रिस्तान के अन्तर्गत भूमि को इसके क्षेत्राधिकार से बन्दर रखा जाए।"

महोदय जैसाकि मैंने कहा है इस निर्णय विशेष से काफी अशंका पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली खंड एक में अध्याय 14 के पैरा 411 (2) के होते हुए भी यह निर्णय दिया गया है। किन्तु न्यायालय ने इस सम्बन्ध में निर्णय दिया है :

"उसमें शामिल किये गये निर्देश केवल सिफारिशों के रूप में हैं और इसके अनुसार इस प्रकार के निर्माणों का यथासम्भव अर्जन न किया जाए क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचेगा। यह निदेश भूमि अर्जन अधिनियम अथवा नगर महा-पालिका अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अर्जन को रद्द करने अथवा अवैध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।"

इसलिए मैं कहता हूं कि समूची स्थिति अस्पष्ट हो जाती है और यहां तक कि इस प्रकार की भूमि पर भी यह अधिनियम लागू हो जाता है। जैसाकि मैंने कहा है, इससे भारी अशंका पैदा हो गई है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि भूमि अर्जन अधिनियम में यह स्पष्ट तौर पर उपबन्ध किया जाए कि धार्मिक महत्व की कोई भी भूमि, पूजा अथवा अन्तेष्टि क्रियाओं अथवा कब्रग्राह के लिये निर्धारित भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकता है।

महोदय, मैंने 1980 में इसी उद्देश्य के लिए 1980 का गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक संख्या 111 पुर:स्थापित किया था। यहां भी मैंने एक संशोधन की सूचना दी है जिस में उचित अवस्था पर प्रस्तुत करूंगा। किन्तु मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर जिससे लोगों के मन में काफी आशंकाएं पैदा हो गई हैं, गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिए और इसमें यह उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था कि अन्य अनेक मुद्दों के बारे में भी मैंने सूचना दी है। इसमें से एक मुद्दा यह है कि जब भूमि का अर्जन किया जाता है और उसके लिए मुआवजा दिया जाता है तो भूमि का कब्जा लेने के समय प्रचलित बाजार भाव के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक बात यह भी कही गई है कि विस्थापित लोगों का पूरी तरह पुनर्वास किया जाना चाहिए।

महोदय, यह कुछ ऐसी बात हैं जिन्हें पहले कहा जा चुका है। मैं इन बातों का जोरदार समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इन पर यह सभा एवं सरकार अपनी स्वीकृति देगी।

समापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया यह याद रखें कि मुद्दों को बार-बार न दोहराया जाए। क्योंकि मुद्दे वहीं हैं, कृपया प्रत्येक सदस्य पांच मिनट का ही समय लें। चूंकि अनेक सदस्य बोलने वाले हैं, यदि आप अपनी बात दो से तीन मिनट में समाप्त कर दें तो बहुत बढ़िया होगा ताकि सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके। यह बड़ा ही रोचक एवं अच्छा विषय है। अत: हमें यथा सम्भव सक्षेप में बोलने का प्रयास करना चाहिए।

श्री सुन्दरसिंह (फिल्लौर) : मैं श्री दिगम्बर सिंह और प्रो. रंगा की ताईद करता हूं। वे दोनों बहुत अच्छा बोले हैं। गरीबों और किसानों के हक में बोलने के लिए उन्होंने कोई पायंट नहीं छोड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि देहात में जो लोग रहते हैं, वे बगैर जमीन के नहीं रह सकते। इसलिए सरकार को ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि देहात में ऐसा कोई हरिजन न रहे, जिसके पास जमीन न हो। उन सब को थोड़ी बहुत भले ही दो ऐकड़-जमीन देना चाहिए।

आज मन्दिरों और मस्जिदों के पास जो जमीन है, वह क्यों न ले ली जाये और गरीबों को दे दी जाए ?

"भक्ति भजन छोड़ो यह माला के मानके,
मन्दिर पर उड़ता अकेले अंधेरे कोने में
तू पूजा करे जिनकी,
नयन खोल और देख
तेरा खुदा यहां नहीं है
वह तो है वहां,
जहां घायें और बारिश में
किसान सख्त भूमि में हल जोत रहा है
और कुम्हार जहां पत्थर तोड़ रहा है।
त्यागो अपना पावन आवरण
और उतरो कठोर धरातल पर।"

मन्दिर मस्जिद और गुरुद्वारे सब जमीन पर कब्जा रखना चाहते हैं। जब कि गरीबों के पास कोई जमीन नहीं है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भाखड़ा डैम के बारे में कहा था कि यह हिन्दुस्तान का नया टेम्पल है। मैं कहना चाहता हूं कि मन्दिरों और गुरुद्वारों में क्या रखा है।

आप खुदा को कहां ढूंढ रहे हैं ? क्या निर्धन, दीन दु:खी, दलित लोगों में खुदा नहीं है ? पहले उनकी पूजा कीजिए। ऐसे भगवान अथवा धर्म में मेरी आस्था नहीं जो विधवा के आंसू न पोंछ सके और अनाथों की भूख मिटाने के लिए भोजन न दे सके।'

मैं लिप-सिप्पेथी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ठोस काम करके गरीबों और हरिजनों की मदद की जाए। देहात में जिसके पास जमीन नहीं है, उसकी कोई जिन्दगी नहीं है। उन सब को जमीन दी जाए। मैं हमेशा इस बात के लिए लड़ता रहा हूं। हरिजनों को जमीन दी जाए, वर्ना हम नहीं मानेंगे कि हमारी भलाई के लिए कुछ किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था :

"अपने खून पसीने से रोटी कमाओ।' बाईबिल में कहा गया है। बलिदान अनेक प्रकार का होता है। उनमें से एक बलिदान रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करना है। यदि सभी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करें और उसके इलावा कुछ न करें तो सभी के लिए पर्याप्त भोजन और आराम की व्यवस्था होगी।"

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, जहां तक मूल का सवाल है, कब्जा लेते वक्त का मार्केट मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह होती है कि मुआवजे के निर्णय में भ्रष्टाचार के बहुत तरीके निकल आते हैं। किसानों को भ्रष्टाचार से बचाने का कोई उपाय किया जाना चाहिए। दूसरी परेशानी यह है कि कोर्ट का प्रोसीजर बहुत लम्बा होता है।

ऐसे मामलों का निर्णय गांव में ही बैठ कर **आन दिस्पाट** हियरिंग के बाद हो जाना चाहिए। इससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी और उनको भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

जमीन का मुआवजा देना ही काफी नहीं है जब सरकार किसी की जमीन लेती है, तो वह न सिर्फ उसका रोजगार और धन्धा छीनती है, बल्कि उसके भविष्य को भी प्रभावित करती है। इसलिए उसके भविष्य का जो नुकसान होता है, उसका मुआवजा देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए रोजगार के विकल्प की भी व्यवस्था करनी चाहिये। जितनी कार्यवाही होती है उसमें किसान के लिये सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह अनपढ़ होता होता है, कायदे कानून नहीं जानता इसलिये उसे कुछ पता नहीं चलता। सारी कार्यवाही केवल गजट में निकलती है। इसलिये यह लाजिमी कर दिया जाय कि जमीन अधिग्रहण से सम्बन्धित सारे कागजात किसान के पास रजिस्टर्ड डाक से भेजने की व्यवस्था जरूरी कर दी जाय ताकि उसको जानकारी मिल सके।

लिटिगेशन में किसान को पैसा न होने की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उसको पहले थोड़ा पैसा दे दिया जाय जिससे वह लिटिगेशन कर सके। माननीय दिगम्बर सिंह ने जो संशोधन रखा है और जो बात श्री मिर्धा ने कही कि ऐक्सप्लेनेशन को निकाल दिया जाय तो समस्याओं का समाधान हो सकता है, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इन पर गम्भीरता से विचार करके इन संशोधनों को मान ले।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, इस बिल की सपोर्ट में चन्द बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मुझे यह कहना है कि जैसे आम तौर पर होता है इस बिल का जूरिस्डिक्शन जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं है। इसके प्रोवीजन्स बहुत अच्छे और रिवौल्यूशनरीज हैं और इससे बहुत कुछ फायदा हो सकता है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि अब चूंकि जम्मू-कश्मीर में प्रो-इन्डिया और प्रो-इंटेग्रेशन सरकार आयी हुई है तो उनकी कानकरेंस लेकर इसके प्रोवीजन्स को वहां के ऐक्ट में शामिल करने के लिए स्टैप्स लिये जाने चाहिये। क्योंकि वहां पर लैंड एक्वीजीशन में झगड़े होते रहते हैं उसकी वजह यह है कि अक्सर आर्मी जमीन एक्वायर करती रहती है। साथ ही बोर्डर रोड्स वाले सारे बोर्डर एरियाज में सड़क बनाने के लिए जमीन एक्वायर कर रहे हैं। खास कर जो कम्पैन्सेशन दें वह किस रेट पर देंगे इसके मुताल्लिक मेरा कहना है कि जैसे शहर में तीन साल का एवरेज निकाल कर मार्केट रेट के हिसाब से फिक्स कर लेते हैं वही तरीका बोर्डर एरियाज और हिली एरियाज में अडाप्ट करना चाहिये। अभी कहा है कि चूंकि पहाड़ी इलाकों में कभी जमीन का लेन देन नहीं हुआ है इसलिये पटवारी वगैरह को पैसा खिला कर ज्यादा रेट लिखवा लेते हैं जिसकी वजह से मुआवजे का पैसा ज्यादा मिल जाता है, लेकिन पेमेन्ट भी समय पर नहीं मिलता है। यह प्रोबलम सारे हिली एरियाज में है।

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : क्या करना चाहिये यह सुझाव दें।

श्री पी० नामग्याल : जो नीयरेस्ट टाउन में तीन साल का रेट लेकर एवरेज के हिसाब से

देते हैं वही हिली एरियाज में भी लागू करना चाहिये। जो जमीन काटते हैं पहाड़ी एरिया में तो सड़क में जो जमीन आएगी उसका तो मुआवजा देते हैं, लेकिन जो हिस्सा मलवे के नीचे दब जाता है उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता है। क्योंकि वहां टैरेसिंग सिस्टम है, कई दफा झगड़ा करके लोग सफाई करा लेते हैं बुलडोजर से और जो मिट्टी होती है ऊपर वाली वह 9 इंच होती है···तो वे नीचे से स्क्रैप करके फेंक देते हैं, प्लेटफार्म बना लेते हैं और जमीन को 50 साल के लिए तबाह कर देते हैं। यह एक प्राब्लम है जिसकी तरफ मन्त्री जी को तवज्जह देनी चाहिए—या तो आप कम्पेसेशन दीजिये या फिर कोई दूसरा तरीका निकालिये।

कम्पेन्सेशन के लिये आपने दो-तीन साल की टाइम-लिमिट रखी है, लेकिन उसमें उनको मिलता नहीं है। मैं समझता हूं पेपर कंप्लीट करने का जिम्मा आप रेवेन्यु एथारिटीज पर डालिए वरना जैसा अभी कश्यप जी ने कहा है, इस सिलसिले में किसानों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। उनको पटवारी लूटता है और हर लेवल पर उनको लूटा जाता है। डी सी के जिम्मे यह काम होना चाहिए, जैसे भी हो वह पेपर कम्पलीट करवाए और पेमेन्ट कलक्टर के सामने ही होना चाहिए। चेक के जरिए पेमेंट नहीं होना चाहिए। ट्रेजरी में तो उनको आधा पैसा भी नहीं मिल पाता है।

वैसे मेरे पास प्वाइन्ट्स तो बहुत थे लेकिन चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं मैं जो प्वाइन्ट्स आपकी नोटिस में लाया हूं, उनपर मन्त्रीजी गौर करें। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको मुबारकबाद भी देता हूं।

श्री नवल किशोर शर्मा (बालाघाट) : महोदय, कृपया मेरा नाम भी वक्ताओं की सूची में लीजिए।

सभापति महोदय : मेरे पास लिस्ट में जो नाम हैं वह हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : समापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह जो प्रस्ताव है कि जिस रोज जमीन ली जाए उसी रोज के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए—इसका मैं समर्थन करता हूं। आप जानते हैं कि केसेज जितने पुराने हो जाते हैं, उनका पैसा नहीं मिल हाता है। नजीर के लिए मैं आपको बतलाऊं राजस्थान में एक बहुत बड़ा खेतड़ी कापर कांप्लेक्स है जो कि 1968 में बना था। उसमें किसानों की तमाम जमीनें ले ली गई थीं। आपने कानून बनाया था कि जिनकी जमीनें ली जायेंगी उनको मुआवजा दिया जायेगा, साथ ही साथ उनको नौकरी भी देंगे। लेकिन उनको आज तक कम्पेसेशन तो मिला नहीं है। सिविल कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रोजेक्ट वाले मुकदमे लड़ते रहे हैं। किसान यह मुकदमे नहीं लड़ रहे हैं। किसान तो 1968 के आधार पर भी पैसा लेने के लिए तैयार है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है इसलिए पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मन्त्री जी ने कहा कि जिनकी जमीनें लेंगे, उनको कम्पेसेशन के साथ-साथ नौकरी भी देंगे लेकिन खेतड़ी में तो आजतक किसी को भी नौकरी में नहीं रखा गया है। वहां पर अगर बिहार का कोई अफसर आ जाता है तो वह चपरासी भी बिहार से ही लायेगा, क्लर्क भी बिहार से लायेगा। यू पी वाला यू पी से लाएगा। पंजाब वाला पंजाब से लाएगा।

महाराष्ट्र या कर्नाटक से आएगा तो वह भी वहीं से ही लायेगा। तमिलनाडू से कोई आयेगा तो तमिलनाडू से लायेगा लेकिन जो वहां के लोकल आदमी है, जिनकी जमीनें ली गई हैं उनको आजतक एक भी नौकरी नहीं मिल सकी है। मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी को देखना चाहिए इस प्रकार से जो भी आफिसर प्रोजेक्ट्स में प्रान्तीयता और जातीयता की भावनायें फैलाते हैं, उनको नौकरी से ही निकाल दिया जाए। ऐसी व्यवस्था करने के बाद ही हालत कुछ सुधर सकेगी। अफसरों में प्रान्तीयता तो कूट कूट कर भरी है। ये लोग नेशनल इंटिगरेशन को बिगाड़ने वाले हैं। इनके लिए मन्त्री जी को उचित व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।

मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप किसानों को कम्पेंसेशन भी दिलाओ और नौकरी भी दिलाओ जैसा कि आपने प्रावधान किया है। खेतड़ी कापर कांप्लेक्स पर भारत सरकार ने 500 करोड़ लगाया है लेकिन किसानों को मुआवजा आजतक नहीं मिल पाया है। वे लोग टी. ए., डी. ए. और वकीलों की फीस आदि में पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है।

दूसरी बात यह है कि शिरोही में बांध बनाने के लिए सौ काश्तकारों की जमीन इन्डस्ट्रियलिस्ट द्वारा एक्वायर की जा रही है। वह बहुत ही फर्टाइल लैंड है, वह एक-एक बीघा जमीन 50-50 हजार रुपये में भी नहीं मिल सकती है। कोई काश्तकार उसको देना नहीं चाहता है, लेकिन उसको एक्वायर किया जा रहा है। यह स्वागत योग्य कदम है कि आपने कानून बना दिया है कि प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को नहीं देंगे। लेकिन जो जमीन काश्तकारों की वहां ली जा रही है, उसके लिए नितान्त आवश्यक है कि आप व्यवस्था करें।

दो प्वाइन्ट जो मैंने माननीय मन्त्री जी के सामने प्रस्तुत किए हैं, उम्मीद हैं, वे उन पर ध्यान देंगी। इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री शान्तुभाई पटेल (साबरकंठा) : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदया द्वारा प्रस्तुत भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिये मैं अध्यक्ष जी का भी आभार मानता हूं कि उन्होंने इसको लाने में प्रयास किया। मैं श्री दिगम्बर सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे भी पिछले चार-पांच साल से इस प्रकार के बिल को लाने के लिए प्रयास करते रहे हैं। मैं भी पिछले तीन सालों से चाहता था कि इस प्रकार का बिल आए, मैंने कोशिश भी की, लेकिन वे बीच में ही रूक जाते थे। आप यह भी देख रहे हैं कि हाउस में दोनों तरफ के सदस्यों द्वारा यह विचार प्रकट किया जा रहा है कि यह बिल जल्दी से जल्दी मंजूर कर दिया जाना चाहिये।

इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात मार्केट वैल्यू की कही गई है। मार्केट वेल्यू गिनने की पद्धति से कोई भी वाकीफ नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि मार्केट वेल्यू आंकने के लिए पद्धति में परिवर्तन करने की जरूरत है। जहां तक इन्टरेस्ट का सवाल है, वह भी बहुत कम है। आप देखते हैं कि 12 प्रतिशत

ब्याज की दर से कम पर ऋण नहीं मिलता है, इसलिये इसको बढ़ाने की ओर मन्त्री महोदया को ध्यान देना चाहिये। एक बात यह भी है कि जमीन एक्वायर करने के समय ही किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विष्णु प्रसाद (कलियाबोर) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

आरम्भ में, मैं भूमि के बारे में गांधीजी के विचारों का उल्लेख करूंगा। गांधी जी ने कहा था : 'भूमि गोपाल का'। आधुनिक संदर्भ में 'गोपाल का' राज्य है। सरकार को कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार करना चाहिए जिसमें भूमि राज्य की सम्पत्ति हो, व्यक्ति की नहीं। इस समय, भूमि के अर्जन के बारे में अभी मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन समय आएगा जब लोगों से अर्जित की गई भूमि का कोई मुआवजा नहीं होगा।

हमें इस विधेयक का स्वागत करना चाहिये और हमें 1984 के मूल अधिनियम में संशोधन लाने के लिए माननीय प्रधान मन्त्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री को बधाई देनी चाहिए। पहले की तुलना में "लोक प्रयोजन" शब्द को अधिक व्यापक बना दिया गया है। "लोक प्रयोजन" शब्द में गरीबों तथा भूमिहीन लोगों के आवास के प्रयोजन के लिए भूमि का प्रावधान भी शामिल कर लिया गया है।

यह वास्तव में एक कल्याणकारी कदम है। नई धारा 11क के अन्तर्गत अब समाहर्ता को अपना पंचाट, घोषणा के प्रकाशन की तारीख के दो वर्ष के भीतर अवश्य देना होगा। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भूमि का अर्जन 20 वर्ष पहले किया गया था, लेकिन कृष्कों को या उन लोगों को, जिनकी भूमि का अर्जन किया गया था, अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

अतएव यह आवश्यक है कि किसानों को मुआवजे का भुगतान भूमि के अर्जन के साथ-साथ ही किया जाना चाहिए।

प्रावधान दो वर्ष का किया गया है।

वास्तव में, घोषणा के प्रकाशन के छः मास के भीतर कृषकों को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाना चाहिए।

यदि भूमि का अर्जन कृषक से किसी आर्थिक प्रयोजन, जैसे वर्कशापों और कारखानों के निर्माण के लिए किया गया हो तो सम्बन्धित कृषक को आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के लिए उस वर्कशाप या कारखाने में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

इन प्रावधानों की पूर्ति के लिए, कृषकों से भूमि अर्जित करते समय सरकार को चाहिए कि सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशासनिक निर्देश दे।

प्रो. सत्यदेव सिंह (छपरा): सभापति जी, भारत विकाशशील राष्ट्र है। स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्र के विकास के लिये आवश्यक है कि जमीनों का अधिग्रहण किया जाय लेकिन इस के साथ-साथ किसानों को ऐसा मुआवजा दिया जाय, जिस में उन को जमीन त्याग करने में सन्तोष का अनुभव हो, मन में क्षोम न हो। समर्थ, सबल और समृद्ध तथा सक्षम लोग ही न्यायालय जाते हैं, गरीब नहीं जा पाता है, जिस से उन को मुआवजा कम मिलता है। इस लिए नवीनतम दर से न्यायालय के निर्णय के अनुसार भूमिग्रहण की तिथि से मुआवजा दिया जाय। साथ-साथ जमीन के बदले नौकरी मिलनी चाहिए, मकान लिया जाय तो उसके बदले मकान दिया जाय, क्योंकि गरीब मकान चले जाने के बाद गरीबी के कारण दूसरा मकान नहीं बना सकता। छोटे छोटे किसानों की जमीनों को बचाया जाय और बड़े भूमिपतियों की जमीनों को लिया जाय। कल-कारखानों, नहरों, आदि के लिये जो जमीनें ली जांय वे भूमिपतियों की ली जांय, गरीब किसानों की न ली जांय। कीमती जमीनों को न लिया जाय, कम महत्व की जमीनों को लिया जाय। ऐसा होता है कि छोटे-छोटे अधिकारी कीमती जमीनों को लेने का नोटिस निकाल देते हैं, लेकिन जब उनको पैसा मिल जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो अशिक्षित गरीब किसान है उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। मुआवजे के समय उसको कार्यालय में बुलाते हैं और कार्यालय में बुला कर चपरासी से लेकर किरानी तक जितना पैसा बन गरीबों से छीन सकते हैं छीनने का प्रयास करते हैं। इस लिये मुआवजेका जो पैसा दिया जाय वह गांव में जा कर दिया जाय, ग्रामीणों के बीच में दिया जाए इसके लिए उस को कार्यालय में न बुलाया जाय।

अभी हमारे व्यास जी ने कहा कि बिहार के लोग जहां जाते हैं, बिहारी लोगों को ही नौकरी में लेते हैं इससे प्रान्तीयता बढ़तो है। हमें ऐसा महसूस होता है कि बड़े लोगों का दिमाग कुछ उल्टा होता है। मेरे ख्याल में इस से राष्ट्रीयता बढ़ती है। हमारे यहां हरिया, बोकारो, जमशेदपुर, बरौनी बरौनी और दूसरी जगहों पर देश के विभिन्न भागों के, बंगाल के दक्षिण भारत के लोग काम करने के लिए आये हुए हैं, इससे भाईचारे का विकास होता है, एक दूसरे का प्रमभाव बढ़ता है, एक-दूसरे के प्रान्त को जानने का अवसर मिलता है, उनके साथ भवनात्मक एकता बढ़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रान्त के लोग वहां हों, इस में प्रान्त की बात नहीं आनी चाहिए। हमारे यहां बाहर के लोग बहुत बड़ी संख्या में आये हैं, राजस्थान के, गुजरात के, हरियाणा के, मारवाड़ के पंजाब के सरदार लोग, सबने वहां अपने पैर जमा लिये हैं लेकिन इस से हमारे मन को क्षोभ नहीं होता है, क्योंकि हम भारतीयता में विश्वास करते हैं। इस प्रकार की दुर्भावना और विचार से देश की एकता नहीं बढ़ेगी. प्रेमभाव नहीं बढ़ेगा, बल्कि प्रान्तीयता बढ़ेगी।

हमारे क्षेत्र में एक नैनी गांव है छपर गांव है छपरा—बनियापुर सड़क के बीच में है। यह वह स्थान है जहां गांव वाले अपने मकान बना सकते हैं।

मकान बनाने की वह एक मात्र जमीन है। उसके अधिग्रहण के लिए नोटिस दिया गया। मेरा कहना यह है कि उसके बदले में कम कीमत की जमीन ली जा सकती थी और गांव के पूर्व से जमीन ली जानी चाहिए थी। हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री डा. जगन्नाथ मिश्र के हस्तक्षेप

पर वह जमीन बच गई और इसके लिए हम सभी ग्रामवासी उनके आभारी है। इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कीमती जमीन न लेकर अगर उसके बदले दूसरी जमीन से काम चल जाए, वैसी जमीन लेनी चाहिए।

मैं मानवीया मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि गरीबों को मुआवजा देते समय बहुत परेशान किया जाता है और कहने-सुनने पर भी अधिकरी को ई ध्यान नहीं देते हैं और उन को लूटते हैं। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि किसानों को उचित मुआवजा उन की जमीनों का मिले और समय पर मिले।

8.3 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री वीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे गंगा नगर जिले में जो पक्के वाटर कोर्स बनाए गये हैं और उन के नीचे काश्तकारों की जो जमीनें ली गई हैं, उनका उचित कम्पेसेसन उन को देना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्तकारों की जमीन में से जो रास्ते निकाले गये हैं, वे तीन कदमों के निकाले गए हैं और उसका उन को कम्पेंसेशन मिलना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 15 साल से जो पक्की रोड्स बनी हुई हैं और उस का उन के नीचे जो काश्तकार की जमीनें आई हैं, उनका मुआवजा भी उनको नहीं दिया गया है। इधर को रोड्स का नुक्सान है और दूसरी तरफ काश्तकार का नुक्सान है क्योंकि रोड के दोनों साइड में नाला बनाकर खेत में पानी लगाते हैं। इसलिए रोड बैठ जाती है। मेरा कहना यह है कि काश्तकार को मुआवजा देकर पूरी रोड की जमीन एक्वायर की जाए ताकि वह रोड न बैठे।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री एम. गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक वाक्य जोड़ना चाहता हूँ कि इसमें धार्मिक संस्थाओं के लिए अवश्य छूट होनी चाहिए। हरीशचन्द्र के काल के दौरान भी, जब उन्होंने अपना राज्य विश्वामित्र को अर्पित करने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने कहा था कि मन्दिर की सम्पत्ति को छोड़कर वह बाकी सब कुछ दे रहा है। उन दिनों मसजिदें तथा गुरुद्वारे नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा था कि मन्दिर की सभी सम्पत्तियाँ छोड़ दी जाएं। मैं श्री बनातवाला से सहमत हूं और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सभी मन्दिरों की सम्पत्तियों, मसजिदों की सम्पतियों, वक्फ बोर्डों, चर्चों तथा अन्य चीजों को इससे मुक्त करने पर विचार किया जाए। मैं श्री बनातवाला के सुझाव का समर्थन करता हूँ।

श्री दलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ दो सुझाव देना चाहता हूं।

मेरा पहला सुझाव तो यह है कि जो लोग उद्योग लगाते हैं और जिन लोगों की जमीन ली जाती है, अगर प्राइवेट कम्पनी कोई उद्योग लगाती है, तो उसमें उसको भी भागीदार बनाया जाना चाहिए, जिसकी जमीन ली जाती है। मंत्री जी इस बात पर विचार करें कि जहां उद्योग लगाते हैं, वहां पर जिन लोगों की जमीन ली जाती है, उसमें उन को भी भागीदार बनाया जाना चाहिए।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इरीगेशन कैजो डैम बनते हैं, उन में जो पानी में जमीन डूब जाती है, तो जिन किसानों की जमीन डूब जाती है, नीचे जो किसान इर्रीगेशन करते हैं, उन से जमीन लेकर उन को दी जाए। हमारे मध्यप्रदेश में नर्मदा नौगांव डेम बन रहा है। उसमें कम से कम एक लाख लोग उजड़ रहे हैं। उनको राजस्थान से रेगिस्तान में बसाने की बात की जाती है जहां आदमी नहीं रह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए ऐसा प्रावधान किया जाए कि जहां डेम के नीचे की सिंचाई वाली जमीन होती है उस जमीन में से थोड़ी-थोड़ी जमीन उन लोगों को दी जाए और उन लोगों को वहां बसाया जाए।

यही दो सुझाव दे कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, उस पर उनका एक अमेंडमेंट हमारे सामने आया है। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी इस अमेंडमेंट से एक्सप्लेनेशन अलग कर दें तो मैं अपना अमेंडमेंट वापस ले लूंगा।

इस पर मेरा यह निवेदन था कि हरेक आदमी और संसद सदस्य मुझ से कहता है कि दिगम्बर सिंह तुम्हारा बिल आ गया, मंत्री जी मुझसे कहती हैं कि आपका यह बिल आ गया। मंत्री जी से मेरी इतनी प्रार्थना है कि जब यह मेरा बिल है तो मंत्री जी हमारी इतनी बात तो मान जाएं। मुझे पता है कि जो कुछ इतने लोगों ने यहां कहा है, स्पीकर साहब ने कहा है, उस सबको वह मना करेंगी। लेकिन वे हमारी इतनी बात तो मान जाएं।

मेरे बाबा को आजादी की पहली लड़ाई 1857 में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मैंने भी जेल काटी है। मैं किसानों से कहूंगा कि अपनी बन्दूक उठा लो और अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा करता है बिना मुआवजा दिये, तो उसके लिये फांसी पर चढ़ जाना जरूरी है। जब कश्मार पर दुश्मन ने हमला किया था तो उस समय महात्मा गांधी ने जवाहरलाल जी से कहा था कि हम हिन्दुस्तान की चप्पा-चप्पा जमीन के लिए पूरा भारत अपनी जान दे दे। मुझे चिन्ता नही इसलिए हम भी किसानों से कहेंगे कि चाहे हमें फांसी लग जाये लेकिन हमारी जमीन नहीं जानी चाहिये। जमीन के लिये फांसी चढ़ जाना कोई बुरी बात नहीं है।

श्रीमती मोहसिन किदवई : उपाध्यक्ष जी, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों की बहुत आभारी हूँ जिन्होने इस बिल पर अपने विचार प्रकट किये हैं और जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है वैसे इस बिल का समर्थन तो सभी ने किया है लेकिन किसी-किसी माननीय सदस्य ने अपने-अपने ढंग से अपने ख्यालात पर इजहार किया है। जितने भी माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं उन सभी ने यही कहा है कि इस देश में किसानों का शोषण होता है, किसानों की जमीन ले

ली जाती हैं। 25-25 साल तक उनके मामले पड़े रहते हैं और उनकी जमीन का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। बीकर सेक्शन की जमीन ही उनकी रोजी-रोटी का जरिया होती है। वह भी ले ली जाती है और सालों तक उसका मुआवजा उनको नहीं मिलता है।

ये सारी वजूहात थीं जिनकी वजह से इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी। इस बिल में यह कोशिश की गई है कि हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत दे सकें। माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, उन सब के दिमाग में पिछले 25 वर्षों का नक्शा रहा है। कहीं राजस्थान में जमीन ले ली गई, कहीं बिहार के देहात में जमीन ले ली गई और उसका मुआयजा उनको नहीं दिया गया। इस बिल को लाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि उन किसानों को शोषण से बचाया जाए। जिन लोगों की जमीन ले ली जाती हैं, उन पर काम शुरू होने तक मुआवजा नहीं मिलता है।

श्री दिगम्बर सिंह जी ने इस बिल पर संशोधन रखा है, कुछ और माननीय सदस्यों ने भी संशोधन रखे हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि हिन्दुस्तान में जमीन के लिए लोगों का बहुत मोह है। यह मोह अपनी जगह पर एक जायज चीज है। क्योंकि हिन्दुस्तान की 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। उनकी रोजी-रोटी का साधन जमीन होती है। हमारी सरकार का नजरिया भी यह है कि ज्यादा से ज्यादा उनके लिए हम सहुलियतें ला सकें और इस देश का विकास कर सकें।

अभी दिगम्बर सिंह जी ने कहा कि वे अपना अमेंडमेंट पेश करेंगे और उस पर वोटिंग करायेंगे और जो सदस्य उसके खिलाफ वोट देंगे उनके खिलाफ वे प्रचार करेंगे। वे अपोजिशन में बैठते हैं। वे बुजुर्ग आदमी है, मेरे प्रदेश से उनका ताल्लुक है, मैं उनकी बडी इज्जत करती हू। बागड़ी भी अपोजिशन में बैठते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो भी सरकार होती है, उसे देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए कोई न कोई कड़वी दवा हलक से जरूर उतारनी पड़ती है। इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो लगता है कि हम कोशिश करने के बावजूद अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तब भी बहुत कुछ सहूलियतें हमने दी हैं।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : यह हलक किसका है और कड़वी दवा कौन पीना चाहता है ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं श्री दिगम्बर सिंह जी की बात का जवाब दे रही हूं। उन्होंने कहा है कि बाहर जाकर कहेंगे तो जो भी वे कहेंगे, अवाम उसको मानने वाला नहीं हैं। ये जो किसानों की बात करते हैं, तीन साल इनका शासन भी जनता ने देख लिया है कि इन्होंने कितनी किसानों की भलाई की है। तो इनकी बात कोई नहीं मानेगा कि हम किसान विरोधी हैं।

इस बिल में सबसे बड़ा काम यह किया गया है कि टाइम लिमिट 3 साल की कर दी गई है कि तीन साल के अन्दर कलेक्टर को अवार्ड देना होगा। सेक्शन 4(1) लगाने के बाद एक साल का पीरियड है और सेक्शन 6(1) से कलक्टर के अवार्ड तक 2 साल, जिसके अन्दर पजेशन लेना होगा तो इस एक साल में जितनी कीमतें बढ़ेंगी, तो बात छोड़ दीजिए : ये जो कहा जा

रहा है कि 25 वर्ष से या 30 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया गया है, ये जो सेक्शन लगाया गया है कि मुआवजा इस मार्केट रेट, जो आप फर्मा रहे हैं तो वो सेक्शन 6(1) से ही हम मार्केट रेट लेंगे, जिस वक्त में पजेशन लेंगे तो सेक्शन 4(1 और सेक्शन 6(1) में एक साल का फर्क है। इस एक साल में मैं यह नहीं कहता कि बहुत ज्यादा हम दे रहे हैं लेकिन जो किसानों को मिलता था उससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं। 30 परसेंट सोलोशियम और उसके अलावा प्रति वर्ष 12 परसेंट और दिया जाएगा। अगर 100 रुपए 1984 में कीमत है तो एक साल के अन्दर सन् 1985 में अगर आप पजेशन लेते हैं तो एक सौ रुपए अगर गज जमीन रखिए तो उसका 142 रुपया हम देंगे एक साल के अन्दर और जब अवार्ड करेगा कलैक्टर तो 24 परसेंट और बढ़ेगा। इसका मतलब है कि हर किसान को कम से कम सौ रुपए जो आज की कीमत है तो तीन साल के बाद 166 रुपए मिलेगा। इस तरह से इसमें जो हम लेते हैं अर्जेंसी के तहत जर्मान, अब पजेशन लेने से पहले उसको 80 फीसदी दे दिया जाएगा। इसी तरह से जो इसमें और तमाम चीजें जो रखी गई हैं, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सारी तफलसी कह दी थी ताकि जो शंकाएं हैं, वे हट जाएं। इसमें जो क्रान्तिकारी कदम उठाये गए हैं, उसके बारे में बागड़ी जी नहीं कहते। बड़े-बड़े किसान जो कोर्ट में चले जाते थे और अभी एक भाई ने कहा कि मुआवजा सिर्फ उनको ही मिलता था। हमने इसमें क्लाज लगाई है कि जो बड़े किसान कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट जो फैसला करता है और उनको जो मुआवजे की कीमत दी जाती है, तो आसपास के जितने भी लोग हैं जो कोर्ट नहीं जा सकते और जिनको कम कीमत मिली है, उन्होंने कलैक्टर का आवार्ड ले लिया है, उनको भी हक होगा कि वे उतने मुआवजे के लिए कलैक्टर को दरख्वास्त दे सकें।

एक दूसरा कदम जो उठाया गया है जिससे लिटीगेशन पीरियड कम हो। लोग जिससे कोर्टस् में न जाएं। अगर कोई पूरा ग्रुप आकर कलैक्टर के पास बैठकर डिसक्स करता है और वे सभी एक बात पर सहमत हो जाते हैं कि हमको इतना मुआवजा मिलना चाहिए तो कलैक्टर के लिए उस पूरे ग्रुप को मुआवजा देने की बात भी है। इस तरह से जो हमारी....।

---

24 अगस्त, 1984 को इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान सं० आई. सी.—421 के विमान के अपहरण के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती किदवई, जरा एक मिनट ठहरिये। कृपया बैठ जाइए। श्री खुर्शीद आलम खां, उन्हें बाहर जाना है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को एक अच्छी खबर दे दूं। साढ़े आठ बजे चालक दल तथा सभी यात्रियों को छोड़ दिया गया है। विमान हमारे कब्जे में है और सभी सुरक्षित तथा ठीक-ठाक हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अपहरणकर्त्ताओं का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई बयान नहीं है।

श्री खुर्शीद आलम खां : दुबई के अधिकारियों ने हमें सहयोग दिया है। क्योंकि वे अब उनकी भूमि पर हैं, उनके कानून के अनुसार कार्यवाही होगी।

———

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे। श्रीमती मोहसिना किदवई।

भूमि-अर्जन (संशोधन) विधेयक जारी

श्रीमती मोहसिना किदवई: मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। मैं समझती हूं, कोई भी लॉ पत्थर की लकीर नहीं होता कि कभी उसे बदला नहीं जा सके। जब कोई लॉ बनता है और वह एक्सीक्युट होता है तो उसके बाद उसकी कमियां सामने आती हैं कि इसमें क्या कमियां हैं। उसके बाद अमेंड करने की कोशिश की जाती है। माननीय रंगा जी ने जो कहा, मुझे उम्मीद है, वह खुश होंगे। श्री रंगा, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने आपका 12% का सुझाव मान लिया है। सरकार की तरफ से अमेंडमेंट आया है कि 10 परसेंट की बजाय उनको 12 परसेन्ट मिलना चाहिए। उनकी भी यही कोशिश है कि उनको 12 परसेंट मिले। जहां तक रिहेबिलिटेशन की बात है, भारत सरकार की गाइड-लाइन्स हैं कि जहां जिसकी जमीन ली जाए, उस खानदान में से एक शख्स को नौकरी जरूर दी जाए। इसको हम स्ट्रीक्टली फालो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की जमीन लेनी पड़ती है, जिनके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा होता है। उसको हम मजबूरन लेते है। सड़कें, नहरें, फैक्टरीज या अस्पताल बनाने हैं तो जाहिर है कि जमीन पर बनायेंगे, आसमान पर तो बनेंगे नहीं। जमीन पर बनायेंगे तो किसी न किसी की जमीन लेनी पड़ेगी। देश के विकास के लिए जरूरी है कि हम जमीन लें और साथ ही किसानों को उचित दाम देने की कोशिश करें, जो हमने इस बिल के जरिये से किया है। यह भी इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि जहां तक हो सके उसर लैण्ड ली जाए और एग्रीकलचरल लैण्ड न ली जाए। फज कीजिए, हमें नहर या फैक्टरी आदि बनाने के लिए दो हजार एकड़ की जरूरत है और उसमें एक हजार एकड़ एग्रीकल्चरल लैण्ड है तो उसको कैसे न लिया जाए? कानून बनाते वक्त और उसको इम्पलीमेंट करते वक्त जो परेशानियां आती हैं, उसमें मजबूरी है। लेकिन केन्द्रीय सरकार की यह गाइड-लाइन्स हैं कि कम से कम एग्रीकल्चरल लैण्ड ली जाए और उसर जमीन लेने की ही कोशिश की जाए। अगर कहीं पर मजबूरी है तो मजबूरन उस लैण्ड को एक्वायर करना पड़ेगा। इसके अलावा जैन साहब ने रिहेबिलिटेशन की बात कही। हमारी यही कोशिश है कि हम उन्हें रिहेबिलिटेट करें। जिस जगह पर कारखाने आदि लगते हैं, उनमें वहां के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें वहां के लोगों को नहीं रखा जाता। स्कील्ड या अन-स्कील्ड लेबर जो जरूरी होता है, उसको लिया जाता है। मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिला सकती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइड-लाइन्स दी जायेंगी कि सख्ती के साथ इम्पलीमेंटेशन किया जाए। जैसा कि बागड़ी जी ने

भी कहा कि इम्पलीमेंटेशन सही होने के बाद उस पर सख्ती से अमल कराया जाए ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। बनातवाला साहब ने रिलीजियस प्रापर्टी के सम्बन्ध में कहा था। मैं उनकी इत्तिला के लिए कहना चाहती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को दो दफा सख्ती के साथ मना किया गया है कि कोई भी रिलीजियस प्रापर्टी एक्वायर न की जाए। ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता जहां पर किसी मन्दिर, मस्जिद या गुरूद्वारे की जमीन को एक्वायर किया गया हो।

श्री जी०एम० बनातवाला : कोर्ट नहीं मानती है। इसे कानून की शक्ति दीजिए। कोर्ट कहती है, यह सिर्फ डायरेक्शन्स हैं। मैंने तो कोर्ट का जजमेंट आपको पढ़कर सुनाया था। आप भी यही मानते हैं और हम भी यही मानते हैं। हम लोगों में कोई डिसक्रीमिनेशन नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : हकीकत में भी कहीं नहीं ली है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैंने भी यही कहा है।

श्री बसंत साठे : वैसे देखा जाए, हम लोग कहते हैं "सबही भूमि गोपाल की" फिर कोई भूमि कभी ली ही नहीं जा सकती।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा न कहें, अन्यथा श्री राम गोपाल रेड्डी को भूमि मिल जाएगी।

श्री बसंत साठे : राम गोपाल की नहीं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : आनरेबल मैम्बर बनातवाला साहब ने तथा राम गोपाल रेड्डी साहब ने एक ही बात कही, लेकिन आप देखिये कि आजकल के हालात क्या हैं। यदि हम इसको कानूनी रूप दे देते हैं और प्रावधान कर देते हैं कि गुरुद्वारा, मन्दिर, मस्जिद या किसी दूसरे रिलीजस प्लेस को एक्वायर नहीं किया जायेगा तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उससे कई नई समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। मुझे यह कहने में अफसोस है कि जिस तरह से हमारे यहां एक्सप्लायटेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमें डर लगता है और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते। फिर, हमारे नोटिस में आज तक कहीं से नहीं आया कि फलां जगह किसी इबादतगाह को एक्वायर किया गया है। इसलिए इस डर को आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यदि आप एक सड़क को चौड़ा करना चाहते हैं और उसमें एक छोटा सा मन्दिर है, इसे निरपक्ष नहीं रखा जा सकता; अतएव, इसे स्पष्ट कीजिए।

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जितने नये अमैंडमैंटस आये हैं, उसके बाद अब क्लाज 31 की कोई जरूरत नहीं रह जाती, और यह डिलीट हो

जायेगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों और खासकर श्री दिगम्बर सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वैसे तो हम उनके जजबात की कद्र करते हैं और मैं समझती हूं कि उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है और वे किसानों के साथ हमदर्दी रखने वाले हैं, लेकिन हमें भी क्यों आप किसान-विरोधी समझते हैं, हम सब का सम्बन्ध भी किसानों के घरों से है, हम सब भी किसान हैं··· (व्यवधान) इसलिए मैं आप सब से दरख्वास्त करती हूँ कि आपने इस बिल के सम्बन्ध में जो अमैंडमैंटस दी हैं, आप उनको वापस ले लेंगे और इस बिल को एज० इट० इज० पास होने दें। यदि कहीं कोई कमी रहेगी तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा।

खंड 2

जिन सदस्यों ने संशोधन की सूचनाएं दी हैं, उपस्थित नहीं हैं, प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 37 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

(घ) निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी ऐसे भूखण्ड के सम्बन्ध में, जिस के ऊपर कोई बड़ा ढांचा बना हुआ है या नहीं, जो किसी समुदाय या उसके किसी पंथ की सम्पत्ति है, और पूजा के लिए या अंत्येष्टि क्रिया के लिए या मृतक के अवशेष सुरक्षित रखने के लिए अलग छोड़ दिया गया है, और इसमें मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, यहूदी उपासना-गृह, ईदगाह, इमामबाड़ा, अशूरखाना, कब्र, मकबरा, समाधि, कब्रिस्तान, सिमिट्री

(कब्रगाह), मुर्दघाट और टावर आफ साइलेंस (मौन मीनार) तथा उससे जुड़ी हुई भूमि और वहाँ तक पहुंचने का मार्ग भी सम्मिलित है, किसी भी भूमि अर्जन प्राधिकारी को अधिसूचना जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी अथवा कभी भी हुई नहीं मानी जायेगी।" —(53)

महोदय, जैसाकि माननीय मन्त्री जी ने सही कहा है कि इस सभा में मेरे द्वारा उठाये गये एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर के अनुसार विभिन्न अधिकारियों को धार्मिक महत्व की किसी भी सम्पत्ति का अधिग्रहण न करने के लिए निर्देश दिये गये हैं। किन्तु, समस्या तो यह है कि न्यायालय इन निदेशों को कानूनी तौर पर ध्यान में नहीं लेते। इसलिये, जब इस प्रकार की सम्पत्ति अर्जन की एक घटना हुई तो मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में ले जाया गया। मैंने वह सारा मामला आपको पढ़ कर सुनाया है। वह निदेश भी दिए जा चुके थे। किन्तु न्यायालय ने कहा : हम इन निदेशों को कानूनी तौर पर ध्यान नें नहीं ला सकते। "भूमि अर्जन अधिनियम में स्पष्ट बताया नहीं है और इसलिये अर्जन किया जा सकता है।" मैं सरकार से केवल यहीं कहता हूं कि वे अपनी मंशाओं और अपने ही परिपत्रों को कानूनी स्वीकृति दें। यदि उनके द्वारा दिये गये निदेशों में ईमानदारी की भावना है तो वह ऐसा करने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? (व्यवधान)। इसलिये मैं सरकार तथा इस सम्मानित सदन स अनुरोध करता हूं कि मैंने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 53 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 53 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 5 पर विचार किया जाएगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 और 7

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 6 पर विचार किया जाएगा। श्री दिगम्बर सिंह, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री दिगम्बर सिंह : महोदय, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय, श्रीमती प्रमिला दण्डवते, श्री निर्मल सिंहा, श्री रामावतार शास्त्री, प्रो० अजित कुमार मेहता और श्री राम विलास पासवान उपस्थित नहीं हैं। खण्ड 7 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 और 7 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 8

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 8 पर विचार किया जाएगा। श्री बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये—

'(क) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) में, "धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "अर्जन की तारीख पर" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।" —(54)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या, 54 सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 54 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर गिरि सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री दिगम्बर सिंह, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री दिगम्बर सिंह : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी संशोधन संख्या 81 एवं 82 हैं।

(संशोधन किया गया)

पृष्ठ 5, पंक्ति 36 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा में निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि की संगणना करने में उस अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कारवाई या कार्यवाही न्यायालय के किसी आदेश द्वारा रोक दी जाती है।" —(82)

(श्रीमती मोहसिना किदवई)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बापूसाहेब परूलेकर, श्री वाजपेयी एवं श्री चतुर्भुज उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है :—

"कि खंड 9 बिधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन संख्या 81 विधेयक के हिन्दी संस्करण पर लागू नहीं होता

खंड 10

उपाध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित व्यक्तियों ने संशोधनों की सूचनाएं दी हैं किन्तु वे सभा में उपस्थित नहीं है, श्री ए० के० राय,— उपस्थित नहीं हैं, श्रीमती प्रमिला दंडवते— उपस्थित नहीं हैं; श्री बापूसाहिब परूलेकर-उपस्थित नहीं हैं, श्री राम विलास पासवान-उपस्थित नहीं हैं। खंड 11 के लिए कोई संशोधन नहीं है। अब मैं इन सभी संशोधन को सभा इकट्ठे रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 और 11 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

संशोधन संख्या 81 विधेयक के हिन्दी संस्करण पर लागू नहीं होता।

खंड 12

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

(i) पंक्ति 13 और 14,—

"निम्नलिखित धारा अत:स्थापित की जायेगी" के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जायेंगी" प्रतिस्थापित किया जाये।

(ii) पंक्ति 24 पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"15ख. जब कभी भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों का विस्थापन होता है वहाँ अर्जनकर्ता प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह विस्थापित व्यक्ति या व्यक्तियों के पुनर्स्थापन की व्यवस्था नियमों द्वारा विहित तरीके से करें।" (55)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 55 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 55 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-13

उपाध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित व्यक्तियों ने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं किन्तु वे सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री ए. के. राय उपस्थित नहीं, श्रीमती प्रमिला दंडवते उपस्थित नहीं; श्री निर्मल सिन्हा-उपस्थित नहीं; श्री रामावतार शास्त्री-उपस्थित नहीं; श्री अजित कुमार मेहता: उपस्थित नहीं, श्री राम विलास पासवान-उपस्थित नहीं और श्री चतुर्भुज-उपस्थित नहीं। खंड 14 में भी कोई सशोधन नहीं है। अत: मैं इन्हें इकट्ठा ही सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 और 14 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 और 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 15

श्री दिगम्बर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

खंड 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

'15 मूल अधिनियम की धारा 23 में—

(क) उपधारा (1) में, "धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन वाली अधिसूचना के प्रकाशित की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य" शब्दों के स्थान पर "भूमि का उस समय का बाजार मूल्य, जबकि कलक्टर ने उस भूमि का कब्जा लिया है" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।' (2)

पृष्ठ 7,—

खंड 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

'15. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) के प्रथम खंड में, "धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को" शब्दों के स्थान पर "धारा 6 की उपधारा (I) के अधीन जारी घोषणा के प्रकाशन के समय" शब्द स्थापित किये जाएंगे ।

(ख) उपधारा (2) में, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।' (45)

पृष्ठ 7,—

खंड 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'15. मूल अधिनियम, की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) के प्रथम खंड में, "की तारीख को" शब्दों के पश्चात् "या पंचाट की तारीख से तीन वर्षों से अनधिक पूर्व या कलेक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक पूर्व, जो भी कम हो," शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।' (80)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

खंड 15 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाये—

15. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) के प्रथम खंड में, "धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "अर्जन की तारीख पर" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ख) उपधार (2) में, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "चालीस प्रतिशत," शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल सिंह, अनुपस्थित, श्रीमती गीता मुखर्जी, अनुपस्थित, श्री सुधीरगिरि, अनुपस्थित, श्री रामा वतार शास्त्री, अनुपस्थित, श्री उत्तम राठौर

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मोहसिना किदवई

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्यमंत्री (श्रीमति मोहसिना किदवई) : मैं इस खंड पर और संशोधन पेश नहीं कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बापू साहिब परुलेकर अनुपस्थित, प्रो. अजित कुमार मेहता अनुपस्थित श्री उत्तम राठौर।

श्री उत्तम राठौर : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्भुज अनुपस्थित।

श्री दिगम्बर सिंह, यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप अपने सभी संशोधनों पर सामान्य भाषण कर सकते हैं।

श्री दिगम्बर सिंह : मेरा संशोधन इस प्रकार है।

पृष्ठ 7,—

खंड 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'15. मूल अधिनियम, की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) में, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य" शब्दों के स्थान पर "भूमि का इस समय का बाजार मूल्य, जबकि कलक्टर ने उस भूमि का कब्जा लिया है" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

मैं चाहता हूं कि जब कलैक्टर कब्जा लेता है, उस समय के बाजार भाव का मुआवजा दिया जाये न कि नोटिफिकेशन के समय के बाजार भाव का। यह मैंने इसलिए कहा कि जब हमारी प्रधान मन्त्री ने वहां वक्तव्य दिया, तो मैंने सोचा कि प्रधान कह रही हैं, तो मेरा संशोधन मान लिया जायेगा। स्पीकर साहब, हमारे कृषक समाज के अध्यक्ष ने वहां उन्होंने भी यही कहा था। हमारे सब संसद-सदस्यों ने भी अपने भाषणों में यही कहा, सब ने संशोधन भी रखे। जब सब संसद-सदस्य चाहते हैं, प्रधान मन्त्री चाहती हैं, हमारे स्पीकर साहब चाहते हैं तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दिगम्बर सिंह द्वारा खंड 15 पर दिया गया संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2,45 और 80 संख्या 57 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला धारा खंड 15 पर दिए गए संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 56 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 25 और 26 के स्थान पर निम्नलिखित 15
प्रतिस्थापित किया जाए—

"15. मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(1क) भूमि के बाजार मूल्य के, जैसा कि ऊपर उपबंध किया गया है, अतिरिक्त न्यायालय प्रत्येक मामले में ऐसी भूमि के सम्बन्ध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारम्भ होनी

वाली और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख तक या उस भूमि का कब्जा करने की तारीख तक की अवधि के, इन में से जो भी पहले हो, लिए ऐसे बाजार मूल्य पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में ऐसी अवधि या अवधियों को, जिनके दौरान भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश द्वारा रोक आदेश या व्यादेश के कारण रोक दी गई थीं, अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) उपधारा (2) में, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।" (145)

(श्रीमती मोहसिना किदवई)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 15, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 16, और 17 विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 19 विधेयक में जोड दिया गया

खण्ड 20 से 29 विधेयक में जोड दिए गए

खण्ड 30

उपाध्यक्ष महोदय संशोधन किए गए

पृष्ठ 10, पंक्ति 21 और 22 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए** :—

"30 (1) इस अधिनियम की धारा 15 के खंड (क) द्वारा यथा अन्तःस्थापित मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1क) के उपबन्ध—

(क) प्रत्येक ऐसी कार्यवाही को, और उसके सम्बन्ध में लागू होंगे तथा उसकी और उसके सम्बन्ध में लागू हुए समझे जाएंगे जो मूल अधिनियम के अधीन किसी भूमि के अर्जन के लिए 30 अप्रैल, 1982 [भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982 के लोक सभा में पुरःस्थापना की तारीख] को लम्बित है और जिसमें उस तारीख से पूर्व कलक्टर द्वारा कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रत्येक ऐसी कार्यवाही को और उसके सम्बन्ध में लागू होंगे तथा उसको और उसके सम्बन्ध में लागू हुए समझे जाएंगे जो मूल अधिनियम के अधीन किसी भूमि के अर्जन के लिए उस तारीख के पश्चात् आरम्भ की गई है, चाहे कलक्टर द्वारा अधिनिर्णय इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की तारीख के पूर्व दिया गया है या नहीं। (84)

(2) इस अधिनियम की धारा 15 के खड (ख) और धारा 18 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की क्रमश: धारा 23 की उपधारा (2) और धारा 28 के उपबन्ध"

पृष्ठ 10 पंक्ति 30,—

"(2)" के स्थान पर "(3)" प्रतिस्थापित किया जाए। (85)

(श्रीमती मोहसिना किदवई)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 30 यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 30 यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदया पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि यह अनावश्यक हो गया है। इसलिए इसे मैं अब रख रहा हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : अत: मन्त्री महोदया विधेयक को पास करने का प्रस्ताव कर सकती हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप तृतीय वाचन की अवस्था में बोलना चाहते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : जी नहीं महोदय,। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद शायद मन्त्री जी दूसरा विधेयक पुर: स्थापित करें उस दशा में हम इसे सोमवार को ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह किया जा सकता है। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

जीवन बीमा निगम विधेयक

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि जीवन बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से...

(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : यह क्या है, हां बताइये तो। हम तो खाली ऐक्वमिशन बिल के लिए बैठे हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : क्या विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल प्रस्ताव करेंगे।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : हम चाहते हैं कि सोमवार को पंच वर्षीय योजना संबंधी चर्चा को सबसे पहले लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. दण्डवते जी, मैं कार्य सूची के अनुसार चल रहा हू। मद 14 समाप्त हो गई है, 15घ पेश करने संबंधी प्रस्ताव है ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद आप चर्चा की मांग कर सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : यह समझौता नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यसूची के अनुसार चल रहा हूं। हां, आप प्रस्ताव कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्य सूची के अनुसार चल रहा हूं, आप इसे क्यों उठा रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी आपको उत्तर देंगे। क्या आपने किसी पुरःस्थापन प्रस्ताव का विरोध किया है। नहीं। फिर आप क्यों चिंता करते हैं.....(व्यवधान)

मैंने मन्त्री महोदय को बुलाया हैं। वह आग्रह नहीं कर रहे हैं। श्री भगत आप उन्हें स्थिति स्पष्ट करें ...(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री एच. के. एल. भगत : यदि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते कि इसे प्रस्तुत किया जाए

तो मैं केवल यही कहूंगा कि चूंकि मंत्री महोदय को बुलाया गया है वह केवल दो मिनट लेंगे इस से अधिक नहीं। दो मिनट के लिए उन्हें विधेयक प्रस्तुत करने दें। हम इसे ले नहीं रहे हैं.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां आप इसे प्रस्तुय करें। मैं उन्हें केवल यह कह रहा हूं कि वह मद संख्या 15 में रखे गये इस विधेयक को प्रस्तुत करें। हम इसे अब नहीं ले रहे हैं। यदि कोई माननीय सदस्य कार्य-सूची में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं लेकिन मैंने उन्हें मद संख्यां 15 में रखे गये विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये कहा है मद संख्या 14 खत्म हो गयी है। वह दो मिनट के लिए प्रस्तुत करेंगे .....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप इसे प्रस्तुत करें।

श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, विरोध स्वरूप हम सभा से बाहर जाएंगे। यह समझौता नहीं हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह आप के ऊपर है। मेरा आपको अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

तत्पश्चात श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती, श्री मनीराम बागड़ी, प्रो. मधुदंडवते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, मन्त्री महोदय, आप इसे प्रस्तुत करें। आप इसे प्रस्तुत करें और अपना भाषण पूरा करें।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जीवन बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिये और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिये अनेक निगमों की स्थापना के लिये तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्य को पता है यह विधेयक दिसम्बर 1983 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। दोनों सदनों की सयुक्त समिति को यह विधेयक भेजने संबंधी प्रस्ताव इस सदन में 21 दिसम्बर, 1983 को स्वीकृत हुआ था और राज्य सभा ने इस प्रस्ताव पर 22 दिस्म्बर, 1983 को सहमति दी थी। संयुक्त समिति ने 14 अगस्त, 1984 को अपना प्रतिदेदन प्रस्तुत किया। संयुक्त समिति द्वारा तथाप्रतिवेदित यह विधेयक अब इस सदन के समक्ष विचारार्थ है।

संयुक्त समिति ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है और सिफारिश की है कि यह विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाये। मैं इन संशोधनों के बाद में उल्लेखित करूगा।

तथापि मैं अब माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इस विधेयक की कुछ मुख्य बातों का संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदत रुपमें संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं।

विधेयक का प्रयोजन भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थान पर पांच जीवन बीमा निगम स्थापित करना है जिनके मुख्यालय कानपुर कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और बम्बई में होंगे और प्रारम्भ में प्रत्येक निगम की अधिकृत पूंजी 2 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी एक करोड़ रुपए हागी। प्रत्येक निगम प्रमुखतया अपने अधिकृत क्षेत्र में जीवन बीमा को बराबर का गहन विकास करने के लिये उत्तरदायी होगा और उसे यह सुनिश्ति करना होगा कि जीवन बीमा निगम का विकास ससाज के सर्वश्रेष्ठ हित में हो। कोई भी निगम सरकार की पूर्वानुयति से ही अपने निश्चत क्षेत्र के बाहर भी करोबार कर सकता है जिससे अस्वथ्यकर प्रतियोगिता और अपव्यय से बचा जा सके।

भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्तमान गठन के अधीन प्राधिकरण के अधिक केन्द्रीकरण के बारे में समय-समय पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। उद्योग में प्रचार के आधार को कम करने और इसे गतिशीलता प्रदान करने के लिए वर्तमान चार स्मत्रों के गठन की बजाय नए निगमों के तीन स्तर होंगे (अर्थात् निगमित कार्यालय, मंडलीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालय)। परिणाम स्वरूप पालिसीधारियों को बेहतर सेवा प्राप्त होगी। इस आशय का विधेयक मैं उपबंध किया गया है कि विघटित निगम की आस्तियों और देनदारियों का प्रस्तावित निगमों में एक न्यायोजित ढंग से वितरण की सिफारिश करने के लिये और इस प्रयोजन के लिए मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाये जिसे प्रस्तावित निगम पालिसीधारियों के हित में बराबरी से अपने कार्य की शुरुआत कर सके।

यह सुनिश्चित करते हुए कि नये निगम स्वायत्तता के तरीके से कार्य करेंगे, इस बात का व्यवरण करने का ध्यान रखा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उनकी गतिविधियों का ठीक प्रकार से समन्वय हो। अत: निगमों के कार्यकरण में समन्वय करने सम्बन्धी उपायों का सुझाव देने के लिये एक जीवन बीमा बोर्ड के लिए भी उपबन्ध किया गया है। बोर्ड को यह उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है कि वह कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिये योजना बनाये और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें। बोर्ड का उत्तरदायित्व निगमों के कार्यालयों का निरीक्षण करना, जीवन बीमा योजनाओं का मूल्यांकन करने और उनके बारे में अनुसंधान करना तथा मृत्यु दर और बीमांकित मूल्यांकनों के बारे में सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध करना, जीवन बीमा कारोबार के गहन विकास के लिये अनुसंधान करना और योजनायें बनाना तथा समाज के विभिन्न वर्गों की बीमा संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना और अधिक रूप से बीमांकिक मूल्यांकनों के बीच समन्वय करना होगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप विधेयक को आज पारित कर रहे हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे और अपना भाषण देंगे। इस विधेयक के लिये तीन घंटे निर्धारित किये गये हैं। आप किस प्रकार अनुमान करते है कि यह विधेयक आज ही पारित किया जायेगा ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : बहुत सी अजीब बातें हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें केवल यह कहा है कि वह इसे पुरः स्थापित करें। निर्धारित किया गया समय तीन घन्टे है।

प्रो. मधु दण्डवते : यह पुरः स्थापित करना नहीं है यह विचार करना है। आप गलत टिप्पणियां कर रहे..... (**व्यवधान**) वह कह रहे हैं कि यह पुरः स्थापित करना है, इस पर विचार करना है। गलत बयानी मत करें। यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा।

श्री जनार्दन पुजारी : पालिसीधारियों के हितों की सुरक्षा के लिए संयुक्त समिति के समक्ष व्यक्त की गई भारी चिंता से उत्पन्न समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक में अब इस आशय का एक उपबंध किया गया है कि प्रत्येक निगम द्वारा उतनी संख्या में पालिसीधारियों की सलाहकार समितियों का गठन किया जायेगा जितनी कि वे उचित समझें। पालिसीधारियों के हितों की सुरक्षा के लिये इस विधेयक में विशिष्ट उपबन्ध निहित है कि जीवन बीमा की पालिसियों में निर्धारित राशि का नकद राशि में भुगतान करने की केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी।

पर दावों के निपटान में विलम्ब की बार-बार शिकायतें की गई हैं। न्यायालय के माध्यम से दावों सम्बन्धी विवादों का निपटान करने में काफी समय लगता है और पालिसीधारियों के लिये वह काफी खर्चीला भी होता है। पालिसीधारियों की कठिनाइयों का समाधान करने की दृष्टि से विधेयक में दावा न्यायाधिकरण और एक अपीलीय दावा न्यायाधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है जो पर्याप्त न्यायिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की अध्यक्षता में गठित किये जायेंगे। जहां यह व्यवस्था की गई है कि किसी ऐसे मामले के बारे में, जो दावा न्यायाधिकरण अथवा अपीलीय दावा न्यायाधिकरण के पास लंबित है अथवा उस पर निर्णय दिया गया है, कोई मुकद्दमा अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही दीवानी अदालत में नहीं की जायेगी। पालिसीधारक को यह छूट होगी कि वह ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जो न्यायाधिकरणों के समक्ष न पड़े हों न्यायालय में जा सकता है।

सरकार की यह इच्छा है कि जीवन बीमा उद्योग का पुनर्गठन कर्मचारियों के लिए अनावश्यक अथवा परिहार्य कठिनाई न बने। इसको ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि किसी क्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त विघटित निगम का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख को और उस तारीख से आगे की अवधि के लिए तदनुरूप निगम का अधिकारी या कर्मचारी होगा। केन्द्रीय कार्यालय में कार्य कर रहे विघटित निगम के कर्मचारी बोर्ड के कर्मचारी हो जायेंगे और यह उपबंध किया गया है कि इसके कृत्यों और अन्य सम्बद्ध मामलों के कुशल निर्वहन की आवश्यकता के बारे में उन्हें किसी निगम में रखा जायेगा। परिणामस्वरूप पुनर्गठन से अधिकारियों और कर्मचारियों का कम से कम स्थानान्तरण किया जाएगा।

कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए एक तंत्र के गठन की भी जरूरत

है। परिणामस्वरूप विधेयक में सेवा संबंधी मामलों के न्यायाधिकरण के गठन की व्यवस्था की गई है। सरकार आशा करती है कि निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी इन न्यायाधिकरणों का पूरा लाभ उठायेंगे।

इन वर्षों में जीवन बीमा निगम के कार्मचारियों के विभिन्न वर्गों की परिलब्धियों में भारी आंतरिक विसंगतियां हुई हैं। इसके साथ ही जीवन बीमा निगम और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में परिलब्धियों के बीच असमानतायें भी उत्पन्न हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम में कर्मचारी अधिक वेतन लेने वाले हो गये हैं। अतः इस स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 का वर्ष 1981 में संशोधन किया गया था जिसके फलस्वरूप निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार सरकार के पास निहित था। इसी प्रकार का प्रावधान अब विधेयक में समाविष्ट किया गया है।

14 अगस्त, 1984 को प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर आते हुए मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि केवल छह संशोधन हैं जिन पर विधेयक में विचार करने की आवश्यकता है। तथापि संशोधन विधेयक के सिद्धांतों में वास्तव में परिवर्तन नहीं करते हैं।

पहला संशोधन निगमों के गठन के बारे में खंड 6 (1) से संबंधित है। संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य, व्यक्तियों के उपयुक्त वर्गों से नियुक्त किये जाने हैं और इसलिए अर्हताओं का निर्धारण करना आवश्यक है जो इस नियुक्ति के पात्यता हेतु व्यक्तियों के पास होनी चाहिये।

दूसरा संशोधन निगम के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तों के बारे में खंड 7 (1) से संबंधित है। मूल खंड में व्यवस्था की गई है कि प्रस्तावित निगमों के सदस्यों तथा अध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी। चूंकि सांविधिक न्यूनतम पदावधि से कभी-कभी व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, खंड में इस आशय का संशोधन किया गया है कि निगम के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

तीसरा संशोधन निगम के अध्यक्ष को नियुक्ति समाप्त करने के बारे में खंड 8 से संबंधित है। मूल खंड में लिखित में तीन महीने का नोटिस देकर अध्यक्ष की नियुक्ति समाप्त करने के लिये व्यवस्था की गई है लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अन्य सदस्यों की नियुक्त के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अब इस संशोधन में व्यवस्था की गई है कि सरकार के पास सदस्यों की सेवायें समाप्त करने के लिये वही अधिकार होने चाहिये जैसाकि उसके पास निगम निगम के अध्यक्ष के मामले में हैं।

चौथा संशोधन समितियों के गठन के लिये प्रत्येक निगम के अधिकार के बारे में खंड 13 से सम्बन्धित है। तथापि इस खंड में पालिसीधारकों की सलाहकार समितियों के लिये विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई थी। अब नया उपखंड (4) जोड़ दिया गया है जिसमें व्यवस्था की

गई है कि प्रत्येक निगम उतनी संख्या में पालिसीधारियों की सलाहकार समितियों का गठन कर सकेगा जितनी वह उपयुक्त समझे।

पांचवां संशोधन जीवन बीमा बीमा बोर्ड के सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में खड 16 (1) से सम्बन्धित है। यह संशोधन खंड 7 के उप खंड (1) में किये गये संशोधन के समान है। छठे संशोधन का सम्बन्ध खंड 61 से है और उसमें जीवन बीमा निगमों द्वारा उन अन्य कम्पनियों के बोर्डों में नामनिर्दिष्ट निदेशकों को संरक्षण देने का उपबन्ध किया गया है जिन्होंने अपने सांविधिक दायित्वों का पालन नहीं किया है। तदनुसार ऐसे नामनिर्दिष्ट निदेशकों को संरक्षण देने के लिए उप खण्ड (2) जोडा गया है।

सरकार को आशा है कि इस विधेयक के अधिनियम से जीवन बीमा का कार्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बढ़ाया जा सकेगा जहां अभी उसकी गति बहुत धीमी है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए औद्योगिक क्षमता अधिक सुदृढ़ हो जायेगी।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीम निगम के विघटन के लिए और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मूलचन्द डागा।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोलानी) : यह सब क्या है? अब अपने सदस्यों को इस विधेयक पर बोलनों के लिए भी कह दिया है। यह सब क्या है? सभा को आपने क्या समझा है?

प्रो० मधु दंडवते : संसदीय कार्य मत्री ने यह विश्वासघात किया है। मुझे तो विशेष रूप से बताया गया था कि भूमि सम्बन्धी विधि पर चर्चा के बाद हम उठ जायेंगे और अब आप यह विधेयक ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। तीन घण्टे का समय रखा गया है। कांग्रेस दल के लिए जो समय नियत है वह मैं उन्हें दे रहा हूँ। आप इस पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं?

श्री जी. एम. बनातवाल : समय चाहे कुछ भी हो। हम आपत्ति कर सकते हैं। हम तो

यहां सारा समय उपस्थित होता होना चाहते हैं, न कि केवल भाषण देने के समय ही । हमें यह बताया गया था कि भूमि सम्बन्धी विधि के बाद सभा उठ जायेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कांग्रेस दल के लिए नियत समय ले रहा हूं । समय 3 घण्टे रखा गया है । मैं कांग्रेस दल का समय दे रहा हूं । आप कैसे आपत्ति कर सकते है ?

श्री जी. एम. बनातवाला : आप इसे मत दोहरायें । हम आपत्ति कर सकते हैं

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू करने से पहले···

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं । (**व्यवधान**)

श्री जी. एम. बनातवाला : **

उपाध्यक्ष महोदय : गुस्सा मत दिखायें ।

श्री जी. एम. बनातवाला : यह बिल्कुल गलत और अनुचित है । (**व्यवधान**)

प्रो॰ मधु दण्डवते : महोदय, ने केवल समय बल्कि सारी सभा ही कांग्रेस दल को दे दे ।—**

उपाध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय है । ठीक है । आप मुझ पर छोड़िये ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, क्या आप मुझे···—

उपाध्याक्ष महोदय : मैं कांग्रेस दल के लिए नियत समय दे रहा हूं । बस ।

श्री जी. एम. बनातवाला : ठीक है । हमें बताया गया था कि हम उसके बाद नहीं बैठेंगे । उससे आपका क्या मतलब था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका समय नहीं ले रहा । अतः आप को समय मिलेगा । कल आप का समय है । मुझ पर छोड़िये । आप अध्यक्ष पीठ को चुनौती नहीं दे सकते । मुझे पता है कि कार्यवाही कैसे चलाई जा सकती है । मुझ पर छोड़िये । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कांग्रेस दल को आवंटित समय दे रहा हूँ । (**व्यवधान**)

प्रो॰ मधु दण्डवते : ** (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वे जो कुछ कहते हैं उन्हें कार्यवाही में शामिलन करें । (**व्यवधान**)

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं समझते । जो ये सज्जन कह रहे हैं, उसे कार्यवाही में शामिल न करें । वे कार्यवाही नहीं रोक सकते । मैं इसे गम्भीरता से ले रहा हूं । **

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका समय नहीं ले रहा । नियत किया गया समय 3 घण्टे है । आपका समय आपको दिया जायेगा । मैं कांग्रेस दल को दिया गया समय समाप्त कर रहा हूं । कल मैं आपको समय दे सकता हूँ ।

श्री जी. एम. बनातवाला : आप क्या बोल रहे हैं ? यह संसद का समय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे यह मत सिखाइये कि कार्यवाही कैसे चलाई जाती है । मैं कांग्रेस को दिया गया समय ले रहा हूं । क्योंकि सोमवार आखिरी दिन है । आपको रात देर तक बैठने को नहीं कहा जाना चाहिये । इसलिए मैं कांग्रेस दल का समय ले रहा हूं । मैंने आपके दल का समय नहीं लिया है । आपको सोमवार को बोलने के लिए बुलाया जायेगा । कृपया मेरी बात सुनें यदि सदस्य मौजूद हैं तो उन्हें मौका मिलेगा ।

श्री जी. एम. बनातवाला : इसका क्या अर्थ है कि 'आपको बुलाया जायेगा ।' यह संसद का समय है । यहां मौजूद रहने का सबको हक है । (व्यवधान)

उपध्यक्ष महोदय : मुझे कार्यवाही चलाने की जानकारी है । हां श्री डागा, आप बोल सकते हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये । मैंने अपनी स्थिति सुस्पष्ट कर दी है, विधेयक पेश किया जा चुका है । लेकिन वह भी आपको पसंद नहीं आया और आप उठ कर चले गये । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कांग्रेस दल का समय दे रहा हूं ।

श्री जी. एम. बानायवाला : यह समय संसद का है । सभी सदस्यों को मौजूद रहने होने का हक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । हरेक दल को समय मिला है । आप को पता होना चाहिये कि सम्बन्धित दल को आवंटित समय देने का मुझे पूरा हक है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये महान व्यक्ति जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल न करें । (व्यवधान) **

उपाध्यक्ष महोनय : मन्त्री जी आप उसका उत्तर न दें । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ये सज्जन जो कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल न

** कार्यवाही वृन्तांत में शमिपिलत नहीं किया गया ।

करें। वे कार्यवाही चलने से रोक रहे हैं। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। श्री डागा, आप जो बोलेंगे, उसे शामिल किया जायेगा। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे शामिल न करें। (व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप उसके लिए अनुमति नहीं दे रहे ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे यकीन नहीं दिला सकते। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें मिल गया है। (व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : आसमान नहीं गिर जायेगा। इतनी योजना क्यों है यह बताइये।

प्रो० मधु दण्डवते : आपको नही पता कि क्या हो गया।

श्री वसंत साठे : क्या हो गया।

प्रो० मधु दण्डवते : समझौता यह था कि हम वाद-विवाद···।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में शामिल न करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनके कथन को शामिल न करें। वे सभा की कार्यवाही रोक रहे हैं। श्री डागा, आप भाषण जारी रखें। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, बोलते रहिये। आप क्यों चिंता करते हैं ? आप भाषण जारी रखें। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जारी रखिये। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक सदस्य कार्यवाही नही रोक सकता। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरे कथन से संतुष्ट नहीं। आप को कोई यकीन नहीं दिला सकता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि समय 3 घण्टे रखा गया है। मैं कांग्रेस दल का समय ले रहा हूँ। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही नहीं रोक सकते। आप अध्यक्ष पीठ पर आपत्ति नहीं कर सकते। यह स्पष्ट होना चाहिये। श्री डागा।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते . कृपया मेरी बात सुनें। मैं मानता हूं कि आपको सभा का संचालन करना है। मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं देता। लेकिन साथ ही जिस पृष्ठ भूमि का आपको पता नहीं, मैं वह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर आइये। आप इस से कैसे प्रभावित होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप समझ लेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात समझते हैं, मैं आपकी। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। अतः मेरी बात सुने .....

उपाध्यक्ष महोदय : विषय पर आइये।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विषय पर....आ रहा हूँ... (**व्यवधान**)**

कृपया मेरी बात सुनें (**व्यवधान**)। मैं स्पष्ट कर दूंगा।

श्री वसंत साठे : आपका प्रश्न हो सकता है, अव्यवस्था का नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था के प्रश्न के बारे में अनुमति के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं कह रहा हूं कि विभिन्न मदों के बारे में अपील समझौता था।

श्री वसंत साठे : किस नियम के अधीन ?

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 376—व्यवस्था का प्रश्न। यह समझौता... (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : किस नियम के अधीन। नियम तोड़ा गया है। आप दिखायें 376—आप ऐसा न समझें कि हमें नहीं पता।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री साठे, आप भी न समझें कि मुझे नहीं पता। मैं यह मामला उपाध्यक्ष महोदय के साथ उठा रहा हूँ, मन्त्री जी के साथ नहीं।

श्री वसंत साठे : प्रो० दण्डवते का कोई व्यवस्था का प्रश्न नही है।

प्रो मधु दण्डवते : मैं चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय विनिर्णय दें न कि मन्त्री जी। मैं आपको बताना चाहता हूं—(**व्यवधान**)

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : किस नियम के अधीन ?

श्री बसंत साठे : उन्हें नहीं पता (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. दण्डवते, आपने जो भी सुझाव दिया है, मैं उससे सहमत हूं। श्री मूल चन्द डागा नहीं बोलेंगे। अब महासचिव राज्य सभा से प्राप्त सन्देश पढ़ कर सुनायेंगे।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती**...अब** तो आप कहते हैं। लेकिन आप अपने पहले दृष्टिकोण पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं प्रो. दण्डवते और श्री बनातवाला के सुझाव से सहमत हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, जब भी आप विनिर्णय देते हैं...(**व्यवधान**)। महोदय, वास्तव में सभा में इसके साथ खिलवाड़ किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हम हमेशा क्रोध न करें। कभी-कभी गुस्सा आ सकता है। मैंने श्री मल्लिकार्जुन, श्री बनातवाला और श्री सत्य साधन चक्रवर्ती को भी बताया था कि राज्य सभा से कुछ सन्देश प्राप्त होने वाला है। अतः उस समय तक हम बैठ जाएं या फिर एक दिन और समय बढ़ाया जाये। यहां अध्यक्ष पीठ पर बैठे मुझे सूचना प्राप्त हुई थी। अतः मैंने श्री मूल चन्द डागा से अपने दल का समय लेकर विधेयक पर बोलने के लिए कहा था इस बीच आप आ गये। अब सन्देश आ गया है और मैं सहमत हो गया हूं।

महा सचिव।

प्रो. मधु दण्डवते : सभा के संचालन का यह ढंग नहीं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : सभा के संचालन का यह ढंग नहीं।

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है;

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विदेशी संदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1984 को राज्य सभा द्वारा अपनी 25 अगस्त, 1984 की बैठक में पारित किया गया था, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश मिला है।"

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं विदेशी संदाय (विनियमन) संशोध विधेयक, 1984 राज्य सभा द्वारा यथापारित, सभा-पटल पर रखता हूँ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब सोमवार, 27 अगस्त, 1984 को ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

9.36 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 27 अगस्त 1984/5 भाद्र, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स साईकिल मार्किट दिल्ली-6